

7
REGISTREED No. DL 3004/93
अभिलेख महानिदेशक की
लोक अभिलेख अधिनियम, 1993
के कार्यान्वयन के संबंध में
सातवीं रिपोर्ट
वर्ष 2004

SEVENTH REPORT
OF THE
DIRECTOR GENERAL OF ARCHIVES
ON THE IMPLEMENTATION OF THE
PUBLIC RECORDS ACT, 1993
FOR THE YEAR
2004



सत्यमेव जयते

भारत सरकार
राष्ट्रीय अभिलेखागार
नई दिल्ली

GOVERNMENT OF INDIA
NATIONAL ARCHIVES OF INDIA
NEW DELHI

2006

अभिलेख महानिदेशक की
लोक अभिलेख अधिनियम, 1993
के कार्यान्वयन के संबंध में
सातवीं रिपोर्ट
वर्ष 2004

SEVENTH REPORT
OF THE
DIRECTOR GENERAL OF ARCHIVES
ON THE IMPLEMENTATION OF THE
PUBLIC RECORDS ACT, 1993
FOR THE YEAR
2004



सत्यमेव जयते

भारत सरकार
राष्ट्रीय अभिलेखागार
नई दिल्ली

GOVERNMENT OF INDIA
NATIONAL ARCHIVES OF INDIA
NEW DELHI

2006

विषय वस्तु

1. प्रस्तावना	1
2. आंकड़ों का विश्लेषण – सामान्य निष्कर्ष	2
3. विभागीय अभिलेख कक्ष	3-5
4. विभागीय अभिलेख अधिकारी	6-8
5. स्थान की भागीदारी	9-10
6. अर्ध प्रचलित अभिलेखों का अंकन, पुनरीक्षण व विनष्टीकरण	11-13
7. अभिलेखों का सूचीकरण	14-16
8. अभिलेख प्रतिधारण समय-सूची का संकलन	17-19
9. वर्गीकृत अभिलेखों का विवर्गीकरण	20-22
10. निष्क्रिय आयोग/समितियां	23-25
11. प्रचलित अभिलेखों के मूल्यांकन के बारे में अभिलेख सर्जक अभिकरणों द्वारा की गयी कार्रवाई	26-28
12. संगठनात्मक इतिहास	29-31
13. 'क' श्रेणी के अभिलेखों का माइक्रोफिल्म निर्माण	32-33
14. अप्रचलित अभिलेखों का मूल्यांकन	34-35
15. संदर्भ माध्यम	36
16. अभिलेख अवाप्ति/अधिग्रहण	37-39
17. अभिलेख प्रतिधारण समय-सूची की पुनरीक्षा	40
18. परामर्शी कार्य	41-43
19. प्रशिक्षण	44-46
20. अभिलेखीय जागरूकता	47-54
21. प्राथमिकताएं	55-56

CONTENTS

1. Introductory	1
2. Analysis of the Data : General Observations	2
3. Departmental Records Rooms	3-5
4. Departmental Records Officers	6-8
5. Sharing of Space	9-10
6. Recording, Reviewing and Weeding Out of Semi-Current Records	11-13
7. Indexing of Records	14-16
8. Compilation of Retention Schedules for Records	17-19
9. De-Classification of Classified Records	20-22
10. Defunct Commissions/ Committees	23-25
11. Action initiated by Records Creating Agencies on Appraisal of Non-Current Records	26-28
12. Organisational History	29-31
13. Microfilming of 'A' Category Records	32-33
14. Appraisal of Non-Current Records	34-35
15. Reference Media	36
16. Accessions/ Acquisitions of Records	37-39
17. Vetting of Retention Schedules for Records	40
18. Advisory Work	41-43
19. Training	44-46
20. Archival Awareness	47-54
21. Priorities	55-56

CONTENTS

अनुलग्नक

अनुलग्नक -1

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 के कार्यान्वयन के संबंध में
सूचना प्रेषित करने वाले संगठनों की सूची

57-61

अनुलग्नक -2

अर्ध-प्रचलित अभिलेखों के अभिलेखीकरण, सूचीकरण, समीक्षा
तथा विनष्टीकरण के संबंध में की गयी प्रगति के बारे में
अर्धवार्षिक विवरणियां प्रेषित करने वाले संगठनों की सूची

62-65

अनुलग्नक -3

वर्गीकृत अभिलेखों के विवर्गीकरण पर अर्धवार्षिक विवरणियां
भेजने वाले संगठनों की सूची

66-69

अनुलग्नक -4

अभिलेख प्रबंधन पर वर्ष 2003 में आयोजित पांच/तीन दिवसीय
अभिविन्यास पाठ्यक्रम में शामिल होने वाले विभागीय अभिलेख
अधिकारियों के नाम

70-73

INTRODUCTION

ANNEXURES

ANNEXURE – I

List of Organizations who have furnished information
on the Implementation of the Public Records Act, 1993. 57-61

ANNEXURE – II

List of Organizations who have furnished Half-yearly
returns on the progress made by them in Recording, Indexing,
Reviewing, and Weeding of Semi-current Records. 62-65

ANNEXURE – III

List of Organizations who have furnished half-yearly
returns on De-classification of Classified Records. 66-69

ANNEXURE – IV

Names of the Departmental Records Officers
who have attended Five/ Three day Orientation Course
on Records Management during 2004. 70-73

7. Compilation/ revision of Retention Schedule of Records;

8. Periodical review of classified records;

9. Compilation of Annual indices to records;

10. Compilation of Organisational history; and

11. Transfer of Records of Departmental Records Officers etc.

1.3 Details of information to be furnished by the concerned departments in the report of the report.

प्रस्तावना

राष्ट्रीय अभिलेखागार संस्कृति विभाग, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है। यह राष्ट्र की अभिलिखित विरासत का भंडार है और यह विभाग लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 का क्रियान्वयन करने वाली नोडल एजेंसी भी है। लोक अभिलेख नियमावली, 1997 के नियम 8(2) के उपबंधों के तहत अभिलेख महानिदेशक, भारत सरकार को लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (क) से (ठ) के अनुपालन में हर साल भारत सरकार को विभागीय अभिलेख अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाही के संबंध में वार्षिक रिपोर्ट भेजनी पड़ती है। तदनुसार 1713 अभिलेख सर्जक एजेंसियों, यानी भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक उपक्रमों, सांविधिक निकायों आदि को परिपत्र सं. 16-12/2005-आर.एम. दिनांक 23 मार्च, 2005 भेजा गया जिसमें उनसे वर्ष 2004 के दौरान उपर्युक्त खंडों पर उनके द्वारा की गयी कार्रवाई के बारे में निर्देशानुसार लोक अभिलेख नियमावली, 1997 के फार्म-5 में रिपोर्ट भेजने को कहा गया था जिससे कि अभिलेख महानिदेशक लोक अभिलेख अधिनियम 1993 पर अमल के बारे में रिपोर्ट संकलित कर भारत सरकार को प्रेषित कर सकें।

1.2 प्रस्तुत प्रतिवेदन को अधिनियम के दायरे में आने वाली अभिलेख सर्जक एजेंसियों द्वारा वर्ष 2004 के दौरान उनके द्वारा निम्नलिखित पहलुओं पर की गयी कार्रवाई के बारे में प्राप्त आंकड़ों के आधार पर संकलित किया गया है:

1. एक संगठित विभागीय अभिलेख कक्ष की स्थापना;
2. अभिलेख अधिकारियों का नामांकन;
3. अभिलेख अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रशिक्षण;
4. अर्ध-प्रचलित अभिलेखों को रखने के लिए जगह की भागीदारी;
5. समय-समय पर अर्ध-प्रचलित अभिलेखों को अभिलेखबद्ध करना, पुनरीक्षण और विनष्टीकरण;
6. अर्ध-प्रचलित अभिलेखों का मूल्यांकन;
7. अभिलेखों की प्रतिधारण अनुसूची का संकलन/संशोधन;
8. वर्गीकृत अभिलेखों की आवधिक समीक्षा;
9. अभिलेखों की वार्षिक सूचिका का संकलन;
10. संगठनात्मक इतिहास का संकलन; और
11. निष्क्रिय संगठनों आदि के रिकार्ड को भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार को हस्तांतरण।

1.3 इस प्रतिवेदन के आगे के अध्यायों में उपर्युक्त बिन्दुओं पर सूचना का ब्यौरा दिया गया है।

INTRODUCTORY

1.1 National Archives of India is an attached office of the Department of Culture, Ministry of Tourism and Culture. It is the repository of the documentary heritage of the nation and also serves as the Nodal Agency for the implementation of the Public Records Act, 1993. Under the provisions of the Rule 8 (2) of the Public Records Rules, 1997, Director General of Archives, Government of India is required to submit to the Government of India an Annual Report every year on the action taken by the Departmental Records Officers in pursuance of Clause (a) to (l) of the Sub-section (1) of Section 6 of the Public Records Act, 1993. Accordingly, Circular letter No. 16-12/2005 RM dated 23 March, 2005 was issued to 1713 records creating agencies i.e. Ministries/ Departments, Attached and Subordinate Offices of the Government of India, Public Sector Undertakings, Statutory Bodies, etc. requesting them to furnish the report in Form-5 of the Public Records Rules, 1997 in respect of the action taken by them on the clauses mentioned above during the year 2004 so as to enable the Director General of Archives to compile and submit the report to the Government of India on the implementation of Public Records Act 1993.

1.2 The present report is compiled on the basis of the data received from the records creating agencies falling within the scope of the Act on the action taken by them during the year 2004 on the following aspects:-

1. Setting up of an organised Departmental Records Room;
2. Nomination of Records Officers;
3. Training of Records Officers and Staff;
4. Sharing of space for housing semi-current records;
5. Periodical recording, reviewing, and weeding out of semi-current records;
6. Appraisal of non-current records;
7. Compilation/ revision of Retention Schedule of Records;
8. Periodical review of classified records;
9. Compilation of Annual indices to records;
10. Compilation of Organisational history, and
11. Transfer of Records of Defunct Bodies/ Committees etc. to National Archives of India.

1.3 Details of information on the aforesaid points have been delineated in the following chapters of the report.

आंकड़ों का विश्लेषण

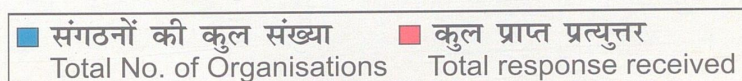
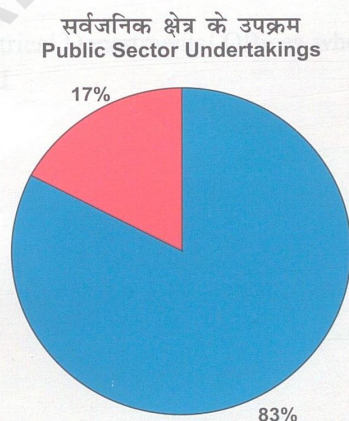
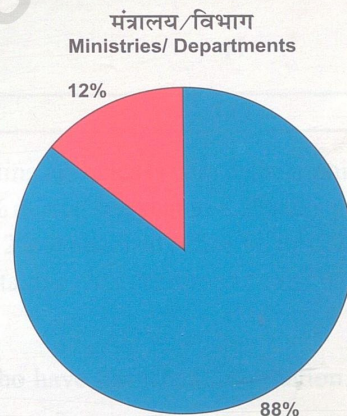
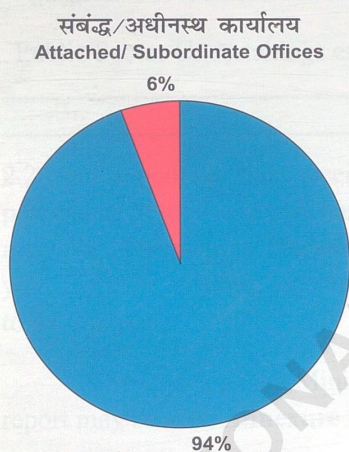
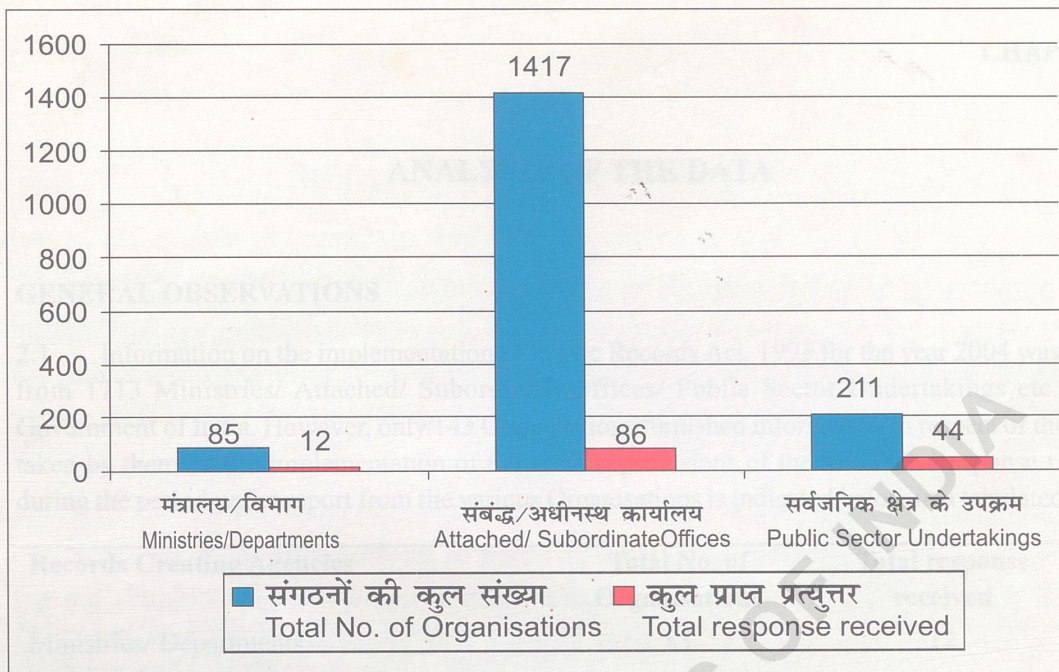
सामान्य निष्कर्ष

2.1 वर्ष 2004 में लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 के कार्यान्वयन के बारे में भारत सरकार के 1,713 मंत्रालयों, संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि से सूचना मांगी गयी थी। तथापि, इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों पर अमल के बारे में मात्र 143 संगठनों ने सूचना उपलब्ध करायी है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान विभिन्न संगठनों से प्राप्त उत्तरों को नीचे तालिका के रूप में दिया जा रहा है:

अभिलेखों सर्जक एजेंसियां	संगठनों की कुल	उत्तरों की कुल
	संख्या	संख्या
मंत्रालय/विभाग	85	12
संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय आदि	1,417	86
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	211	44
कुल	1,713	142

2.2 विभिन्न रिकार्ड सर्जक एजेंसियों में से कुछ ही एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट भेजी हैं जो बहुत निराशाजनक है। पिछले वर्ष की रिपोर्ट के सिलसिले में जहां कुल 12.36 प्रतिशत ही उत्तर मिले थे, वहीं वर्तमान रिपोर्ट के लिए उत्तरों की संख्या में फिर से गिरावट हुई है और 8.2 प्रतिशत उत्तर मिले हैं। पिछले वर्ष की रिपोर्ट के सिलसिले में मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त हुए 17 उत्तरों की तुलना में इस साल कुछ कम, यानी 12 उत्तर ही मिले हैं और संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों से प्राप्त उत्तरों की संख्या 127 से कम होकर 87 तक पहुंच गयी है। यहां तक कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त उत्तरों की संख्या भी घटी है और यह पिछले वर्ष के 56 से घटकर इस साल 44 हो गयी है।

जिन मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने इस रिपोर्ट में शामिल करने के लिए सूचना भेजी है उनके नाम अनुलग्नक-1 में देखे जा सकते हैं।



ANALYSIS OF THE DATA

GENERAL OBSERVATIONS

2.1 Information on the implementation of Public Records Act, 1993 for the year 2004 was sought from 1713 Ministries/ Attached/ Subordinate Offices/ Public Sector Undertakings etc. of the Government of India. However, only 143 Organisations furnished information in respect of the action taken by them on the implementation of the various provisions of the said Act. Response received during the period under report from the various Organisations is indicated below in a tabulated form:-

Records Creating Agencies	Total No. of Organisations	Total response received
Ministries/ Departments	85	12
Attached/ Subordinate Offices etc.	1,417	86
Public Sector Undertakings etc.	211	44
Total	1,713	142

2.2 The poor response received from different records creating agencies is very disheartening. The percentage of total response has again gone down from 12.36% during last year to 8.2% this year. The response of Ministries/ Departments has declined from 17 to 12 and attached office 86 to 127 for last year. Even the response received from the Public Sector Undertakings has decreased from 56 last year to 44 this year.

The names of the Ministries/ Departments/ Offices who have furnished information for this report may be seen **Annexure –I**.

विभागीय अभिलेख कक्ष

3.1 अभिलेख सर्जक एजेंसियों के प्रचलित रिकार्डों को रखने के लिए एक सुव्यवस्थित विभागीय अभिलेख कक्ष की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। लेकिन लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 4 की उपधारा (2) में यह निर्धारित है कि हरेक अभिलेख सर्जक एजेंसी को ऐसे स्थान पर अपना अभिलेख कक्ष स्थापित करना चाहिए जो उसे उचित लगे और प्रत्येक अभिलेख कक्ष का प्रभार अभिलेख अधिकारी के नियंत्रणाधीन हो। विभागीय अभिलेख कक्ष की स्थापना का उद्देश्य वैज्ञानिक रूप से स्थाई महत्व के रिकार्डों का अनुरक्षण तथा ऐसे अभिलेखों की समीक्षा, सूचीकरण तथा विनष्टीकरण के लिए समयपूर्वक कार्रवाई करना है जिन्हें दीर्घावधि के लिए रखना अपेक्षित नहीं है। राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/सार्वजनिक उपक्रमों को अपने संबंधित मंत्रालय/विभाग/कार्यालय/सार्वजनिक उपक्रम में अभिलेख कक्षों की व्यवस्था और स्थापना करने के संबंध में अधिनियम के दायरे में आने वाले अनुदेशों को समय-समय पर जारी करने के बावजूद यह देखा गया है कि विभिन्न स्थानों पर अभी भी अभिलेखों को गलियारों में ढेर लगा कर रखा जाता है। सर्जक एजेंसियों द्वारा इस महत्वपूर्ण पहलु पर बहुत ही कम ध्यान दिया गया है। अभिलेख सर्जक एजेंसियों द्वारा इस संबंध में और ज्यादा प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

3.2 रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान 142 मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों और सार्वजनिक उपक्रमों ने सूचना दी है, इनमें से 98 मंत्रालय/विभाग/कार्यालय हैं और 44 सार्वजनिक उपक्रम हैं। इस संबंध में प्राप्त की गई विस्तृत सूचना नीचे दी गई है:

3.3 निम्नलिखित 56 मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने बताया है कि उनका अभिलेख कक्ष सुव्यवस्थित है। इनके नाम इस प्रकार हैं: नई दिल्ली स्थित कृषि और सहकारिता मंत्रालय, नागर विमानन मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), जहाजरानी मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय, रसायन एवं पैट्रोसायन मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, सूचना और प्रौद्योगिक मंत्रालय, योजना आयोग, नागर विमानन महानिदेशक का कार्यालय, आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, वाणिज्य विभाग का आपूर्ति प्रभाग, रक्षा लेखा महानियंत्रक का कार्यालय और कलावती सरन बाल चिकित्सालय; चैन्नई में बी.सी.जी. वैक्सीन प्रयोगशाला, गवर्नमेंट मेडिकल स्टोर डिपो; कोलकाता में नेशनल एटलस एंड थीमैटिक मैपिंग आर्गनाइजेशन, जूट विकास निदेशालय, जूट आयुक्त कार्यालय; मुंबई में फारवर्ड मार्केट कमीशन, केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, मुंबई-1, केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, वोकेशनल रिहबिलिटेशन सेंटर फार हेंडीकैप्ड, महाप्रबंधक कार्यालय (मध्य रेलवे); दक्षिणी क्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और जांच संस्थान, (अनंतपुर) आंध्र प्रदेश, केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, औरंगाबाद; क्षेत्रीय श्रम कल्याण आयुक्त (मध्य) का कार्यालय, अजमेर; बंगलौर में अंतरिक्ष विभाग तथा केंद्रीय तटीय मात्स्यिकी अभियांत्रिक संस्थान; केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, बेलगाम; कोच्चि में श्रमायुक्त का कार्यालय (मध्य), सेंट्रल इंस्टिट्यूट आफ फिशरीज नौटिकल एंड इंजीनियरिंग ट्रेनिंग तथा एकीकृत मात्स्यिकी परियोजना; चंडीगढ़ में केंद्रीय उत्पाद शुल्क

DEPARTMENTAL RECORDS ROOM

3.1 A well organised Departmental Records Room for housing the semi-current records of the Records Creating agencies is a vital necessity. Sub Section (2) of Section 5 of the Public Records Act, 1993 stipulates that all records creating agencies should set up their Records Rooms in such places as it deems fit and also place each records room under the charge of a Records Officer. The objective of setting up of the Departmental Records Room is to preserve the records of enduring value scientifically and take timely action for their reviewing, indexing and weeding out those which are no longer required to be retained. In spite of National Archives of India issuing instructions time to time falling under the purview of the Act to organise & set up Records Rooms in their respective Ministry/ Department/ Office/ Public Sector Undertakings, it has been observed that still the records are kept in the corridors, dumped at various places. Very little attention has been paid by the creating agencies towards this important aspect. More efforts on the part of the records creating agencies are required to be made in this regard.

3.2 During the period under report 142 Ministries/ Departments/ Offices and Public Sector Undertakings have furnished information, out of these 98 are Ministries/ Departments/ Offices and 44 Public Sector Undertakings. The detailed information received in this regard is given below:-

3.3 The following 56 Ministries/ Departments/ Offices have mentioned that their Records Rooms are well organized. These are: Ministries of Agriculture and Cooperation, Civil Aviation, Defence, Home Affairs, Labour and Employment, Railway (Railway Board), Shipping, Road Transport and Highways, Water Resources, Departments of Chemicals and Petrochemicals, Commerce, Information and Technology, Planning Commission, Office of the Director General of Civil Aviation, Directorate Generals of Supplies and Disposals, Central Reserve Police Force, (Supply Division) of Department of Commerce, Office of the Controller General of Defence Accounts and Kalawati Saran Bal Chikitsalaya all in New Delhi; B.C.G. Vaccine Laboratory, Government Medical Store Depot both in Chennai; National Atlas and Thematic Mapping Organisation, Directorate of Jute Development, Office of the Jute Commissioner all in Kolkata; Forward Markets Commission, Office of the Commissioner of Central Excise, Mumbai-I, Central Board of Film Certification, Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped, General Manager's office (Central Railway) all in Mumbai; Southern Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Anantapur (A.P.) Office of the Commissioner of Central Excise, Aurangabad; Office of the Regional Labour Welfare Commissioner (Central), Ajmer; Department of Space and Central Institute of Coastal Engineering for Fishery both in Bangalore; Office of the Commissioner of Central Excise, Belgaum; Office of the Regional Labour Commissioner (Central), and Central Institute of Fisheries Nautical and Engineering Training and Integrated Fisheries Project all in Cochin; Office of the Commissioner of Central Excise and Terminal Ballistics Research Laboratory both in Chandigarh; Central Cattle Breeding Farm, Dhamrod (Distt. Surat); Forest Survey

आयुक्त कार्यालय और टर्मिनल बैलास्टिक अनुसंधान प्रयोगशाला; केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, धामरोड (सूरत जिला), भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून, राष्ट्रीय जैव कृषि केंद्र, गाजियाबाद; सहायक कल्याण आयुक्त का कार्यालय, श्रम कल्याण संगठन, पणजी, गोवा और पोत पतन स्वास्थ्य संगठन, मारमागोवा, गोवा; क्षेत्रीय प्रशिक्षु प्रशिक्षण निदेशालय, हैदराबाद; जयपुर में नमक आयुक्त का कार्यालय और क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय; रेल सुरक्षा आयुक्त, लखनऊ; केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म, सूरतगढ़ (राजस्थान); वरिष्ठ पोस्टमास्टर जनरल, वाराणसी; नागपुर में मुम्बई उच्च न्यायालय का सरकारी परिसमापक का कार्यालय और मुख्य आयकर आयुक्त का कार्यालय; लाइटहाउस एंड लाइटशिप निदेशालय, नोएडा; मुख्य अभियंता और प्रशासक का कार्यालय, अडमान लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स, पोर्ट ब्लेयर; भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, पुणे तथा केन्द्रीय उत्पाद और सीमाशुल्क, रायपुर।

3.4 निम्नलिखित 38 कार्यालयों ने बताया है कि उनके अभिलेख कक्ष पूर्णतया व्यवस्थित नहीं हैं और उन्होंने 'शून्य' सूचना दी है, इनके नाम इस प्रकार हैं:— नई दिल्ली स्थित मौसम विज्ञान महानिदेशालय, सशस्त्र बल फिल्म और फोटो प्रभाग, आंचलिक परिषद सचिवालय, आयकर आयुक्त कार्यालय (अपील), नाकॉटिक्स नियंत्रण ब्यूरो, केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय; चैन्नई में केंद्रीय औषध जांच प्रयोगशाला और क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, कोलकाता में केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय और क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय तथा मेट्रो रेल; क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, मुम्बई; वोकेशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर वार हेंडीकैप्ड, भुवनेश्वर; पोस्ट मास्टर जनरल का कार्यालय, कोयम्बटूर; केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन, गाजियाबाद; अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए कोचिंग-सह-मार्गदर्शन, गुवाहाटी; विपणन और निरीक्षण निदेशालय, हैदराबाद; बाजरा (मिलेट) विकास निदेशालय, जयपुर; संयुक्त निदेशक, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का कार्यालय, जबलपुर; कंपनी पंजीयन कार्यालय केरल; नागपुर में मुम्बई उच्च न्यायालय के सरकारी परिसमापक का कार्यालय और भारतीय खदान ब्यूरो; विपणन और निरीक्षण निदेशालय, नासिक रोड; क्षेत्रीय वोकेशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर फार हेंडीकैप्ड, (औरा-दूरा मिलो), मेघालय, केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म, संभलपुर (उड़ीसा); पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय, शिलांग; विपणन और निरीक्षण निदेशालय, सूरत; क्षेत्रीय कार्यालय, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, शिमला; परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, अहमदाबाद; बंगलौर; भोपाल; भुवनेश्वर, गुवाहाटी; पटना; शिमला; लखनऊ; चंडीगढ़ और हैदराबाद।

3.5 फोरमेन प्रशिक्षण संस्थान, जमशेदपुर ने सूचना दी है कि सुव्यवस्थित अभिलेख कक्ष की स्थापना हेतु कार्रवाई की जाएगी।

3.6 विशाखापट्टनम बेस स्थित भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, विशाखापट्टनम ने सूचना दी है कि उन्होंने अपने मुख्यालय को रिपोर्ट भेज दी है, वन शिक्षा निदेशालय, देहरादून ने अपने अधीनस्थ कार्यालयों को अनुदेश दिए हैं कि वे अपनी रिपोर्ट सीधे राष्ट्रीय अभिलेखागार को भेजें एवं आयकर अपीलीय अधिकरण, पीठ, गुवाहाटी ने अपने मुख्यालय से अनुरोध किया है कि वे राष्ट्रीय अभिलेखागार में अपनी रिपोर्ट भेजें।

3.7 44 सार्वजनिक उपक्रमों/सांविधिक निकायों इत्यादि में से 29 ने सूचना दी है कि उनके पास सुव्यवस्थित विभागीय अभिलेख कक्ष हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं: नई दिल्ली स्थित भारतीय खाद्य निगम, परियोजना उपस्कर निगम (पीईसी) लिमिटेड, इस्कान इंटरनेशनल लिमिटेड, भारतीय प्रतिरक्षण संस्थान, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास फेडरेशन लिमिटेड तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नियोजन मंडल; कोलकाता स्थित बंगाल रसायन

of India, Dehra Dun; National Centre for Organic Farming, Ghaziabad; Office of the Assistant Welfare Commissioner, Labour Welfare Organisation, Panaji, Goa and Port Health Organisation, Marmagao, Goa; Regional Directorate of Apprenticeship Training, Hyderabad; Office of the Salt Commissioner and Regional Evaluation Office both in Jaipur; Commissioner of Railway Safety, Lucknow; Central Cattle Breeding Farm, Suratgarh (Rajasthan); Senior Post Master General, Varanasi; Office of the Official Liquidator High Court of Mumbai and Office of the Chief Commissioner of Income Tax both in Nagpur; Directorate of Lighthouses and Lightships, Noida; Office of the Chief Engineer and Administrator, Andaman Lakshadweep Harbour Works, Port Blair; National Film Archive of India, Pune and Central Excise and Customs, Raipur.

3.4 The following 38 offices have mentioned that their Records Rooms are not fully organized and furnished 'NIL' information. These are:- Directorate General of Meteorology, Armed Forces Film and Photo Division, Zonal Councils Secretariat, Office of the Commissioner of Income tax (Appeals), Narcotics Control Bureau, Central Pension Accounting Office all in New Delhi; Central Drugs Testing Laboratory and Regional Evaluation Office both in Chennai; Central Reference Library, Belvedere and Regional Evaluation Office and Metro Railway all in Kolkata; Regional Evaluation Office Mumbai; Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped, Bhubaneswar; Office of the Post Master General, Coimbatore; Central Drugs Standard Control Organisation, Ghaziabad; Coaching-Cum-Guidance for SC/ST, Guwahati; Directorate of Marketing and Inspection, Hyderabad; Directorate of Millets Development, Jaipur; Office of the Joint Director, Central Government Health Scheme, Jabalpur; Office of the Registrar of Companies, Kerala; Office of the Official Liquidator High Court of Mumbai and Indian Bureau of Mines both in Nagpur; Directorate of Marketing and Inspection, Nasik Road; Regional Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped, (Aura-Tura Mille), Meghalaya; Central Cattle Breeding Farm, Sambalpur (Orissa); North Eastern Council Secretariat, Shillong; Directorate of Marketing and Inspection, Surat; Regional Office, Central Government Health Scheme, Shimla; Project Evaluation Offices, Ahmedabad; Bangalore; Bhopal; Bhubaneswar; Guwahati; Patna; Shimla; Lucknow; Chandigarh and Hyderabad.

3.5 Foremen Training Institute, Jamshedpur has informed that action will be taken up to set up organized Departmental Records Room.

3.6 Visakhapatnam Base of Fishery Survey of India, Visakhapatnam has informed that they have forwarded the report to their Headquarter, Directorate of Forest Education, Dehra Dun has instructed to their Subordinate Offices to send report direct to National Archives of India and Income Tax Appellate Tribunal, Bench, Guwahati has requested to their Head Office, Mumbai to send report to National Archives of India.

3.7 Out of 44 Public Sector Undertakings/ Statuary Bodies etc. 29 have reported that they have well organized Departmental Records Rooms:- Food Corporation of India, Project Equipment Corporation (PEC) Limited, IRCON International Limited, National Institute of Immunology, Tribal Co-operative Marketing Development Federation of India Limited and National Capital Region Planning Board, all in New Delhi; Bengal Chemicals and Pharmaceuticals Limited, Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited, Hindustan Paper Corporation Limited and Hindustan Copper Limited, all in Kolkata; Cotton Corporation of India Limited, General Insurance Corporation of India,

और फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, हिंदुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड; मुंबई स्थित काटन कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, जनरल इंड्योरेस कारपोरेशन आफ इंडिया, माजागॉन डॉक लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड; नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नोएडा (उत्तर प्रदेश), राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, भुवनेश्वर, हिंदुस्तान जैव रसायन लिमिटेड, रसायनी (रायगढ़); फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड, कोच्चि; हैदराबाद स्थित भारत डायनामिक्स लिमिटेड एंड इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फार पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मेटिरियल; नागपुर स्थित केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड और मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड, मारमागोवा पोर्ट ट्रस्ट, गोवा; ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी; नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड; गोलाघाट असम; विशाखापट्टनम स्थित ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड और विशाखापट्टनम डॉक लेबर बोर्ड; तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट, तूतीकोरिन।

3.8 इंडियन रेअर अर्थ लिमिटेड, मुंबई और इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टॉपिकल मीट्रोलाजी, पुणे ने सूचना दी है कि उन्हें अभी अपने अभिलेख कक्षों की स्थापना करनी है।

3.9 8 सार्वजनिक उपक्रमों की एक अन्य श्रेणी है जिन्होंने शून्य रिपोर्ट दी हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं: नई दिल्ली स्थित हिंदुस्तान इंसेक्टीसाइड लिमिटेड, हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैण्डलूम एक्सपोर्ट कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड; चैन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, चैन्नई; मुंबई स्थित सोसाइटी फॉर एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च, मुंबई रेलवे विकास कारपोरेशन लिमिटेड और शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड; इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी, राय बरेली और नागालैण्ड पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड, जोरहाट (असम)।

3.10 इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली ने सूचना दी है कि वे लोक अभिलेख अधिनियम 1993 के अंतर्गत रिकार्ड सर्जक एजेंसी की परिभाषा में कवर नहीं होते हैं।

3.11 निम्नलिखित 4 सार्वजनिक उपक्रमों ने अस्पष्ट उत्तर दिया है। इनके नाम इस प्रकार हैं: चैन्नई पोर्ट ट्रस्ट, चैन्नई; एच एम टी लिमिटेड, बंगलौर; मेकॉन लिमिटेड, रांची और कोयला खदान भविष्य निधि आयुक्त, धनबाद।

Mazagon Dock Limited and Hindustan Petroleum Corporation Limited, all in Mumbai; National Fertilizers Limited, Noida (U.P.); National Aluminium Company Limited, Bhubaneswar; Hindustan Organic Chemicals Limited, Rasayani (Raigad); The Fertilizers and Chemicals Travancore Limited, Kochi; Bharat Dynamics Limited and International Advanced Research Centre for Powder Metallurgy and New Materials, all in Hyderabad; Central Board for Workers Education, and Mineral Exploration Corporation Limited, both in Nagpur; Marmagao Port Trust, Goa; Brahmaputra Board, Guwahati; Numaligarh Refinery Limited, Golalghat (Assam); Dredging Corporation of India Limited, Hindustan Shipyard Limited and Visakhapatnam Dock Labour Board, all in Visakhapatnam; Tuticorin Port Trust, Tuticorin.

3.8 Indian Rare Earths Limited, Mumbai and Indian Institute of Tropical Meteorology, Pune have informed that their Records Rooms is yet to be set up by them.

3.9 There is another category of 8 Public Sector Undertakings who have furnished nil report these are:- Hindustan Insecticides Limited, Handicrafts and Handlooms Exports Corporation of India Limited, both in New Delhi; Chennai Petroleum Corporation Limited, Chennai; Society for Applied Microwave Electronics Engineering and Research, Mumbai Railway Vikas Corporation Limited, and Shipping Corporation of India Limited, all in Mumbai; Indira Gandhi Rashtriya Uran Akademi, Rae Bareli and Nagaland Pulp & Paper Company Limited, Jorhat (Assam).

3.10 Engineers India Limited, New Delhi has informed that they are not covered in the definition of a Records Creating Agency under the Public Records Act, 1993.

3.11 The following 4 Public Sector Undertakings have furnished vague reply. These are:- Chennai Port Trust, Chennai; H.M.T. Limited, Bangalore; MECON Limited, Ranchi and Coal Mines Provident Fund Commissioner, Dhanbad.

अध्याय 4

विभागीय अभिलेख अधिकारी

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 5(1) में यह निर्धारित है कि प्रत्येक अभिलेख सर्जक एजेंसी उक्त अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत बताये गये कार्यों को पूरा करने के लिए अपने अधिकारियों में से किसी एक को अभिलेख अधिकारी मनोनीत करेगी। विभागीय अभिलेख अधिकारी को अपने संगठन के विभिन्न अनुभागों/शाखाओं/प्रभागों के साथ तालमेल कायम करने और उनका मार्गदर्शन करने के साथ-साथ अभिलेखों की प्रतिधारण समय-सरणी के संकलन, अप्रचलित अभिलेखों के मूल्यांकन और 25 वर्ष पुराने स्थायी प्रकृति के अभिलेखों के स्थाई वैज्ञानिक संरक्षण के लिए भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार को हस्तांतरित करने संबंधी मामलों का कार्य करना होता है। इसे ध्यान में रखते हुए विभागीय अभिलेख अधिकारी की नियुक्ति लोक अभिलेख अधिनियम 1993 को कार्यान्वित करने के लिए एक पूर्वापेक्षा है, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने अधिनियम के अंतर्गत आने वाले सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/सार्वजनिक उपक्रमों से दिनांक 23.3.2005 के परिपत्र संख्या 16-12/2005-आर.एम. के तहत अनुरोध किया है कि वे लोक अभिलेख अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करें और अपने यहां एक विभागीय अभिलेख अधिकारी नामजद कर दें। परिणामस्वरूप अब तक सार्वजनिक उपक्रमों सहित 143 संगठनों ने इस संबंध में उत्तर दिया है। विस्तृत विश्लेषण नीचे दिया गया है:

4.1 लगभग 143 संगठनों ने अपेक्षित सूचना दी है जिनमें से 99 मंत्रालय/विभाग/कार्यालय हैं और 44 सार्वजनिक उपक्रम हैं। इस संबंध में प्राप्त किए गए उत्तरों का ब्यौरा नीचे दिया गया है: 55 मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने सूचना दी है कि उनके यहां पूर्णकालिक प्रशिक्षित विभागीय अभिलेख अधिकारी उपलब्ध हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं: नई दिल्ली स्थित कृषि और सहकारिता मंत्रालय नागर विमानन मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, रेलवे, जल संसाधन मंत्रालय योजना आयोग, रसायन एवं पेट्रोरसायन मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, जहाजरानी मंत्रालय, मौसम विज्ञान महानिदेशालय नागर विमानन महानिदेशक का कार्यालय, आपूर्ति और निपटान महानिदेशक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, रक्षा लेखा महानियंत्रक का कार्यालय, वाणिज्य विभाग का आपूर्ति प्रभाग, केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय, कलावती सरन बाल चिकित्सालय; चैन्नई में गवर्नमेंट मेडीकल स्टोर डिपो; कोलकाता में जूट विकास निदेशालय नेशनल एटलस एंड थीमैटिक मैपिंग आर्गनाइजेशन, केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय, बेलवेडे और क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय; मुंबई में केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, मुंबई-1, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, फारवर्ड मार्केट कमीशन और महाप्रबंधन कार्यालय (मध्य रेलवे), वोकेशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर फार हेंडीकैप्ड; दक्षिणी क्षेत्र फार्म, मशीनरी प्रशिक्षण और जांच संस्थान (अनंतपुर) आंध्र प्रदेश, केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, औरंगाबाद; बंगलौर में अंतरिक्ष विभाग तथा केंद्रीय तटीय मात्स्यिकी अभियांत्रिक संस्थान; केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, बेलगाम; सेंट्रल इंस्टिट्यूट आफ फिशिंग नौटिकल एंड इंजीनियरिंग ट्रेनिंग और क्षेत्रीय श्रमायुक्त का कार्यालय (मध्य); चंडीगढ़ में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय क्षेत्रीय श्रमायुक्त (सी) कार्यालय और टर्मिनल बैलास्टिक अनुसंधान प्रयोगशाला; भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून; राष्ट्रीय जैव कृषि केंद्र और केंद्रीय मानक नियंत्रण संगठन; गाजियाबाद; पोतपतन स्वास्थ्य संगठन मारमांगोवा, गोवा, सहायक कल्याण आयुक्त का कार्यालय, श्रम

DEPARTMENTAL RECORDS OFFICERS

Sections 5(1) of the Public Records Act, 1993 lays down that every records creating agency shall nominate one of its officer as Records Officer to discharge the functions as enumerated under Section 6(1) of the said Act. It is the duty of the Departmental Records Officer to co-ordinate and guide various Sections/ Branches/ Divisions of their respective organizations and also to keep liaison with Director General of Archives on matters relating to Compilation of Records Retention Schedule of Substantive functions, appraisal of non-current records, transfer of records of permanent nature which are 25 years old to National Archives of India for permanent scientific preservation. Keeping in view that the appointment of Departmental Records Officer is a pre-requisite for implementing the Public Records Act, 1993, the National Archives of India has requested all Ministries/ Departments/ Offices / Public Sector Undertakings vide Circular letter No. 16-12/2005-R.M. dated 23.03.2005 to comply with the said provision of the Public Records Act and nominate one of its officers as Records Officer. As a result 143 Organisations including Public Sector Undertakings have so far responded in this regard. The detailed analysis is given below:-

4.1 In all 143 Organisations have furnished the requisite information, out of which 99 are Ministries/ Departments/ Offices and 44 are Public Sector Undertakings. The details of the replies received in this regard are given below:- 55 Ministries/ Departments/ Offices have informed that they have full time trained Departmental Records Officers. These are:- Ministries of Agriculture and Cooperation, Civil Aviation, Defence, Home Affairs, Labour and Employment, Railways, Water Resources, Planning Commission, Departments of Chemicals and Petrochemicals, Commerce, Shipping, Directorate General of Meteorology, Office of the Director General of Civil Aviation, Directorate Generals of Supplies and Disposals, Central Reserve Police Force, Office of the Controller General of Defence Accounts, Supply Division (Department of Commerce), Central Pension Accounting Office, Kalawati Saran Bal Chikitsalaya all in New Delhi; Government Medical Store Depot, Chennai; Directorate of Jute Development, National Atlas and Thematic Mapping Organisation, Central Reference Library, Belvedere and Regional Evaluation Office all in Kolkata; Office of the Commissioner of Central Excise, Mumbai-I, Central Board of Film Certification, Forward Markets Commission and General Manager's Office (Central Railways), Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped all in Mumbai; Southern Regional Farm Machinery Training and Testing Institute, Anantapur (A.P.); Office of the Commissioner of Central Excise, Aurangabad; Department of Space and Central Institute of Coastal Engineering for Fishery both in Bangalore; Office of the Commissioner of Central Excise, Belgaum; Central Institute of Fisheries Nautical and Engineering Training and Office of the Regional Labour Commissioner (Central) both in Kochi; Office of the Commissioner of Central Excise, Office of the Regional Labour Commissioner (C) and Terminal Ballistics Research Laboratory all in Chandigarh; Forest Survey of India, Dehradun, National Centre for Organic Farming and Central Drugs Standard Control Organisations both in Ghaziabad; Port Health Organisations, Marmagao, Goa and Office of

कल्याण संगठन पणजी, गोवा और; क्षेत्रीय प्रशिक्षु प्रशिक्षण निदेशालय, हैदराबाद; जयपुर में बाजरा (मिलेट) विकास निदेशालय और नमक आयुक्त का कार्यालय; फोरमैन प्रशिक्षण संस्थान, जमशेदपुर, रेल सुरक्षा आयोग, लखनऊ नागपुर में मुख्य आयकर आयुक्त का कार्यालय और ब्यूरो आफ माइंस; लाइटहाउस एंड लाइटशिप्स निदेशालय, नोएडा; भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, पुणे तथा केंद्रीय उत्पाद और सीमाशुल्क, रायपुर।

4.2 44 कार्यालयों ने अस्पष्ट/कोई उत्तर नहीं दिया है या उत्तर देना आवश्यक नहीं समझा या कहा है कि उन पर लागू नहीं होता है। इनके नाम हैं: नई दिल्ली स्थित सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, आयकर आयुक्त का कार्यालय (अपील), सशस्त्र बल फिल्म और फोटो प्रभाग, नार्कोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो; चैन्नई में बीसीजी वैक्सीन प्रयोगशाला और केंद्रीय औषध जांच प्रयोगशाला; कोलकाता में जूट आयुक्त तथा मेट्रो रेल; भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण मुम्बई; क्षेत्रीय श्रमायुक्त (मध्य), अजमेर; आयकर महानिदेशालय का कार्यालय, बंगलौर; वोकेशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर फार हैंडीकैप्ड, भुवनेश्वर; एकीकृत मात्स्यिकी परियोजना; कोच्चि; वन शिक्षा महानिदेशालय; देहरादून; केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म, धामरोड (सूरत जिला); गुवाहाटी स्थित अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए कोचिंग-सह-मार्गदर्शन और आयकर अपीलीय अधिकरण गुवाहाटी पीठ; विपणन और निरीक्षण निदेशालय, दक्षिण-मध्य क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद; संयुक्त निदेशक, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का कार्यालय, जबलपुर; कंपनी पंजीयन कार्यालय, केरल; नागपुर में मुम्बई उच्च न्यायालय के सरकारी परिसमायक का कार्यालय; विपणन और निरीक्षण निदेशालय नासिक रोड; क्षेत्रीय वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट फार वीमें, (ऑरा-टूरा मिली), मेघालय मुख्य अभियंता और प्रशासन का कार्यालय, अंडमान लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स, पोर्ट ब्लेयर; केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म, (छिपलिमा जिला) संभलपुर, (उड़ीसा) और सूरतगढ़ (राजस्थान); विपणन और निरीक्षण निदेशालय, सूरत; क्षेत्रीय कार्यालय, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, शिमला; पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय, शिलांग; वरिष्ठ डाकपाल वाराणसी; विशाखापट्टनम बेस का भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण; विशाखापट्टनम; क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, चैन्नई; मुम्बई; चंडीगढ़, हैदराबाद, जयपुर तथा लखनऊ; परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, अहमदाबाद; बंगलौर; भोपाल; भुवनेश्वर; गुवाहाटी; पटना; शिमला।

4.3 सार्वजनिक उपक्रम/सांविधिक निकायों के संबंध में विभागीय अभिलेख अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में स्थिति इस प्रकार है:

4.4 33 सार्वजनिक उपक्रमों ने सूचना दी है कि उनके पास पूर्णकालिक विभागीय अभिलेख अधिकारी हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं : नई दिल्ली स्थित हिंदुस्तान इंसेक्टीसाइड लिमिटेड, परियोजना उपस्कर कारपोरेशन (पीईसी) लि; भारतीय खाद्य निगम, परियोजना उपस्कर निगम (पीईसी) लिमिटेड, इरकान इंटरनेशनल लिमिटेड, भारतीय प्रतिरक्षण संस्थान, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास फंडरेशन लिमिटेड तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नियोजन मंडल; कोलकाता स्थित बंगाल रसायन और फार्मास्युटिकल्स मंडल; गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, लिमिटेड, हिंदुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड; मुंबई स्थित काटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जनरल इंश्योरेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया, माजागॉन, डॉक लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड; मुम्बई रेल विकास कारपोरेशन, और इंडियन रेअर अर्थ लिमिटेड; नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नोएडा (उत्तर प्रदेश), हिंदुस्तान जैव रसायन लिमिटेड; रसायनी (रायगढ़); फर्टिलाइजर्स एंड कॅमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड, कोच्चि; हैदराबाद स्थित भारत डायनामिक्स लिमिटेड तथा इंटरनेशनल एडवांस्ड

the Assistant Welfare Commissioner, Labour Welfare Organisation, Panaji, Goa; Regional Directorate of Apprenticeship training, Hyderabad; Directorate of Millets Developments and Office of the Salt Commissioner both in Jaipur; Foreman Training Institute, Jamshedpur; Commission of Railway Safety, Lucknow; Office of the Chief Commissioner of Income Tax and Indian Bureau of Mines both in Nagpur; Directorate General of Lighthouses and Lightships, Noida; National Film Archive of India, Pune and Office of the Central Excise and Customs, Raipur.

4.2 The following 44 Organisations have given vague replies/ 'NIL', do not feel necessary, or stated that it is not applicable to them or contact to their Headquarters to furnish the requisite information. These are:- Department of Information Technology, Office of the Commissioner of Income Tax (Appeals), Armed Forces Film and Photo Division, Narcotics Central Bureau all in New Delhi; B.C.G. Vaccine Laboratory and Central Drugs Testing Laboratory both in Chennai; Office of the Jute Commissioner and Metro Railway both in Kolkata; Fishery Survey of India, Mumbai; Office of the Regional Labour Commissioner (Central), Ajmer; Office of the Directorate General of Income Tax, Bangalore; Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped, Bhubaneswar; Integrated Fisheries Project, Cochin; Directorate of Forest Education, Dehradun; Central Cattle Breeding Farm, Dhamrod (District Surat); Coaching Cum Guidance Centre for SC/ ST and Income Tax Appellate Tribunal, Guwahati Bench both in Guwahati; Directorate of Marketing and Inspection, South Central, Regional Office, Hyderabad; Office of the Joint Director, Central Government Health Scheme, Jabalpur; Office of the Registrar of Companies, Kerala; Directorate of Marketing and Inspection, Sub-office, Nasik Road; Regional Vocational Training Institute for Women (Aura Tura mille), Meghalaya; Office of the Official Liquidator High Court of Mumbai at Nagpur; Office of the Chief Engineer and Administrator, Andaman Lakshadweep Harbour Works, Port Blair; Central Cattle Breeding Farms (Chiplima Distt.) Sambalpur (Orissa) and Suratgarh (Rajasthan); Directorate of Marketing and Inspection, Surat; Regional Office, Central Government Health Scheme, Shimla; North Eastern Councils Secretariat, Shillong; Senior Post Master General, Varanasi; Visakhapatnam Base of Fishery Survey of India, Visakhapatnam; Regional Evaluation Offices, Chennai; Mumbai; Chandigarh; Hyderabad; Jaipur, and Lucknow; Project Evaluation Offices, Ahmedabad; Bangalore; Bhopal; Bhubaneswar; Guwahati; Patna and Shimla.

4.3 As regards the Public Sector Undertakings/ Statutory Bodies etc. the position regarding appointment of Departmental Records Officers is as follows:-

4.4 The following 33 Public Sector Undertakings have full time Departmental Records Officers:- Hindustan Insecticides Limited, Project Equipment Corporation (PEC) Limited, Food Corporation of India, IRCON International Limited, National Institute of Immunology, Tribal Co-operative Marketing Development Federation of India Limited and National Capital Region Planning Board, all in New Delhi; Bengal Chemicals and Pharmaceuticals Limited, Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited, Hindustan Paper Corporation Limited, and Hindustan Copper Limited, all in Kolkata; Cotton Corporation of India Limited, General Insurance Corporation of India, Mazagon Dock Limited, Hindustan Petroleum Corporation Limited, Mumbai Railway Vikas Corporation Limited and Indian Rare Earths Limited, all in Mumbai. National Fertilizers Limited, Noida (U.P.) Hindustan Organic Chemicals Limited, Rasayani (Raigad); Fertilisers and Chemicals Travancore Limited, Kochi; International Advanced Research Centre for Powder Metallurgy and New Materials and Bharat

रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटेलर्जी एंड न्यू मेटिरियल; नागपुर स्थित केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड और मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, भुवनेश्वर; ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी; नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड; गोलाघाट असम; इंडियन इंस्टिट्यूट आफ ट्रॉपिकल मेट्रोओटोलॉजी, पुणे; ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड; हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड और विशाखापट्टनम डॉक लेबर बोर्ड; मारमागोवा पोर्ट ट्रस्ट, गोवा; तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट, तूतीकोरिन।

4.5 इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली ने सूचना दी है कि वे लोक अभिलेख अधिनियम 1993 के अंतर्गत रिकार्ड सर्जक एजेंसी की परिभाषा में कवर नहीं होते हैं।

4.6 निम्नलिखित 6 सार्वजनिक उपक्रमों ने सूचना दी है कि उनके यहां अभिलेख अधिकारी उपलब्ध नहीं हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं: नई दिल्ली स्थित हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैण्डलूम एक्सपोर्ट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड; चैन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन, लिमिटेड, चैन्नई; मुंबई स्थित शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया और सोसाइटी फॉर एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च, मुंबई लिमिटेड; इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी, राय बरेली और नागालैण्ड पल्प पेपर कंपनी लिमिटेड, जोरहाट (असम)।

4.7 निम्नलिखित 4 सार्वजनिक उपक्रमों ने अस्पष्ट उत्तर दिया है। इनके नाम इस प्रकार हैं: चैन्नई पोर्ट ट्रस्ट, चैन्नई; एचएमटी लिमिटेड, बंगलौर; कोयला खदान भविष्य निधि आयुक्त, धनबाद और मेकॉन लिमिटेड, रांची।

Dynamics Limited, both in Hyderabad; Central Board for Workers Education, and Mineral Exploration Corporation Limited, both in Nagpur; National Aluminium Company Limited, Bhubaneswar; Brahmaputra Board, Guwahati; Numaligarh Refinery Limited, Golaghat (Assam); Indian Institute of Tropical Meteorology, Pune; Dredging Corporation of India Limited, Hindustan Shipyard Limited and Visakhapatnam Dock Labour Board all in Visakhapatnam; Marmagao Port Trust, Goa; Tuticorin Port Trust, Tuticorin.

4.5 Engineers India Limited, New Delhi has informed that they are not covered in the definition of a Records Creating Agency under the Public Records Act, 1993.

4.6 The following 6 Public Sector Undertakings have informed that they have no Records Officer:- Handicrafts and Handlooms Export Corporation of India Limited, New Delhi; Chennai Petroleum Corporation Limited, Chennai; Shipping Corporation of India Limited, and Society for Applied Microwave Electronics Engineering and Research, both in Mumbai; Indira Gandhi Rashtriya Uran Akademi, Rae Bareilly and Nagaland Pulp and Paper Company Limited, Jorhat (Assam).

4.7 The following 4 Public Sector Undertakings have sent vague reply. These are:- Chennai Port Trust, Chennai; H.M.T. Limited, Bangalore; Coal Mines Provident Fund Commissioner, Dhanbad and MECON Limited, Ranchi.

अध्याय 5

स्थान की भागीदारी

कुछ अभिलेख सर्जक एजेंसियां अपने अर्ध-प्रचलित अभिलेखों को या तो अपने अनुभाग की अलमारियों में या अपने भवन के गलियारों में या किसी कोने में रख देते हैं जो कि अभिलेखों के वैज्ञानिक संरक्षण के लिए लाभदायक स्थिति नहीं है। जब तक अभिलेख राज्क एजेंसियां अपने व्यवस्थित विभागीय अभिलेख कक्ष स्थापति करने में समर्थ नहीं होतीं तब तक अभिलेखों को अधिक वैज्ञानिक तरीके से रखने के लिए और स्थान की कमी की समस्या से निजात पाने के लिए अभिलेखागार सभी संगठनों को अपने नई दिल्ली स्थित सौंध भवन तथा भोपाल स्थित क्षेत्रीय कार्यालय तथा जयपुर, भुवनेश्वर एवं पांडिचेरी स्थित अभिलेख केंद्रों में स्थान का प्रयोग करने हेतु आमंत्रित कर रहा है।

5.1 सभी 143 संगठनों ने इस सम्बन्ध में सूचना प्रेषित कर दी है। इसमें से 99 सरकारी संगठन हैं और 44 सार्वजनिक उपक्रम हैं। सरकारी संगठनों के मामले में 90 संगठनों ने नकारात्मक उत्तर दिया है और 9 कार्यालयों ने राष्ट्रीय अभिलेखागार के सौंध भवन और इसके क्षेत्रीय अभिलेख केंद्रों, भोपाल, जयपुर, भुवनेश्वर और पांडिचेरी में स्थान की भागीदारी करने के लिए मंशा व्यक्त की है। इस संबंध में प्राप्त उत्तर के ब्यौरे इस प्रकार हैं: जहाजरानी विभाग नई दिल्ली, केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय, बेलवेदरे, कोलकाता; फारवर्ड मार्केट आयोग एवं महा प्रबंधक का कार्यालय (मध्य रेलवे), मुंबई; विकलांगों के लिए व्यावसायिक पुनर्वास, भुवनेश्वर एवं राष्ट्रीय एटलस एवं थीमैटिक मैपिंग संगठन, कोलकाता दोनों ने सूचित किया है कि वे राष्ट्रीय अभिलेखागार, अभिलेख केंद्र, भुवनेश्वर में स्थान भागीदारी के लिए तैयार हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली में अपने अभिलेख रखने के लिए स्थान की भागीदारी करने के लिए इच्छुक है। अंतरिक्ष विभाग, बैंगलोर और फोरमैन प्रशिक्षण संस्थान जमशेदपुर दोनों संगठन स्थान की भागीदारी के लिए तैयार हैं परंतु अभी नहीं।

5.2 सार्वजनिक उपक्रमों/वैधानिक निकायों के संबंध में स्थिति इस प्रकार है: ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गोहाटी ने सूचित किया है कि वे अपने अभिलेख रखने के लिए स्थान भागीदारी को तैयार हैं।

5.3 नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, गोलाघाट (असम) ने सूचित किया है कि वे भविष्य में स्थान भागीदारी करना चाहेंगे।

5.4 निम्नलिखित 34 सार्वजनिक उपक्रम/वैधानिक निकाय इत्यादि किसी न किसी कारण से अभिलेख रखने के स्थान की भागीदारी के लिए अनिच्छुक हैं। ये इस प्रकार हैं: भारतीय खाद्य निगम, हिंदुस्तान इंसाइक्लोपीडिया लिमिटेड, प्रोजेक्ट इक्विपमेंट कॉरपोरेशन (पीईसी) लिमिटेड, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, राष्ट्रीय प्रतिरक्षण संस्थान, जनजाति सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नियोजन मंडल, सभी दिल्ली में; चैन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड चैन्नई; बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, हिंदुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, सभी कोलकाता में, भारतीय कपास निगम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, कोलकाता, जनरल इंश्योरेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया, मझगांव डॉक लिमिटेड, सोसायटी फोर एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च, मुंबई

SHARING OF SPACE

Some records creating agencies are housing their semi-current records either in the Almirahs of their sections or in some corner or corridors of their building under conditions, which are not conducive to their scientific preservation. To overcome the problem of shortage of space and preserve the records in a more scientific way till the time the records creating agencies are able to set up their organized Departmental Records Rooms, National Archives of India has been offering to all the organizations to share space in its Annexe Building and its Regional office at Bhopal and Records Centres at Jaipur; Bhubaneswar and Pondicherry. Information received in this regard is summarised below:-

5.1 In all 143 Organisations have furnished information, out of which 99 are the Government organizations and 44 are Public Sector Undertakings. In case of the Government Organisations 90 organisations have given negative response and 9 offices have shown their willingness to share space in the Annexe Building of National Archives of India and its Regional Records Centres, Bhopal, Jaipur, Bhubaneswar and Pondicherry. Details of replies received in this regard are as follows:- Department of Shipping New Delhi; Central Reference Library, Belvedere, Kolkata; Forward Markets Commissions and General Manager's office (Central Railway), Mumbai; Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped, Bhubaneswar and National Atlas and Thematic Mapping Organisation, Kolkata both have informed that they are willing to share space at National Archives of India, Records Centre, Bhubaneswar. Forest Survey of India, Dehradun is willing to share space for housing their records at National Archives of India, New Delhi. Department of Space, Bangalore and Foremen Training Institute, Jamshedpur both organizations are willing to share space but not at present.

5.2 As regard the Public Sector Undertakings/ Statutory Bodies. The situation is as follows:- Brahmaputra Board, Guwahati has informed that they are willing to share the space for its records holding.

5.3 Numaligarh Refinery Limited, Golaghat (Assam) has informed that they would like to share the space in future.

5.4 The following 34 Public Sector Undertakings/ Statutory Bodies etc. are unwilling to share records storage space for one reason or other. These are:- Food Corporation of India, Hindustan Insecticides Limited, Project Equipment Corporation (PEC) Limited, IRCON International Limited, National Institute of Immunology, Tribal Co-operative Marketing Development Federation of India Limited and National Capital Region Planning Board, all in New Delhi; Chennai Petroleum Corporation Limited, Chennai; Bengal Chemicals & Pharmaceuticals Limited, Garden Reach Shipbuilders and Engineers, Hindustan Paper Corporation Limited, Hindustan Copper Limited, all in Kolkata; Cotton Corporation of India, Hindustan Petroleum Corporation Limited, General Insurance Corporation of India, Mazagon Dock Limited, Society For Applied Microwave Electronics Engineering and Research,

रेलवे विकास कारपोरेशन लिमिटेड, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एवं इंडियन रेयर अर्थस लिमिटेड सभी मुंबई में; नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नोएडा (उत्तर प्रदेश); हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स रसायनी (रायगढ़); नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, भुवनेश्वर; मारमागोवा पोर्ट ट्रस्ट, गोवा; द फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड, कोच्चि; इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, राय बरेली; भारत डायनामिक्स लिमिटेड एवं पाउडर मैटलर्जी एवं अंतरराष्ट्रीय आधुनिक अनुसंधान केंद्र, दोनों हैदराबाद में; नागालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड, जोरहाट (असम); इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मैटियोरोलोजी, पुणे; ड्रैजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड एवं विशाखापट्टनम डॉक लेबर बोर्ड, सभी विशाखापट्टनम में; तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट, तूतीकोरिन।

5.5 सार्वजनिक उपक्रमों/सांविधिक निकायों का एक और वर्ग भी है जिन्होंने यह सूचित किया है कि वे इसे आवश्यक नहीं समझते। ये हैं: सेंट्रल बोर्ड फॉर वर्कर्स एजुकेशन एवं मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, दोनों नागपुर में।

5.6 इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली ने सूचित किया है कि वे सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम, 1993 के तहत अभिलेख सर्जक एजेंसी की परिभाषा में शामिल नहीं हैं।

5.7 5 सार्वजनिक उपक्रमों/सांविधिक निकायों ने अस्पष्ट उत्तर भेजा है, ये हैं: भारतीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली, चैन्नई पोर्ट ट्रस्ट, चैन्नई; एच.एम.टी. लिमिटेड, बेंगलोर; कोल माइन्स भविष्य निधि आयुक्त, धनबाद एवं मेकॉन लिमिटेड, रांची।

Mumbai Railway Vikas Corporation Limited, Shipping Corporation of India Limited and Indian Rare Earths Limited all in Mumbai; National Fertilizers Limited, Noida (U.P.); Hindustan Organic Chemicals Limited Rasayani (Raigad); National Aluminium Company Limited, Bhubaneswar; Marmagao Port Trust, Goa; The Fertilizers and Chemicals Travancore Limited, Kochi; Indira Gandhi Rashtriya Uran Akademi, Rae Bareli; Bharat Dynamics Limited and International Advanced Research Centre for Powder Metallurgy and New Materials, both in Hyderabad; Nagaland Pulp & Paper Company Limited, Jorhat (Assam); Indian Institute of Tropical Meteorology, Pune; Dredging Corporation of India Limited, Hindustan Shipyard Limited and Visakhapatnam Dock Labour Board, all in Visakhapatnam; Tuticorin Port Trust, Tuticorin.

5.5 There is yet another category of Public Sector Undertakings/ Statutory Bodies etc. who have informed that they did not feel it necessary. These are:- Central Board for Workers Education and Mineral Exploration Corporation Limited, both in Nagpur.

5.6 Engineers India Limited, New Delhi has informed that they are not covered in the definition of Records Creating Agency under the Public Records Act, 1993.

5.7 5 Public Sector Undertakings/ Statutory Bodies have sent vague reply These are:- Handicrafts and Handlooms Export Corporation of India Limited, New Delhi; Chennai Port Trust, Chennai; H.M.T. Limited, Bangalore; Coal Mines Provident Fund Commissioner, Dhanbad and MECON Limited, Ranchi.

अध्याय 6

अर्ध प्रचलित अभिलेखों का अंकन, पुनरीक्षण व विनष्टीकरण

व्यवस्थित एवं समयबद्ध अभिलेखन, आवधिक समीक्षा और अर्ध प्रचलित अभिलेखों की छंटाई अभिलेख प्रबंधन के महत्वपूर्ण पहलू हैं। अभिलेखों की संख्या को कम करने के साथ-साथ सर्जक एजेंसियों द्वारा स्थायी प्रकृति के अभिलेखों को पृथक करना अनिवार्य है। सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 6(1) (ख) इस बात पर विचार करता है कि सभी सार्वजनिक अभिलेखों की समीक्षा की जाए और कम अवधि के अभिलेखों की अवधिक रूप से छंटाई की जाए, इसके अलावा सार्वजनिक अभिलेख नियमावली, 1997 का नियम 9(1) यह अनुबंधित करता है कि प्रत्येक अभिलेख सर्जक एजेंसी इस विषय पर अर्ध वार्षिक विवरण प्रस्तुत करें। तदनुसार, सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों सहित सार्वजनिक उपक्रमों/सांविधिक निकायों इत्यादि को दिनांक 23.03.2005 का परिपत्र सं. 16-5(ए) 2005-आर.एम. जारी किया गया था। उन सभी संगठनों की सूची **अनुलग्नक - 2** में देखी जा सकती है जिन्होंने सूचना भेजी है एक अन्य परिपत्र संख्या 16-12/2005 आर.एम.। दिनांक 23.3.2005 के 2005 के उत्तर में 99 मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों और 44 सार्वजनिक उपक्रमों/सांविधिक निकायों इत्यादि ने सूचना भेजी है। सूचना का विश्लेषण नीचे दिया गया है:

6.1 58 मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने सूचना भेजी है कि वे इस कार्य को कर रहे हैं; ये इस प्रकार हैं: कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय, रक्षा, श्रम एवं रोजगार, रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), जल संसाधन, योजना आयोग, रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग, वाणिज्य, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, एवं जहाजरानी, आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय, मौसम विज्ञान, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, क्षेत्रीय परिषद सचिवालय, नागर विमानन महानिदेशक का कार्यालय, सशस्त्र बल फिल्म एवं फोटो प्रभाग, कलावती सरल बाल चिकित्सालय, नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो सभी दिल्ली में; क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, चैन्नई; जूट विकास निदेशालय, जूट आयुक्त का कार्यालय, केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय वेलवेदरे, नेशनल एटलस एंड थीमैटिक मैपिंग आर्गेनाइजेशन एवं क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय सभी कोलकाता में; केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय, फॉरवर्ड मार्केट आयोग, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, महाप्रबंधक का कार्यालय (मध्य रेलवे), विक्लांगों के लिए व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र एवं क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, सभी मुंबई में; दक्षिण क्षेत्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, अनंतपुर (आं.प्र.); केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय, औरंगाबाद; क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) का कार्यालय, अजमेर; केंद्रीय मात्स्यिकी उद्योग तटीय इंजीनियरी संस्थान, बंगलोर; केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय, बेलगांव; विक्लांगों हेतु व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र, भुवनेश्वर; केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (सी) का कार्यालय एवं टर्मिनल बैलास्टिक अनुसंधान प्रयोगशाला सभी चंडीगढ़ में; क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) का कार्यालय; कोच्चि; भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, देहरादून; केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन, गाजियाबाद; पोत पतन स्वास्थ्य संगठन मारमागोवा, गोवा; एवं सहायक कल्याण आयुक्त का कार्यालय, श्रम कल्याण संगठन, पणजी; गोवा; विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, दक्षिण मध्य, क्षेत्रीय कार्यालय एवं क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय दोनों हैदराबाद में; बाजरा विकास निदेशालय, नमक आयुक्त का कार्यालय और क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय सभी जयपुर में; फोरमैन प्रशिक्षण

RECORDING, REVIEWING AND WEEDING OUT OF SEMI-CURRENT RECORDS

Systematic and timely recording, periodical review and weeding out of semi-current records are vital aspects of records management. To minimize the quantum of records at the same segregating the records of permanent nature by creating agencies is essential. The Section 6(1) (b) of the Public Records Act, 1993 envisages that all public records should be reviewed and ephemeral records be weeded out periodically, Rule 9(1) of the Public Records Rules, 1997 further stipulates that each records creating agency should furnish half yearly returns on the subject. Accordingly, a Circular letter No. 16-5(A) 2005-R.M dated 23.03.2005 was issued to all Ministries/ Departments/ Offices including Public Sector Undertaking/ Statutory bodies etc. A list of organizations that have sent information may please be seen in **Annexure-II**. In response to another Circular letter No. 16-12/2005-R.M. dated 23.03.2005. 99 Ministries/ Departments/ Offices and 44 Public Sector Undertakings/ Statutory Bodies etc. have sent information. The analysis of information is given below:-

6.1 58 Ministries/ Departments/ Offices have informed that they are attending the job. These are:- Ministries of Agriculture and Cooperation⁴, Defence, Labour and Employment, Railways (Railway Board), Water Resources, Planning Commission, Departments of Chemicals and Petrochemicals, Commerce, Information and Technology, and Shipping, Directorate Generals of Supplies and Disposals, Meteorology, Central Reserve Police Force, Zonal Councils Secretariat, Office of the Director Generals of Civil Aviation, Armed Forces, Film and Photo Division, Kalawati Saran Bal Chikitsalaya, Narcotics Control Bureau all in New Delhi; Regional Evaluation Office, Chennai; Directorate of Jute Development, Office of the Jute Commissioner, Central Reference Library, Belvedere, National Atlas and Thematic Mapping Organisation and Regional Evaluation Office all in Kolkata; Office of the Commissioner of Central Excise, Forward Markets Commission, Central Board of Film Certification, General Manager's Office (Central Railway), Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped and Regional Evaluation Office all in Mumbai; Southern Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Anantapur (A.P.); Office of the Commissioner of Central Excise, Aurangabad; Office of the Regional Labour Commissioner (Central), Ajmer; Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bangalore; Office of the Commissioner of Central Excise, Belgaum; Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped, Bhubaneswar; Office of the Commissioner of Central Excise, Office of the Regional Labour Commissioner(C) and Terminal Ballistics Research Laboratory all in Chandigarh; Office of the Regional Labour Commissioner (Central), Cochin; Fishery Survey of India, Dehradun; Central Drugs Standard Control Organisation, Ghaziabad; Port Health Organisation Marmagao, Goa; and Office of Assistant Welfare Commissioner, Labour Welfare Organisation, Panaji, Goa; Directorate of Marketing and Inspection, South Central, Regional Office and Regional Evaluation Office both in Hyderabad; Directorate of Millets Development, Office of the Salt Commissioner and Regional Evaluation Office all in Jaipur; Foreman Training Institute, Jamshedpur; Commission of Railway

संस्थान, जमशेदपुर; रेलवे सुरक्षा आयोग, लखनऊ; सरकारी परिसमापक का कार्यालय, मुंबई उच्च न्यायालय-1 नागपुर में; मुख्य आयकर आयुक्त का कार्यालय, भारतीय खान ब्यूरो सभी नागपुर में; मुख्य इंजीनियर एवं प्रशासक का कार्यालय, अंडमान लक्षद्वीप हार्बर कार्यशाला, पोर्ट ब्लेयर; केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क कार्यालय, रायपुर; वरिष्ठ पोस्ट मास्टर जनरल, वाराणसी।

6.2 41 संगठनों ने 'शून्य' रिपोर्ट प्रस्तुत की है। ये इस प्रकार हैं: गृह मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, आयकर आयुक्त (अपील) का कार्यालय महानियंत्रक रक्षा लेखा का कार्यालय, केंद्रीय पेंशन लेखांकन कार्यालय सभी नई दिल्ली में; बी.सी.जी. वैक्सीन प्रयोगशाला, केंद्रीय औषध परीक्षण प्रयोगशाला एवं सरकारी चिकित्सा भंडार सभी चैन्नई में; मेट्रो रेलवे, कोलकाता; भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, मुंबई; आयकर महानिदेशक का कार्यालय, बंगलोर; परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, अहमदाबाद, बैंगलोर; भोपाल; भुवनेश्वर; चंडीगढ़; गुवाहाटी; लखनऊ; पटना और शिमला; केंद्रीय मत्स्य उद्योग समुद्री एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान एवं एकीकृत मत्स्य उद्योग परियोजना दोनों कोच्चि में; पोस्ट मास्टर जनरल का कार्यालय कोयंबटूर; वन शिक्षा निदेशालय, देहरादून; केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म, धामरोड (जिला सूरत); आयकर अपीलीय अधिकरण, गोहाटी पीठ एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए शिक्षण-सह-मार्गदर्शन केंद्र दोनों गुवाहाटी में; राष्ट्रीय जैव कृषि केंद्र, गाजियाबाद; क्षेत्रीय प्रशिक्षु प्रशिक्षण निदेशालय, हैदराबाद; संयुक्त निदेशक, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, का कार्यालय, जबलपुर; कंपनी पंजीयक का कार्यालय, केरल; क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान (ओरा तूरा मिली), मेघालय; विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, उप-कार्यालय, नासिक रोड; लाइटहाऊस एवं लाइटशिप महानिदेशालय, नोएडा; राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार भारत, पुणे; विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, सूरत; क्षेत्रीय कार्यालय, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना शिमला; केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म, सूरतगढ़ (राजस्थान); उत्तर पूर्वी परिषद सचिवालय, शिलांग; केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म, जिला चिपलिमा (उड़ीसा); विशाखापट्टनम भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण का मुख्यालय, विशाखापट्टनम।

6.3 सभी 44 सार्वजनिक उपक्रमों/सांविधिक निकायों इत्यादि ने सूचना प्रस्तुत की है, जिनमें से 26 ने सूचना दी है कि वे इस कार्य को कर रहे हैं। ये इस प्रकार हैं: भारतीय खाद्य निगम, प्रोजेक्ट इक्विमेंट कारपोरेशन (पीईसी) लिमिटेड, इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नियोजन मंडल नई दिल्ली में; चैन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, चैन्नई; बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, गार्डन रीज शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, हिंदुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड एवं हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, सभी कोलकाता में; भारतीय कपास निगम लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मझगांव डॉक लिमिटेड एवं शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, सभी मुंबई में; द फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स ट्रावणकोर लिमिटेड, कोच्चि; भारत डायनामिक्स लिमिटेड एवं पाउडर मेटलर्जी एंड मेटिरियल अंतर्राष्ट्रीय आधुनिक अनुसंधान केंद्र, दोनों हैदराबाद में; केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड एवं मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड, दोनों नागपुर में; नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, भुवनेश्वर; ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी; नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, गोलाघाट (असम); भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे; मारमागोवा पोर्ट ट्रस्ट, गोवा; ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एवं विशाखापट्टनम डॉक लेबरबोर्ड, दोनों विशाखापट्टनम में एवं तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट, तूतीकोरिन।

6.4 राष्ट्रीय प्रतिरक्षण संस्थान, नई दिल्ली ने सूचित किया है कि उनके विभाग की समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

Safety, Lucknow; Office of the Official Liquidator, High Court of Mumbai-I at Nagpur; Office of the Chief Commissioner of Income Tax, and Indian Bureau of Mines all in Nagpur; Office of the Chief Engineer and Administrator, Andaman Lakshadweep Harbour Works, Port Blair; Office of the Central Excise and Customs, Raipur; Senior Post Master General, Varanasi.

6.2 41 Organisations have furnished 'NIL' reports. These are:- Ministry of Home Affairs, Department of Information Technology, Office of the Commissioner of Income Tax (Appeals), Office of the Controller General of Defence Accounts, Central Pension Accounting Office all in New Delhi; B.C.G. Vaccine Laboratory, Central Drugs Testing Laboratory and Government Medical Store all in Chennai; Metro Railway, Kolkata; Fishery Survey of India, Mumbai; Office of the Director General of Income Tax, Bangalore; Project Evaluation Offices, Ahmedabad, Bangalore; Bhopal; Bhubaneswar; Chandigarh; Guwahati; Lucknow; Patna and Shimla; Central Institute of Fisheries Nautical and Engineering Training and Integrated Fisheries Project both in Cochin; Office of the Post Master General Coimbatore; Directorate of Forest Education, Dehradun; Central Cattle Breeding Farm, Dhamrod (Distt. Surat); Income Tax Appellate Tribunal, Guwahati Bench and Coaching-Cum-Guidance Centre for SC/ ST both in Guwahati; National Centre of Organic Farming, Ghaziabad; Regional Directorate of Apprenticeship Training, Hyderabad; Office of the Joint Director, Central Government Health Scheme, Jabalpur; Office of the Registrar of Companies, Kerala; Regional Vocational Training Institute for Women (Aura Tura mille), Meghalaya; Directorate of Marketing and Inspection, Sub-Office, Nasik Road; Directorate General of Lighthouses and Lightships, Noida; National Film Archive of India, Pune; Directorate of Marketing and Inspection, Surat; Regional Office, Central Government Health Scheme, Shimla; Central Cattle Breeding Farm, Suratgarh (Rajasthan); North Eastern Councils Secretariat, Shillong; Central Cattle Breeding Farm, Chiplima Distt. (Orissa); Visakhapatnam Base of Fishery Survey of India, Visakhapatnam.

6.3 In all 44 Public Sector Undertakings/Statutory Bodies etc. have furnished information, out of which 26 have reported that they are attending the job. These are:- Food Corporation of India, Project Equipment Corporation (PEC) Limited, IRCON International Limited, National Capital Region Planning Board all in New Delhi; Chennai Petroleum Corporation Limited, Chennai; Bengal Chemicals and Pharmaceuticals Limited, Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited, Hindustan Paper Corporation Limited and Hindustan Copper Limited, all in Kolkata; Cotton Corporation of India Limited, Hindustan Petroleum Corporation Limited, Mazagon Dock Limited and Shipping Corporation of India Limited all in Mumbai; The Fertilizers and Chemicals Travancore Limited, Kochi; Bharat Dynamics Limited and International Advanced Research Centre for Powder Metallurgy and New Materials both in Hyderabad; Central Board for Workers Education and Mineral Exploration Corporation Limited both in Nagpur; National Aluminium Company Limited, Bhubaneswar; Brahmaputra Board, Guwahati; Numaligarh Refinery Limited, Golaghat (Assam); Indian Institute of Tropical Meteorology, Pune; Marmagao Port Trust, Goa; Dredging Corporation of India Limited and Visakhapatnam Dock Labour Board both in Visakhapatnam and Tuticorin Port Trust, Tuticorin.

6.4 National Institute of Immunology, New Delhi has informed that the decision will be taken up by their Committee of the department.

6.5 नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नोएडा (उ.प्र.) ने सूचित किया है कि वे अर्ध प्रचलित अभिलेखों का अंकन, पुनरीक्षण व विनिष्टीकरण कम्पनी की पोलिसी के आधार पर करते हैं।

6.6 हिंदुस्तान इंसाइडसाइडस लिमिटेड, भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड, दोनों दिल्ली में और इंडियन रेयर अर्थ्स, मुंबई ने सूचित किया है कि अर्ध प्रचलित अभिलेखों के अभिलेखन, समीक्षा और तरीके के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

6.7 इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड नई दिल्ली ने सूचित किया है वे सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम, 1993 के तहत अभिलेख सर्जक एजेंसी की परिभाषा में शामिल नहीं हैं।

6.8 चैन्नई पोर्ट ट्रस्ट, चैन्नई, एच.एम.टी. लिमिटेड, बंगलोर, कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त, धनबाद और मेकॉन लिमिटेड ने अस्पष्ट उत्तर भेजे हैं।

निम्नलिखित 8 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक निकायों इत्यादि ने 'शून्य' सूचना प्रेषित की है: भारतीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली, मुंबई रेलवे विकास कारपोरेशन लिमिटेड, जनरल इंडियोरेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया एवं सोसायटी फोर एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च, सभी मुंबई में, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, रायबरेली; हिंदुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड, रसायनी (रायगढ़); नागालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड, जोरहाट (असम); हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापट्टनम।

6.6 Hindustan Insecticides Limited, Tribal Co-operative Marketing Development Federation of India Limited, both in New Delhi and Indian Rare Earths Limited, Mumbai have informed that steps are being taken for recording, reviewing and weeding out of semi-current records.

6.8 Chennai Port Trust, Chennai, H.M.T. Limited, Bangalore, Coal Mines Provident Fund Commissioner, Dhanbad and MECON Limited, Ranchi have sent vague reply.

The following 8 Public Sector Undertakings/ Statutory Bodies etc. have forwarded NIL report:- Handicrafts and Handlooms Exports Corporation of India Limited, New Delhi. Mumbai Railways Vikas Corporation Limited, General Insurance Corporation of India and Society for Applied Microwave Electronics Engineering and Research, all in Mumbai; Indira Gandhi Rashtriya Uran Akademi, Raibareli; Hindustan Organic Chemicals Limited, Rasayani (Raigad); Nagaland Pulp and Paper Company Limited, Jorhat (Assam); Hindustan Shipyard Limited, Visakhapatnam.

अभिलेखों का सूचीकरण अभिलेखीय जागरूकता

अभिलेख सर्जक एजेंसी की दक्षता सीधे इस बात पर निर्भर करती है कि वह मामला जिसके लिए अपेक्षित सूचना, अभिलेखों के मंजर में से छांटी जा सके, जो कि उस मामले में सृजित होते हैं। अभिलेखों के विशाल और भारी ढेर में से तुरंत सूचना प्राप्त करने के महत्वपूर्ण कार्य के लिए अच्छे संदर्भ माध्यम जैसे कि सूची की आवश्यकता होती है। सभी अभिलेख सर्जक एजेंसियों द्वारा सभी फाइलों की सूचियों को संकलित करना चाहिए जिन्हें श्रेणी 'क' एवं 'ख' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। राष्ट्रीय अभिलेखागार ने सभी अभिलेख सर्जक एजेंसियों को क्रमशः अपने दिनांक 23 मार्च 2005 के परिपत्र सं. 16-12(ए)/2005-आर. एम. और दिनांक 23 मार्च 2005 के परिपत्र सं. 16-5ए/2005-आर. एम. द्वारा यह अनुरोध किया कि वे इस संबंध में उनके द्वारा की गई कार्रवाई की सूचना प्रस्तुत करें। इस कार्य पर मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों इत्यादि से सराहनीय उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

7.1 इस संबंध में प्राप्त सूचना के विश्लेषण से प्रकट होता है कि सभी 143 संगठनों सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, जिनमें से 99 मंत्रालय/विभाग/ कार्यालय एवं 44 सार्वजनिक उपक्रम हैं, ने सूचना भेजी है। 20 कार्यालयों ने सूचित किया है कि वे सूची तैयार कर रहे हैं; 13 ने यह महसूस किया कि यह लागू नहीं है अथवा प्रासंगिक नहीं है और 66 सूचियों का संकलन नहीं कर रहे हैं और 'शून्य' रिपोर्ट भेजी है। प्राप्त उत्तरों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

7.2 निम्नलिखित 20 अभिलेख सर्जक अभिकरणों ने निम्नानुसार सूचना भेजी है: नागर विमानन मंत्रालय ने सूचित किया है कि उन्होंने वार्षिक सूची का संकलन कर लिया है। जल संसाधन मंत्रालय ने वर्ष 1956-1975 की अवधि के अभिलेखों की सूचियों का संकलन कर लिया है। जहाजरानी विभाग (जहाजरानी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय), नई दिल्ली ने सूचित किया कि उनका विभाग कार्यात्मक फाइल प्रणाली का अनुपालन कर रहा है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल महानिदेशालय, नई दिल्ली ने सूचित किया है कि वार्षिक सूची के संकलन का कार्य किया जा रहा है। आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय, नई दिल्ली, ने सूचित किया है कि उनके अधिकांश अभिलेख 10 वर्ष से कम समय के हैं। वाणिज्य विभाग (आपूर्ति प्रभाग), एवं महानियंत्रक रक्षा लेखा दोनों नई दिल्ली में, ने सूचित किया है कि वार्षिक सूचियों को तैयार करने का कार्य आवश्यक नहीं है। केंद्रीय भेषज परीक्षण प्रयोगशाला, चैन्नई ने सूचित किया कि वे बंधी हुई पंजियों में फाइल सूचियों का कार्य कर रहे हैं। राष्ट्रीय एटलस एवं थीमैटिक मानचित्रण संगठन एवं केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय, बेलवेदरे दोनों कोलकाता, ने सूचित किया है कि वार्षिक सूचियों का संकलन किया जा रहा है। फारवर्ड मार्केट्स आयोग, मुंबई ने संप्रेषित किया है कि भारत के अभिलेखागार के दल द्वारा स्थल, अध्ययन पर की गई अनुशंसा पर यह कार्य किया जा रहा है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, मुंबई ने संप्रेषित किया है कि सूचियों के संकलन को आवश्यक नहीं समझा गया है। क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (मध्य) का कार्यालय, कोच्चि ने अस्पष्ट उत्तर दिया है कि सूचियों के संकलन का प्रश्न नहीं उठता। वन शिक्षा निदेशालय, देहरादून ने अपने अधीनस्थ कार्यालयों को सीधे राष्ट्रीय अभिलेखागार को रिपोर्ट भेजने का अनुदेश दिया है। पोत पतन स्वास्थ्य संगठन, मारमागोवा, गोवा ने सूचित किया कि उन्होंने वार्षिक सूचियों को संकलित कर लिया है। विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय (दक्षिण मध्य), क्षेत्रीय कार्यालयों, हैदराबाद ने बताया है कि अपेक्षित सूचना उनके प्रधान कार्यालय द्वारा भेजी जाएगी। विशाखापट्टनम भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण मुख्यालय, विशाखापट्टनम ने सूचित किया कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट मुख्यालय को भेज दी है। परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, भोपाल ने सूचित किया

INDEXING OF RECORDS

Efficiency of records creating agency depends directly on the Case with which required information could be culled out from the mass of records produced by it. The importance of quick retrieval of information from huge, bulk of records requires good reference media as Index. Indexes should be compiled by all Records Creating Agencies of all the files which are categorized as 'A' and 'B' category. National Archives of India requested all the records creating agencies vide its circular letter No.16-12/2005-R.M. dated 23 March 2005 and No. 16-5A/2005-R.M. dated 23 March 2005 respectively to furnish information on the action taken by them in this regard. No appreciative response has been received from the Ministries/ Departments/ Offices/ Public Sector Undertakings etc. on this work.

7.1 The analysis of the information received in this regard reveals that in all 143 Organisations including Public Sector Undertakings. Out of these 99 Ministries/ Departments/ Offices and 44 Public Sector Undertakings have forwarded information. 20 offices have informed that they are preparing indices, 13 have felt it is not applicable or not relevant and 66 are not compiling indices and have sent NIL reports. Details of replies received are as follows.

7.2 The following 20 records creating agencies have sent information are as under:- Ministry of Civil Aviation has informed that they have compiled annual indices. Ministry of Water Resources has compiled the Indices of records for the period 1956-1975. Department of Shipping (Ministry of Shipping, Road Transport and Highways), New Delhi has informed that their Department is following functional filing system. Directorate General of Central Reserve Police Force, New Delhi has intimated that the job for compiling of annual indices is being undertaken. Directorate General of Supplies and Disposals, New Delhi has intimated that majority of records they are having less than 10 years. Department of Commerce (Supply Division), and Office of the Controller General of Defence Accounts both in New Delhi have reported that preparation of annual indices is not necessary. Central Drugs Testing Laboratory, Chennai has informed that they are maintaining file indices in bound registers. National Atlas and Thematic Mapping Organisation and Central Reference Library, Belvedere both in Kolkata have informed that annual indices are being compiled. Forward Markets Commission, Mumbai has stated that this work is being done on the recommendations of National Archives of India team after their spot study. Central Board of film Certification, Mumbai has conveyed that compiling of indices is not considered necessary. Office of the Regional Labour Commissioner (Central), Cochin has given vague reply that compilation of indices does not arise. Directorate of Forest Education, Dehradun has instructed to their subordinate offices to sent report directly to National Archives of India. Port Health Organisation, Marmagao, Goa has intimated that they have compiled the annual indices. Directorate of Marketing and Inspection (South Central), Regional Offices, Hyderabad has stated that the requisite information will be supplied by their head office. Visakhapatnam Base of Fishery Survey of India, Visakhapatnam has informed that they have forwarded the report to their Headquarter. Project Evaluation Office,

कि उनके मुख्यालय को सर्वोत्तम जानकारी है। लाइटहाऊस एवं लाइटशिप्स महानिदेशालय, नोएडा ने अवगत करवाया कि उनके कार्यालय में कुछ कार्य गुप्त और स्थायी प्रकृति का है, अतः वार्षिक सूचियों को बनाने का कार्य आवश्यक नहीं समझा गया एवं केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क, रायपुर ने सूचित किया है कि वार्षिक सूचियों के संकलन का कार्य प्रगति पर है।

7.3 निम्नलिखित 13 संगठनों ने सूचित किया कि उनके अभिलेखों की वार्षिक सूची बनाना लागू नहीं होता या प्रासंगिक नहीं हैं ये हैं: महानियंत्रक रक्षा लेखा, नई दिल्ली; केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म, धामरोड (जिला सूरत); बाजार विकास निदेशालय, जयपुर; विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, (उप-कार्यालय), नासिक रोड; सरकारी परिसमापक का कार्यालय, मुंबई उच्च न्यायालय, नागपुर; मुख्य इंजीनियर एवं प्रशासक का कार्यालय, अंडमान लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स, पोर्ट ब्लेयर; परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, अहमदाबाद; भुवनेश्वर, गुवाहाटी, पटना और शिमला और क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय हैदराबाद।

7.4 निम्नलिखित 66 मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने सूचित किया कि उन्होंने अपने अभिलेखों की वार्षिक सूचियों का संकलन नहीं किया है और 'शून्य' रिपोर्ट भेज रहे हैं। ये हैं: कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय, गृह मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार, रेलवे मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), योजना आयोग, वाणिज्य विभाग, रसायन एवं पेट्रो रसायन, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, नागर विमानन महा निदेशक का कार्यालय, मौसम विज्ञान महानिदेशालय, क्षेत्रीय परिषद सचिवालय, सशस्त्र बल, फिल्म एवं छायाचित्र प्रभाग, नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो, आयकर आयुक्त (अपील) का कार्यालय, केंद्रीय पेंशन लेखांकन कार्यालय, कलावती सरन बाल चिकित्सालय, सभी नई दिल्ली में; बी. सी. जी. टीकाकरण प्रयोगशाला, सरकारी चिकित्सा भंडारण डिपो, क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय सभी चैन्नई में; जूट विकास निदेशालय, जूट आयुक्त का कार्यालय, मेट्रो रेल एवं परियोजना मूल्यांकन कार्यालय सभी कोलकाता में; भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय, मुंबई-I, विक्लांक व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र, महा प्रबंधक का कार्यालय, मध्य रेलवे, एवं क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय सभी मुंबई में; केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय, औरंगाबाद; क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (मध्य) कार्यालय, अजमेर; अंतरिक्ष विभाग, केंद्रीय संस्थान मात्स्यिकी तटीय इंजीनियरी, आयकर महानिदेशक कार्यालय एवं परियोजना मूल्यांकन कार्यालय सभी बंगलोर में; परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, भुवनेश्वर; केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, बेलगाम, केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (सी) कार्यालय, टर्मिनल बैलिस्टिक अनुसंधान प्रयोगशाला एवं क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय सभी चंडीगढ़ में; केंद्रीय मत्स्य समुद्री एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, एकीकृत मात्स्यिकी परियोजना दोनों कोच्चि में; केंद्रीय मेषज मानक नियंत्रण संगठन एवं राष्ट्रीय जैव कृषि केंद्र दोनों गाजियाबाद में; अनुसूचि जातिदेजन जाति शिक्षण-सह-मार्गदर्शन केंद्र, गुवाहाटी; पोस्ट मास्टर जनरल कार्यालय, कोयंबटूर; भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, देहरादून; सहायक कल्याण आयुक्त कार्यालय, श्रम कल्याण संगठन, पणजी, गोवा; क्षेत्रीय प्रशिक्षु प्रशिक्षण निदेशालय, हैदराबाद; नमक आयुक्त का कार्यालय एवं क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय दोनों जयपुर में; फोरमैन प्रशिक्षण संस्थान, जमशेदपुर; कंपनी पंजीयक कार्यालय, केरल; क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, लखनऊ, क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, अरईमिले (तुरा) मेघालय; मुख्य आयुक्त आयकर कार्यालय एवं भारतीय खान ब्यूरो दोनों नागपुर में; भारतीय फिल्म अभिलेखागार, पुणे; उत्तर पूर्वी परिषद सचिवालय, शिलांग; विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, सूरत; केंद्रीय पशु

Bhopal has intimated that their Headquarter knows the best. Directorate General of Lighthouse and Lightships, Noida has apprised that their office has some work secret and permanent nature, therefore preparation of annual indices not considered necessary and Office of the Central Excise and Customs, Raipur has reported that the work of compilation of annual indices is under progress.

7.3 The following 13 Organisations have informed that preparation of annual indices of their records is not applicable or not relevant. These are: Office of the Controller General of Defence Accounts, New Delhi; Central Cattle Breeding Farm, Dhamrod (Distt. Surat); Directorate of Millets Development, Jaipur; Office of the Joint Director General, Central Government Health Scheme, Jabalpur; Directorate of Marketing and Inspection, (Sub-Office), Nasik Road; Office of the Official Liquidator, High Court of Mumbai at Nagpur; Office of the Chief Engineer and Administrator, Andaman Lakshadweep Harbour Works, Port Blair; Project Evaluation Offices, Ahmedabad; Bhubaneswar, Guwahati, Patna and Shimla and Regional Evaluation Office Hyderabad.

7.4 The following 66 Ministries/ Departments/ Offices have informed that they are not compiling Annual Indices of their records and sent 'NIL' reports. These are : Ministries of Agriculture and Cooperation, Defence, Home Affairs, Labour and Employment, Railways (Railway Board), Planning Commission, Department of Commerce, Chemicals and Petrochemicals, Information and Technology, Office of the Director General of Civil Aviation, Directorate General of Meteorology, Zonal Councils Secretariat, Armed Forces Film and Photo Division, Narcotics Control Bureau, Office of the Commissioner of Income Tax (Appeals), Central Pension Accounting Office, Kalawati Saran Bal Chikitsalaya, all in New Delhi; BCG Vaccine Laboratory, Government Medical Store Depot, Regional Evaluation Office all in Chennai; Directorate of Jute Development, Office of the Jute Commissioner, Metro Railway and Project Evaluation Office all in Kolkata; Fishery Survey of India, Office of the Commissioner of Central Excise, Mumbai-I, Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped, General Manager's Office, Central Railway, and Regional Evaluation Office all in Mumbai; Southern Regional Farm Machinery Training and Testing Institute, Anantapur (A.P.); Office of the Commissioner of Central Excise, Aurangabad; Office of the Regional Labour Commissioner (Central), Ajmer; Department of Space, Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Office of the Director General of Income Tax and Project Evaluation Office all in Bangalore; Project Evaluation Office, Bhubaneswar; Office of the Commissioner of Central Excise, Belgaum; Office of the Commissioner of Central Excise, Office of the Regional Labour Commissioner (C), Terminal Ballistics Research Laboratory and Regional Evaluation Office all in Chandigarh; Central Institute of Fisheries Nautical and Engineering Training, Integrated Fisheries Project both in Cochin; Central Drugs Standard Control Organisation and National Centre of Organic Farming both in Ghaziabad; Coaching-Cum-Guidance Centre for SC/ ST, Guwahati; Office of the Post Master General, Coimbatore; Fishery Survey of India, Dehradun; Office of the Assistant Welfare Commissioner, Labour Welfare Organisation, Panaji, Goa; Regional Directorate of Apprenticeship Training, Hyderabad; Office of the Salt Commissioner and Regional Evaluation Office both in Jaipur; Foremen Training Institute, Jamshedpur; Office of the Registrar of Companies, Kerala; Regional Evaluation Office, Lucknow; Regional Vocational Training Institute for Women (Aura Tura mille), Meghalaya; Office of the Chief Commissioner of Income Tax and Indian Bureau of Mines both in Nagpur; National Film Archive of India, Pune; North Eastern Council Secretariat, Shillong; Directorate of Marketing and Inspection, Surat; Central Cattle Breeding

प्रजनन फार्म, सूरतगढ़ (राजस्थान) एवं केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, चिपलिमा जिला, संबलपुर (उड़ीसा); वरिष्ठ पोस्ट मास्टर जनरल वाराणसी।

7.5 इस विभाग के दिनांक 23 मार्च 2005 के परिपत्र सं.-16-12(ए)/2005- आर. एम. के उत्तर में सभी 44 सार्वजनिक उपक्रमों/समितियों/निगमों इत्यादि ने उत्तर दिया है, जिनमें से केवल 3 ने सूचित किया है कि वे सूचीकरण का कार्य कर रहे हैं। ये हैं: हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई; विशाखापट्टनम डॉक श्रम बोर्ड, विशाखापट्टनम एवं नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, गोलाघाट (असम)।

7.5 राष्ट्रीय प्रतिरक्षण संस्थान, नई दिल्ली; चैन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड; चैन्नई; मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड, नागपुर एवं पाउडर मैटलर्जी एवं न्यू मेटिरियल के लिए अंतरराष्ट्रीय आधुनिक अनुसंधान केंद्र, हैदराबाद ने सूचित किया है कि सूचियों के संकलन का कार्य जल्द ही आरंभ किया जाएगा।

7.6 परियोजना उपकरण कारपोरेशन पी.ई.सी. लिमिटेड, नई दिल्ली ने सूचित किया है कि सूचियों का संकलन करना आवश्यक प्रतीत नहीं होता।

7.7 निम्नलिखित 25 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक निकायों ने सूचित किया कि वे अपने अभिलेखों की सूचियों का संकलन नहीं कर रहे हैं: भारतीय खाद निगम, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, भारतीय जनजातीय विपणन विकास संघ लिमिटेड एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नियोजन बोर्ड, सभी नई दिल्ली में; बंगाल केमिकल्स एंड फार्मासियुटिकल्स लिमिटेड, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, हिंदुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड एवं हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, सभी कोलकाता में; सोसायटी फॉर सप्लाईड माइक्रोवेव इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च, मझगांव डॉक लिमिटेड, जनरल इंश्योरेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया, मुंबई रेलवे विकास कारपोरेशन लिमिटेड, सभी मुंबई में; शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एवं इंडियन गेयर अर्थ्स लिमिटेड, सभी मुंबई में; भारत डायनैमिक्स लिमिटेड, हैदराबाद; केन्द्रीय कामगार शिक्षा बोर्ड, नागपुर; इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान एकादमी, रायबरेली; मारमागोवा पोर्ट ट्रस्ट, गोवा; ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी; द फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड, कोच्चि; नागालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड जोरहाट (असम); नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, भुवनेश्वर; ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एवं हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, दोनों विशाखापट्टनम में एवं तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट, तूतीकोरिन।

7.8 नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नोएडा (उ.प्र.); भारतीय ऊष्ण कटिबंधीय मौसम विभाग संस्थान, पुणे ने सूचित किया है कि उन्होंने अभी फाइलों के सूचीकरण का कार्य आरंभ नहीं किया है।

7.9 निम्नलिखित तीन संगठनों ने सूचित किया है कि यह उन पर लागू नहीं होता: हिंदुस्तान इनसेविटसाइड्स लिमिटेड नई दिल्ली; भारतीय कपास लिमिटेड, नवी मुंबई और हिंदुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड, रसायनी (रायगढ़)।

7.10 इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली ने सूचित किया है कि वे सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम, 1993 के तहत अभिलेख सर्जक एजेंसी की परिभाषा में शामिल नहीं हैं।

7.11 निम्न 5 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/सांविधिक निकायों ने अस्पष्ट उत्तर प्रस्तुत किए: भारतीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली, चैन्नई पोर्ट ट्रस्ट, चैन्नई; कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त, धनबाद; एच.एम.टी. लिमिटेड, बंगलोर एवं एच.एम.टी. मेकॉन लिमिटेड, रांची।

Farm, Suratgarh (Rajasthan) and Central Cattle Breeding Farm, Chiplima Distt. Sambalpur (Orissa); Senior Post Master General, Varanasi.

7.4 In all 44 Public Sector Undertakings/ Committees/ Corporations etc. have responded to the Circular letter No. 16-12/2005-R.M. dated 23 March 2005 of this Department, out of which only 3 have informed that they are doing the job of indexing. These are:- Hindustan Petroleum Corporation Limited, Mumbai; Visakhapatnam Dock Labour Board, Visakhapatnam and Numaligarh Refinery Limited, Golaghat (Assam).

7.5 National Institute of Immunology, New Delhi; Chennai Petroleum Corporation Limited, Chennai; Mineral Exploration Corporation Limited, Nagpur and International Advanced Research Centre for Powder Metallurgy and New Materials, Hyderabad have informed that compilation of indexes will be taken up soon.

7.6 Project Equipment Corporation (PEC) Limited, New Delhi has informed that they do not feel it necessary to compile the indices.

7.7 The following 25 Public Sector Undertakings/ Statutory Bodies have informed that they are not compiling the indices of their records:- Food Corporation of India, IRCON International Limited, Tribal Co-operative Marketing Development Federation of India Limited and National Capital Region Planning Board, all in New Delhi; Bengal Chemicals and Pharmaceuticals Limited, Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited, Hindustan Paper Corporation Limited and Hindustan Copper Limited, all in Kolkata; Society for Applied Microwave Electronics Engineering and Research, Mazagon Dock Limited, General Insurance Corporation of India, Mumbai Railway Vikas Corporation Limited, Shipping Corporation of India Limited, and Indian Rare Earth Limited, all in Mumbai; Bharat Dynamics Limited, Hyderabad; Central Board for Workers Education, Nagpur; Indira Gandhi Rashtriya Uran Akademi, Rae Bareilly; Mormugao Port Trust, Goa; Brahmaputra Board, Guwahati; The Fertilizers and Chemicals Travancore Limited, Kochi; Nagaland Pulp & Paper Company Limited Jorhat (Assam); National Aluminium Company Limited, Bhubaneswar; Dredging Corporation of India and Hindustan Shipyard Limited, both in Visakhapatnam and Tuticorin Port Trust, Tuticorin.

7.8 National Fertilizers Limited, Noida (U.P.); Indian Institute of Tropical Meteorology, Pune have informed that they have not started the work of indexing of files as yet.

7.9 The following 3 organisations have informed that it is not applicable to them Hindustan Insecticides Limited, New Delhi; Cotton Corporation of India Limited, Navi Mumbai and Hindustan Organic Chemicals Limited, Rasayani (Raigad).

7.10 Engineers India Limited, New Delhi has informed that they are not covered in the definition of a records creating agency under the Public Records Act, 1993.

7.11 The following 5 Public Sector Undertakings/ Statutory Bodies have furnished vague replies:- Handicrafts and Handlooms Exports Corporation of India Limited, New Delhi; Chennai Port Trust, Chennai; Coal Mines Provident Fund Commissioner, Dhanbad; H.M.T. Limited, Bangalore and MECON Limited, Ranchi.

अभिलेख प्रतिधारण समय-सूची का संकलन

सही अभिलेख प्रबंधन प्रणाली वह होती है जिसमें अभिलेखों के सृजन और विनष्ट करने के बीच तार्किक अनुपात होता है। सभी सर्जक एजेंसियों को अभिलेखों के ढेर को प्रबंध योग्य अनुपात में रखना चाहिए। इस उद्देश्य की प्राप्ति की ओर प्रथम कदम यह है कि अभिलेखों की प्रतिधारण समय-सूची तैयार की जाए जिसमें अभिलेखों की विभिन्न श्रेणियों की प्रतिधारण अवधि अंकित हो। सर्जक अभिकरणों के सतत् कार्यप्रचालन के लिए अभिलेखों की प्रतिधारण समय सूची का संकलन वर्गीकरण के कार्य को सुकर बनाएगा और प्रक्रिया से अवगत कराएगा तथा अभिलेखों के त्वरित निपटान को सुनिश्चित करेगा। इन बातों को ध्यान में रखते हुए, सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा (1) (ड़) यह निर्धारित करती है कि सभी अभिलेख सर्जक अभिकरणों को सतत् कार्यकलापों के लिए प्रतिधारण समय-सूची बनानी चाहिए और राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा इसकी समीक्षा करवानी चाहिए। चूंकि सरकार के कार्य निरंतर बदल रहे हैं; और बढ़ रहे हैं; आगे यह वांछनीय है कि राष्ट्रीय अभिलेखागार के सहयोग से प्रतिधारण समय-सूची को पांच वर्ष में एक बार संशोधित किया जाना चाहिए।

8.1 दिनांक, 23 मार्च 2005 के परिपत्र सं. 16-12/2005 आर. एम. में 99 सरकारी संगठनों ने उत्तर दिया। इस संबंध में प्राप्त सूचना का संक्षिप्त सार निम्नानुसार है:

8.2 36 कार्यालयों ने सूचित किया है कि उन्होंने अपने अभिलेख की प्रतिधारण सूची का संकलन कर लिया है। यह हैं: कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय, नागर विमानन, रक्षा, गृह, श्रम एवं रोजगार, रेलवे मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), जल संसाधन, योजना आयोग, रसायन और पेट्रो रसायन विभाग, वाणिज्य एवं जहाजरानी, मौसम विज्ञान महानिदेशालय, आपूर्ति और निपटान कार्यालय, महानिदेशक नागर विमानन, क्षेत्रीय परिषद सचिवालय सभी दिल्ली में; महानिदेशक का कार्यालय, राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्रण संगठन, भेषज परीक्षण प्रयोगशाला दोनों चैन्नई में; केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय कोलकाता; फारवर्ड मार्केट आयोग, महाप्रबंधक कार्यालय (मध्य रेलवे), मुंबई, विक्लांग व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, सभी मुंबई में; दक्षिण क्षेत्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, अनंतपुर (आं.प्र.); अंतरिक्ष विभाग, बेंगलूर; केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, बेलगाम; विक्लांग व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र, भुवनेश्वर; टर्मिनल बैलिस्टिक्स अनुसंधान प्रयोगशाला, चंडीगढ़; एकीकृत मात्स्यिकी परियोजना, कोच्चि; केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म, धामरोड (जिला सूरत); भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून; केंद्रीय भेषज मानक नियंत्रण संगठन, गाजियाबाद; क्षेत्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय हैदराबाद; नमक आयुक्त जयपुर का कार्यालय; रेल सुरक्षा आयोग लखनऊ; भारतीय खान ब्यूरो नागपुर और भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार पुणे।

8.3 ऐसे 50 कार्यालय हैं जिन्होंने 'शून्य' सूचना भेजी है। ये हैं: सशस्त्र बल, फिल्म एवं छायाचित्र प्रभाग, महानियंत्रक रक्षा लेखा, आयकर आयुक्त कार्यालय केंद्रीय पेंशन लेखांकन कार्यालय, कलावती सरन बाल चिकित्सालय; केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो सभी दिल्ली में; जूट विभाग निदेशालय; जूट आयुक्त कार्यालय, एवं मेट्रो रेल सभी कोलकाता में; केंद्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालय, मुंबई; क्षेत्रीय श्रम आयुक्त कार्यालय, अजमेर; केंद्रीय उत्पाद

COMPILATION OF RETENTION SCHEDULE FOR RECORDS

Sound records management system is that there should be a reasonable ratio between the creation and destruction of records. All creating agencies should keep their bulk of records in manageable proportions. One of the steps towards achieving this aim is the preparation of retention schedule for records, indicating their retention period of the various categories of records. Compilation of Records Retention Schedule for substantive functions by creating agencies would facilitate the classification and appraisal process and ensure speedy disposal of records. Keeping this in view Section (1) (e) of the Public Records Act, 1993 lays down that all records creating agencies should frame a retention schedule for substantive functions and get it vetted by the National Archives of India. As Government functions are frequently changing/ expanding, it is further desirable that such Retention Schedules should be revised once in five years in collaboration with the National Archives of India.

8.1 In response to Circular No.16-12/2005-R.M. dated 23 March 2005, 99 Government Organisations have responded. Information received in this respect is summarised below:-

8.2 36 Offices have informed that they have compiled Retention Schedules of their records. These are :- Ministries of Agriculture and Cooperation, Civil Aviation, Defence, Home Affairs, Labour and Employment, Railways (Railway Board), Water Resources, Planning Commission, Departments of Chemicals and Petrochemicals, Commerce, and Shipping Directorate Generals of Meteorology, Supplies and Disposals Offices of the Director General of Civil Aviation, Zonal Councils Secretariat all in New Delhi; National Atlas Thematic and Mapping Organisation, Central Drugs Testing Laboratory both in Chennai; Central Reference Library, Kolkata; Forward Markets Commission, General Manager's Office (Central Railways) Mumbai, Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped and Central Board of Film Certification all in Mumbai; Southern Region Farm Machinery training and Testing Institute, Anantapur (A.P.); Department of Space, Bangalore; Office of the Commissioner of Central Excise, Belgaum; Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped, Bhubaneswar; Terminal Ballistics Research Laboratory, Chandigarh; Integrated Fisheries Project, Cochin; Central Cattle Breeding Farm, Dhamrod (Distt. Surat); Forest Survey of India, Dehradun; Central Drugs Standard Control Organisation, Ghaziabad; Regional Directorate of Apprenticeship Training, Hyderabad; Office of the Salt Commissioner, Jaipur; Commission of Railway Safety, Lucknow; Indian Bureau of Mines, Nagpur; National Film Archive of India, Pune.

8.3 There are 50 Offices which have forwarded 'NIL' information. These are : Armed Forces Film and Photo Division, Office of the Controller General of Defence Accounts, Office of the Commissioner of Income Tax, Central Pension Accounting Office, Kalawati Saran Bal Chikitsalaya; Narcotics Central Bureau all in New Delhi; Directorate of Jute Development, Office of the Jute Commissioner and Metro Railway all in Kolkata; Office of the Commissioner of Central Excise, Mumbai; Office of the Regional Labour Commissioner, Ajmer; Office of the Commissioner of Central Excise, Aurangabad;

शुल्क कार्यालय, औरंगाबाद; क्षेत्रीय श्रम आयुक्त कार्यालय एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय दोनों चंडीगढ़ में; आयकर महानिदेशक कार्यालय एवं केंद्रीय मात्स्यिकी तटीय इंजीनियरी संस्थान दोनों बंगलोर में; क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (मध्य) का कार्यालय एवं केंद्रीय मत्स्य, समुद्री एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान दोनों कोच्चि में; पोस्ट मास्टर जनरल कार्यालय, कोयंबटूर; अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षण-सह-मार्गदर्शन, गुवाहाटी; राष्ट्रीय जैव कृषि केंद्र, गाजियाबाद; पोत पतन स्वास्थ्य संगठन, मारमागोवा, सहायक कल्याण आयुक्त कार्यालय श्रम कल्याण संगठन, पणजी, दोनों गोवा में; संयुक्त निदेशक, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना कार्यालय, जबलपुर; बाजरा विकास निदेशालय, जयपुर; फोरमैन प्रशिक्षण संस्थान, जमशेदपुर; कंपनी पंजीयक कार्यालय, केरल, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, उप-कार्यालय, नासिक रोड; विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, सूरत; केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म (चिपलिमा जिला), संबलपुर (उड़ीसा) एवं सूरतगढ़ (राजस्थान); उत्तर पूर्वी परिषद सचिवालय, शिलांग; वरिष्ठ महा डाक पाल, वाराणसी; सरकारी परिसमापक कार्यालय मुंबई, उच्च न्यायालय, नागपुर एवं आयकर मुख्य आयुक्त कार्यालय, नागपुर; लाइटहाऊस एंड लाइटशिप्स महानिदेशालय, नोएडा क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, अरईमिले (तुरा), मेघालय; मुख्य इंजीनियर एवं प्रशासन कार्यालय, अंडमान लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स, पोर्ट ब्लेयर; केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क कार्यालय, रायपुर एवं क्षेत्रीय कार्यालय, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, शिमला; क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, कोलकाता, मुंबई चंडीगढ़, हैदराबाद, लखनऊ एवं परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, बंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, पटना और शिमला।

8.4 निम्न 4 कार्यालयों ने सूचित किया है कि अपनी प्रतिधारण समय-सूची है। ये हैं: केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल महा निदेशालय, नई दिल्ली, आपूर्ति विभाग (वाणिज्य विभाग), नई दिल्ली, बी.सी.जी. टीकाकरण प्रयोगशाला एवं सरकारी मेडिकल भंडारण डिपो दोनों चैन्नई में हैं।

8.5 निम्न 4 कार्यालयों ने सूचित किया है कि उनकी अपेक्षित सूचना उनके मुख्यालय द्वारा दी जाएगी। ये हैं: विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, हैदराबाद; विशाखापट्टनम स्थित भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण विशाखापट्टनम; क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, चैन्नई एवं परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, भुवनेश्वर।

8.6 निम्न 4 संगठनों ने अस्पष्ट उत्तर दिए हैं, परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, अहमदाबाद, गुवाहाटी एवं पटना ने सूचित किया है कि यह उनके कार्यालय संबद्ध नहीं हैं और परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, जयपुर ने सूचित किया कि उनका कार्यालय इन क्रियाकलापों से संबंधित नहीं है।

8.7 वन शिक्षा निदेशालय, देहरादून ने अपने अधीनस्थ कार्यालयों को सीधे राष्ट्रीय अभिलेखागार को रिपोर्ट भेजने का अनुदेश दिया है। आयकर अपीलीय अधिकरण, गुवाहाटी पीठ, गुवाहाटी ने सूचित किया है कि जब उनके प्रधान कार्यालय, मुंबई से अनुदेश प्राप्त हो जाएंगे तो वे इस कार्य का अनुपालन करेंगे।

8.8 जहां तक सार्वजनिक उपक्रम/सांविधिक निकायों का संबंध है, जिन 44 संगठनों ने इस संबंध में सूचना भेजी है उनमें से 5 ने सूचित किया है कि उन्होंने अभिलेखों की प्रतिधारण समय सूची तैयार कर ली है। ये हैं: इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड एवं भारतीय जनजाति सरकारी विपणन विकास एवं लिमिटेड, दोनों नई दिल्ली में; बंगाल केमिकल्स एवं फार्मास्युटिकल लिमिटेड, एवं हिन्दुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड दोनों कोलकत्ता में, कपास

Office of the Regional Labour Commissioner and Office of the Commissioner of Central Excise both in Chandigarh; Office of the Director General of Income Tax and Central Institute of Coastal Engineering for Fishery both in Bangalore; Office of the Regional Labour Commissioner (Central) and Central Institute of Fisheries Nautical and Engineering Training both in Kochi; Office of the Post Master General, Coimbatore; Coaching Cum Guidance Centre for SC/ ST, Guwahati; National Centre of Organic Farming, Ghaziabad; Port Health Organisation, Marmagao, Office of the Assistant Welfare Commissioner, Labour Welfare Organisation, Panaji, both in Goa; Office of the Joint Director, Central Government Health Scheme, Jabalpur; Directorate of Millets Development, Jaipur; Foremen Training Institute, Jamshedpur; Office of the Registrar of Companies, Kerala; Directorate of Marketing and Inspection, Sub-Office, Nasik Road; Directorate of Marketing and Inspection, Surat; Central Cattle Breeding Farms (Chiplima Distt.), Sambalpur (Orissa) and Suratgarh (Rajasthan); North Eastern Council Secretariat, Shillong; Senior Post Master General, Varanasi; Office of the Official Liquidator, High Court of Mumbai at Nagpur and Office of the Chief Commissioner of Income Tax, Nagpur; Directorate General of Lighthouses and Lightships, Noida; Regional Vocational Training Institute for Women (Aura Tura Mille), Meghalaya; Office of the Chief Engineer and Administrator, Andaman Lakshadweep Harbour Works, Port Blair; Office of the Central Excise and Customs, Raipur and Regional Office, Central Government Health Scheme, Shimla; Regional Evaluation Offices, Kolkata, Mumbai, Chandigarh, Hyderabad, Lucknow, and Project Evaluation Offices, Bangalore, Bhopal, Bhubaneswar, Patna and Shimla.

8.4 The following 4 offices have informed that they have their own Retention Schedule. These are: Directorate General, Central Reserve Police Force, New Delhi, Supply Division (Department of Commerce), New Delhi; B.C.G. Vaccine Laboratory, and Government Medical Store Depot both in Chennai;

8.5 Following 4 Offices have informed that the requisite information will be supplied by their Headquarters. These are: Directorate of Marketing and Inspection, Hyderabad; Visakhapatnam Base of Fishery Survey of India Visakhapatnam; Regional Evaluation Office, Chennai and Project Evaluation Office, Bhubaneswar.

8.6 Following 4 Organisations have given vague replies, Project Evaluation Offices, Ahmedabad, Guwahati and Patna has reported that it is to their office not relevant and project Evaluation Office, Bhopal has stated that their records are of no national importance, Regional Evaluation Office, Jaipur has intimated that their office is not concerned with these functions.

8.7 Directorate of Forest Education, Dehradun has instructed to its Subordinate Offices to send report direct to National Archives of India. Income Tax Appellate Tribunal, Guwahati Bench, Guwahati has intimated that they will follow up the action when instructions received from their Head office, Mumbai.

8.8 As regard Public Sector Undertakings/ Statutory Bodies are concerned, out of 44 organisations who have furnished information in this regard 9 have informed that they have prepared Retention Schedule for records. These are:- IRCON International Limited and Tribal Co-operative Marketing Development Federation of India Limited, both in New Delhi; Bengal Chemicals and Pharmaceuticals

कार्पोरेशन ऑफ इंडिया एवं मेजागोन डोक लिमिटेड दोनों मुंबई में, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नोएडा (उ.प्र.), केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर एवं हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापट्टनम।

8.9 द फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड, कोच्चि ने सूचित किया है कि उन्होंने अपनी अभिलेख प्रतिधारण समय सूची तैयार कर ली है।

8.10 निम्न 6 सार्वजनिक उपक्रमों/सांविधिक निकायों ने सूचित किया है कि उन्होंने अभिलेख प्रतिधारण समय सूची के संकलन के लिए कार्यवाई आरंभ कर दी है और कार्य प्रगति पर है। हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड, नई दिल्ली; इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड, मुंबई; नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, भुवनेश्वर; भारत डायनैमिक्स लिमिटेड, हैदराबाद; हिंदुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड, रसायनी (रायगढ़) एवं विशाखापट्टनम डॉक लेबर बोर्ड, विशाखापट्टनम।

8.11 निम्न 5 सार्वजनिक उपक्रमों/सांविधिक निकायों ने सूचित किया है कि अभिलेख प्रतिधारण समय सूची के संकलन का कार्य जल्द ही आरंभ किया जाएगा। राष्ट्रीय प्रतिरक्षण संस्थान, नई दिल्ली; हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, कोलकाता; भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे; पाउडर मैटलर्जी एवं न्यू मेटिरियल हेतु अंतर्राष्ट्रीय आधुनिक अनुसंधान केंद्र, हैदराबाद एवं मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड, नागपुर।

8.12 हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई ने सूचित किया है कि उन्होंने कंपनी अधिनियम के अनुसार अभिलेख प्रतिधारण समय सूची को आधारित बनाया है।

8.13 निम्न 16 सार्वजनिक उपक्रमों/सांविधिक निकायों ने सूचित किया है कि उन्होंने अपने अभिलेखों की प्रतिधारण समय सूची का संकलन नहीं किया है, भारतीय खाद्य निगम, परियोजना उपकरण निगम (पी.ई.सी) लिमिटेड एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नियोजन बोर्ड सभी नई दिल्ली में; चैन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, चैन्नई; गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता; जनरल इंश्योरेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया, सोसायटी फॉर एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च, मुंबई रेलवे विकास निगम लिमिटेड एवं भारतीय जहाजरानी निगम लिमिटेड, सभी मुंबई में; इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकादमी, राय बरेली; भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद; नागालैंड पल्प एवं पेपर कंपनी लिमिटेड, जोरहाट (असम); ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गोहाती; नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, गोलाघाट (असम); ड्रैजिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, विशाखापट्टनम; मारमागोवा पोर्ट ट्रस्ट, गोवा एवं तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट, तूतीकोरिन।

8.14 इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली ने सूचित किया वे सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम, 1993 के तहत अभिलेख सर्जक अभिकरण की परिभाषा के अंतर्गत शामिल नहीं हैं।

8.15 निम्न 5 सार्वजनिक उपक्रमों/सांविधिक निकायों ने अस्पष्ट उत्तर भेजे हैं: भारतीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड, नई दिल्ली; चैन्नई पोर्ट ट्रस्ट, चैन्नई; एच.एम.टी. लिमिटेड, बंगलोर; कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त, धनबाद; मेकॉन लिमिटेड, रांची।

Limited and Hindustan Paper Corporation Limited, both in Kolkata; Cotton Corporation of India and Mazagon Dock Limited, both in Mumbai; National Fertilizers Limited, Noida (U.P.); Central Board for Workers Education, Nagpur and Hindustan Shipyard Limited, Visakhapatnam.

8.9 The Fertilizers and Chemicals Travancore Limited, Kochi has informed that they have formulated its Records Retention Schedule.

8.10 The following 6 Public Sector Undertakings/ Statutory Bodies have informed that they have initiated the action for compilation of Records Retention Schedule and the work is under progress. Hindustan Insecticides Limited, New Delhi; Indian Rare Earths Limited, Mumbai; National Aluminium Company Limited, Bhubaneswar; Bharat Dynamics Limited, Hyderabad; Hindustan Organic Chemicals Limited, Rasayani (Raigad) and Visakhapatnam Dock Labour Board, Visakhapatnam.

8.11 The following 5 Public Sector Undertakings/ Statutory Bodies have informed that the action for compilation of Records Retention Schedule will be taken-up soon. National Institute of Immunology, New Delhi; Hindustan Copper Limited, Kolkata; Indian Institute of Tropical Meteorology, Pune; International Advanced Research Centre for Powder Metallurgy and New Materials, Hyderabad and Mineral Exploration Corporation Limited, Nagpur.

8.12 Hindustan Petroleum Corporation Limited, Mumbai has informed that they have updated the Records Retention Schedule as per Company Act.

8.13 The following 16 Public Sector Undertakings/ Statutory Bodies have informed that they have not compiled their Records Retention Schedule, Food Corporation of India, Project Equipment Corporation (PEC) Limited and National Capital Region Planning Board all in New Delhi; Chennai Petroleum Corporation Limited, Chennai; Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited, Kolkata; General Insurance Corporation of India, Society for Applied Microwave Electronics Engineering and Research, Mumbai Railway Vikas Corporation Limited and Shipping Corporation of India Limited, all in Mumbai; Indira Gandhi Rashtriya Uran Akademi, Rae Bareilly; Bharat Dynamics Limited, Hyderabad; Nagaland Pulp & Paper Company Limited, Jorhat (Assam); Brahmaputra Board, Guwahati; Numaligarh Refinery Limited, Golaghat (Assam); Dredging Corporation of India Limited, Visakhapatnam; Marmagao Port Trust, Goa and Tuticorin Port Trust, Tuticorin.

8.14 Engineers India Limited, New Delhi has informed that they are not covered in the definition of a Records Creating Agency under the Public Records Act, 1993.

8.15 The following 5 Undertakings/ Statutory Bodies have sent vague reply:- Handicrafts and Handlooms Exports Corporation of India Limited, New Delhi; Chennai Port Trust, Chennai; H.M.T. Limited, Bangalore; Coal Mines Provident Fund Commissioner, Dhanbad; MECON Limited, Ranchi.

वर्गीकृत अभिलेखों का विवर्गीकरण

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 6(1) (च) एवं लोक अभिलेख नियमावली, 1997 का नियम 7 वर्गीकृत अभिलेखों के विवर्गीकरण की विस्तृत प्रक्रिया की व्यवस्था करता है। अतः फाइलों को संवीक्षा वर्गीकरण देते समय हर सावधानी बरतनी चाहिए और यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि ऐसी फाइलें आवश्यकता से अधिक समय के लिए वर्गीकृत न रह जाएं। यद्यपि, विभाग की कार्यात्मकता के हित में, आवधिक समीक्षा और उनके उत्तर को कम करना अनिवार्य है। इन उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए सभी अभिलेख सर्जक अभिकरणों को दिनांक 23 मार्च को परिपत्र सं. 16-12/2005-आर. एम. जारी किया गया था। इस संबंध में प्राप्त उत्तर उत्साहवर्धक नहीं हैं क्योंकि केवल 99 मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों एवं 44 सार्वजनिक उपक्रम/सांविधिक निकायों इत्यादि ने ही उत्तर दिया। इन संगठनों के नाम **अनुलग्नक-3** में देखे जा सकते हैं।

प्राप्त सूचना का विस्तृत विश्लेषण निम्नानुसार दिया गया है:

- 9.1 निम्न 23 संगठनों ने सूचित किया है कि वे वर्गीकृत अभिलेखों के विवर्गीकरण का कार्य कर रहे हैं। ये हैं: रक्षा मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार, योजना आयोग, मौसम विज्ञान महा निदेशालय, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, नागर विमानन महा निदेशालय कार्यालय एवं कलावती सरन बाल चिकित्सालय सभी नई दिल्ली में; जूट विकास निदेशालय एवं राष्ट्रीय एटलस एवं थीमैटिक मानचित्रण संगठन दोनों कोलकाता में; महाप्रबंधक कार्यालय (मध्य रेलवे), विक्लांग व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र एवं केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, सभी मुंबई में; अंतरिक्ष विभाग, बंगलोर; क्षेत्रीय श्रम आयुक्त कार्यालय (मध्य) अजमेर; विक्लांग व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र, भुवनेश्वर; टर्मिनल बैलिस्टिक अनुसंधान प्रयोगशाला, चंडीगढ़; क्षेत्रीय श्रम आयुक्त कार्यालय (मध्य) एवं एकीकृत मात्स्यिकी परियोजना दोनों कोच्चि में; रेलवे सुरक्षा आयोग, लखनऊ; भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर; मुख्य इंजीनियर एवं प्रशासन कार्यालय, अंडमान लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स, पोर्ट ब्लेयर; केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क कार्यालय, रायपुर एवं वरिष्ठ महा डाकपाल, वाराणसी।
- 9.2 37 संगठन जो वर्गीकृत अभिलेखों के विवर्गीकरण का कार्य नहीं कर रहे हैं, वे हैं: कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय, नागर विमानन, रेलवे (रेलवे बोर्ड) जल संसाधन, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग, वाणिज्य, आपूर्ति प्रभाग (वाणिज्य विभाग), आपूर्ति एवं निपटान महा निदेशालय, आयकर आयुक्त (अपील) कार्यालय, केंद्रीय पेंशन लेखांकन कार्यालय, क्षेत्रीय परिषद सचिवालय, नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो, सभी दिल्ली में; क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, केन्द्रीय भेषज परीक्षण प्रयोगशाला एवं सरकारी मेडिकल भंडारण डिपो सभी चैन्नई में; जूट आयुक्त कार्यालय, कोलकाता; केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, मुंबई-I, फारवर्ड मार्केट आयोग, भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण एवं क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय सभी मुंबई में; दक्षिण क्षेत्र कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, अनंतपुर (आं.प्र.), केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, औरंगाबाद; बेलगाम एवं चंडीगढ़, केन्द्रीय तटीय मात्स्यिकी तटीय इंजीनियरिंग संस्थान, बंगलोर; केन्द्रीय मत्स्य, समुद्री एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, कोच्चि; पोत पतन स्वास्थ्य

DE-CLASSIFICATION OF CLASSIFIED RECORDS

Section 6(1) (f) of the Public Records Act, 1993 and Rule 7 of the Public Records Rules, 1997 provide elaborate procedure for de-classification of classified records. Every precautions is, therefore, to be taken while giving security classification to the files and it is also to be taken in to account that such files should not remain classified for a period longer than required. However, in the interest of the functioning of the Department, a periodical review and their down gradation is essential. In order to implement these provisions, a Circular letter No.16-12/2005-R.M. dated 23 March 2005 was issued to all the records creating agencies. Replies received in this regard are not encouraging as only 99 Ministries/ Departments/ Offices and 44 Public Sector Undertakings/ Statutory Bodies etc. responded. The names of these organisations can be seen in **Annexure-III**.

A detailed analysis of the information received is given below:-

9.1 The following 23 Organisations have informed that they are doing the work of declassification of classified records. These are:- Ministries of Defence, Labour and Employment, Planning Commission, Directorate Generals of Meteorology, Central Reserve Police force, Office of the Director General of Civil Aviation and Kalawati Saran Bal Chikitsalaya all in New Delhi; Directorate of Jute Development and National Atlas and thematic Mapping Organisation both in Kolkata; General Manager's Office (Central Railways), Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped and Central Board of Film Certification all in Mumbai; Department of Space, Bangalore; Office of the Regional Labour Commissioner (Central), Ajmer; Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped, Bhubaneswar; Terminal Ballistics Research Laboratory, Chandigarh; Office of the Regional Labour Commissioner (Central) and Integrated Fisheries Project both in Cochin; Commission of Railway Safety, Lucknow; Indian Bureau of Mines, Nagpur; Office of the Chief Engineer and Administrator, Andaman Lakshadweep Harbour Works, Port Blair; Office of the Central Excise and Customs, Raipur and Senior Post Master General, Varanasi.

9.2 37 Organisations who are not doing declassification of classified records are:- Ministries of Agriculture and Cooperation, Civil Aviation, Railways (Railway Board), Water Resources, Department of Chemicals and Petrochemicals, Commerce, Supply Division (Department of Commerce), Directorate General of Supplies and Disposals, Office of the Commissioner of Income Tax (Appeals), Central Pension Accounting Office, Zonal Councils Secretariat, Narcotics Control Bureau all in New Delhi; Regional Evaluation Office, Central Drugs Testing Laboratory and Government Medical Store Depot all in Chennai; Office of the Jute Commissioner, Kolkata; Office of the Commissioner of Central Excise, Mumbai-I, Forward Markets Commission, Fishery Survey of India and Regional Evaluation Office all in Mumbai; Southern Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Anantapur (A.P.) Offices of the Commissioner of Central Excise, Aurangabad; Belgaum and Chandigarh; Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bangalore; Central Institute of Fisheries Nautical and

संगठन, मारमागोवा; राष्ट्रीय जैव कृषि केंद्र एवं केन्द्रीय भेषज मानक नियंत्रण संगठन दोनों गाजियाबाद में; बाजरा विकास निदेशालय, जयपुर; क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, लखनऊ एवं चंडीगढ़; लाइटहाऊस एंड लाइटशिप महानिदेशालय, नोएडा; राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, पुणे; केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म, (चिपलिमा जिला) संबलपुर (उड़ीसा) एवं सूरतगढ़ (राजस्थान); क्षेत्रीय कार्यालय, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, शिमला।

9.3 निम्न 3 संगठनों ने सूचित किया है कि सूचना उनके मुख्यालयों द्वारा भेजी जाएगी। ये हैं: परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, भोपाल, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, हैदराबाद; भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण विशाखापट्टनम मुख्यालय, विशाखापट्टनम।

9.4 9 संगठनों ने सूचित किया कि उनके पास वर्गीकृत अभिलेख नहीं हैं। ये हैं: जहाजरानी विभाग, आपूर्ति एवं निपटान महा निदेशालय दोनों नई दिल्ली में; क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, कोलकाता; क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (सी) कार्यालय, चंडीगढ़ भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून; सहायक कल्याण आयुक्त कार्यालय, श्रम कल्याण संगठन, पणजी, गोवा; क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, हैदराबाद, संयुक्त निदेशक, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना कार्यालय, जबलपुर।

9.5 सशस्त्र बल फिल्म एवं छायाचित्र प्रभाग, नई दिल्ली ने सूचित किया है कि उनके अभिलेखों को वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय, कोलकाता ने अस्पष्ट उत्तर दिया है, उन्होंने सूचित किया है कि वर्गीकृत अभिलेखों के विवर्गीकरण का कार्य नहीं होता।

9.6 शेष 25 मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने सूचित किया कि उनके पास वर्गीकृत अभिलेख नहीं हैं, उत्पन्न नहीं होते, प्रासंगिक नहीं हैं न लागू हैं और सूचना को 'शून्य' माना जाए। ये हैं: गृह मंत्रालय, महा नियंत्रक रक्षा लेखा कार्यालय दोनों दिल्ली में; बी.सी.जी. प्रयोगशाला, चैन्नई; मेट्रो रेलवे, कोलकाता केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म धामरोड (जिला सूरत); परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, बंगलोर; केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, चंडीगढ़; परियोजना मूल्यांकन कार्यालय एवं अनुसूचित जाति/जनजाति शिक्षण-सह-मार्गदर्शन कार्यालय, क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय दोनों जयपुर में; फोरमैन प्रशिक्षण संस्थान, जमशेदपुर; कंपनी पंजीयक कार्यालय, केरल; सरकारी परिसमापक कार्यालय, मुंबई उच्च न्यायालय नागपुर में एवं मुख्य आयुक्त आयकर कार्यालय, नागपुर; विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय नासिक रोड; सूरत; उत्तर पूर्वी परिषद सचिवालय, शिलांग।

9.7 इस संबंध में 44 सार्वजनिक उपक्रमों/सांविधिक निकायों इत्यादि से प्राप्त सूचना का विश्लेषण निम्नानुसार है। इनमें सभी में से 6 संगठनों ने सूचित किया कि वे फाइलों के विवर्गीकरण का कार्य कर रहे हैं। एक ने सूचित किया कि इस कार्य को जल्द ही शुरू किया जाएगा और एक ने सूचित किया कि कार्य प्रगति पर है। 5 ने सूचित किया यह उन पर लागू नहीं होता जबकि 5 ने अस्पष्ट उत्तर भेजे हैं। एक ने सूचित किया है कि वे लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते और 25 संगठनों द्वारा 'शून्य' सूचना भेजी गई है।

9.8 निम्न 6 संगठनों ने सूचित किया है कि उनके पास वर्गीकृत अभिलेख हैं और विवर्गीकरण का कार्य कर रहे हैं, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता; भारतीय कपास निगम लिमिटेड, माजागोव

Engineering Training, Kochi; Port Health Organisation, Marmagao, Goa; National Centre of Organic Farming and Central Drugs Standard Control Organisation both in Ghaziabad; Directorate of Millets Development, Jaipur; Regional Evaluation Offices, Lucknow and Chandigarh; Directorate General of Lighthouses and Lightships, Noida; National Film Archive of India, Pune; Central Cattle Breeding Farms, (Chiplima Distt.) Sambalpur (Orissa) and Suratgarh (Rajasthan); Regional Office, Central Government Health Scheme, Shimla.

9.3 The following 3 Organisations have reported that the information will be furnished by their Headquarters. These are:- Project Evaluation Office, Bhopal, Directorate of Marketing and Inspection, Hyderabad; Visakhapatnam Base of Fishery Survey of India, Visakhapatnam.

9.4 9 Organisations have informed that they do not have classified records. These are:- Department of Shipping, Directorate General of Supplies and Disposals both in New Delhi; Regional Evaluation Office, Kolkata; Office of the Regional Labour Commissioner (C), Chandigarh; Forest Survey of India, Dehradun; Office of the Assistant Welfare Commissioner, Labour Welfare Organisation, Panaji, Goa; Regional Evaluation Office, Hyderabad; Office of the Joint Director, Central Government Health Scheme, Jabalpur.

9.5 Armed Forces Film and Photo Division, New Delhi has informed that their records cannot be declassified and Central Reference Library, Kolkata has given vague reply. They have intimated that declassification of classified records does not arise.

9.6 The remaining 25 Ministries/ Departments/ Offices have informed that they have no classified records does not arise not relevant not applicable and information may be treated as 'NIL' These are:- Ministry of Home Affairs, Office of the Controller General of Defence Accounts both in New Delhi; B.C.G. Laboratory, Chennai; Metro Railways, Kolkata; Central Cattle Breeding Farm Dhamrod (Dist. Surat); Project Evaluation Offices Ahmedabad; Bangalore; Bhubaneswar and Patna; Office of the Director General of Income Tax, Bangalore; Office of the Commissioner of Central Excise, Chandigarh; Project Evaluation Office and Coaching-Cum-Guidance for SC/ST both in Guwahati; Regional Directorate of Apprenticeship Training, Hyderabad; Office of the Salt Commissioner, Regional Evaluation Office both in Jaipur; Foremen Training Institute, Jamshedpur; Office of the Registrar of Companies, Kerala; Office of the Official Liquidator High Court of Mumbai at Nagpur and Office of the Chief Commissioner of Income Tax Nagpur; Directorates of Marketing and Inspection Nasik Road; Surat; North Eastern Council Secretariat, Shillong.

9.7 The analysis of information received from 44 Public Sector Undertakings/ Statutory Bodies etc. in this regard is as follows. In all 6 Organisations have intimated that they are doing the declassification of files. 1 has informed that the job will be taken up soon and 1 has informed that the work is in process. 5 have informed that this is not applicable to them where as 5 have sent vague reply. 1 has informed that they are not covered in the definition of the Public Records Act, 1993 and Nil information have been forwarded by 25 Organisations.

9.8 The following 6 Organisations have informed that they are having classified records and doing the job of De-Classification, Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited Kolkata; Cotton

डॉक लिमिटेड दानों मुम्बई में मारमागांव पोर्ट, ट्रस्ट, गोवा विशाखापट्टनम डॉक श्रम बोर्ड, विशाखापट्टनम एवं तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट, तूतीकोरिन।

9.9 पाउडर मैटलर्जी एवं न्यू मेटैरियल अंतर्राष्ट्रीय आधुनिक अनुसंधान केंद्र हैदराबाद ने सूचित किया है कि जल्द ही कार्य को आरंभ किया जाएगा।

9.10 नेशनल फर्टिलाइजर्स लि., नोएडा (उ.प्र.) ने सूचित किया है कि कार्य प्रक्रिया में है।

9.11 संगठनों का एक अन्य वर्ग जो यह महसूस करता है कि यह उन पर लागू नहीं है, उनमें से हैं: हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड एवं परियोजना उपकरण निगम (पी.ई.सी.) लिमिटेड, दोनों नई दिल्ली में; बंगाल केमिकल्स एंड फार्मासियुटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता; हिंदुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड रासायनी (रायगढ़) एवं ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ लिमिटेड, विशाखापट्टनम।

9.12 भारतीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड, नई दिल्ली; चैन्नई पोर्ट ट्रस्ट, चैन्नई; कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त, धनबाद; एच.एम.टी. लिमिटेड, बंगलोर एवं मेकॉन लिमिटेड, रांची ने अस्पष्ट उत्तर भेजे हैं।

9.13 इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने सूचित किया है कि वे लोक अभिलेख अधिनियम 1993 के तहत अभिलेख सर्जक एजेंसी की परिभाषा में शामिल नहीं हैं।

9.14 निम्न 25 संगठनों ने 'शून्य' रिपोर्ट भेजी है: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड, भारतीय खाद्य निगम, इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, सभी नई दिल्ली में; राष्ट्रीय प्रतिरक्षण विज्ञान संस्थान, चैन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, दोनों चैन्नई में; हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड एवं हिंदुस्तान पेपर निगम लिमिटेड दोनों कोलकाता में; जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई रेलवे विकास निगम लिमिटेड, भारतीय जहाजरानी निगम, सोसाइटी फॉर एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स एवं अनुसंधान एवं इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड, सभी मुंबई में; फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावणकोर लिमिटेड, कोच्चि; इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, राय बरेली; भारत डायनैमिक्स लिमिटेड, हैदराबाद; नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, गोलाघाट (असम), नागालैंड पल्प एवं पेपर कंपनी लिमिटेड, जोरहाट (असम); ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गोहाती; केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन निगम लिमिटेड, दोनों नागपुर में; राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड; भुवनेश्वर; भारतीय ऊष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे एवं हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापट्टनम।

Corporation of India Limited, Mazagon Dock Limited, both in Mumbai; Marmagao Port Trust, Goa; Visakhapatnam Dock Labour Board, Visakhapatnam and Tuticorin Port Trust, Tuticorin.

9.9 International Advanced Research Centre for Powder Metallurgy and New Materials, Hyderabad has informed that the job will be taken up soon.

9.10 National Fertilizers Limited, Noida (U.P.) has informed that the work is in process.

9.11 The other category of Organisations who feel that it is not applicable to them are:- Hindustan Insecticide Limited and Project Equipment Corporation (PEC) Limited, both in New Delhi; Bengal Chemicals and Pharmaceutical Limited, Kolkata; Hindustan Organic Chemicals Limited Rasayani (Raigad) and Dredging Corporation of India Limited, Visakhapatnam.

9.12 Handicrafts and Handlooms Exports Corporation of India Limited, New Delhi; Chennai Port Trust, Chennai; Coal Mines Provident Fund Commissioner, Dhanbad; H.M.T. Limited, Bangalore and MECON Limited, Ranchi have furnished vague reply.

9.13 Engineers India Limited, New Delhi has informed that they are not covered in the definition of a records creating agency under the Public Records Act, 1993.

9.14 The following 25 organisations have forwarded 'NIL' reports:- National Capital Region Planning Board, Tribal Co-operative Marketing Development Federation of India Limited, Food Corporation of India, IRCON International Limited, all in New Delhi; National Institute of Immunology, Chennai Petroleum Corporation Limited, both Chennai; Hindustan Copper Limited and Hindustan Paper Corporation limited both in Kolkata; General Insurance Corporation of India, Hindustan Petroleum Corporation Limited, Mumbai Railway Vikas Corporation Limited, Shipping Corporation of India, Society for Applied Microwave Electronics Engineering and Research and Indian Rare Earths Limited, all in Mumbai; Fertilizers and Chemicals Travancore Limited, Kochi; Indira Gandhi Rashtriya Uran Akademi, Rae Bareli; Bharat Dynamics Limited, Hyderabad; Numaligarh Refinery Limited, Golaghat (Assam); Nagaland Pulp and Paper Company Limited, Jorhat (Assam); Brahmaputra Board, Guwahati; Central Board for Workers Education, Mineral Exploration Corporation Limited, both in Nagpur; National Aluminium Company Limited, Bhubaneswar; Indian Institute of Tropical Meteorology, Pune and Hindustan Shipyard Limited, Visakhapatnam.

निष्क्रिय आयोग/समितियाँ

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 3(2)(ड) के साथ गठित धारा (1) (झ) के अनुसरण में, राष्ट्रीय अभिलेखागार सभी सर्जक एजेंसियों को निरंतर परिपत्र जारी किए गए हैं और उनके नियंत्रणाधीन निष्क्रिय समितियों/आयोगों के अभिलेखों के संबंध में सूचना मांगी गई है, ताकि राष्ट्रीय अभिलेखागार या इसके विभिन्न क्षेत्रों में अभिलेख केंद्रों में स्थायी रूप से संरक्षित करने के लिए इन निकायों के अभिलेखों को प्राप्त किया जा सके। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, दिनांक 23 मार्च, 2005 के परिपत्र सं. 16-12 ए/2005-आर.एम. 1713 अभिलेख सर्जक एजेंसियों सहित 211 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को जारी किया गया था दिनांक 7 जून 2004 के एक अन्य परिपत्र सं. F-16.10/2004- आर.एम. 85 मुख्य मंत्रालयों/विभागों को जारी किया गया था। इन परिपत्रों के उत्तर में 143 मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों और सार्वजनिक उपक्रमों इत्यादि ने इस संबंध में सूचना प्रस्तुत की। सूचना का विस्तृत विश्लेषण नीचे दिया गया है:

10.1 केवल दो संगठनों ने सूचना भेजी : रक्षा मंत्रालय ने सूचित किया कि उनके पास दो समितियों/आयोगों, नामतः विशेषज्ञ वर्गीकरण समिति के दो संस्करण एवं विसंगति समिति की एक रिपोर्ट और उसके क्रियान्वयन की पांच फाइलें (अक्टूबर 1974 के समय की), के और 2312 (अधिकतम) अधिशेष माल भंडार निपटान समिति (जुलाई 1991-मार्च, 1997) के भी अभिलेख हैं; इन सभी फाइलों का अभिलेखन कर लिया गया है परंतु बार-बार व्यापक मामले में इनकी आवश्यकता पड़ने के कारण इन्हें अनुभाग में रखा गया है। गृह मंत्रालय ने सूचित किया कि इनके मंत्रालय के पास शाह आयोग के अभिलेख हैं; इनको सूचित करने के पश्चात् राष्ट्रीय अभिलेखागार को स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

10.2 निम्न 97 कार्यालयों ने 'शून्य' सूचना भेजी है: कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय, नागर विमानन, श्रम एवं रोजगार, रेलवे (रेलवे बोर्ड), जहाजरानी, जल संसाधन, योजना आयोग, रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग, वाणिज्य महा निदेशालय केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल मौसम विज्ञान, आपूर्ति एवं निपटान, आपूर्ति प्रभाग (वाणिज्य विभाग)। महानियंत्रण रक्षा लेखा कार्यालय, सशस्त्र बाल फिल्म एवं छायाचित्र प्रभाग, आयकर आयुक्त (अपील) कार्यालय, क्षेत्रीय परिषद सचिवालय केंद्रीय पेंशन लेखांकन कार्यालय, कलावती सरन बाल चिकित्सालय एवं नॉरकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो सभी दिल्ली में; बी. सी. जी. टीकाकरण प्रयोगशाला, केंद्रीय मेषज परीक्षण प्रयोगशाला, सरकारी आयुर्विज्ञान भंडार डिपो सभी चैन्नई में; जूट विकास निदेशालय, जूट आयुक्त कार्यालय, केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय, मेट्रो रेल, राष्ट्रीय एटल्स एवं थिमैटिक मानचित्रण संगठन सभी कोलकाता में; भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, फारवर्ड मार्केट आयोग, केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, मुंबई-1, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र, महा प्रबंधक कार्यालय (मध्य रेलवे) क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय सभी मुंबई में; दक्षिणी क्षेत्र कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, अनंतपुर (आं.प्र.); क्षेत्रीय श्रम आयुक्त कार्यालय, अजमेर; केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, औरंगाबाद; अंतरिक्ष विभाग, मात्स्यिकी हेतु केंद्रीय तटीय इंजीनियरी संस्थान, आयकर महा निदेशक

DEFUNCT COMMITTEES COMMISSIONS

In pursuance of Section 3(2) (n) to be read with Section 6(1) (i) of Public Records Act, 1993, National Archives of India has been continuously issuing Circulars to all Creating Agencies seeking information about records of Defunct Committees/ Commissions under their administrative control, so as to take over the records of such bodies in the National Archives of India or its Records Centres in different zones for their permanent preservation. To achieve the target, a Circular letter No.16-12 A/2005-R.M. dated 23 March 2005 was issued to 1713 Records Creating Agencies, including 211 Public Sector Undertakings, Another Circular letter No.F.16-10/2004-R.M. dated 7 June 2004 was issued to 85 main Ministries/ Departments. In response to these Circulars 143 Ministries/ Departments/ Offices and Public Sector Undertakings etc. have furnished information in this regard. The detailed analysis of the information is given below:-

10.1 Only two Organisations have furnished information:- Ministry of Defence has informed that they have records of two Defunct Committees/ Commissions viz. two volumes of Expert Classification Committee and one report of Anomalies Committee and 5 files of implementation thereof (period October 1974) and also 2312 (approx.) records of Surplus Salvage Store Disposal Committee (July 1991- March, 1997), all these files have been recorded but kept in the section because of repeated requirement of the same in connection with the court cases. Ministry of Home Affairs has informed that their Ministry is having records of Shah Commission, these after appraisal would be transferred to National Archives of India.

10.2 The following 97 Offices have given 'NIL' report:- Ministries of Agriculture and Cooperation, Civil Aviation, Labour and Employment, Railways (Railways Board), Shipping, Water Resources, Planning Commission, Department of Chemicals and Petrochemicals, Commerce, Directorate Generals of Central Reserve Police Force, Meteorology, Supplies and Disposals, Supply Division (Department of Commerce), Office of the Controller General of Defence Accounts, Armed Forces Film and Photo Division, Office of the Commissioner of Income Tax (Appeals), Zonal Councils Secretariat, Central Pension Accounting Office, Kalawati Saran Bal Chikitsalaya and Narcotics Control Bureau all in New Delhi; B.C.G Vaccine Laboratory, Central Drugs Testing Laboratory, Government Medical Store Depot all in Chennai; Directorate of Jute Development, Office of the Jute Commissioner, Central Reference Library, Metro Railway, National Atlas and Thematic Mapping Organisation all in Kolkata; Fishery Survey of India, Forward Markets Commission, Office of the Commissioner of Central Excise, Mumbai-I, Central Board of Film Certification, Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped, General Manager's Office (Central Railway), Regional Evaluation Office all in Mumbai; Southern Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Anantapur (A.P.); Office of the Regional Labour Commissioner, Ajmer; Office of the Commissioner of Central Excise, Aurangabad; Department of Space, Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Office of the Director General of Income

कार्यालय सभी बंगलोर में; केंद्रीय मत्स्य उद्योग, समुद्र एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, एकीकृत मात्स्यिकी परियोजना एवं क्षेत्रीय श्रम आयुक्त कार्यालय सभी कोच्चि में; पोर्ट स्वास्थ्य संगठन, मारमागोवा एवं सहायक कल्याण आयुक्त कार्यालय, क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (सी) कार्यालय एवं टर्मिनल बैलिस्टिक अनुसंधान प्रयोगशाला सभी चंडीगढ़ में; डाक महापाल कार्यालय, कोयंबटूर; वन शिक्षा निदेशालय एवं भारतीय वन सर्वेक्षण दोनों देहरादून में; केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म, धमरोड (जिला सूरत); राष्ट्रीय जैव कृषि केंद्र एवं केंद्रीय मेषज मानक संगठन दोनों गाजियाबाद में; अनुसूचित जाती / अनुसूचित जनजाती शिक्षण-सह-मार्गदर्शन एवं आयकर अपीलीय अधिकरण, गुवाहाटी पीठ दोनों गुवाहाटी में निदेशालय, विनणन उवं निरीक्षण एवं प्रशिक्षु प्रशिक्षण दोनों हैदराबाद में; फोरमैन प्रशिक्षण संस्थान, जमशेदपुर; संयुक्त निदेशक केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना कार्यालय, जबलपुर; बाजरा विकास निदेशालय एवं आयुक्त कार्यालय दोनों जयपुर में; कंपनी पंजीयक कार्यालय, केरल; उत्पाद एवं सीमा शुल्क कार्यालय भारतीय खान ब्यूरो, सरकारी परिसमापक कार्यालय, मुंबई उच्च न्यायालय सभी नागपुर में; विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, उप-कार्यालय, नासिक रोड; लाइटहाऊस एवं लाइटशिप्स निदेशालय, नोएडा; राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, पुणे; मुख्य इंजीनियर एवं प्रशासक कार्यालय, अंडमान लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स, पोर्टब्लेयर, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क, रायपुर; विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, सूरत; केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म, संबलपुर (उड़ीसा) एवं सूरतगढ़ (राजस्थान); क्षेत्रीय कार्यालय, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, शिमला; उत्तर पूर्वी परिषद सचिवालय, शिलॉंग एवं वरिष्ठ महा डॉक पाल, वाराणसी; विशाखापट्टनम स्थित भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण विशाखापट्टनम; परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, अहमदाबाद; गुवाहाटी; बंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, पटियाला एवं शिमला एवं क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, चैन्नई; कोलकाता, मुंबई, चंडीगढ़; हैदराबाद, लखनऊ एवं जयपुर।

10.3 इस संबंध में जिन सभी 44 सार्वजनिक उपक्रमों/समितियों/निगमों इत्यादि ने उत्तर दिया उनमें से सूचित किया उन्होंने निष्क्रिय विभागों के कुछ अभिलेख प्राप्त किए हैं। एक ने सूचित किया कि वे उचित समय पर कार्रवाई करेंगे। 30 ने 'शून्य' सूचना भेजी, 6 ने सूचित किया कि यह उन पर लागू नहीं होता। एक ने सूचित किया कि वे लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की परिभाषा में शामिल नहीं हैं जबकि 5 ने अस्पष्ट उत्तर भेजे हैं। सूचना का विश्लेषण निम्नानुसार है:

10.4 ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी ने सूचित किया कि उनके पास राज्य जल संसाधन विभाग, असम के कुछ अभिलेख हैं जो उनके संगठन से संबंधित हैं जबकि देहांग और सुबसानिरी परियोजना से संबंधित अन्य अभिलेख राष्ट्रीय जल शक्ति निगम को उनके प्रयोग हेतु सौंप दिए गए हैं।

10.5 पाउडर मैटलर्जी एवं न्यू मेटिरियल हेतु अंतरराष्ट्रीय आधुनिक अनुसंधान केंद्र, हैदराबाद ने सूचित किया कि उचित समय पर कार्रवाई की जाएगी।

10.6 निम्न 30 संगठनों ने 'शून्य' सूचना भेजी है: भारतीय खाद्य निगम, हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, परियोजना उपकरण निगम (पी.ई.सी.) लिमिटेड, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड एवं भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड, सभी नई दिल्ली में; चैन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, सभी कोलकाता में; सोसाइटी फॉर एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरी एंड रिसर्च, मारगांव डॉक लिमिटेड, जनरल इंड्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान

Tax all in Bangalore; Office of the Commissioner of Central Excise, Belgaum; Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped, Bhubaneswar; Central Institute of Fisheries Nautical and Engineering Training, Integrated Fisheries Project and Office of the Regional Labour Commissioner all in Kochi; Port Health Organisations, Marmagao, and Office of the Assistant Welfare Commissioner, Labour Welfare Organisation, both in Goa; Office of the Commissioner of Central Excise, Office of the Regional Labour Commissioner (C) and Terminal Ballistics Research Laboratory all in Chandigarh; Office of the Post Master General, Coimbatore; Directorate of Forest Education and Forest Survey of India both in Dehradun; Central Cattle Breeding Farm, Dhamrod (Distt. Surat); National Centre for Organic Farming and Central Drugs Standards Organisations both in Ghaziabad; Coaching Cum Guidance Centre for SC/ ST and Income Tax Appellate Tribunal, Guwahati Bench both in Guwahati; Directorates of Marketing and Inspection, and Apprenticeship Training both in Hyderabad; Foremen training Institute, Jamshedpur; Office of the Joint Director, Central Government Health Scheme, Jabalpur; Directorate of Millets Development and Office of the Salt Commissioner both in Jaipur; Office of the Registrar of Companies, Kerala; Office of the Customs and Central Excise, Indian Bureau of Mines and Office of the Official Liquidator, High Court at Mumbai all in Nagpur; Directorate of Marketing and Inspection Sub-Office, Nasik Road; Directorate of Lighthouses and Lightships Noida; National Film Archive of India, Pune; Office of the Chief Engineer and Administrator, Andaman Lakshadweep Harbour Works, Port Blair; Central Excise and Customs, Raipur; Directorate of Marketing and Inspection, Surat; Central Cattle Breeding Farms, Sambalpur (Orissa) and Suratgarh (Rajasthan); Regional Office, Central Government Health Scheme, Shimla; North Eastern Council Secretariat, Shillong and Senior Post Master General, Varanasi; Visakhapatnam Base of Fishery Survey of India, Visakhapatnam; Project Evaluation Offices, Ahmedabad; Guwahati; Bangalore; Bhopal, Bhubaneswar; Patiala and Shimla and Regional Evaluation Offices, Chennai; Kolkata; Mumbai; Chandigarh; Hyderabad; Lucknow and Jaipur.

10.3 In all 44 Public Sector Undertakings/ Committees/ Corporations etc. responded in this regard, out of which has informed that they have received some records of defunct departments 1 has informed that they will take action at appropriate time, 30 have furnished NIL information, 6 have informed that it is not applicable to them. 1 has informed they are not covered in the definition of the Public Records Act, 1993 where as 5 have sent vague reply. The analysis of information is as under:-

10.4 Brahmaputra Board, Guwahati has informed that they are keeping with them some records of State Water Resources Department, Assam which pertain to their organisation while other records relating to Dehang and Subsani Project have been handed over to the National Hydro Power Corporation for their use.

10.5 International Advanced Research Centre for Powder Metallurgy and New Materials, Hyderabad has informed that the action will be taken-up at appropriate time.

10.6 The following 30 Organizations have furnished NIL report. :- Food Corporation of India, Hindustan Insecticides Limited, National Capital Region Planning Board, Project Equipment Corporation (PEC), IRCON International Limited and Tribal Co-operative Marketing Development Federation of India Limited, all in New Delhi; Chennai Petroleum Corporation Limited, Chennai; Hindustan Copper Limited, Hindustan Paper Corporation Limited, Garden Reach Shipbuilders and

पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, मुंबई रेलवे विकास निगम लिमिटेड भारतीय जहाजरानी निगम लिमिटेड एवं इंडियन रेयर अर्थस लिमिटेड सभी मुंबई में, फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावणकोर लिमिटेड, कोच्चि; इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकादमी, रायबरेली; भारत डायनैमिक्स लिमिटेड, हैदराबाद; नागालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड एवं विशाखापट्टनम डॉक श्रम बोर्ड, सभी विशाखापट्टनम में; मारमागोवा पोर्ट ट्रस्ट, गोवा; तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट, तूतीकोरिन केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड एवं मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड, दोनों नागपुर में, राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, भुवनेश्वर एवं नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, गोलाघाट (असम)।

10.7 छह संगठनों ने सूचित किया है कि यह उन पर लागू नहीं होता। ये हैं: राष्ट्रीय प्रतिरक्षण विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली; बंगाल केमिकल्स एंड फार्मासियुटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता; भारतीय कपास निगम लिमिटेड, नवी मुंबई; भारतीय ऊष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे; नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नोएडा (उ.प्र.) एवं हिंदुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड रासायनी (रायगढ़)।

10.8 इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली ने सूचित किया कि वे लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 के तहत अभिलेख सर्जक एजेंसी की परिभाषा में शामिल नहीं हैं।

10.9 भारतीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली; चैन्नई पोर्ट ट्रस्ट, चैन्नई; मेकॉन लिमिटेड; रांची एच.एम.टी. लिमिटेड, बंगलोर एवं कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त, धनबाद ने अस्पष्ट उत्तर भेजे हैं।

अध्याय 11

अप्रचलित अभिलेखों के मूल्यांकन के बारे में अभिलेख सर्जक अभिकरणों द्वारा की गयी कार्रवाई

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 6(1) (ग) यह उपबंधित करता है कि सभी अभिलेख सर्जक अभिकरण राष्ट्रीय अभिलेखागार के परामर्श से अप्रचलित अभिलेखों के मूल्यांकन का कार्य करना चाहिए। एक ओर इससे अबांछित अभिलेखों को अलक करने में सहायता मिलती है जिसने फलस्वरूप मंत्रालयों/विभागों इत्यादि द्वारा अल्पावधि के अभिलेखों की छंटाई करके मंहगी अलमारी में स्थान की बचत होती है और दूसरी ओर, यह निरंतर मूल्यवान रहने वाले अभिलेखों के लिए अनुकूल स्थान की व्यवस्था करता है। उपरोक्त प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, सभी अभिलेख सर्जक अभिकरणों को दिनांक 23 मार्च, 2005 को परिपत्र से 16-12ए/2005- आर. एम. जारी किया गया था ताकि इस संबंध में उनके द्वारा आरंभ की गई कार्रवाई की जानकारी ली जा सके। उपरोक्त परिपत्र के उत्तर में 99 मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों और 44 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों ने सूचना प्रस्तुत की। ब्योरे निम्नानुसार है:

11.1 ऐसे 18 कार्यालय हैं जिन्होंने यह सूचना दी कि वे राष्ट्रीय अभिलेखागार के परामर्श से अपने 25 वर्ष पुराने अभिलेखों का मूल्यांकन कर रहे हैं; 73 ने 'शून्य' रिपोर्ट भेजी, 5 ने सूचित किया कि उनके द्वारा कालांतर में कार्रवाई की जाएगी, 3 कार्यालयों ने हमसे अनुरोध किया कि उनके प्रधान कार्यालय से संपर्क किया जाए। प्राप्त सूचना का विस्तृत विश्लेषण निम्नानुसार है:

11.2 वे मंत्रालय/विभाग/कार्यालय जिन्होंने सूचित किया कि वे राष्ट्रीय अभिलेखागार के परामर्श से अप्रचलित अभिलेखों का मूल्यांकन कर रहे हैं: कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय, रक्षा, गृह, रेलवे (रेलवे बोर्ड), जहाजरानी विभाग, योजना आयोग, महानिदेशालय मौसम विज्ञान, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, आपूर्ति एवं निपटान, क्षेत्रीय परिषद सचिवालय सभी दिल्ली में; जूट आयुक्त कार्यालय एवं केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय, दोनों कोलकाता में; महा प्रबंधक कार्यालय (मध्य रेलवे) एवं केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड दोनों मुंबई में; रेलवे सुरक्षा आयोग, लखनऊ; भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून एवं नमक आयुक्त कार्यालय, जयपुर।

11.3 निम्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने 'शून्य' रिपोर्ट भेजी है ये हैं: श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग, महा निदेशक नागर विमानन कार्यालय, महानियंत्रक रक्षा लेखा, आयकर (अपील) आयुक्त, सशस्त्र बल फिल्म एवं छायाचित्र प्रभाग, केंद्रीय पेंशन लेखांकन कार्यालय, आपूर्ति प्रभाग (वाणिज्य विभाग), नॉरकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो एवं कलावती सरन बाल चिकित्सालय सभी नई दिल्ली में; बी.सी.जी. प्रयोगशाला, केंद्रीय भेषज परीक्षण प्रयोगशाला एवं सरकारी आयुर्विज्ञान भंडार डिपो चैन्नई में; जूट विकास निदेशालय, मेट्रो रेल, एवं क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय सभी कोलकाता में; केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, मुंबई-I, भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण, फारवर्ड मार्केट आयोग एवं विक्लांग व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र सभी मुंबई में, दक्षिणी क्षेत्र कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, अनंतपुर (आं.प्र.), श्रम आयुक्त कार्यालय (मध्य), अजमेर; उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, औरंगाबाद; महानिदेशक आयकर एवं केंद्रीय मात्स्यिकी तटीय इंजीनियरी संस्थान दोनों बंगलोर में;

ACTION INITIATED BY RECORDS CREATING AGENCIES ON APPRAISAL OF NON-CURRENT RECORDS

Section 6(1) (C) of the Public Records Act, 1993 stipulates that all creating agencies should undertake the appraisal of non-current records in consultation with National Archives of India. It helps, on the one hand, to segregate the records no longer required resulting in saving costly shelf space in Ministries/ Departments etc. by weeding out of ephemeral records and on the other, provide congenial storage for those records which are of enduring value. Keeping in view the above said provision, a Circular letter No. 16-12 A/2005-R.M. dated 23 March 2005 was issued to all Records Creating Agencies so as to ascertain the extent of action initiated by them in this regard. In response to the above said Circular 99 Ministries/ Departments/ Offices and 44 Public Sector Undertakings have furnished information. Details are as under:-

11.1 These are 18 offices which have informed that they are appraising their 25 years old records in consultation with National Archives of India, 73 have sent 'NIL' reports, 5 have informed that action will be taken in due course by them, 3 offices have requested us to contact their Head office. The detailed analysis of information received is as follows:-

11.2 The Ministries/ Departments/ Offices who have informed that they are conducting the appraisal of non-current records in consultation with National Archives of India:- Ministries of Agriculture and Cooperation, Defence, Home Affairs, Railways (Railway Board), Department of Shipping, Planning Commission, Directorates General of Meteorology, Central Reserve Police Force and Supplies and Disposal, Zonal Councils Secretariat all in New Delhi; Office of the Jute Commissioner and Central Reference Library, both in Kolkata; General Manager's Office (Central Railway) and Central Board of Film Certification both in Mumbai; Commission of Railway Safety, Lucknow; Forest Survey of India, Dehradun and Office of the Salt Commissioner, Jaipur.

11.3 The following Ministries/ Departments/ Offices have sent 'NIL' reports. These are: Ministry of Labour and Employment, Department of Chemicals and Petrochemicals, Offices of the Director General of Civil Aviation, Contoller General of Defence Accounts, Commissioner of Income Tax (Appeals), Armed Forces Film and Photo Divisions, Central Pension Accounts Office, Supply Division (Department of Commerce), Narcotics Control Bureau and Kalawati Saran Bal Chikitsalaya all in New Delhi B.C.G. Laboratory, Central Drugs Testing Laboratory and Government Medical Store Depot all in Chennai; Directorate of Jute Development, Metro Railway, and Regional Evaluation Office all in Kolkata; Office of the Commissioner of Central Excise, Mumbai-I, Fishery Survey of India, Forward Markets Commission and Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped all in Mumbai; Southern Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Anantapur (A.P.); Offices of the Regional Labour Commissioner (Central), Ajmer; Commissioner of Central Excise, Aurangabad; Director General of Income Tax and Central Institute of Coastal Engineering for Fishery both in Bangalore; Commissioner of Central Excise, Belgaum;

केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, बेलगाम; क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (मध्य), केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त एवं टर्मिनल बैलिस्टिक अनुसंधान प्रयोगशाला सभी चंडीगढ़ में; क्षेत्रीय श्रम आयुक्त कार्यालय (मध्य), केंद्रिय मात्स्यिकी सामुद्रिक एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान एवं एकीकृत मत्स्य परियोजना सभी कोच्चि में; महा डाकपाल कार्यालय, कोयंबटूर; केंद्रीय भेषज मानक नियंत्रण संगठन एवं राष्ट्रीय जैव कृषि केंद्र दोनों गाजियाबाद में; आनुसूचित जाती/अनुसूचित जनजाती शिक्षण-सह-मार्गदर्शन, गुवाहाटी; पोर्ट स्वास्थ्य संगठन, मारमागोवा; सहायक कल्याण आयुक्त कार्यालय, श्रम कल्याण संगठन, दोनों गोवा में; क्षेत्रीय प्रशिक्षु प्रशिक्षण निदेशालय, हैदराबाद; संयुक्त निदेशक, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, जबलपुर, बाजरा विकास निदेशालय, जयपुर; फोरमैन प्रशिक्षण संस्थान, जमशेदपुर; कंपनी पंजीयक कार्यालय, केरल; क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, अरईमिले (तुरा), मेघालय; सरकारी परिसमापक कार्यालय, मुंबई उच्च न्यायालय, आयुक्त आयुक्त कार्यालय एवं भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर में; लाइटहाउस एंड लाइटशिप्स महा निदेशालय, नोएडा; विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, उप-कार्यालय, नासिक रोड; मुख्य इंजीनियर एवं प्रशासक कार्यालय, अंडमान लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स, पोर्ट ब्लेयर; विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय एवं राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार दोनों पुणे में; केंद्रिय उत्पाद एवं सीमा शुल्क, रायपुर; केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म; धमरोड (जिला सूरत); संबलपुर (उड़ीसा) एवं सूरतगढ़ (राजस्थान); उत्तर पूर्वी परिषद सचिवालय, शिलांग; क्षेत्रीय कार्यालय, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, शिमला; परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, अहमदाबाद; बंगलोर; भोपाल; भुवनेश्वर; गुवाहाटी; पटना एवं शिमला; क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, चैन्नई; मुंबई; लखनऊ; चंडीगढ़; हैदराबाद एवं जयपुर।

11.4 निम्नलिखित संगठनों ने सूचित किया कि अप्रचलित अभिलेखों की पहचान और राष्ट्रीय अभिलेखागार के परामर्श से उनका मूल्यांकन करवाने के लिए कार्रवाई की जाएगी। ये हैं: नागर विमानन मंत्रालय एवं वाणिज्य विभाग दोनों नई दिल्ली में; अंतरिक्ष विभाग, बंगलोर; राष्ट्रीय एटलस एवं थिम्बैटिक मानचित्रण संगठन, कोलकाता एवं आयकर अपीलीय अधिकरण गोहाती पीढ, गुवाहाटी।

11.5 वन शिक्षा निदेशालय, देहरादून; विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, हैदराबाद एवं विशाखापट्टनम मुख्य कार्यालय, भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण, विशाखापट्टनम ने सूचित किया है कि इस संबंध में उनके मुख्यालय से संपर्क किया जाए।

11.6 सभी 44 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/सांविधिक निकायों इत्यादि जिन्होंने सूचना प्रस्तुत की है, उनमें से केवल बंगाल केमिकल्स एंड फार्मासियुटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता ने सकारात्मक सूचना दी है। प्राप्त सूचना का विस्तृत विश्लेषण निम्नानुसार है।

11.7 भारतीय ऊष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे ने सूचित किया कि अप्रचलित अभिलेखों के मूल्यांकन का कार्य प्रक्रिया में है।

11.8 भारतय खाद्य निगम, नई दिल्ली; हिंदुस्तान पेपर कॉरपोरेशन लिमिटेड, कोलकाता; नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नोएडा (उ.प्र.) एवं पाउडर मैटलर्जी एवं नए पदार्थ हेतु अंतर्राष्ट्रीय आधुनिक अनुसंधान केंद्र, हैदराबाद ने सूचित किया है कि अभी यथा समय मूल्यांकन कार्या किया जाना है।

11.9 निम्न 26 सार्वजनिक उपक्रमों/सांविधिक निकायों ने 'शून्य' सूचना भेजी है: हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड, परियोजना उपकरण निगम (पी.ई.सी.) लिमिटेड, एवं इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, सभी नई दिल्ली में; चैन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड; चैन्नई; गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड एवं हिंदुस्तान

Regional Labour Commissioner (Central), Commissioner of Central Excise and Terminal Ballistics Research Laboratory all in Chandigarh; Office of the Regional Labour Commissioner (Central), Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training and Integrated Fisheries Project all in Kochi; Office of the Post Master General, Coimbatore; Central Drugs Standard Control Organisation and National Centre for Organic Farming both in Ghaziabad; Coaching-cum-Guidance for SC/ST, Guwahati; Port Health Organisation, Mormugao; Office of the Assistant Welfare Commissioner, Labour Welfare Organisation, both in Goa; Regional Directorate of Apprenticeship Training, Hyderabad; Office of the Joint Director, Central Government Health Scheme, Jabalpur; Directorate of Millets Development, Jaipur; Foreman Training Institute, Jamshedpur; Office of the Registrar of Companies, Kerala; Regional Vocational Training Institute for Women, Araimille (Tura), Meghalaya; Office of the Official Liquidator High Court of Mumbai, Office of the Commissioner of Income Tax and Indian Bureau of Mines in Nagpur; Directorate General of Lighthouses and Lightships, Noida; Directorate of Marketing and Inspection, Sub-Office, Nasik Road; Office of the Chief Engineer and Administrator, Andaman Lakshadweep Harbour Works, Port Blair; Directorate of Marketing and Inspection and National Film Archive of India both in Pune; Central Excise and Customs, Raipur; Central Cattle Breeding Farms, Dhamrod (Distt. Surat); Sambalpur (Orissa) and Suratgarh (Rajasthan); North Eastern Council Secretariat, Shillong; Regional Office, Central Government Health Scheme, Shimla; Project Evaluation Offices, Ahmedabad; Bangalore; Bhopal; Bhubaneswar; Guwahati; Patna and Shimla; Regional Evaluation Offices, Chennai; Mumbai; Lucknow; Chandigarh; Hyderabad and Jaipur.

11.4 The following Organisations have informed that action will be taken for identifying the non-current records and getting them appraised in consultation with National Archives of India. These are: Ministry of Civil Aviation and Department of Commerce both in New Delhi; Department of Space, Bangalore; National Atlas Thematic and Mapping Organisation, Kolkata and Income Tax Appellate Tribunal Guwahati Bench, Guwahati.

11.5 Directorate of Forest Education, Dehradun; Directorate of Marketing and Inspection, Hyderabad and Visakhapatnam Base of Fishery Survey of India, Visakhapatnam have informed that their Headquarters may be contacted in this regard.

11.6 In all 44 Public Sector Undertakings/ Statutory Bodies etc. have furnished information out of which only Bengal Chemicals and Pharmaceuticals Limited, Kolkata has furnished positive information. The analysis of the information received is detailed as under.

11.7 Indian Institute of Tropical Meteorology, Pune has informed that the action towards appraisal of non-current records is in process.

11.8 Food Corporation of India, New Delhi; Hindustan Paper Corporation Limited, Kolkata; National Fertilizers Limited, Noida (U.P.) and International Advanced Research Centre for Powder Metallurgy and New Materials, Hyderabad have informed that the appraisal work is yet to be done in due course.

11.9 The following 26 Public Sector Undertakings/ Statutory bodies have sent NIL information:- Hindustan Insecticides Limited, Project Equipment Corporation (PEC) Limited and IRCON International Limited, all in New Delhi; Chennai Petroleum Corporation Limited, Chennai; Garden

कॉपर लिमिटेड दोनों कोलकाता में; इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड, भारतीय जहाजरानी निगम लिमिटेड, सोसायटी फॉर एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च, मारगांव डॉक लिमिटेड, जनरल इंड्योरेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया एंव मुंबई रेलवे विकास निगम लिमिटेड सभी मुंबई में; हिंदुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड रासायनी (रायगढ़); फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावणकोर लिमिटेड, कोच्चि; इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, राय बरेली; भारत डायनैमिक्स लिमिटेड, हैदराबाद; नागालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड, जोरहाट (असम); केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड एवं खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड, दोनों नागपुर में; नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, गोलाघाट (असम); ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड एवं विशाखापट्टनम डॉक श्रम बोर्ड, सभी विशाखापट्टनम में; मारमागोवा पोर्ट ट्रस्ट, गोवा; तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट, तूतीकोरिन; ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी ।

11.10 इंडीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने सूचित किया है कि वे लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 के तहत अभिलेख सर्जक एजेंसी की परिभाषा में शामिल नहीं हैं।

11.11 राष्ट्रीय प्रतिरक्षण विज्ञान संस्थान, भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, सभी नई दिल्ली में एवं भारतीय कपास निगम लिमिटेड, नवी मुंबई ने सूचित किया है कि ये उन पर लागू नहीं होता।

11.12 मुंबई ने सूचित किया है कि वे कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी अधिनियम के अनुसार अभिलेखों को रख रहे हैं।

11.13 राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, भुवनेश्वर ने सूचित किया है कि वर्तमान में उन्हें यह कार्य करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

11.14 निम्न 5 संगठनों ने अस्पष्ट उत्तर भेजे हैं: भारतीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड, नई दिल्ली; चैन्नई पोर्ट ट्रस्ट, चैन्नई; एच.एम.टी. लिमिटेड, बंगलोर; कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त, धनबाद एवं मेकॉन लिमिटेड, रांची।

Reach Shipbuilders and Engineers Limited and Hindustan Copper Limited both in Kolkata; Indian Rare Earths Limited, Shipping Corporation of India Limited, Society for Applied Microwave Electronics Engineering and Research, Mazagon Dock Limited, General Insurance Corporation of India and Mumbai Railway Vikas Corporation Limited, all in Mumbai; Hindustan Organic Chemicals Limited Rasayani (Raigad); Fertilizers and Chemicals Travancore Limited, Kochi; Indira Gandhi Rashtriya Uran Akademi, Rae Bareilly; Bharat Dynamics Limited, Hyderabad; Nagaland Pulp and Paper Company Limited, Jorhat (Assam); Central Board for Workers Education and Mineral Exploration Corporation Limited, both in Nagpur; Numaligarh Refinery Limited, Golaghat (Assam); Dredging Corporation of India Limited, Hindustan Shipyard Limited and Visakhapatnam Dock Labour Board, all in Visakhapatnam; Mormugao Port Trust, Goa; Tuticorin Port Trust, Tuticorin; Brahmaputra Board, Guwahati;

11.10 Engineers India Limited, New Delhi has informed that they are not covered in the definition of records creating agency under the Public Records Act, 1993.

11.11 National Institute of Immunology, Tribal Co-operative Marketing Development Federation of India Limited and National Capital Region Planning Board, all in New Delhi and Cotton Corporation of India Limited, Navi Mumbai has informed that it is not applicable to them.

11.12 Hindustan Petroleum Corporation Limited, Mumbai has said that they are maintaining the records as per company's Act.

11.13 National Aluminium Company Limited, Bhubaneswar has informed that it does not feel it necessary to attend the job at present.

11.14 The following five organizations have sent vague reply:- Handicrafts and Handlooms Export Corporation of India Limited, New Delhi; Chennai Port Trust, Chennai; H.M.T. Limited, Bangalore; Coal Mines Provident Fund Commissioner, Dhanbad and MECON Limited, Ranchi.

संगठनात्मक इतिहास

प्रत्येक मंत्रालय/विभाग/कार्यालय के लिए संगठनात्मक इतिहास का संकलन करना बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इससे समय-समय पर होने वाले विभिन्न बदलावों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है, यह प्रशासनिक एवं ऐतिहासिक दोनों पहलुओं से भी महत्वपूर्ण है। यह अभिलेख मूल्यांकनकर्ता को विभिन्न अभिलेख समूहों को तार्किक प्रतिधारण अवधि निर्धारित करने में भी सहायता करना है यूं कि इससे संगठनों के मुख्य कार्यों के विषय में संक्षिप्त जानकारी मिल जाएगी। इसको ध्यान में रखते हुए, लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 6(1) निर्धारित करता है कि सभी अभिलेख सर्जक अभिकरण अपने संगठनात्मक इतिहास का संकलन करें, इस संबंध में सूचना प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय अभिलेखागार ने दिनांक 23 मार्च 2005 को परिपत्र सं. एफ-16-12, ए/2005 आर. एम. एवं दिनांक 4 जून 2004 के पत्र सं. एफ.एन. 16-1, ए/2004 आर. एम. जारी किया है। इन परिपत्रों के उत्तर में 105 मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने इस संबंध में सूचना प्रस्तुत की है। विस्तृत विश्लेषण निम्नानुसार है:

12.1 निम्न 41 कार्यालयों ने सूचित किया कि उन्होंने संगठनात्मक इतिहास का संकलन कर लिया है: कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय, नागर विमानन, गृह, श्रम एवं रोजगार, रेलवे (रेलवे बोर्ड), जल संसाधन, योजना आयोग, वाणिज्य विभाग, रसायन एवं पेट्रो रसायन, आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष), जहाजरानी, आपूर्ति प्रभाग (वाणिज्य विभाग), महानिदेशालय आपूर्ति एवं निपटान, मौसम विज्ञान एवं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सशस्त्र बल फिल्म एवं छायाचित्र प्रभाग, महानिदेशक नागर विमानन कार्यालय, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन एवं आयकर निपटान आयोग सभी नई दिल्ली में; केंद्रीय भेषज परीक्षण प्रयोगशाला, चैन्नई; जूट विकास निदेशालय, केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय, राष्ट्रीय एटलस एवं थिमैटिक मानचित्रण संगठन एवं जूट आयुक्त कार्यालय सभी कोलकाता में; केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, फॉरवर्ड मार्केट आयोग एवं महा प्रबंधक कार्यालय (मध्य रेलवे) सभी मुंबई में; दक्षिणी क्षेत्र कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, अनंतपुर (आं.प्र.) अंतरिक्ष विभाग एवं केंद्रीय मात्स्यिकी तटीय इंजीनियरी संस्थान दोनों बंगलोर में; विक्लांग व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र, भुवनेश्वर, टर्मिनल बैलिस्टिक अनुसंधान प्रयोगशाला, चंडीगढ़; एवं केंद्रीय भेषज मानक संगठन गाजियाबाद; क्षेत्रीय प्रशिक्षु प्रशिक्षण निदेशालय, हैदराबाद; पोर्ट स्वास्थ्य संगठन, मारमागोव, गोवा; बाजरा विकास निदेशालय एवं नमक आयुक्त कार्यालय दोनों जयपुर में; रेलवे सुरक्षा आयोग, लखनऊ; भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर एवं क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, शिमला, अनुसूचित जाती/अनुसूचित जनजाती शिक्षण-सह-मार्गदर्शन केंद्र गुवाहाटी ने अपने संगठनों का संक्षिप्त इतिहास प्रस्तुत किया है।

12.2 रक्षा मंत्रालय एवं नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो दोनों नई दिल्ली में एवं मुख्य इंजीनियर तथा प्रशासक कार्यालय, अंडमान लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स, पोर्ट ब्लेयर ने सूचित किया है कि संगठनात्मक इतिहास के संकलन का कार्य प्रगति पर है और

12.3 निम्न वे कार्यालयों ने सूचित किया है कि अपेक्षित सूचना उनके मुख्यालयों द्वारा दी जाएगी। ये हैं: सरकारी आयुर्विज्ञान भंडार, चैन्नई; परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, भोपाल एवं भुवनेश्वर एवं क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय मुंबई

ORGANISATIONAL HISTORY

Compilation of Organisational history for each Ministry/ Departments Office is great importance as it gives a better understanding of various organisational changes which have taken place from time to time. It is also important, both from administrative and historical point of view. It also helps the appraiser of records in assigning reasonable retention period of different records groups as he will be having first hand knowledge about the main functions of the organizations. Keeping this in view Section 6(1) of the Public Records Act, 1993 lays down that all records creating agencies shall compile their organisational history, National Archives of India issued circular letters F. No.16-12 A/2005 – R.M. dated 23 March 2005 and F.N.o16-1 A/2004-R.M. dated 4 June 2004 and seeking information in this regard. In response to these Circulars 105 Ministries/ Departments/ Offices have furnished information in this regard. Detailed analysis are given below:-

12.1 The following 41 offices have informed that they have compiled Organisational histories:- Ministries of Agriculture and Cooperation, Civil Aviation, Home Affairs, Labour and Employment, Railways (Railway Board), Water Resources, Planning Commission, Departments of Commerce, Chemicals and Petrochemicals, Ayurved, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homeopathy (AYUSH), Shipping Supply Division (Department of Commerce), Directorates General of Supplies and Disposals, Meteorology and Central Reserve Police Force, Armed Forces Film and Photo Division, Office of the Director General of Civil Aviation, Defence Research and Development Organisation and Income Tax Settlement Commission all in New Delhi; Central Drugs Testing Laboratory, Chennai; Directorate of Jute Development, Central Reference Library, National Atlas Thematic Mapping Organisation and Office of the Jute Commissioner all in Kolkata; Central Board of film Certification, Forward Markets Commission and general Manager's Office (Central Railway) all in Mumbai; Southern Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Anantapur (A.P.); Department of Space and Central Institute of Coastal Engineering for Fishery both in Bangalore; Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped, Bhubaneswar; Terminal Ballistics Research Laboratory, Chandigarh; and Central Drugs Standards Organisation Ghaziabad; Regional Directorate of Apprenticeship Training, Hyderabad; Port Health Organisation, Marmagao, Goa; Directorate of Millets Development and Office of the Salt Commissioner both in Jaipur; Commission of Railway Safety, Lucknow; Indian Bureau of Mines, Nagpur and Regional Evaluation office, Shimla; Coaching-cum-Guidance Centre for SC/ ST Guwahati has furnished brief history of their organization.

12.2 Ministry of Defence and Narcotics Control Bureau both in New Delhi and Office of the Chief Engineer and Administrator, Andaman Lakshadweep Harbour Works, Port Blair have informed that the compilation of Organisational history is in progress and

12.3 The following 8 Offices have informed that the requisite information will be supplied by their Headquarters. These are:- Government Medical Store, Chennai; Project Evaluation Offices, Bhopal

एवं जयपुर, वन शिक्षा निदेशालय, देहरादून; विपणन एवं निरीक्षण, हैदराबाद एवं विशाखापट्टनम आधार भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण, विशाखापट्टनम।

12.4 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली ने राष्ट्रीय सूचना केंद्र, नई दिल्ली से अनुरोध किया है कि वो इस विभाग को सूचित करते हुए राष्ट्रीय अभिलेखागार को अपेक्षित सूचना उपलब्ध करें।

12.5 निम्न 50 कार्यालय जिन्होंने अपने संगठनात्मक इतिहास का संकलन नहीं किया है, वे हैं: महानियंत्रक रक्षा लेखा कार्यालय, आयकर आयुक्त (अपील) कार्यालय, केन्द्रीय पेंशन लेखांकन कार्यालय, कलावती सरन बाल चिकित्सालय, सभी नई दिल्ली में; बी.सीजी टीका प्रयोगशाला, चैन्नई; परियोजना मूल्यांकन कार्यालय एवं मेट्रो रेल, दोनों कोलकाता में; केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, मुंबई-I एवं विक्लांग व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र दोनों मुंबई में; केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, औरंगाबाद; क्षेत्रीय श्रम आयुक्त, अजमेर; आयकर महानिदेशक, बंगलोर; केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, बेलगांव; केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त एवं क्षेत्रीय श्रम आयुक्त कार्यालय दोनों चंडीगढ़ में; क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (मध्य), केन्द्रीय मत्स्य समुद्री इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान एवं एकीकृत मात्स्यिकी सभी कोच्चि में; महा डाक पाल कार्यालय, कोयंबटूर; भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून; केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म धमरोड (ज़िला सूरत); संबलपुर (उड़ीसा) एवं सुरतगढ़ (राजस्थान); राष्ट्रीय जैव कृषि केंद्र, गाजियाबाद; आयकर अपीलीय अधिकरण, गुवाहाटी पीठ, गुवाहाटी; सहायक कल्याण आयुक्त कार्यालय, श्रम कल्याण संगठन पणजी, गोवा; क्षेत्रीय प्रशिक्षु प्रशिक्षण निदेशालय, हैदराबाद; फोरमैन प्रशिक्षण संस्थान, जमशेदपुर; संयुक्त निदेशक, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना कार्यालय, जबलपुर, कंपनी पंजीयक, केरल; क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, अरईमिले (तुरा) मेघालय; विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, उप-कार्यालय, नासिक रोड; सरकारी परिसमापक कार्यालय, मुंबई उच्च न्यायालय एवं मुख्य आयुक्त आयकर कार्यालय दोनों नागपुर में; लाइटहाऊस एंड लाइटशिप्स महानिदेशालय, रायपुर; क्षेत्रीय कार्यालय; केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, शिमला; उत्तर पूर्वी परिषद सचिवालय शिलांग; विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, सूरत; वरिष्ठ महा डाक पाल, वाराणसी; परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, अहमदाबाद; बंगलोर; गुवाहाटी एवं पटना एवं क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, चैन्नई; कोलकाता; चंडीगढ़; हैदराबाद, जयपुर और लखनऊ।

12.6 निम्न 8 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों ने अपने संगठनात्मक इतिहास की प्रतियां प्रस्तुत की हैं: भारतीय रेलवे भोजन प्रबंध एवं पर्यटन निगम लिमिटेड, एवं राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड दोनों नई दिल्ली में; गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता; हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, मुंबई एवं भारतीय ऊष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे; सरदार सरोवर निर्माण परामर्शक समिति बड़ोदरा; हिंदुस्तान न्यूज़ प्रिंट लिमिटेड, न्यूज़प्रिंट नगर एवं नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इंदौर।

12.7 निम्न 16 संगठनों ने सूचित किया कि उन्होंने अपने संगठनात्मक इतिहास का संकलन कर लिया है परंतु अभी तक भेजा नहीं है: हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड, इरकॉन इंटरनैशनल लिमिटेड एवं भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड, सभी दिल्ली में; बंगाल केमिकल्स एंड फार्मासियुटिकल्स लिमिटेड एवं हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, दोनों कोलकाता में; इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड, मुंबई रेलवे विकास कॉरपोरेशन लिमिटेड एवं भारतीय जहाजरानी निगम लिमिटेड, सभी मुंबई में; नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नोएडा (उ.प्र.);

and Bhubaneswar and Regional Evaluation Offices Mumbai and Jaipur; Directorates of Forest Education, Dehradun; Marketing and Inspection, Hyderabad and Visakhapatnam Base of Fishery Survey of India, Visakhapatnam.

12.4 Department of Information Technology, New Delhi has requested to National Informatics Centre, New Delhi to provide the requisite information to National Archives of India, under intimation to that Department.

12.5 The following 50 Offices, who have not compiled their Organisational histories are: Offices of the Controller General of Defence Accounts, Commissioner of Income Tax (Appeals), Central Pension Accounting Office, Kalawati Saran Bal Chikitsalaya all in New Delhi; B.C.G. Vaccine Laboratory, Chennai; Project Evaluation Office and Metro Railways both in Kolkata; Office of the Commissioner of Central Excise, Mumbai-I and Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped both in Mumbai; Offices of the Commissioner of Central Excise, Aurangabad; Regional Labour Commissioner, Ajmer; Director General of Income Tax, Bangalore; Commissioner of Central Excise, Belgaum; Commissioner of Central Excise and Office of the Regional Labour Commissioner both in Chandigarh; Regional Labour Commissioner (Central), Central Institute of Fisheries Nautical and Engineering Training and Integrated Fisheries all in Kochi; Office of the Post Master General, Coimbatore; Forest Survey of India, Dehradun; Central Cattle Breeding Farms Dhamrod, (Distt. Surat); Sambalpur (Orissa) and Suratgarh (Rajasthan); National Centre for Organic Farming, Ghaziabad; Income Tax Appellate Tribunal, Guwahati Bench, Guwahati; Office of the Assistant Welfare Commissioner, Labour Welfare Organisation Panaji, Goa; Regional Directorate of Apprenticeship Training, Hyderabad; Foremen Training Institute, Jamshedpur; Offices of the Joint Director, Central Government Health Scheme, Jabalpur; the Registrar of Companies, Kerala; Regional Vocational Training Institute for Women (Aura Tura mille), Meghalaya; Directorate of Marketing and Inspection, Sub-office, Nasik Road; Office of the Official Liquidator High Court of Mumbai and Office of the Chief Commissioner of Income Tax both in Nagpur; Directorate General of Lighthouses and Lightships, Noida; National Film Archive of India, Pune; Office of the Central Excise and Customs, Raipur; Regional Office, Central Government Health Scheme, Shimla; North Eastern Council Secretariat Shillong; Directorate of Marketing and Inspection, Surat; Senior Post Master General, Varanasi; Project Evaluation Offices, Ahmedabad; Bangalore; Guwahati and Patna and Regional Evaluation Offices, Chennai; Kolkata; Chandigarh; Hyderabad, Jaipur and Lucknow.

12.6 The following 8 Public Sector Undertakings have furnished copies of their Organisational Histories :- Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited, and National Buildings Construction Corporation Limited both in New Delhi; Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited, Kolkata; Hindustan Petroleum Corporation Limited, Mumbai and Indian Institute of Tropical Meteorology, Pune; Sardar Sarovar Construction Advisory Committee Vadodara; Hindustan Newsprint Limited, Newsprint Nagar and Narmada Control authority, Indore.

12.7 The following 16 Organisations have informed that they have compiled their Organisational Histories but have not send yet:- Hindustan Insecticides Limited, IRCON International Limited and Tribal Co-operative Marketing Development Federation of India Limited, all in New Delhi; Bengal Chemicals and Pharmaceuticals Limited and Hindustan Copper Limited, both in Kolkata; Indian Rare

फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावणकोर लिमिटेड, कोच्चि, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, राय बरेली; केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, गुवाहाटी; नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, गोलाघाट (असम); ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, विशाखापट्टनम;

12.8 राष्ट्रीय प्रतिरक्षण विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली; चैन्नई एवं पाउडर मेटलर्जी एवं न्यू मेटिरियल हेतु अंतर्राष्ट्रीय आधुनिक अनुसंधान केंद्र, हैदराबाद ने सूचित किया कि उनके संगठन इसका तुरंत संकलन कर लेंगे।

12.9 इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली ने सूचित किया है कि वे लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 के तहत अभिलेख सर्जक अभिकरणों की परिभाषा में शामिल नहीं हैं।

12.10 निम्न 15 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/सांविधिक निकायों इत्यादि ने 'शून्य' सूचना प्रस्तुत की है: भारतीय खाद्य निगम, परियोजना उपकरण निगम (पी.ई.सी.) लिमिटेड एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, सभी नई दिल्ली में; हिंदुस्तान पेपर कॉरपोरेशन लिमिटेड, कोलकाता; जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, मारगांव डॉक लिमिटेड एवं सोसायटी फॉर एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च सभी मुंबई में; हिंदुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड, रासायनी (रायगढ़); भारत डायनैमिक्स लिमिटेड, हैदराबाद; मारमागोवा पोर्ट ट्रस्ट, गोवा; राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, भुवनेश्वर; नागालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड, जोरहाट (असम); हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड एवं विशाखापट्टनम डॉक श्रम बोर्ड दोनों विशाखापट्टनम में और तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट, तूतीकोरिन।

12.11 भारतीय कपास निगम लिमिटेड, नवी मुंबई ने सूचित किया कि यह पहलू पर लागू नहीं होता।

12.12 भारतीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली; चैन्नई पोर्ट ट्रस्ट; कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त, धनबाद; एच.एम.टी. लिमिटेड बंगलोर एवं मेकॉन लिमिटेड, रांची ने अस्पष्ट उत्तर भेजे हैं।

Earths Limited, Mumbai Railway Vikas Corporation Limited and Shipping Corporation of India Limited, all in Mumbai; National Fertilizers Limited, Noida (U.P.); Fertilizers and Chemicals Travancore Limited, Kochi; Indira Gandhi Rashtriya Uran Akademi, Rae Bareilly; Central Board for Workers Education and Mineral Exploration Corporation Limited, both in Nagpur; Brahmaputra Board, Guwahati; Numaligarh Refinery Limited, Golaghat (Assam); Dredging Corporation of India Limited, Visakhapatnam;

12.8 National Institute of Immunology, New Delhi; Chennai Petroleum Corporation Limited, Chennai and International Advanced Research Centre for Powder Metallurgy and New Materials, Hyderabad have informed that their Organisations will be compiling soon.

12.9 Engineers India Limited, New Delhi has informed that they are not covered in the definition of a records creating agency under the Public Records Act, 1993.

12.10 The following 15 Public Sector Undertakings/ Statutory Bodies etc. have furnished NIL information:- Food Corporation of India, Project Equipment Corporation (PEC) Limited and National Capital Region Planning Board, all in New Delhi; Hindustan Paper Corporation Limited, Kolkata; General Insurance Corporation of India, Mazagon Dock Limited and Society for Applied Microwave Electronics Engineering and Research all in Mumbai; Hindustan Organic Chemicals Limited, Rasayani (Raigad); Bharat Dynamics Limited, Hyderabad; Marmagao Port Trust, Goa; National Aluminium Company Limited, Bhubaneswar; Nagaland Pulp and Paper Company Limited, Jorhat (Assam); Hindustan Shipyard Limited and Visakhapatnam Dock Labour Board both in Visakhapatnam and Tuticorin Port Trust, Tuticorin.

12.11 Cotton Corporation of India Limited, Navi Mumbai has intimated that this aspect is not applicable to them.

12.12 Handicrafts & Handlooms Exports Corporation of India Limited, New Delhi; Chennai Port Trust, Chennai; Coal Mines Provident Fund Commissioner, Dhanbad; H.M.T. Limited, Bangalore and MECON Limited, Ranchi have sent vague reply.

‘क’ श्रेणी के अभिलेखों का माइक्रोफिल्म निर्माण

अभिलेख सर्जक अभिकरणों की अभिरक्षा में रखे ‘क’ श्रेणी के अभिलेखों को माइक्रोफिल्म बनाने के कार्य में गति लाने के लिए, राष्ट्रीय अभिलेखागार ने भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों को दिनांक 3 अगस्त, 2004 का परिपत्र सं. 16-9/2004-आर.एम. जारी किया इस अनुरोध के साथ कि वे इस विषय के अपने संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की जानकारी में लाएं जो उनके नियंत्रणाधीन कार्य कर रहे हैं क्योंकि इससे वे इस विभाग को अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करने में समर्थ हो पाएंगे। रिपोर्ट की इस अवधि के दौरान, सभी में से, 13 संगठनों ने सूचना प्रस्तुत की, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

13.1 जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली ने सूचित किया कि उनके मंत्रालय की अभिरक्षा में सिंधु समझौते/जे. आर.सी. कावेरी इत्यादि से संबंधित फाइलें हैं, जिन्हें बेहतर और लंबे संरक्षण के लिए माइक्रोफिल्म बनाया जा सकता है, मंत्रालय ने सभी अनुभागों/डेस्क/इकाइयों और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के प्रमुखों से भी अनुरोध किया है कि वे अपनी फाइलों की समीक्षा करें और जो श्रेणी ‘क’ में हैं उन्हें मंत्रालय के आई.डब्ल्यू.एस.यू. को सूचित करें जिससे कि उनको राष्ट्रीय अभिलेखागार से माइक्रोफिल्म बनवाने के लिए शीघ्र कार्रवाई की जा सके।

13.2 भारतीय शत्रु संपत्ति अभिरक्षक कार्यालय, मुंबई ने सूचित किया कि उनके पास निम्न वर्णित फाइलें हैं जिन्हें समूह के ‘श्रेणी’ में वर्गीकृत किया जा सकता है और परिणामस्वरूप माइक्रोफिल्म बनाने के लिए किया जा सकता है, नामतः:

- i. फाइलें जिनमें शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 की धारा 8 और 12 के तहत प्राधिकरण पत्र जारी किए गए हैं।
- ii. चल/अचल संपत्ति पाक/नैनीताल की 9 फाइलें जिनमें विधि एवं न्याय मंत्रालय के शाखा सचिवालय से विधिक परामर्श प्राप्त कर लिया गया है।
- iii. 360 फाइलें मामले जिनमें मुकदमें में लंबित हैं।
- iv. 18 ई.जी. एवं एन.सी. मामले जिनमें पैनल द्वारा लंबे दावे स्वीकार कर लिए गए हैं परंतु अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है।
- v. 8086 ई.जी. एवं एन.सी. मामले जिनमें दावे स्वीकार कर लिए गए हैं और परिणामतः दावाकर्ता को पहले ही भुगतान किया जा चुका है।
- vi. 2996 ई.जी. एवं एन.सी. दावों के मामले जिन्हें सत्यापन पैनलों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है।

13.3 निम्न 4 संगठनों ने हमसे अनुरोध किया है कि ‘क’ श्रेणी के अभिलेखों की प्रकृति के विषय में दिशानिर्देश दिए जाएं और इसकी आपूर्ति उन्हें की जाए। ये हैं – प्रधान मंत्री कार्यालय और भारत के महा लेखा परीक्षा नियंत्रक दोनों नई दिल्ली में और राष्ट्रीय मिलिटरी कॉलेज, देहरादून और कोयला खान कार्यालय, भविष्य निधि आयुक्त, धनबाद।

MICROFILMING OF 'A' CATEGORY RECORDS

To accelerate the work of Microfilming of 'A' Category records lying in the custody of records creating agencies, the National Archives of India issued a Circular letter No. 16-9/2004-R.M. dated 3 August 2004 to all Ministries/ Departments/ Offices of the Government of India with the request to bring the matter to the knowledge of their Attached/ Subordinate Offices and Public Sector Undertakings which are functioning under their control as this would enable them to furnish the requisite information to this Department. During the period under report, in all, 13 Organisations have furnished information, details of which are as under:-

13.1 Ministry of Water Resources, New Delhi has informed that their Ministry is having files relating to Indus Treaty/ JRC Cauvery Dispute etc. in their custody which could be microfilmed for better and longer preservation, the Ministry has also requested to all Sections/ Desks units and Heads of Public Sector Undertakings to review their files and those in category 'A' may be intimated to I.W.S.U to the Ministry so that action to get them microfilmed from National Archives of India is taken at the earliest.

13.2 Office of the Custodian of Enemy Property of India, Mumbai has informed that they have files following mentioned which can be categorized as Group 'A' Category and consequently taken for Microfilming viz.

- i. 277 files where authorization letters under Section 8 and 12 of Enemy Property Act, 1968 have been issued.
- ii. 9 files of Immovable / Movable Property Pak/ Nainital where legal opinion obtained from branch Secretariat from Ministry of Law and Justice.
- iii. 360 files where cases are pending under litigations.
- iv. 18 EG and NC cases where claims have been accepted by panel but not yet decided.
- v. 8086 EG and NC cases where claims were accepted and consequently payment have been already made to the claimant.
- vi. 2996 EG and NC claims case rejected by verifying panels.

13.3 The following 4 organisations have requested us to supply the guidelines about the nature of 'A' Category records and the same were supplied to them. These are: Prime Minister's Office and Office of the Controller and Auditor General of India both in New Delhi and Rashtriya Military College, Dehradun and Office of the Coal Mines, Provident Fund Commissioner, Dhanbad

13.4 भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली ने सूचित किया कि वे सभी पुराने अभिलेखों की माइक्रोफिल्म बनाने के इच्छुक हैं; उन्होंने अनुरोध किया कि इनके कार्यालय में इस कार्य के प्रदर्शन के लिए इंजीनियर नियुक्त किया जाए। उनसे अनुरोध है कि राष्ट्रीय अभिलेखागार को माइक्रोफिल्म बनाए जाने वाले अभिलेखों के कुल ढेर और पृष्ठों की संख्या बताएं।

13.5 निम्न 5 विभागों/कार्यालयों ने 'शून्य' सूचना प्रस्तुत की, ये हैं: वाणिज्य विभाग। (आपूर्ति प्रभाग) व्यय, योजना आयोग, रोजगार एवं प्रशिक्षण महा निदेशालय सभी नई दिल्ली में एवं मद्रास निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र, चैन्नई।

13.6 निम्न 4 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/सांविधिक निकायों ने भी 'शून्य' सूचना प्रेषित की है। निर्यात विकास प्राधिकरण और खनिज एवं धातु व्यापार निगम लिमिटेड दोनों नई दिल्ली में; चमड़ा निर्यात परिषद, चैन्नई एवं मसाले बोर्ड, कोच्चि।

अध्याय 14

अप्रचलित अभिलेखों का मूल्यांकन

अभिलेखों के मूल्यांकन को आमतौर पर अभिलेखों की मात्रा निर्धारण की प्रक्रिया समझा जाता है। यह निर्धारण उनके मौजूदा प्रशासनिक, कानूनी और राजकोषीय इस्तेमाल और साक्ष्य एवं सूचना विषयक महत्व के अनुसार किया जाता है। लोक अभिलेख नियम, 1997 के नियम 5 के साथ पठित लोक अधिनियम, 1993 की धारा -3 (2) (ख) के तहत राष्ट्रीय अभिलेखागार अभिलेख सर्जक एजेंसियों को लोक अभिलेखों के मूल्यांकन का कार्य संपन्न करवाने में मदद पहुंचाते हैं। इसी प्रकार, लोक अभिलेख अधिनियम की धारा -6 (1) (ग) के तहत विभागीय अभिलेख अधिकारी को 25 वर्षों से अधिक पुराने अभिलेखों को राष्ट्रीय अभिलेखागार के परामर्श से मूल्यांकन हेतु उत्तरदायी बनाया गया है ताकि सिर्फ स्थायी महत्व के अभिलेखों का प्रतिधारण किया जाए। यहां यह उल्लेख किया जाना उचित रहेगा कि अप्रचलित अभिलेखों का मूल्यांकन तथा अस्थायी प्रकृति के अभिलेखों का विनष्टीकरण जहां एक ओर भारत सरकार के विभिन्न अभिलेख कक्षों के मूल्यवान भंडारण- स्थान और उसके रखरखाव में आने वाली लागत की बचत करता है, वहीं दूसरी ओर वह स्थायी मूल्य के अभिलेखों को अभिचिन्हित किए जाने में भी मदद पहुंचाता है, ताकि उन्हें वैज्ञानिक परिरक्षण प्रेषित के लिए राष्ट्रीय अभिलेखागार प्रेषित किया जा सके।

14.1 रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान राष्ट्रीय अभिलेखागार ने 55,870 अप्रचलित फाइलों का मूल्यांकन किया। इनमें 20,762 फाइलों के स्थायी प्रतिधारण और 36,128 अभिलेखों के विनष्टीकरण की मंजूरी दी गयी। इस प्रकार इन अभिलेखों के रखरखाव पर हर वर्ष किए जाने वाले 36,128 छत्तीस हजार एक सौ अट्ठाइस रुपये की बचत की गयी।

14.2 वे संगठन जिनके अभिलेखों का राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा मूल्यांकन किया गया, इस प्रकार हैं:

नई दिल्ली स्थित गृह मंत्रालय (1975-1979), पर्यावरण और वन मंत्रालय (1954-1979), राष्ट्रपति सचिवालय (1926-1960), वायुसेना मुख्यालय (रक्षा मंत्रालय) (1950-1979), योजना आयोग (1950-1979), आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय (1943-1979), (वाणिज्य मंत्रालय) और प्रकाशन विभाग (1949-1979) दिल्ली। विदेश व्यापार उप महानिदेशक कार्यालय (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय) (1959-78), सेंट्रल सीस्मोलोजिकल आर्वाइवटरी (विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय) (1950-1974), शिलांग, मेघालय स्थित पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विद्युत मंडल (विद्युत मंत्रालय) (1965-1978), 58 गोरखा राइफल (1947-1977)।

14.3 इसके अलावा अभिलेख केन्द्र (पूर्वी अंचल), भुवनेश्वर ने भी कोलकाता स्थित एण्ड्रयूल एंड कंपनी (1898-1979), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, कोलकाता सर्किल (1893-1979); पेटेंट एंड डिजाइन कार्यालय; भुवनेश्वर स्थित कल्याण और उपकर आयुक्त का कार्यालय (1960-1979); इंडियन गवर्नमेण्ट स्टेशनरी कार्यालय (1953-1975) और मुख्य खान सलाहकार (1889-1978) के कार्यालय की 12,579 फाइलों/अभिलेखों का मूल्यांकन किया। इनमें से 6944 को स्थायी प्रतिधारण के लिए और 5635 को विनष्टीकरण के लिए चिन्हित किया गया।

14.4 इसी प्रकार अभिलेख केन्द्र (दक्षिण अंचल), पांडिचेरी ने भी सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क नागापट्टनम (1952-1979) की फाइलों का मूल्यांकन किया जिनमें से 244 फाइलों का स्थाई प्रतिधारण और 926 फाइलों को विनष्टीकरण के लिए चिन्हित किया गया।

APPRAISAL OF NON-CURRENT RECORDS

Appraisal of records has generally been described as the process of determining the volume of records based upon their current administrative, legal and fiscal use as well as their evidential and informational value. Under the provisions of Section 3(2) (b) of the Public Records Act, 1993 read with Rule 5 of the Public Record Rules, 1997, the Director General of Archives assists the Records Creating Agencies in conducting the appraisal of public records. Similarly, under Section 6(1) (c) of the Public Records Act, 1993 the Departmental Records Officer has been made responsible for the appraisal of public records which are more than 25 years old in consultation with the National Archives of India with a view to retaining only records of permanent value. It may be mentioned here that, on the one hand, the appraisal of non-current records and weeding out of the records of ephemeral nature results in saving valuable shelf-space and maintenance cost of records housed in various record rooms of the Government of India and on the other, help in identifying the records of permanent value for subsequent transfer to National Archives for scientific preservation.

14.1 During the period under report, the National Archives of India appraised 55,870 non-current files. Out of these 20,762 were recommended for permanent retention and 36,128 for destruction. This resulting in saving Rs. 36,128/- per annum on the upkeep of records.

14.2 The organizations whose records were appraised by the Officers of National Archives of India are : Ministries of Home Affairs (1975-79), Environment and Forest (1954-79), the President's Secretariat (1926-1960), Air Headquarters (Ministry of Defence) (1950-1979), Planning Commission (1950-1979), Directorate General of Supplies and Disposals (1943-79) (Ministry of Commerce) all in New Delhi and the Department of Publications (1949-79) Delhi. The Office of the Deputy Director General of Foreign Trade (Ministry of Commerce and Industry) (1959-78); Central Seismological Observatory (Ministry of Science and Technology) (1950-74); North Eastern Regional Electricity Board, (Ministry of Power) (1965-1978); the 58 Gorkha Rifles (1947-77) all in Shillong, Meghalaya.

14.3 Further, Record Centre (Eastern Zone), Bhubaneswar had also appraised 12, 579 files of Andrew Yule and Company (1898-1979); Archaeological Survey of India, Kolkata Circle (1893-1979); Patents and Design Office, all in Kolkata. Office of the Welfare and Cess Commissioner (1960-79); India Government Stationery Office (1953-1975) and the Office of the Chief Mining Advisor (1898-1978) all in Bhubaneswar, out of these 6,944 were marked for permanent retention and 5,635 files for destruction.

14.4 Similarly, Record Centre (Southern Zone) Pondicherry has also appraised 1150 files of the Office of the Assistant Commissioner of Customs (1952-1979) Nagapatinam. Out of these 244 files were marked for permanent retention and 926 files were for destruction.

14.5 राष्ट्रीय अभिलेखागार, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल (1901-1979) की 1634 फाइलों का मूल्यांकन किया। इनमें से 193 फाइलों को प्रतिधारण के लिए और 1441 फाइलों को नष्ट करने के लिए निर्दिष्ट किया गया।

14.6 राष्ट्रीय अभिलेखागार, अभिलेख केंद्र, जयपुर ने नमक आयुक्त कार्यालय (1940-1978) की 738 फाइलों का मूल्यांकन किया इनमें से 559 फाइलों को प्रतिधारण और 179 को नष्ट करने के लिए चिन्हित किया गया।

14.7 अधिकारियों ने मूल्यांकन के प्रश्नात 23,757 अभिलेखों अर्थात फाइलों/संस्करणों को स्थायी प्रतिधारण के लिए राष्ट्रीय अभिलेखागार, मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल और अभिलेख केंद्र, भुवनेश्वर में स्थानांतरित करने के लिए अनुशंसित किया, ये फाइले निम्न मंत्रालयों/विभागों/ कार्यालयों से संबंधित थी रक्षा मंत्रालय के अभिलेख-4921 कुमाऊँ रेजीमेंट, रानीखेत, से; 3,276 मराठा लाइट इनफैंटरी, बेलगाम, 1,050 पंजाब रेजीमेंट से रामगढ़ 1802 राजपूताना राइफल्स से दिल्ली, 489 अभिलेख जनशक्ति नीति एवं योजना अपर निदेशालय, ए जी शाखा, सेना मुख्यालय, नई दिल्ली से 1,168 सशस्त्र कोर अभिलेख अहमदनगर से। उपरोक्त के अलावा, 6 अभिलेख गृह मंत्रालय, श्रम मंत्रालय के 95 अभिलेख, 431 अभिलेख जल संसाधन मंत्रालय से 248 जहाजरानी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से, 5,484 अभिलेख वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से 368 अभिलेख योजना आयोग से व्यय विभाग (वित्त मंत्रालय), 386 कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, 7 अभिलेख प्रकाशन विभाग से 33 अभिलेख आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय से सभी नई दिल्ली में।

14.8 उपरोक्त के साथ, 1213 अभिलेख वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, 32 अभिलेख भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भुवनेश्वर मंडल से 19 अभिलेख केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय, कोलकाता से 895 अभिलेख मध्य रेलवे मुंबई, 66 अभिलेख, भारतीय मात्स्यिकी अद्योग सर्वेक्षण विशाखापट्टनम से , 559 अभिलेख नमक आयुक्त, जयपुर कार्यालय से विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों को वे अपने अभिलेख राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली और क्षेत्रीय कार्यालयों भोपाल, जयपुर, पांडिचेरी और भुवनेश्वर की अभिरक्षा में शीघ्रता से भेजने के लिए।

14.5 The National Archives of India, Regional Office Bhopal had appraised 1634 files of the Archaeological Survey of Bhopal Circle (1901-1979). Out of these 193 files were marked for retention and 1441 files for destruction.

14.6 The National Archives of India, Records Centre, Jaipur also appraised 738 files of the Salt Commissioner Office (1940-1978) Jaipur; 559 files were marked for retention and 179 for destruction.

14.7. The Officers after appraisal have recommended transfer of 23,757 records i.e. files / volumes for permanent retention to the National Archives, Head quarters, Regional Office Bhopal and the Records Centre at Bhubaneswar, from the following Ministries/ Departments / Offices : Records from the Ministry of Defence - 4,921 from Kumaon Regiment, Ranikhet, 3,276 from Maratha Light Infantry, Belgaum, 1,053 from the Punjab Regiment, Ramgarh, 1,802 from Rajputana Rifles; Delhi, 489 records from Additional Directorate of Manpower Policy and Planning, AG Branch, Army Headquarters, New Delhi, 1,168 from Armoured Corps Records ; Ahmednagar. Besides the above 6 records from Ministry of Home Affairs, 95 from the Ministry of Labour, New Delhi, 431 records from the Ministry of Water Resources, 248 from the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, 5,484 records from the Ministry of Commerce and Industry, 368 records from Planning Commission; Department of Expenditure (Ministry of Finance), 386 Department of Personnel and Training, 7 records from the Department of Publication, 33 records from Directorate General of Supply and Disposals, all in New Delhi.

14.8 In addition to the above, 1,213 records from Forest Research Institute Dehradun; 32 records from Archaeological Survey of India, Bhubaneswar Circle; 19 records from Central Reference Library, Kolkata; 895 records from Central Railway Mumbai; 66 records from Office of the Visakhapatnam Base of Fishery, Survey of India, Visakhapatnam; 559 records from Office of the Salt Commissioner, Jaipur. Reminders were also sent to various Ministries/ Departments/ Offices to expedite their action on transferring their records to the custody of National Archives of India in New Delhi and its Regional offices at Bhopal, Jaipur, Pondicherry and Bhubaneswar.

अध्याय—15

संदर्भ माध्यम

संदर्भ माध्यम एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक उपकरण है जिनकी आवश्यकता प्रत्येक संगठन को होती है। तदनुसार, जैसा कि लोक अभिलेख अधिनियम, 1997 की धारा 3 (2) (ड़) में उपाबंधित किया गया है, राष्ट्रीय अभिलेखागार अपनी अभिरक्षा में रखे अभिलेखों की वस्तु सूची, सूची तालिका के रूप में उपयुक्त संदर्भ माध्यम तैयार करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है ताकि अनुसंधानकर्ताओं और प्रशासकों को तुरंत सूचना प्राप्त करने में सुविधा हो।

15.1 “गाइड टु द सोर्सस ऑफ एशियन हिस्ट्री” परियोजना तैयार की गई है और यह सभी संबंधितों को भेज दी गई है।

15.2 गृह विभाग चिकित्सा ‘क’ की जनवरी 1901— दिसंबर 1913 को 2930 फाइलों की विषय सूची तैयार की गई।

15.3 राष्ट्रीय अभिलेखागार के कर्मचारियों द्वारा आंकड़ा स्थापन कार्य:— वर्ष 2004 के दौरान 1,87,025 फाइलों/ अभिलेखों के आंकड़ा स्थापन का ऑनलाइन कार्य पूरा किया गया। इसमें अभिलेख क्रम में विदेश मंत्रालय, विदेश नीति विभाग, राज्य मंत्रालय हैं। जिनका विवरण इस प्रकार है: विदेश मंत्रालय (1870—1970), गृह राजनीति विभाग (1876—1978), भारतीय व्यापार अभिकरण, गंगटोक (राजनीतिक) (1827—1970), वित्त विभाग सह वित्त मंत्रालय, (1979—1954), ब्रिटिश दूतावास विभाग (1868—1953), गवर्नर जनरल सचिवालय/ राष्ट्रपति सचिवालय (1871—1954), एवं केंद्रीय सीमा शुल्क बोर्ड (1910—1950) हैं।

15.4 निजी फर्म द्वारा आंकड़ा प्रविष्टि:— वर्ष 2004 के दौरान, 1, 49, 473 फाइलों/अभिलेखों की आंकड़ा प्रविष्टि का कार्य पूरा किया गया। इस अभिलेख क्रम में जयपुर राज्य अभिकरण, कोल्हापुर एवं दक्कन राज्य अभिकरण गुजरात राज्य अभिकरण, बगदाद रेजीडेंसी अभिलेख (1881—1958), राजपूताना अभिकरण/ रेजीडेंसी (1860—1940), शिक्षा मंत्रालय (1881—1958) एवं गृह विभाग (1860—1945) इत्यादि हैं।

15.5 ओरिएंटल अभिलेख प्रभाग ने निम्नलिखित पारसी पत्र व्यवहारों की संवीक्षा, अनुवाद और विवरणात्मक सूची तैयार की:

- i. अंक IV 1804 की विवरणात्मक सूची में 919 पत्र हैं। शब्दकोश, सूची, आमुख इत्यादि बनाने के पश्चात् आवश्यक सुधार किए गए, और अंक को मुद्रणालय के लिए तैयार किया गया।
- ii. 1805 के अंक V अंक में 304 पत्र हैं, सभी को सूचीबद्ध कर लिया गया है और टंकण किया जा रहा है।
- iii. 1806 के अंक VI में 25 पत्र सूची किये गये हैं।

प्राप्त किए गए दस्तावेजों की विस्तृत सूची: 1811—1830 के अंक V की प्रारंभिक संवीक्षा और 40 दस्तावेजों के संपादन का कार्य लिया गया है। 1831—1850 के अंक VI के 64 दस्तावेजों का संपादन कर लिया गया है। 1851—1870 में अंक VII के 241 दस्तावेजों का संपादन कर दिया गया है। इनके अलावा, प्राप्त किए गए दस्तावेजों के 925 सूची पत्र/ संदर्भ कार्ड तैयार किए गए हैं।

15.6 निजी कागजात अनुभाग ने अपनी अभिरक्षा में रखे निम्न अभिलेखों की विषय सूची तैयार की:—

- i. जी. एल. नंदा कागजात 1954—47 की 1380 मर्दों/पत्र।
- ii. के. एम. मुंशी कागजात 1553—56 की 2779 मर्दों/पत्र।
- iii. एम. संजीवा रेड्डी 1953—63 की 154 मर्दों/पत्रों की जाँच के पश्चात् सूची बना दी गई है।

REFERENCE MEDIA

Reference Media is an important administrative tool which needs to be undertaken by each and every organization. Accordingly, the National Archives of India as stipulated Section 3(2) (e) of the Public Records Act, 1993 continued its efforts to prepare suitable reference media in the form of inventories, indices, catalogue of the records in its custody to facilitate quick retrieval of information for researchers and administrators.

15.1 The project 'Guide to the Sources of Asian History' has been prepared and sent to all concerned.

15.2 Subject list of 2,930 files of the Home Department Medical 'A' January 1901 –December 1913 was prepared.

15.3 Data validation work by National Archives of India Staff:- During the year 2004, the Data validation work of 1,87,025 files/ records have been completed online from the records series of External Affairs Department of Foreign Political Department, Ministry of State, Ministry of External Affairs (1870-1970), Home Political Department (1876-78), Indian Trade Agency, Gangtok (Political) 1827-1970, Department of Finance-Cum Ministry of Finance (1979-1954), Department of British Legation (1868-1953), Secretariat of Governor General/ President Secretariat (1871-1954) and Central Board of Customs (1910-1950).

15.4 Data entry by the Private Firm:- During the year 2004, the Data entry work of 1,49,473 files/ records have been completed from the records series i.e. Jaipur State Agency, Kolhapur and Deccan State Agency, Gujarat State Agency, Baghdad Residency records (1881-1958), Rajputana Agency/ Residency (1860-1940), Ministry of Education (1881-1958) and Home Department (1860-1945) etc.

15.5 The Oriental Records (OR) Division scrutinized, translated and prepared descriptive lists of the following Persian Correspondences

- i. Descriptive list of Vol. IV, 1804 consists of 919 letters, necessary correction has been carried out after preparation of glossary, Indices, Preface etc, and the volume was made ready for the Press.
- ii. Vol. V of 1805 has 304 letters, all of them was listed and is under typing.
- iii. Vol. VI of 1806: 25 letters were listed.

Descriptive List of Acquired Document: Preliminary scrutiny and edition of 40 documents was done of Vol. V 1811-1830, 64 documents was edited of Vol. VI 1831-1850, 241 documents was edited of Vol. VII 1851-1870. Besides the above, 925 catalogue/ reference cards of acquired documents were prepared.

15.6 The Private Papers section prepared subject list of the following records in their custody:-

- i. 1380 items/ letters of G.L. Nanda papers 1954-74,
- ii. 2779 items/ letters of K.M. Munshi papers 1953-56,
- iii. 154 items/ letters of N. Sanjiva Reddy 1953-63 were check listed.

अभिलेख अवाप्ति / अधिग्रहण

किसी संगठन को न केवल रोजमर्रा के प्रशासन के लिए अभिलेख संरक्षित रखने होते हैं, बल्कि भविष्य के संदर्भ के लिए भी उनका परिरक्षण आवश्यक होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में अभिलेख किसी राष्ट्र की स्मृति के रूप में काम करने के साथ साथ व्यक्तियों के अधिकारों की भी रक्षा करते हैं। वे प्रत्येक कार्य के लिए उत्तरदायित्व तय करते हैं और सरकारी नीतियों के मूल्यांकन के मानदंड के रूप में काम करते हैं। इसलिए अभिलेख महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं, जो अनुसंधान करने के लिए उत्कृष्ट स्रोत माने जाते हैं। सरकारी कार्यालयों के विभागीय अभिलेख कक्षाओं की अभिरक्षा में रखे 25 वर्ष से अधिक पुराने अप्रचलित अभिलेखों का राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा मूल्यांकन किए जाने और उन्हें स्थायी परिरक्षण के लिए राष्ट्रीय अभिलेखागार में स्थानांतरित किए जाने से अनुसंधानकर्ताओं और प्रशासकों तथा जानकारी पाने के इच्छुक अन्य लोगों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने में मदद मिलती है। लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 3 (2) (6) और लोक अभिलेख अधिनियम 1997 के नियम 5 के तहत अभिलेख महानिदेशक को यह अधिकार दिया गया है कि वे अभिलेख सर्जक एजेंसियों द्वारा अभिलेख कक्ष में रखे गए 25 वर्षों से पुराने स्थाई प्रकृति के अभिलेखों के संग्रहण और संरक्षण के लिए प्राप्त करें। इसी प्रकार उक्त अधिनियम की धारा-11 (1) के अनुबंध के अनुसार राष्ट्रीय अभिलेखागार किसी भी निजी स्रोत से ऐतिहासिक एवं राष्ट्रीय महत्व के अभिलेख को उपहार, क्रय या किसी अन्य पद्धति द्वारा प्राप्त कर सकता है। इन प्रावधानों के अनुपालन में राष्ट्रीय अभिलेखागार ने रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान निम्नलिखित अभिलेख-शृंखलाएं और निजी कागजात प्राप्त किए :

16.1 लोक अभिलेखों की अवाप्ति के संबंध 29, 790 अभिलेख जिनमें फाइले और पुस्तकें सम्मिलित हैं प्राप्त किए गए, इसमें 93 फाइले श्रम मंत्रालय (1938-1979), फाइले गृह मंत्रालय (1975-1977), 309 फाइले कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (1940-1977), 431 फाइले जल संसाधन (1953-1978), 368 फाइलें योजना आयोग (1952-1978), 1341 फाइलें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (1888-1976) एवं 10 फाइलें प्रकाशन निदेशालय, दिल्ली द्वारा (1953-1978), कुल 2950 अभिलेख प्राप्त किए गए।

राष्ट्रीय अभिलेखागार ने विभिन्न राज्य बलों (रक्षा मंत्रालय) से भी अभिलेख प्राप्त किए इनमें वायुसेना और सेना से संबंधित पेंशनभोगियों और गैर पेंशनभोगियों के शीट रोल और राज्य बलों के 20656 अभिलेख शामिल हैं। इसमें 39 फाइलें वायुसेना मुख्यालय एवं, ऐतिहासिक प्रकोष्ठ निदेशालय दिल्ली, 1803 फाइले राजपुताना राइफल्स अभिलेख, दिल्ली छावनी, 490 फाइलें एडिशनल स्टेट जनरल ऑफ मैनपावर सेना मुख्यालय, नई दिल्ली, 288 फाइले, मुंबई इंजीनियर समूह किरकी पुणे, 243 फाइलें तोपखाना अभिलेख, नासिक रोड कैंप, 12 फाइले गढ़वाल राइफल्स, अभिलेख कार्यालय लैसंडाउन, उत्तरांचल, 46 फाइले सेना सिक्ख अभिलेख कार्यालय पंचमढी, 248 फाइले कैत अभिलेख, जबलपुर, 393 फाइलें महार रेजीमेंट, सागौर, 175 फाइले ए.एस.सी. अभिलेख, पहाडपुर, 197 ईएमई अभिलेख, सिकंदराबाद, 275 फाइलें सिक्ख रेजीमेंट, रामगढ़, छावनी झारखंड, 3853 फाइले पंजाब रेजीमेंट, रामगढ़ छावनी, 824 फाइले जाट रेजीमेंट, बरेली, 4913 फाइले कुमाऊँ रेजीमेंट, अभिलेख कार्यालय, रानीखेत, 3272 फाइले मराठा लाइट इंफैंटरी बेलगाँव और 3585 फाइले असम रेजीमेंट, शिलांग शामिल हैं।

ACCESSIONS/ ACQUISITIONS OF RECORDS

An organization has to preserve records not only for running its day-to-day administration but also for future reference. In a democratic environment records besides serving as a memory of a nation also protect the right of individuals, fix accountability for each action and act as an yardstick to measure the Government policies. Records, therefore are an important instrument and the best source material for conducting research. Appraisal conducted by the National Archives of India of non-current records of more than 25 years old lying in the custody of the Departmental Records Rooms of Government offices and their subsequent transfer to the National Archives of India for permanent preservation make important information available for Researchers and Administration and others who seek such information. Section 3 (2) (6) of the Public Records Act 1993 and Rule 5 of the Public Records Rules, 1997 authorize the Director General of Archives to accept for deposit and preservation of public records of permanent nature which have been retained by the records creating agencies in their Records Rooms for the last 25 years or more. Similarly, Section 11(1) of the said Act also provides for the acceptance by the National Archives of India of any records of historical or national importance from any private source by way of gift; purchase or otherwise. In compliance, with the said provisions, the National Archives of India acquired the following records series and the private papers during the period under report.

16.1 As regards accessioning of the Public records 29,780 records consisting of files and volumes were accessioned, 93 files from the Ministry of Labour (1938-1979), 6 files of Ministry of Home Affairs (1975-1977), 309 files of the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (1940-1977), 431 files of Ministry of Water Resources (1953-78), 368 files of the Planning Commission (1952-1978), 1341 files of the Archaeological Survey of India (1888-1976), 10 files of the Directorate of Publication; Delhi (1965-1976) and 386 files of the Directorate Personnel and Training (1953-1978), total records accessioned was 2950.

The National Archives also received records from the various State Forces (Ministry of Defence) comprising of Sheet Rolls of Pensioners and Non-Pensioners belonging to the Army and Air Force records of the State Forces is 20656. It includes 39 files of Air Headquarters; Directorate Historical Cell Delhi; 1803 files of the Rajputana Rifles Records; Delhi Cantonment, 490 files of Additional State General of Manpower Army Headquarters, New Delhi; 288 Files of the Bombay Engineer Group Kirkee, Pune, 243 files of the Artillery Abhilekh, Nasik Road Camp; 12 files of Garhwal Rifles; Abhilekh Karyalaya Lansdowne, Uttaranchal; 46 files of Sena Sikh Abhilekh Karyalaya, Pachmarhi; 248 files of the Signals Records, Jabalpur; 393 files Mahar Regiment, Saugor; 175 Files ASC Records, Paharpur; 197 E.M.E. Record, Secunderabad; 275 files of Sikh Regiment, Ramgarh Cantt, Jharkhand; 3853 files of the Punjab Regiment, Ramgarh Cantt; 824 files of the Jat Regiment, Bareilly; 4913 files of the Kumaon Regiment; Abhilekh Karyalaya, Ranikhet; 3272 files of the Maratha Light Infantry, Belgaum and 3585 files of Assam Regiment, Shillong.

16.2 उपरोक्त के साथ-साथ, अभिलेखागार, अभिलेख केंद्र, जयपुर ने 1454 अभिलेख प्राप्त किए, इनमें महाप्रबंधक, मध्य रेलवे मुंबई कार्यालय के 895 अंक (1859-1979) और नमक आयुक्त कार्यालय (1940-1998) की 559 फाइले प्राप्त की।

इसी प्रकार, राष्ट्रीय अभिलेखागार, अभिलेख केंद्र, भुवनेश्वर ने कुल 1174 अभिलेख प्राप्त किए, इसमें खान रक्षा महादिनेशालय, धनबाद की 682 फाइले (1901-1946), जनगणना कार्य निदेशालय, भुवनेश्वर की 441 फाइले (1960-1979), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (भुवनेश्वर मंडल) भुवनेश्वर (1960-1979) की 32 फाइले और केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय कोलकाता की 19 फाइले शामिल हैं।

16.3 लोक अभिलेखों के अलावा, राष्ट्रीय अभिलेखागार ने विभिन्न क्षेत्रों में प्रसिद्ध भारतीयों के निजी कागजात के साथ-साथ भारत और विदेश में निजी व्यक्तियों एवं निजी संस्थानों से भारतीय हित के अभिलेख प्राप्त करना जारी रखा।

16.4 राष्ट्रीय अभिलेखागार के निजी अभिलेख अनुभाग ने निम्न फोटो ग्राफों और सी. डी.एस के साथ निजी कागजात प्राप्त किए हैं। गदर आंदोलन के शहीदों की सूची और शहीद भगत सिंह की फाँसी से संबंधित ट्रिब्यून समाचार पत्र (1930-1931) की 12 जिरॉक्स प्रतियां दो फोटो (1) बाबा संता सिंह, पुत्र श्री चुहेर सिंह लाहौर षडयंत्र मामले में दोषी (2) श्री मदन सिंह आर.आई.एन. बगावत के नेता 1946 के साथ मलविंदर जीत सिंह वारियाह के नवीनतम फोटो, सरदार पटेल पर दा सी.डी. जिसमें सरदार पटेल की वास्तविक आवाज है, श्री एन. संजीवा रेड्डी (भारत के पूर्व राष्ट्रपति 1953-82) के 56 फोल्डर/ अंक जिसमें डॉ- राजेन्द्र प्रसाद, पं. जवाहर लाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गाँधी, श्री वी. वी. गिरी, श्री टी. प्रकाशम, श्री आर. राजगोपालाचारी, श्री के.एम. मुंशी, श्रीमती मदनम नायडु, श्री लाल बहादुर शास्त्री, श्री मोरारजी देसाई, डॉ. एम. राधाकृष्णन इत्यादि के साथ श्री रेड्डी द्वारा किया गया पत्र व्यवहार शामिल है। श्री नाना जी देशमुख कागजात (1978-94) में 17 मर्द/पत्र हैं जिसमें नानाजी देशमुख द्वारा जय मातृभूमि साप्ताहिक पत्रिका के पटना उद्घाटन समारोह में नानाजी देशमुख द्वारा दिया गया भाषण, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, श्री मति इंदिरा गांधी, श्री राजीव गांधी श्री चन्द्रशेखर एवं श्री पी.वी. नरसिंम्हाराव को लिखे विभिन्न पहलुओं पर, एक पत्रिका वॉइस ऑफ इंडिया 1937 जिसका संपादन श्री मोहन सहाय (1937-53) द्वारा एक व्यक्तिगत पत्र श्री यू.बी. सिंह द्वारा लिखा पत्र पोर्ट ऑफ स्पेन, त्रिनिडाड से भी सहाय को तथा कमीशन ऑफ इंडिया मारीशस। एक पत्र महात्मा गांधी द्वारा अपने पिता को अपनी पत्नी के निधन के बारे में लिखा हुआ भी ओमर लूथर, पीतमपुरा के राजा द्वारा प्राप्त हुआ है।

16.5 उपरोक्त के अलावा, राष्ट्रीय अभिलेखागार के अभिमुख अभिलेख अनुभाग ने निजी व्यक्तियों से विभिन्न विषयों पर संग्रह प्राप्त किए हैं। प्राप्त किए गए एवं लाए गए दस्तावेजों की सूची निम्नानुसार है: 53 दस्तावेज (पारसी, उर्दू और कैथी) ये बैनामा कब्ज अल वसुल (20 मई 1800) और कंपनी सरकार तथा रीवा के राजा के बीच पत्र व्यवहार हैं, 17 दस्तावेज (पारसी/उर्दू) उज्जैन में 17 संपत्तियों के बैनामों (विक्रय करार) (1727-1861) हैं ये दोनों संग्रह झांसी के डां. एम. एल. गुप्ता से प्राप्त किए गए; 10 दस्तावेज (देवनागरी) वाराणसी के श्री यू. एस. दुबे से प्राप्त किए गए; 152 दस्तावेज (राजस्थानी, उर्दू और पर्सियन) 49 पृष्ठ (उर्दू/पारसी) खुले और अधूरे कागजात

16.2 In addition to the above, the National Archives of India, Records Centre, Jaipur accessioned 1454 records, 895 volumes of the Office of the General Manager, Central Railway, Mumbai (1859-1979) and 559 files of the Salt Commissioner's Office, Jaipur (1940-1978).

Similarly the National Archives of India, Records Centre, Bhubaneswar accessioned a total of 1174 records, 682 files of the Directorate General of Mines Safety; Dhanbad (1901-1946); 441 files of the Directorate of Census Operation, Bhubaneswar (1960-79); 32 files of the Archaeological Survey of India (Bhubaneswar Circle), Bhubaneswar (1960-1979) and 19 files of the Central Reference Library, Kolkata.

16.3 Besides the Public Records, National Archives of India continued to acquire private papers of eminent Indians in various fields as well as records of Indian interest from private institutions and individuals from India and abroad.

16.4 The Private Archives Section of the National Archives of India have accessioned the following private papers including photographs and CDs. List of Martyrs of the Gadar Movement and 12 xerox copies of the Tribune Newspaper (1930-31) relating to the execution of Shaheed Bhagat Singh, two photographs i) Baba Santa Singh, S/o Shri Chuher Singh accused in the Lahore Conspiracy case ii) Latest photographs of Shri Madan Singh, Leader of the R.I.N. Mutiny of 1946 along with Malwinder Jit Singh Wariah, two CDs on Sardar Patel containing the original voice of Sardar Patel, 56 folders/volumes of Shri N. Sanjiva Reddy (former President of India 1953-82) containing correspondences of Shri Reddy with Dr Rajendra Prasad, Pt. Jawaharlal Nehru, Smt. Indira Gandhi, Shri V.V. Giri, Shri T. Prakasham, Shri B Pattabhi Sitaramaya, Shri G.B. Pant, Maulana Abdul Kalam Azad, Shri R. Rajagopalachari, Shri K.M. Munshi, Smt. Padmaja Naidu, Shri Lal Bahadur Shastri, Shri Morarji Desai, Dr. S. Radhakrishnan etc. this collection includes letters also received from foreign dignitaries. The Nanaji Deshmukh paper (1978-94) contains 17 items/ letters which comprise addresses of and speeches delivered by Nanaji Deshmukh at the inaugural functions of *Jai Matrabhumi* Weekly at Patna, letters to Shri Morarji Desai, Chowdhri Charan Singh, Smt. Indira Gandhi, Shri Rajiv Gandhi, Shri Chandra Shekhar and Shri P.V. Narasimha Rao on various aspects. A magazine entitled *Voice of India* October 1937 edited by Shri Mohan Sahay (1937-53) and a personal letter written by Shri U.B. Singh from Port of Spain, Trinidad to Shri Sahay, the then Commission of India at Mauritius. A letter written by Mahatma Gandhi to his father on his wife's death has been acquired from Shri Omer Luther King of Pitampura.

16.5 Besides the above, the Oriental Records Sections of National Archives of India acquired collections on various subjects from individuals. The documents received and brought are as listed under:- 53 documents (Persian, Urdu & Kaithi) these are *Bainamas Qabz al-Wasuls* (20 May 1800) and correspondences between the Company Government and the Raja of Rewa, 17 documents (Persian/Urdu) consisting of *Bainamas* (Sale deeds) of properties in Ujjain (1727-1861 AD) both these collections were acquired from Dr M.L. Gupta of Jhansi; 10 Documents (Devanagiri) were acquired from Shri U.S. Dubey of Varanasi., 152 documents (Rajasthani, Urdu and Persian) 49 pages (Urdu/ Persian) of stray and incomplete papers mainly *Rabakari* Petitions of the office of the District Courts (Urdu/ Persian) belonging to the 19th Century and early 20th Century, 103 documents (Hindi/ Rajasthani/ Modi) were acquired from Shri Jalaluddin of Allahabad, including 30 issues (1918-1919 AD) of the

मुख्यतः जिला न्यायालय कार्यालय के 'रबाकरी' याचिकाओं के हैं। जो 19वीं और आरंभिक 20वीं शताब्दी के आरंभ से संबंधित हैं, 103 दस्तावेज (हिंदी/राजस्थानी/मोदी) इलाहाबाद के श्री जलालुद्दीन से प्राप्त किए गए इनमें उर्दू साप्ताहिक पत्रिका 'लड़ाई का अखबार' के 30 अंक (1918-1919) शामिल हैं। (1 बंधा हुआ संस्करण) भी नई दिल्ली के श्री अतीक रहमान से प्राप्त किया गया। निम्नलिखित मर्दें प्राप्त की गई, 47 अंक (1885-1887 ई.) उर्दू साप्ताहिक 'आलम-ए-तस्वीर' एक उर्दू पांडुलिपि जिसका शीर्षक 'वाकआ ए-खानदान ए-बंगरा, जो कि मुनव्वर अली बंगास (1837 ई.) द्वारा लिखी गई है और उर्दू की एक दुर्लभ पुस्तक, जिसका शीर्षक तवारिखे अवध या सवानिहाते सलातिन अंक 1 (1897 ई.) जो कि श्री कमाल दीन हैदर (सैयद मुहम्मद मीर) द्वारा लिखी गई, दुर्लभ छपी हुई पुस्तक जिसका शीर्षक तवारीखे रूस (पारसी) जो डी मैकेसी तालेस द्वारा लिखी गई (मौलवी अब्दुल हसन द्वारा अनुदित) और उर्दू में दो पुस्तकें शीर्षक 'गुलदस्ता-ए-इश्क' (दिवाशे हिंद) और कुल्लियाते आतिश (एक बंधा हुआ अंक) जो ख्वाजा हैदर अली आतिश (1837 ई.) द्वारा लिखी गई है और उर्दू में छपी 11 दुर्लभ पुस्तकों का संग्रह है। जिनके शीर्षक महाभारत, भगवतगीता की 2 प्रतियां, उपनिषद, कविता-संग्रह, बायाज जवाबित-ए-सादी, साधु अंक 23, संख्या 3 एवं, तारीख-ए-भगवत-ए-हिन्द और कानून-ए-मोसिकी हैं।

16.6 विदेश से भारतीय रूचि के अभिलेख/माक्रोफिल्म रोलों को प्राप्त करने के कार्यक्रम के तहत, निम्नलिखित सामग्री प्राप्त की गई। डी.ओ. सीरीज (1927-1967) इसमें दक्षिण अफ्रिका में भारतीय समस्या से संबंधित माइक्रो फिल्म रोल्स, इंडिया-ब्रिटेन, हवाई सेवा से संबंधित करार, वित्तीय करार का विस्तार करने के संबंध में और राष्ट्र मंडल के साथ भारत के संबंधों के लिए भारतीय वित्त मंत्री और राजकोष के कुलाधिपति के बीच पत्र व्यवहार। कैब सीरीज (1877-1950) भारतीय रक्षा समिति, भारत की रक्षा, इंपीरियल रक्षा समिति, भारतीय सेना के भारतीय करण की उप समिति, भारतीय सेना की आवश्यकताएं, भारतीय संवैधानिक समस्या, भारतीय व्यापार समस्या, भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त की नियुक्ति के दोनों सीरीज लोक अभिलेख कार्यालय, (राष्ट्रीय अभिलेखागार) लंदन ब्रिटेन से प्राप्त की गई।

16.7 सुल्तान बाबर की कुरान (1304-1306) की सी.डी. के रूप में एक अरबी पांडुलिपि ब्रिटिश लाइब्रेरी, लंदन से प्राप्त की गई।

16.8 राष्ट्रीय अभिलेखागार, अभिलेख केन्द्र भुवनेश्वर ने 'बालेश्वर संहेद वाहिका' (जनवरी -दिसंबर 1918) जिरॉक्स अंक प्राप्त किया। इसी प्रकार अभिलेख केंद्र (दक्षिणी क्षेत्र) पंडिचेरी ने एक जुलियट पेंडेंट ला रेवोल्यूशन 1936 की एक फोटो, पंडिचेरी विधान सभा की कार्यवाही के 68 अंक (1964-1995) तमिल साप्ताहिक समाचार पत्र सुतांतरिम के 178 अंक, दैनिक तमिल समाचार दीनमनी/ सुदेशमित्रण (1949-1954) की प्रैस क्लिपिंग के 188 पृष्ठ, पंडिचेरी राजपत्र (1966-85) के 216 अंक, पंडिचेरी के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और भारत में फैंच कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सुब्बइया के पत्रों के 17 फोल्डर (1950-1995), जनशक्ति (1970-1995), के 192 अंक और जीऊआमुकम के 55 अंक दोनों तमिल पत्रिकाएं, 'न्यू एज जर्नल (1990-1995) के अंक और स्वतंत्रता आंदोलन, इतिहास, दर्शन शास्त्र, कानून एवं अधिनियमों पर 255 दुर्लभ पुस्तकें प्राप्त कीं।

Urdu Weekly *Larai Ka Akhbar* (1 bound Vol.) also acquired from Shri Ateeq Rehman of New Delhi. The following items were acquired; 47 issues (1885-1887 AD) of the Urdu Weekly *Alam-i Tasweer*; an Urdu manuscript entitled *Waqai-i Khandan-i Bangash* scribed by Munawawar Ali Bangash (1837 AD) and a rare book in Urdu entitled *Tawarikh-i Awadh* or *Sawanihat-i Salatin* Vol I (1897 AD) by Syed Kamal al-din Haider (Syed Muhammad Mir), a rare printed book entitled *Tarikh-i Roos* (Persian) by D. Meckenzie Wallace (translated by Maulvi Abdul Hasan) and two books in Urdu entitled *Guldasta-i Ishq* (*Diwan-i Hind*) and *Kulliyat-i Atish* (1 bound Vol.) by Khwaja Haider Ali Atish (1873AD) and a collection of eleven rare printed books in Urdu entitled *Mahabharat*, 2 copies of *Bhagwat Gita*, *Upanished*, a diary of poems, a *Bayaz*, *Zawabit-i Sadi*, *Sadhu* Vol. 23 Nos. 3 and 4, *Tarikh-i Baghwat-i Hind* and *Qanun-i Mausiqi*.

16.6 Under the programme of acquisitions of records/ microfilm rolls of Indian interest from abroad, the following were received: The D.O. Series (1927-1967) this contains 3 microfilm rolls relating to Indian question in South Africa, India-U.K. Agreement relating to Air Services, Exchange of letters between the Chancellor of Ex-chequer and the Indian Finance Minister relating to extension of financial agreement and India's relationship with the Commonwealth. The Cab Series (1877-1950) relating to Indian Defence Committee, Defence of India, Committee of Imperial Defence, Sub Committee of the Indianisation of Indian Army, India Military requirements, India Constitutional Question; India Trade Questions, appointment of United Kingdom High Commissioner in India both these series were received from the Public Records Office, (National Archives) London U.K.

16.7 An Arabic Manuscript in the form of a CD of Sultan Babar's Quran (1304-1306) was acquired from the British Library, London.

16.8 National Archives of India, Records Centre Bhubaneswar acquired a Xeroxed volume of the *Baleswar Samhed Bahika* (January-December 1918). Similarly, the Record Centre (Southern Zone) Pondicherry acquired 1 photograph on En Juliet Pendant La Revolution 1936, 68 issues of *Pondicherry Legislative Assembly Proceedings* (1964-1995), 178 issues of *Suthanthiram* (1934-95) a Weekly Tamil Newspaper, 188 pages of the Press Clippings of *Dinamini/ Sudeshamithran* (1949-1954) a Daily Tamil Newspaper, 216 issues of the *Gazette of Pondicherry* (1966-85); 17 folders of the letters of Subbiah, an eminent Freedom Fighter of Pondicherry and the General Secretary of the Communist party of French in India (1950-1995), 192 issues of *Janasakthi* (1970-1995) and 55 issues of *Jeeuamuzhakam* both Tamil Journals; 90 issues of *New Age Journal* (1990-1995) and 225 rare books on Freedom Movement, History, Philosophy, Laws and Acts.

(Headquarters), both in New Delhi.

अभिलेख प्रतिधारण-सूची की पुनरीक्षा

बेहतर अभिलेख प्रबंधन कार्यक्रम की एक पूर्वापेक्षा यह है कि यह सुनिश्चित करता है कि अभिलेख न तो स्थायी रूप से नष्ट किए जायें और न ही लागत और कार्यकुशलता की कीमत पर अपेक्षित अवधि से अधिक समय तक उन्हें रखा जाना चाहिए। इसलिए विभिन्न श्रेणियों के अभिलेखों की उचित प्रतिधारण क्षमता निर्धारित करने के लिए संबद्ध संगठन द्वारा अभिलेख प्रतिधारण सूची बनायी जानी चाहिए। लोक अभिलेख अधिनियम 1993 की धारा 6 (1) (ग) में यह अनुबंधित है कि विभागीय अभिलेख अधिकारी राष्ट्रीय अभिलेखागार के परामर्श से लोक अभिलेखों को प्रतिधारण सूची के संकलन के लिए उत्तरदायी होगा। इन अभिलेख प्रतिधारण सूचियों में हर पांच वर्ष बाद संशोधन की भी आवश्यकता पड़ती है, ताकि इन वर्षों के दौरान संबंधित अभिलेख एजेंजियों की गतिविधियों में आए परिवर्तन और विस्तार के कारण उत्पन्न नये विषय-शीर्षों को स्थान दिया जा सके। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय अभिलेखागार ने रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान 19 मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/ सार्वजनिक उपक्रमों के मूल प्रकार्यों से संबंधित अभिलेख प्रतिधारण सूची की पुनरीक्षा की। विस्तृत ब्योरा नीचे दिया गया है।

17.1 पुनरीक्षित अभिलेख प्रतिधारण समय- सूचियों के साथ अध्ययन रिपोर्ट को कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित संगठनों को अग्रेषित किया गया:- सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (संचार एवं सूचना मंत्रालय), भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास संघ का प्रधान कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तरी प्रकोष्ठ), भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड), कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (सी.ई.आर.टी.), महानियंत्रक प्रमाणन प्रधिकरण (संचार और एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय), राष्ट्रीय अभिलेखागार, क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय), आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय (वाणिज्य मंत्रालय) सभी नई दिल्ली में। राष्ट्रीय अभिलेखागार, क्षेत्रीय कार्यालय/अभिलेख केंद्र भोपाल, पॉडिचेरी, जयपुर और भुवनेश्वर, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान/उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) की संयुक्त अभिलेख प्रतिधारण समय सूची को भुवनेश्वर और शिलांग, क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय) नई दिल्ली और गुवाहाटी में अध्ययन के पश्चात तैयार किया गया।

17.2 निम्नलिखित कार्यालयों के अभिलेख प्रतिधारण समय सूची की पुनरीक्षा के लिए स्पॉट अध्ययन अंतिम निर्धारण के विभिन्न चरणों में है। राष्ट्रपति सचिवालय और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (मुख्यालय) दोनों नई दिल्ली में।

VETTING OF RETENTION SCHEDULE FOR RECORDS

One of the pre requisite of good Records Management Programme is to ensure that records are neither prematurely destroyed nor kept for periods longer than required at the cost of economy and efficiency. Thus, in order to prescribe judicious retention periods to different categories of records, a Records Retention Schedule needs to be drawn by the concerned organization. The Section 6(1) (c) of the Public Records Act, 1993 provides that the Departmental Records Officer shall be responsible for compilation of Records Retention Schedule for Public Records in consultation with the National Archives of India. These Records Retention Schedules are also required to be revised once in five years with a view to accommodating new subject heads which might have been added due to the changing and expanding activities of the concerned records creating agencies during the intervening years. National Archives of India has vetted Records Retention Schedules pertaining to substantive function of 19 Ministries/ Departments/ Offices/ Public Sectors Undertakings during the period under report. Detailed information is furnished below.

17.1 Study reports along with the vetted Record Retention Schedules were forwarded for implementation to the following organizations:- Department of Information Technology (Ministry of Communication and Information); the Head office of the Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India (TRIFED) and the Regional Office (Northern Cell) of the Tribal Cooperation Marketing Development Federation of India (Ministry of Tribal Affairs); Computer Emergency Response Team (CERT-in); Controller of Certifying Authorities (Ministry of Communication and Information Technology); National Archives of India; Regional Meteorological Centre (Ministry of Science and Technology) Directorate General of Supply and Disposals (Ministry of Commerce) all in New Delhi. Common Records Retention Schedule of the National Archives of India, Regional Office/ Record Centres at Bhopal, Pondicherry, Jaipur and Bhubaneswar; Regional Institutes of Education/ North East Regional Institute of Education (Ministry of Human Resource Development) was prepared after conducting studies at Bhubaneswar and Shillong; Regional Meteorological Centre (Ministry of Science and Technology) at New Delhi and Guwahati.

17.2 On the Spot Study for vetting of the Records Retention Schedule of the following Offices are under various stages of finalization. President's Secretariat and India Metrological Department (Headquarters), both in New Delhi.

18.4. The following Departments:

परामर्शी कार्य

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी होने के नाते राष्ट्रीय अभिलेखागार देश में लोक अभिलेखों के प्रबंधन में सुधार के लिए निरंतर प्रयास करता है। इस प्रयोजन के लिए अभिलेखागार सरकारी संगठनों और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों को अभिलेख प्रबंधन संबंधी मुद्दों के बारे में परामर्श देता है। लोक अभिलेख अधिनियम 1993 की धारा-3 (2) (झ) के तहत राष्ट्रीय अभिलेखागार के महानिदेशक सभी मंत्रालयों/विभागों आदि को अभिलेखों के सृजन तथा निपटान एवं अभिलेख प्रबंधन के मानकों, तकनीकों के अनुप्रयोग एवं अर्द्धप्रचलित स्थिति में अभिलेखों के वैज्ञानिक परीक्षण के बारे में परामर्श देते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय अभिलेखागार ने अभिलेख प्रबंधन गतिविधियों के मामले में विभिन्न अभिलेख सर्जक एजेंसियों को परामर्श देने का अपना प्रयास जारी रखा। अर्द्ध प्रचलित स्थिति में अभिलेखों के रखरखाव एवं परिरक्षण को अभिलेख प्रबंधन का अत्यंत महत्वपूर्ण चरण मानते हुए राष्ट्रीय अभिलेखागार ने मंत्रालयों/विभागों आदि के विभागीय अभिलेख कक्षों के निरीक्षण का आयोजन किया और उनकी मौजूदा स्थिति में सुधार के लिए मौके पर जाकर परामर्श दिया।

18.1 रिपोर्ट की अवधि के दौरान राष्ट्रीय अभिलेखागार के अधिकारियों ने भारत सरकार के 13 मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों के विभागीय अभिलेख कक्षों का निरीक्षण किया। ये हैं:- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, रक्षा एवं योजना आयोग, रेलवे बोर्ड (रेल मंत्रालय), कर्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी, राजस्व, वाणिज्य, जहाजरानी, व्यय भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड), सभी नई दिल्ली में।

18.2 इसके अलावा, राष्ट्रीय अभिलेखागार ने देश के दक्षिण, पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों को अभिलेख प्रबंधन पर परामर्शी सेवाएं देना भी जारी रखा। निम्नलिखित संगठनों को परामर्श दिया गया:- लघु उद्योग मंत्रालय महालेखा परीक्षक कार्यालय (ए) (वित्त मंत्रालय) भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड, उत्तर दिल्ली, बिजली लिमिटेड सभी नई दिल्ली में। राष्ट्रीय जल शक्ति निगम फरीदाबाद, बेक्को लॉरी, कोलकाता, पेट्रोलियम कारपोरेशन, चैन्नई, रेल कोच फैक्टरी, कपूरथला, सतलुज कंपनी, शिमला।

18.3 अभिलेख केंद्र पाँडिचेरी, ने ई आई डी पैरी (इंडिया) लिमिटेड, चैन्नई को संरक्षण एवं अभिलेख प्रबंधन पर परामर्श दिया और अभिलेखागार कार्यालय, जेसुट, मदुरै प्रांत अभिलेखागार, कोडाइकनाल, तमिलनाडु को अभिलेखागार भवन में आवश्यक मूल सुविधाओं और उनके नए अभिलेखागार भवन के संबंध में परामर्श दिया गया। इसी प्रकार, राष्ट्रीय अभिलेखागार, अभिलेख केंद्र (पूर्वी क्षेत्र), भुवनेश्वर ने भी केंद्रीय रेशम बोर्ड, भुवनेश्वर और भारत सरकार लेखन सामग्री कार्यालय को परामर्श दिया। अभिलेख केंद्र, जयपुर (पश्चिमी क्षेत्र) ने नमक आयुक्त कार्यालय को अनेक विभागीय अभिलेख कक्ष में सुधार लाने के लिए परामर्श दिया।

18.4 निम्नलिखित विभागों को विभिन्न रेफोग्राफी सेवाओं पर तकनीकी सूचना/ मार्गदर्शन दिया गया:

ADVISORY WORK

Being the Nodal Agency for the implementation of the Public Records Act, 1993, the National Archives of India is duty-bound to improve the management of public records in the country. To ensure proper record keeping in the government offices it tenders advice on various aspects of records management to different Organizations, Public Sector Undertakings etc. Under Section 3(2)(i) of Public Records Act 1993, the Director General of Archives is required to tender advice to all Ministries/ Departments, etc., on the creation, disposal of records and application of standards, techniques of records management and scientific preservation during their semi-current stage. Accordingly, National Archives of India continued its efforts to advice various records creating agencies on matters relating to records management activities, considering the upkeep and preservation of semi-current records as one of the prime area of records management. National Archives conducted inspection of Departmental Records Rooms of Ministries/Departments etc and provided on the spot advice and guidance for improvement in the existing conditions.

18.1 During the period under report 13 Departmental Records Rooms of the Ministries/ Departments/ Offices of the Government of India were inspected by the officers of National Archives of India. These are :- Ministries of Environment and Forests, Home Affairs, Health and Family Welfare, Defence and Planning Commission, Railway Board (Ministry of Railways), Departments of Personnel and Training, Information Technology, Revenue, Commerce, Shipping, Expenditure, Tribal Co-operative Marketing Development Federation of India Limited (TRIFED), all in New Delhi.

18.2 Further, the National Archives of India continued to tender advisory services on Records Management to offices in the Southern, Eastern, and Western Zones of the Country also. Advice was tendered to the following organizations:- Small scale Industry, Office of the AG(A) (Ministry of Finance) Indian Railway Finance Corporation Ltd, North Delhi Power Limited all in New Delhi. National Hydro Power Corporation Faridabad, Becco Lawrie; Kolkata, Petroleum Corporation, Chennai, Rail Coach Factory; Kapurthala, Satluj Company, Shimla,

18.3 The Records Centre at Pondicherry, advised the EID Parry (India) Ltd., Chennai on preservation and records management and the office of the Director of Archives, Jesuit, Madurai Province Archives, Kodaikanal, Tamil Nadu was advised regarding the necessary basic amenities to the considered for an archival building in connection with the consultation of their new archival building. Similarly advice was also tendered to the Central Silk Board, Bhubaneswar and Government of India Stationery Office by the National Archives of India, Records Centre (Eastern Zone) Bhubaneswar. The Records Centre at Jaipur (Western Zone) tendered advice to the office of the Salt Commissioner for improvement of their Departmental Records Room.

18.4. Technical Information/ Guidance on the various Reprographic services were given to the following Departments:

- i. श्री जतिन्दर, पुलिस अधीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के मुख्यालय, नई दिल्ली।
- ii. सरकारी अफीम एवं क्षारोद कार्यालय, राजस्व, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार गाजीपुर, उत्तर प्रदेश।
- iii. उप निदेशक (अभिलेख), अंडमान एवं निकोबार प्रशासन सचिवालय, पोर्टब्लेयर।
- iv. श्री के. बी. जोशी अनुसंधान अधिकारी, महानिदेशक जेल कार्यालय, उत्तर प्रदेश।
- v. श्री अशोक कपूर, मुख्य अभिलेखाकार, एवं श्री आर. एल. साहू, भारतीय रिजर्व बैंक अभिलेखाकार, केन्द्रीय अभिलेख एवं अभिलेखन केंद्र, पुणे।
- vi. श्री एस. रायमान, निदेशक, केरल राज्य अभिलेखागार विभाग, तिरुवनंतपुरम, केरल।
- vii. अधीक्षक, उड़ीसा राज्य अभिलेखागार, भुवनेश्वर, उड़ीसा।
- viii. निदेशक, कर्नाटक राज्य अभिलेखागार, विधान सौध, बंगलोर, कर्नाटक।
- ix. तिरु अरुन रामनाथन, आई.ए.एस., विशिष्ट आयुक्त अभिलेखागार एवं ऐतिहासिक अनुसंधान, तामिलनाडु अभिलेखागार, एगमोर, चैन्नई, तामिलनाडु।
- x. अंतरराष्ट्रीय फोटोग्राफिक संघ, कोलकाता।

उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्य भी किए गए:-

- i. एल. एन. जे. एन. राष्ट्रीय अपराध विज्ञान एवं न्यायालयी विज्ञान, गृह मंत्रालय, दिल्ली के प्रशिक्षणार्थियों को श्री पी. एस. एम. मोईदीन, सहायक निदेशक, अभिलेखागार, श्री ए. के. डे, श्री बी. सी. मजुमदार, श्री एन. एस. मणि और श्री जगमोहन सिंह सभी माइक्रोफोटोग्राफीस्टों के द्वारा विभिन्न रेप्रोग्राफी सेवाओं पर व्याख्यान दिए गए।
- ii. श्री बी. सी. मजुमदार, माइक्रोफोटोग्राफिस्ट ने 16-18 जून 2004 तक तीन दिन के लिए वृंदावन अनुसंधान संस्थान, वृंदावन, उत्तर प्रदेश का दौरा किया और पांडुलिपि संरक्षण पर एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा के प्रशिक्षणार्थियों को रेप्रोग्राफी तकनीक और व्यवहार तथा अभिलेख प्रबंधन में रेप्रोग्राफी के प्रयोग पर व्याख्यान दिया।
- iii. श्री जगमोहन सिंह, माइक्रोफोटोग्राफिस्ट ने राष्ट्रीय निगम अभिलेखागार, पुणे में 5 सितंबर, 2004 को परामर्शी समिति की बैठक में हिस्सा लिया।
- iv. श्री पी. एस. एम. मोईदीन सहायक निदेशक, अभिलेखागार एवं श्री ए. के. डे, माइक्रोफोटोग्राफिस्ट ने 25 मार्च, 2004 को भारतीय मानक ब्यूरो, बहादुर शाह जाफर मार्ग, नई दिल्ली में अभिलेखन एवं सूचना अनुभाग समिति एम एस डी-5 की बैठक में हिस्सा लिया।
- v. श्री पी. एस. एम. मोईदीन, सहायक निदेशक, अभिलेखागार ने 16 सितंबर 2004 को भारतीय मानक ब्यूरो, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली में प्रबंधन एवं प्रणाली प्रमाण परिषद (एम एस डी)की बैठक में हिस्सा लिया।

- i. Shri Jatinder, Superintendent of Police, Central Bureau of Investigation Headquarters, New Delhi.
- ii. Government Opium and Alkaloid Works, Department of Revenue, Ministry of Finance, Government of India, Ghazipur, U.P.
- iii. Deputy Director (Records), Andaman and Nicobar Administration Secretariat, Port Blair.
- iv. Sh. K.B. Joshi, Research Officer, Office of the Director General of Prison, U.P.
- v. Sh. Ashok Kapoor, Chief Archivist, and Shri R.L. Sahoo, Archivist of the Reserve Bank of India, Central Records and Documentation Centre, Pune.
- vi. Shri S. Raimon, Director, Kerala State Archives Department, Thiruvananthapuram, Kerala.
- vii. The Superintendent, Orissa State Archives, Bhubaneswar, Orissa.
- viii. The Director, Karnataka State Archives, Vidhan Soudha, Bangalore, Karnataka.
- ix. Thiru Arun Ramanathan, IAS, Special Commissioner of Archives and Historical Research, Tamil Nadu Archives, Egmore, Chennai, Tamil Nadu.
- x. International Photographic Association, Kolkata.

In addition to above the following jobs were also undertaken:-

- i. Lectures on various Reprographic Services were given to the trainees of the L.N.J.N. National Institute of Criminology and Forensic Science, Ministry of Home Affairs, Delhi by Shri P.S.M. Moideen, Assistant Director of Archives, Shri A.K. Dey, Shri B.C. Majumdar, Shri N.S. Mani, and Shri Jagmohan Singh, all Microphotographist.
- ii. Shri B.C. Majumdar, Microphotographist visited the Vrindavan Research Institute, Vrindavan, U.P. for three days from 16-18 June 2004 to deliver Lectures on Reprographic techniques and practices and use of Reprography in Record Management to the trainees of one year P.G. Diploma Course in Manuscripts conservation.
- iii. Shri Jagmohan Singh, Microphotographist attended the Advisory Committee meeting of the National Film Archive of India, Pune on 5 September 2004.
- iv. Shri P.S.M. Moideen, Assistant Director of Archives and Shri A.K. Dey, Microphotographist have attended a meeting of Documentation and Information Section Committee, MSD-5 held on 25 March 2004 at Bureau of Indian Standard, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi.
- v. Shri P.S.M. Moideen, Assistant Director of Archives attended a meeting of Management and System Division Council (MSD) held on 16 September 2004 at Bureau of Indian Standards, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi.

विभिन्न संस्थानों/ संगठनों को संरक्षण के बहुत से पहलुओं पर दी गई तकनीकी सूचना को निम्नानुसार सूचीबद्ध किया जा सकता है: निदेशक, लेडी इर्विन कॉलेज, नई दिल्ली, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी, भारत के महापंजीयक का कार्यालय (सामाजिक अध्ययन प्रमाण), निदेशक संरक्षण, राष्ट्रीय संग्रहालय, सहायक पंजीयक, दिल्ली उच्च न्यायालय, मुख्य आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर, दिल्ली क्षेत्र, प्रशासनिक अधिकारी मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, मिशन निदेशक, राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केंद्र, शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन राज्य मंत्रालय, सभी नई दिल्ली में, निदेशक उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार, लखनऊ, निदेशक, भूमि अभिलेख एवं नमक सीमेंट कार्यालय, श्री नगर काश्मीर, मुख्य इंजीनियर (पी एल) मध्य रेलवे, मुंबई महाप्रबंधक, सरकारी अफीम एवं क्षारोद कार्यशाला वित्त मंत्रालय, गाजीपुर उत्तर प्रदेश मुख्य वास्तुकार, लोक निर्माण विभाग, पणजी गोवा, निदेशक राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर, राजस्थान, विशिष्ट कार्य अधिकारी, रामपुर रजा पुस्तकालय, रामपुर एवं श्री सुनील जोशी को ऑन लाइन सूचना।

उपरोक्त के अलावा, 23 से 27 फरवरी 2004 तक पांडुलिपि संरक्षण पर पार्श्वनाथ विद्यापीठ, वाराणसी को संरक्षण के विभिन्न पहलुओं पर व्याख्यान दिए गए। राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता में पुस्तकालय सामग्री के संरक्षण पर कार्यशाला की गई। वैज्ञानिक अधिकारी (सी आर एल) ने चीन में अभिलेखागार संस्थानों द्वारा अपनाई जा रही नवीनतम तकनीकों को सीखने और प्राप्त करने के लिए चीन की भी यात्रा की। इसके अलावा, सहायक निदेशक एवं आर एम प्रमाण के सदस्यों द्वारा विभागीय अभिलेख अधिकारियों और अभिलेखीय अध्ययन स्कूल के उम्मीदवारों को व्याख्यान दिए गए।

निम्नलिखित संगठनों को संरक्षण के विभिन्न पहलुओं पर तकनीकी सूचना दी गई: विदेश मंत्रालय, प्रशासनिक सुधार एवं वैयक्तिक शिकायत विभाग, केंद्रीय न्यायालयी विज्ञान प्रयोगशालाएं सभी नई दिल्ली में; अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, इलाहाबाद, राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता एवं पार्श्वनाथ विद्यापीठ, वाराणसी।

The Technical information supplied to various institutions/ organizations on several aspects of conservations can be enumerated as follows: Director, Lady Irwin College, New Delhi; Senior Research Officer, Officer of the Registrar General of India (Social Studies Division), Director Conservation, National Museum, Assistant Registrar, High Court of Delhi, Chief Commissioner, Central Excise and Service Tax, Delhi Zone; Administrative Officer, Morarji Desai National Institute of Yoga, Mission Director, National Mission for Manuscripts, Indira Gandhi National Centre for the Arts, Ministry of State for Urban Development & Poverty Alleviation, all in New Delhi; Director, U.P. State Archives, Lucknow; Director, Land Records and Salt Cement Office, Srinagar, Kashmir; Chief Engineer (PL) Central Railway, Mumbai; General Manager, Government Opium and Alkaloids Works Ministry of Finance, Ghazipur U.P. Chief Architect, Public Works Department, Panaji Goa; Director, Rajasthan Prachya Vidya Pratisthan, Jodhpur, Rajasthan; Officer on Special Duty, Rampur Raza Library, Rampur and on line information to Shri Suneel Joshi.

In addition to the above Lectures on various aspects of conservation were delivered to the Parshwanath Vidyapeeth, Varanasi on Conservation of Manuscripts, from 23 to 27 Feb 2004. Workshop on 'Conservation of Library Materials' at the National Library, Kolkata. The Scientific Officer (CRL) also visited China to observe and acquire the latest technologies being adopted by Archival Institutions there. Besides, these Lectures were delivered to the Departmental Records Officers and the candidates of the School of Archival Studies by the Assistant Director and member of R.M. Division.

Technical Information on various aspects of Conservation was supplied to the following organizations: Ministry of External Affairs, Deptt of Administrative Reforms and Personal Grievances, Central Forensic Science Laboratories all in New Delhi, Aligarh Muslim University, Aligarh, Rashtriya Sanskrit Sansthan, Allahabad, National Library, Kolkata, and Parshwanath Vidyapeeth, Varanasi.

अध्याय 19

प्रशिक्षण

राष्ट्रीय अभिलेखागार के अभिलेखीय अध्ययन पीठ द्वारा पेशे से जुड़े अभिलेखा अधिकारियों और अभिलेख प्रबंधकों तथा अर्ध-व्यवसायियों के लिए अभिलेख प्रबंधन, अभिलेख प्रशासन, परिरक्षण और रिप्रोग्राफी पर कई पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इनमें अभिलेखीय अध्ययन का एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम और प्रबंधन, अभिलेख प्रशासन, पुस्तकों, पांडुलिपियों और अभिलेखों के परिरक्षण एवं परिचर्या तथा रखरखाव पर लघु अवधि के प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम शामिल है। मंत्रालय/ विभाग/ कार्यालय/ सार्वजनिक उपक्रम अपने स्टाफ के सदस्यों को प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्ति पर भेजकर इन पाठ्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की भावना को ध्यान में रखते हुए तथा अभिलेख प्रबंधन की गतिविधियों को सुदृढ़ बनाने के लिए विभागीय अभिलेख अधिकारियों के लिए विशेष रूप से अभिलेख प्रबंधन के पांच/तीन दिवसीय अभिविन्यास पाठ्यक्रम चलाए जा रहें हैं।

19.1 शैक्षिक वर्ष 2004-05 में अभिलेखीय अध्ययन का एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम, नवंबर 2004 को 12 विद्यार्थियों के बैच के साथ आरंभ हुआ, इनमें से दो प्रायोजित विद्यार्थी थे, एक भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक कार्यालय, नई दिल्ली से और दूसरे उच्च शिक्षा निदेशालय, त्रिपुरा से थे और शेष सभी निजी विद्यार्थी थे।

19.2 अभिलेखीय अध्ययन पीठ ने पुस्तक, पांडुलिपि एवं अभिलेख उपचर्चा एवं परिरक्षण' पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के दो सत्र आयोजित किए, जिनमें 16 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। इनमें से 5 राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता, दिल्ली अभिलेखागार विभाग, राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी, मिजोरम राज्य अभिलेखागार, श्रीमंत शंकरदेव कलाक्षेत्र सोसायटी, गुवाहाटी, असम द्वारा प्रायोजित थे और शेष सभी निजी अभ्यर्थी थे।

19.3 अभिलेख प्रबंधन प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के दो सत्रों का आयोजन किया गया, जिनमें 25 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। इनमें 3 प्रायोजित थे, 2 तट रक्षक, नई दिल्ली से एवं 1 संस्कृति एवं पुरातत्व निदेशालय छत्तीसगढ़ से एवं शेष सभी निजी अभ्यर्थी थे।

19.4 अभिलेखीय अध्ययन पीठ ने 'अभिलेखागार प्रबंधन' में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम के एक सत्र का भी आयोजन किया जिसमें 14 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया, जिनमें 4 राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, नई दिल्ली, अभिलेखागार निदेशालय, नालंदा, केरल और त्रिपुरा टाइम्स के संपादक, अगरतला, त्रिपुरा द्वारा प्रायोजित थे। शेष निजी अभ्यर्थी थे।

19.5 रिप्रोग्राफी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के दो सत्र आयोजित किए गए, जिसमें 19 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। 16 उम्मीदवार रक्षा मंत्रालय, सेना भवन, नई दिल्ली से 3 जवाहर नवोदय विद्यालय, (शिक्षा विभाग) गुना से, 4 परामर्शी इंजीनियर्स सेवा, लखनऊ से 2 आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय, नई दिल्ली से प्रायोजित थे और शेष निजी अभ्यर्थी थे।

19.6 अभिलेखीय अध्ययन पीठ द्वारा आयोजित 'अभिलेख परिचर्चा और रख रखाव' प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के दो सत्र आयोजित किए गए जिसमें 31 अभ्यर्थियों ने भाग लिया, इनमें से 11 प्रायोजित अभ्यर्थी थे। 2 अभ्यर्थी महानिदेशक, राष्ट्रीय अभिलेखागार, मलेशिया, 6 इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केंद्र, नई दिल्ली, गैस बिजली केंद्र (एन.टी.पी.सी.),

TRAINING

The School of Archival Studies of India conducts several courses relating to Records Management, Archives Administration, Conservation and Reprography to meet the needs of professional Archivists, Records Managers and sub professionals. These comprise the one year Diploma Course in Archival Studies, Short Term Certificate Courses in Records Management, Archives Administration, Conservation of Books Manuscripts and Archives, Reprography and Servicing and Repair of Records. Ministries/ Departments/ Offices/ Public Sector Undertakings can avail of this facility by deputing their staff to undergo training in such courses. To strengthen the records management activities in accordance with the Public Records Act 1993, Five/ Three days Orientation Courses on Records Management are being conducted exclusively for the Departmental Records Officers.

19.1 One year Diploma Course in Archival Studies for the academic year 2004-05 commenced on 1 November 2004 with a batch of 12 candidates, out of them 2 were sponsored candidates, one from the Office of the Comptroller and Auditor General of India, New Delhi and other from the Directorate of Higher Education, Tripura and the rest were private candidates.

19.2 The School of Archival Studies also conducted two sessions of the Certificate Course on 'Care and Conservation of Books, Manuscript and Archives' which was attended by 16 candidates. Out of them 5 were sponsored by National Library Kolkata, Department of Delhi Archives, National Academy of Administration, Mussoorie; Mizoram State Archives, Srimanta Sankardeva Kalashetra Society, Guwahati, Assam and the rest were private candidates.

19.3 Two sessions of the 'Certificate Course on Records Management' were conducted which were attended by 25 candidates, 3 were sponsored, 2 were from Coastal Guard, New Delhi, and 1 from the Directorate of Culture and Archaeology, Chhattisgarh. The rest were private candidates.

19.4 The School of Archival Studies also conducted a 'Certificate Course on Archives Administration' which was attended by 14 candidates, 4 were sponsored by National Security Guard, New Delhi; Directorate of Archives, Nalanda; Kerala and Editor of the Tripura Times, Agartala; Tripura. The rest were private candidates.

19.5 Two sessions of the 'Certificate Course on Reprography' were conducted, which were attended by 19 candidates. 6 were sponsored by the Ministry of Defence, Sena Bhawan, New Delhi, 3 from Jawahar Navodaya Vidyalaya, (Department of Education), Guna; 4 from the Consulting Engineering Services, Lucknow; 2 from the Directorate General of Supplies and Disposals, New Delhi and the rest were private candidate.

19.6 Two sessions of the Certificate Course 'Servicing and Repair of Records' conducted by the School of Archival Studies were attended by 31 candidates, out of 11 candidates sponsored. 2 candidates by the Director General, National Archives of Malaysia, 6 were from Indira Gandhi National Centre

फरीदाबाद, भाषा एवं संस्कृति विभाग, शिमला, और अभिलेखागार निदेशालय, पुरातत्व एवं संग्रहालय, श्रीनगर से एक-एक अभ्यर्थी प्रायोजित थे और शेष निजी अभ्यर्थी थे।

19.7 अभिलेखीय अध्ययन पीठ की प्रशिक्षण गतिविधियों के अलावा राष्ट्रीय अभिलेखागार ने रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान नामांकित विभागीय अभिलेख अधिकारियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण देना भी जारी रखा। इस अवधि में अभिलेखीय प्रबंधन में पांच पांच दिन की अवधि के 7 अभिविन्सास पाठ्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 102 विभागीय अभिलेख अधिकारियों ने भाग लिया। वर्ष 2004 के दौरान अभिविन्सास पाठ्यक्रम में हिस्सा लेने वाले विभागीय अभिलेख अधिकारियों की सूची अनुलग्नक-4 में देखी जा सकती है।

19.8 निम्नलिखित 41 मंत्रालयों/ विभागों/कार्यालयों ने राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में अपने अधिकारियों को भेजने के लिए अपनी स्वीकृति दर्शाई। ये हैं:— रक्षा मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार, रेलवे (रेलवे बोर्ड), जहाजरानी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग एवं वाणिज्य, मौसम विज्ञान, योजना आयोग, महानिदेशालय केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल एवं आपूर्ति और निपटान, आपूर्ति भाग (वाणिज्य विभाग), नागर विमानन महानिदेशक कार्यालय नियंत्रक रक्षा लेखा कार्यालय, नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो, सभी नई दिल्ली में, सरकारी चिकित्सा सामग्री भंडार डिपो, चैन्नई जूट आयुक्त कार्यालय, राष्ट्रीय एटलस एवं थीमेटिक मानचित्रण संगठन एवं केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय, सभी कोलकाता में; विक्लांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, महाप्रबंधक (मध्य रेलवे), कार्यालय एवं क्षेत्रीय मूल्यांकन, कार्यालय सभी मुंबई में; दक्षिण क्षेत्र कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, अनंतपुर, अंतरिक्ष विभाग और केंद्रीय मास्टरकी तटीय इंजीनियरी संस्थान दोनों बंगलोर में, क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (सी) कार्यालय, चंडीगढ़, भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून, सहायक कल्याण आयुक्त कार्यालय, पणजी-गोवा, अनुसूचित जाति/जनजाति शिक्षण सह मार्गदर्शन, गुवाहाटी, राष्ट्रीय जैव कृषि केंद्र एवं केंद्रीय मौसम मानक नियंत्रण संगठन, दोनों; गजियाबाद में क्षेत्रीय प्रशिक्षु प्रशिक्षण निदेशालय और क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय दोनों हैदराबाद में, संयुक्त निदेशक, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना कार्यालय एवं क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय दोनों जयपुर में, फोरमेन प्रशिक्षण संस्थान, जमशेदपुर, मुख्य इंजीनियर एवं प्रशासक कार्यालय, अंडमान लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स, पोर्ट ब्लेयर, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर, लाइटहाऊस एंड लाइटशिप्स महानिदेशालय, नोएडा, एवं राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, पुणे केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क, रायपुर।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान 53 कार्यालयों ने विभागीय अभिलेख अधिकारियों को नामांकित किया है। अब तक 797 संगठनों ने अपने संबद्ध संगठनों में विभागीय अभिलेख अधिकारी नियुक्त किए हैं।

19.9 जिन सार्वजनिक उपक्रमों/ सांविधिक निकायों से 44 प्रत्युत्तर प्राप्त हुए हैं। उनमें से 17 संगठनों ने सूचित किया है। कि उनके पास पूर्णकालिक अभिलेख अधिकारी हैं। ये हैं:— परियोजना उपकरण निगम (पीईसी) लिमिटेड, भारतीय खाद्य निगम, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, राष्ट्रीय प्रतिरक्षण विज्ञान संस्थान, भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नियोजन बोर्ड, सभी नई दिल्ली में, बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड एवं हिंदुस्तान पेपर निगम लिमिटेड, दोनों कोलकाता में, भारतीय कपास निगम लिमिटेड, जनरल इंड्योरेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया और इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड, सभी मुंबई में, हिंदुस्तान जैव उर्वरक लिमिटेड, रसायनी (रायगढ़), राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे, केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर,

for Arts, New Delhi; 1 each from Gas Power Station (NTPC) Faridabad; Language and Culture Department, Shimla; and the Directorate of Archives, Archaeology and Museum, Srinagar and the rest were private candidates.

19.7 Apart, from the training activities of the School of Archival Studies, the National Archives of India continued to impart practical training to the designated Departmental Records Officers during the period under report. 7 Five day Orientation Courses in Records Management were conducted where 102 Departmental Records Officers participated. A list of the Departmental Records Officers who attended these Courses during 2004 may be seen at **Annexure-IV**.

19.8 The following 41 Ministries/ Departments/ Offices have shown their willingness to depute their officers for various Training Courses Conducted by the National Archives of India, These are:- Ministries of Defence, Labour and Employment, Railways (Railway Board), Shipping, Road Transport and Highways, Departments of Chemicals and Petrochemicals and Commerce, Meteorology, Planning Commission, Directorates of Central Reserve Police Force and Supplies and Disposals, Supply Division (Department of Commerce), Office of the Director General of Civil Aviation, Office of the Controller General of Defence Accounts, Narcotics Control Bureau all in New Delhi; Government Medical Store Depot, Chennai; Office of the Jute Commissioner, National Atlas Thematic and Mapping Organisation and Central Reference Library, all in Kolkata; Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped, Central Board Film Certification, General Manager's Office (Central Railway) and Regional Evaluation Office all in Mumbai; Southern Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Anantapur; Department of Space and Central Institute of Coastal Engineering for Fishery both in Bangalore; Office of the Regional Labour Commissioner (C), Chandigarh; Forest Survey of India, Dehradun; Office of the Assistant Welfare Commissioner, Panaji - Goa; Coaching Cum- Guidance Centre for SC/ ST, Guwahati; National Centre for Organic Farming and Central Drugs Standard Control Organisation both in Ghaziabad; Regional Directorate of Apprenticeship Training and Regional Evaluation Office both in Hyderabad; Office of The Joint Director, Central Government Health Scheme and Regional Evaluation Office both in Jaipur; Foremen Training Institute, Jamshedpur; Office of the Chief Engineer and Administrator, Andaman Lakshadweep Harbour Works, Port Blair, Indian Bureau of Mines, Nagpur; Directorate General of Lighthouses and Lightships, Noida; and National Film Archive of India, Pune; Central Excise and Customs, Raipur.

53 Offices have nominated Departmental Records Officer during the period under report so far 797 Organisations have appointed Departmental Records Officer in their respective organizations.

19.9 Out of 44 replies received from Public Sector Undertakings/ Statutory Bodies etc. 17 Organisations have intimated that they have full time trained Records Officers. These are:- Project Equipment Corporation (PEC) Limited, Food Corporation of India, IRCON International Limited, National Institute of Immunology, Tribal Co-operative Marketing Development Federation of India Limited and National Capital Region Planning Board, all in New Delhi; Bengal Chemicals and Pharmaceutical Limited and Hindustan Paper Corporation Limited, both in Kolkata; Cotton Corporation of India Limited, General Insurance Corporation of India and Indian Rare Earths Limited, all in Mumbai; Hindustan Organic Chemicals Limited, Rasayani (Raigad); Indian Institute of Tropical Meteorology,

अंतरराष्ट्रीय पाऊडर मेटेलर्जी एंड न्यू मेटीरियल आधुनिक अनुसंधान केंद्र, हैदराबाद, राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, भुवनेश्वर और ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी।

19.10 चैन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन, चैन्नई ने सूचित किया है कि वे अपने अधिकारियों को प्रशिक्षण पर भेजने के लिए इस विभाग से संपर्क करेंगे।

19.11 मारमागॉव पोर्ट ट्रस्ट, गोवा और नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, गोलाघाट (असम) ने सूचित किया है कि वे जल्द ही अपने अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए भेजेंगे।

19.12 17 सार्वजनिक उपक्रमों/ सांविधिक निकायों इत्यादि ने 'शून्य' उत्तर भेजा है। ये हैं:— हिंदुस्तान इंस्विटसाइड्स लिमिटेड, नई दिल्ली, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड एवं हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, दोनों कोलकाता में; हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, माजगाँव डॉक लिमिटेड, मुंबई रेलवे विकास निगम लिमिटेड एवं भारतीय जहाजरानी निगम लिमिटेड, सभी मुंबई में; नैशलल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नोएडा (उत्तर प्रदेश), नैशनल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, ट्रावनकोर, कोच्चि, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, राय बरेली, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद, जनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड और विशाखापट्टनम डॉक श्रमिक बोर्ड, सभी विशाखापट्टनम में, नागालैंड पल्प और पेपर कंपनी लिमिटेड, जोरहाट (असम) और तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट, तूतीकोरिन।

19.3 सोसायटी फॉर एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरी एंड रिसर्च, मुंबई ने सूचित किया है कि ये उन पर लागू नहीं होता।

19.14 इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली ने सूचित किया कि वे लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 के तहत अभिलेख सर्जक अभिकरण की परिभाषा में शामिल नहीं हैं।

19.15 भारतीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड, नई दिल्ली, चैन्नई पोर्ट ट्रस्ट, चैन्नई, कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त, धनबाद एच.एम.टी. लिमिटेड, बेगलोर और मेकॉन लिमिटेड, राँची ने अस्पष्ट उत्तर भेजे हैं।

Pune; Central Board for Workers Education, Nagpur; International Advanced Research Centre for Powder Metallurgy and New Materials, Hyderabad; National Aluminium Company Limited, Bhubaneswar and Brahmaputra Board, Guwahati.

19.10 Chennai Petroleum Corporation, Chennai has informed that they will approach to this Department for deputing their officers for training.

19.11 Marmagao Port Trust Goa and Numaligarh Refinery Limited, Golaghat (Assam) have informed that they will depute their officers for training soon.

19.12 17 Public Sector Undertakings/ Statutory Bodies etc. have sent 'NIL' reply. These are:- Hindustan Insecticides Limited, New Delhi; Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited and Hindustan Copper Limited, both in Kolkata; Hindustan Petroleum Corporation Limited, Mazagon Dock Limited, Mumbai Railway Vikas Corporation Limited and Shipping Corporation of India Limited, all in Mumbai; National Fertilizers Limited, Noida (U.P.); National Fertilizers and Chemicals, Travancore, Kochi; Indira Gandhi Rashtriya Uran Akademi, Rae Bareilly; Bharat Dynamics Limited, Hyderabad; Mineral Exploration Corporation Limited, Nagpur; Dredging Corporation of India Limited, Hindustan Shipyard Limited and Visakhapatnam Dock Labour Board, all in Visakhapatnam; Nagaland Pulp and Paper Company Limited, Jorhat (Assam) and Tuticorin Port Trust, Tuticorin.

19.13 Society for Applied Microwave Electronics Engineering and Research, Mumbai has informed that it is not applicable to them.

19.14 Engineers India Limited, New Delhi has informed that they are not covered in the definition of a records creating agency under the Public Records Act, 1993.

19.15 Handicrafts and Handlooms Export Corporation of India Limited, New Delhi; Chennai Port Trust, Chennai; Coal Mines Provident Fund Commissioner, Dhanbad; H.M.T. Limited, Bangalore and MECON Limited, Ranchi have forwarded vague reply.

अभिलेखीय जागरूकता

अभिलेख आम मानव समाज का अनिवार्य अंग होते हैं और अभिलेखों के बिना प्रशासन नहीं हो सकता। आम आदमी को अभिलेखों की महत्ता के प्रति जागरूक बनाने के लिए, महानिदेशक अभिलेखागार, लोक अभिलेख अधिनियम, की धारा 3 (2) (घ) के अनुसार प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए और जनता के बीच अभिलेखीय जागरूकता बनाने के लिए प्राधिकृत है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान, राष्ट्रीय अभिलेखागार ने निम्नलिखित प्रदर्शनी आयोजित की और निम्न विवरण के अनुसार अन्य क्रिया कलाप भी किए।

20.1 दिनांक 17 जनवरी, 2004 को बिड़ला मंदिर, नई दिल्ली के निकट जे. पी. स्मारक पुस्तकालय की आधारशिला रखने के अवसर पर 'लोकनायक जयप्रकाश नारायण' पर आधारित प्रदर्शनी लगाई गई। नींव का पत्थर भारत के माननीय उप राष्ट्रपति श्री भैरों सिंह शेखावत ने पूर्व प्रधान मंत्री श्री चन्द्रशेखर, श्री जगमोहन, माननीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री, श्री बडारू दत्तात्रेय, माननीय कार्य एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री, श्रीमती भावना बेन चिकालिया, राज्य मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति और श्री धीरेंद्र कुमार, सचिव, संस्कृति विभाग, भारत सरकार की उपस्थिति में रखा।

20.2 दिनांक 18 अगस्त 2004 को 'अमर शहीद' शीर्षक से एक प्रदर्शनी का उद्घाटन श्रीमती नीना रंजन, भारतीय प्रशा. सेवा, सचिव, संस्कृति मंत्रालय ने की। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री एल. पी साही एवं अन्य विशिष्ट अतिथि भी उपस्थित थे। समाज के विभिन्न वर्गों के दर्शकों ने प्रदर्शनी देखी और यह आम जनता के लिए 17 सितंबर, 2004 तक खुली रही।

20.3 इसके अलावा, 'अमर शहीद' प्रदर्शनी के संघटित रूप को इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद (1-5 नवंबर 2004) में और उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार, लखनऊ में (14-21 दिसंबर) भी प्रदर्शित किया गया।

20.4 दिनांक 9-10 अप्रैल 2004 को अभिलेख केंद्र (पूर्वी क्षेत्र) भुवनेश्वर ने रवेनशा कॉलेज, कटक में जयप्रकाश नारायण -क्रांतिकारी और लोकनायक' शीर्षक से प्रदर्शनी आयोजित की।

20.5 श्री एच. डी. सिंह महानिदेशक अभिलेखागार ने निम्न बैठकों में हिस्सा लिया:

- i. 1 जनवरी 2004 को आयोजित सचिव (संस्कृति), संस्कृति विभाग की साप्ताहिक बैठक।
- ii. दिनांक 19 जनवरी, 2004 को नई दिल्ली में परिषद के समिति कक्ष में आयोजित की गई आई. सी.एच.आर. की प्रशासनिक समिति की 45वीं बैठक।
- iii. 17 जनवरी 2004 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान के प्रबंधन बोर्ड की उप समिति की बैठक।

20.6 डा. शीतला प्रसाद, उप निदेशक, अभिलेखागार ने दिनांक 15 जनवरी 2004 को मानवीय शिक्षा मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की अध्यक्षता में आयोजित सांस्कृतिक अनुसंधान एवं प्रबंधन संस्थान की बैठक में हिस्सा लिया।

20.7 डॉ. शीतला प्रसाद, महानिदेशक अभिलेखागार ने निम्न बैठकों में हिस्सा लिया:

ARCHIVAL AWARENESS

Records are a vital part of any human society in general and there can be no administration without records. To make the common men aware of the importance of records the Director General of Archives is authorized to hold exhibitions as per the Public Records Act, Section 3 (2) (d) to create an archival awareness among the masses. During the period under report, National Archives of India mounted the following exhibitions and also under took other activities as detailed below.

20.1 A display based on the exhibition on 'Loknayak Jayaprakash Narayan' was arranged on the occasion of the foundation laying ceremony of J.P. Memorial Library near Birla Mandir, New Delhi on 17th January 2004. The foundation stone was laid by Shri Bhairon Singh Shekhawat, Hon'ble Vice President of India in the presence of Shri Chandra Shekhar, former Prime Minister, Shri Jagmohan, Hon'ble Minister of Tourism and Culture, Shri Bandaru Dattatreya, Hon'ble Minister of Works and Poverty Alleviation, Smt. Bhavana Ben Chikaliya, Minister of State for Tourism and Culture and Shri Dhanendra Kumar, Secretary, Department of Culture, Government of India.

20.2 An exhibition entitled 'Immortal Martyrs' was inaugurated by Smt. Neena Ranjan, IAS, Secretary, Ministry of Culture on 18 August 2004. Shri L.P. Sahi, Former Union Minister and other distinguished guests were also present on the occasion. The exhibition has been viewed by the visitors from various walks of the society and it remained open for public till 17 September 2004.

20.3 Besides, the condensed form of the exhibition 'Immortal Martyrs' was also displayed in the University of Allahabad, Allahabad (1-5 November 2004) and in Uttar Pradesh State Archives, Lucknow (14-21 December 2004).

20.4 The Records Centre (Eastern Zone) Bhubaneswar displayed an Exhibition entitled 'Jayaprakash Narayan—Revolutionary and Loknayak' at the Ravenshaw College, Cuttack on the 9-10 April 2004.

20.5 Sh. H.D. Singh, Director General of Archives, attended the following meetings:

- i. Weekly Meeting of the Secretary (C), Department of Culture held on 1 January 2004.
- ii. 45th Meeting of the Administrative Committee of I.C.H.R. held on 19 January 2004 in New Delhi in the Committee room of the Council.
- iii. Meeting of Sub-Committee of the Board of Management of the National Museum Institute held in New Delhi on 17 Jan. 2004.

20.6 Dr. Shitla Prasad, Deputy Director of Archives attended the Meeting of Heritage Research and Management Institute held on 15 January 2004 under the Chairmanship of the Hon'ble Minister of the Education, Government of N.C.T., Delhi.

20.7 The following meetings were attended by Dr. Shitla Prasad, Director General of Archives:-

- i. दिनांक 24 फरवरी 2004 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में डिजिटल पुस्तकालय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन समारोह।
- ii. दिनांक 26 फरवरी 2004 को टीईआरआई पुस्तकालय, नई दिल्ली में आयोजित भारत के प्रमुख संग्रहालयों और अभिलेखागारों के अध्यक्षों की बैठक में डॉ. चिंग चिन चेन, ग्रेजुएट स्कूल ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फोमेशन साइंस, यूएसए के साथ हिस्सा लिया।
- iii. 12 मार्च 2004 को नई दिल्ली में भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद की प्रशासनिक समिति की बैठक।
- iv. दिनांक 17 मार्च 2004 को नई दिल्ली में आयोजित भारतीय आधुनिक अध्ययन संस्थान, शिमला की 31वीं वार्षिक आम बैठक।
- v. दिनांक 25 मार्च 2004 को आयोजित भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद की 49वीं बैठक और 27 मार्च 2004 को नई दिल्ली में परिषद का स्थापना दिवस समारोह।
- vi. दिनांक 30 मार्च 2004 को फ्रांस दूतावास, नई दिल्ली में बर्थ एंड डीक्लाइन ऑफ ए कस्बा: चन्देरी X से XIII सेंचुरीज नामक पुस्तक जारी होने पर स्वागत समारोह।
- vii. वियतनाम से आए उच्च स्तरीय पर्यटन प्रतिनिधिमंडल के दौरे के दौरान व दिनांक 5 अप्रैल 2004 को नई दिल्ली में वियतनाम दूतावास के साथ संयुक्त रूप से आयोजित संपर्क बैठक।
- viii. दिनांक 20 अप्रैल 2004 को पूणे में आयोजित राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार की सलाहकार समिति की बैठक।
- ix. 24 अप्रैल 2004 को नई दिल्ली में आयोजित भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद की समीक्षा समिति की बैठक।
- x. 28 अप्रैल 2004 को राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान के प्रबंधन मंडल की बैठक।
- xi. 7 जून 2004 को इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केंद्र, नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के विद्वानों की समिति की प्रथम बैठक।
- xii. जुलाई 2004 को केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय में आयोजित संयुक्त सचिव, व संस्कृति मंत्रालय की अध्यक्षता में ब्रिटिश लाइब्रेरी, लंदन में उपलब्ध सरकारी प्रकाशनों की माइक्रो फिल्मों के ऋण के संबंध में हुई बैठक।
- xiii. 23 अगस्त 2004 को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में आयोजित समकालीन इतिहास पर अभिलेखागार सलाहकार समिति की बैठक।
- xiv. 31 अगस्त 2004 को केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय तथा 25 नवंबर 2004 को राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली में आयोजित क्षेत्रीय एवं स्थानीय संग्रहालयों के सुदृढीकरण एवं उन्नयन हेतु विशेषज्ञ समिति की बैठक।
- xv. 7 दिसंबर 2004 को संयुक्त सचिव (संस्कृति) के कक्ष में आयोजित राष्ट्रीय अभिलेखागार की पाक्षिक बैठक।
- xvi. 9 दिसंबर 2004 को निदेशक, बिहार राज्य अभिलेखागार, बिहार सरकार के एक विशेषज्ञ के रूप में साक्षात्कार।

- i. Inaugural function of the International Conference on Digital Libraries held on 24 February 2004 at Vigyan Bhawan, New Delhi.
- ii. Meeting of the Heads of the leading Museums and Archives in India with Dr. Ching-Chih Chen, Graduate School of Library and Information Science, USA on 26 February 2004 at TERI Library, New Delhi..
- i. Administrative Committee Meeting of the Indian Council of Historical Research on 12 March 2004 in New Delhi.
- ii. 31st Annual General Meeting of the Indian Institute of Advanced Studies Shimla, which was held on 17 March 2004 in New Delhi.
- iii. 49th Meeting of the Indian Council of Historical Research held on 25 March 2004 and Foundation day function of the Council held on 27 March 2004 in New Delhi.
- iv. Reception on the occasion of the release of the book *Birth and Decline of a Qasba: Chanderi from X-XVIII centuries* on 30 March 2004 at the Embassy of France in New Delhi.
- v. An Interactive meeting during the visit of High-powered Tourism Delegation from Vietnam jointly organized by Embassy of Vietnam and FICCI on 5 April 2004 in New Delhi.
- vi. Meeting of the Advisory Committee of the National Film Archive of India on 20 April 2004 at Pune.
- vii. Meeting of the Review Committee of the Indian Council of Historical Research on 24 April 2004 in New Delhi.
- viii. Meeting of the Board of Management of the National Museum Institute on 28 April 2004.
- ix. 1st Meeting of the Committee to Experts of National Mission for Manuscripts held on 7 June 2004 at Indira Gandhi National Centre for the Arts in New Delhi.
- x. A meeting under the Chairmanship of Joint Secretary, Ministry of Culture on 7 July 2004 at Central Secretariat Library in connection with the procurement of microfilms of official publications available in British Library, London.
- xi. A meeting of the Advisory Committee of the Archives on Contemporary History held on 23 August 2004 at Jawaharlal Nehru University, New Delhi.
- xii. Meetings of the Expert Committee for Promotion and Strengthening of Regional and Local Museums held on 31 August 2004 at Central Secretariat Library and on 25 November 2004 at National Museum, New Delhi.
- xiii. Fortnightly meeting of the National Archives of India held on 7 December, 2004 in the Chamber of Joint Secretary (Culture).
- xiv. Interview as an expert for selection of the Director, Bihar State Archives, Government of Bihar, held on 9 December 2004

- 20.8 श्री रघुनाथ मीणा, उपनिदेशक राष्ट्रीय अभिलेखागार ने निम्न बैठकों में हिस्सा लियाः-
- ब्रिटिश लाइब्रेरी एवं अन्य संस्थानों से सामग्री प्रापण के संबंध में नीति की चर्चा करने के लिए क्रमशः 3 नवंबर और 10 दिसंबर, 2004 को केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय में संयुक्त सचिव (जे) की अध्यक्षता में हुई बैठकें।
 - ब्रिटिश लाइब्रेरी, लंदन से माइक्रोफिल्मों के प्रापण पर 3 नवंबर, 2004 को संयुक्त सचिव (जे) के कक्ष, शास्त्री भवन, नई दिल्ली में हुई बैठक।
- 20.9 राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के तहत उत्तर प्रदेश में हुई उर्दू/अरबी / पारसी पांडुलिपियों के सर्वेक्षण के संबंध में 28 जुलाई 2004 को रामपुर रजा पुस्तकालय, रामपुर में हुई बैठक में हिस्सा लेने के लिए श्री एस. एम. आर. बाकर, उप निदेशक अभिलेखागार को नियुक्त किया गया।
- 20.10 डॉ आर. पी. मलिक, सहायक निदेशक अभिलेखागार ने रामपुर में निम्न बैठकों में हिस्सा लियाः
- (क) दिनांक 9 फरवरी और 24 दिसंबर 2004 को क्रमशः रंग महल, रामपुर में हुई रामपुर रजा पुस्तकालय की संरक्षण उप समिति की बैठकें (ख) 14 अक्टूबर 2004 को रामपुर रजा पुस्तकालय बोर्ड के संरक्षण के लिए विशेषज्ञ की बैठक।
 - 18 मार्च 2004, को 'कनवर्जेन्स ऑफ इंडिया' प्रदर्शनी के दौरान लुमियर तकनीक से विकसित किए गए उच्च स्कैनर के प्रापण की व्यवहार्यता पर चर्चा करने के लिए फ्रैंच पैविलियन में माइक्रोफोटोग्राफिस्ट श्री ए. के. डे. के साथ इन्हें भी नियुक्त किया गया।
- 20.11 श्रीमती सुनीता कालरा, सहायक निदेशक अभिलेखागार को 28.1. 2004 को वृन्दावन अनुसंधान संस्थान और 31 जुलाई, 2004 को प्रबंधन परिषद की आम निकाय की बैठकों में हिस्सा लेने के लिए नियुक्त किया गया।
- 20.12 श्री संजय गर्ग, सहायक निदेशक, अभिलेखागार को 18-20 मार्च 2004 तक भारतीय श्रमिक इतिहासकार संघ और वी. वी. गिरी राष्ट्रीय श्रमिक संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित चौथा अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक इतिहास सम्मेलन और 3 सितंबर 2004 को वी. वी. गिरी राष्ट्रीय श्रमिक संस्थान, नोएडा में आयोजित एकीकृत श्रमिक इतिहास अनुसंधान कार्यक्रम की संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक में हिस्सा लेने के लिए नियुक्त किया गया।
- 20.13 डॉ प्रमोद मेहरा, सहायक निदेशक, अभिलेखागार को 14 दिसंबर 2004 को राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली में "लीगेसी ऑफ सर ऑरेल स्टेन एंड इट्स डॉक्यूमेंटेशन" पर आयोजित सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए नियुक्त किया गया।
- 20.14 (i) श्री पी. एस. एम. मोइदीन, सहायक निदेशक अभिलेखागार और श्री शांति सरकार, पुस्तकालय एवं सूचना सहायक को 24-27 फरवरी, 2004 को इंडिया हैबिटेड सेंटर, नई दिल्ली में संस्कृति विभाग के सहयोग से टीईआरआई द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय सम्मेलन, 2004 में हिस्सा लेने के लिए नियुक्त किया गया।
- श्री पी. एस. एम. मोइदीन को 24 मार्च, 2004 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुव्यवस्थित सरकार संस्थान के सहयोग से आईबीएम द्वारा आयोजित ई-गवर्नेंस सभा में हिस्सा लेने के लिए नियुक्त किया गया।
 - उन्हें 15 अक्टूबर 2004 को दिल्ली राज्य अभिलेखागार की मिटिंग विभाग के कंप्यूटरकृत कार्यक्रम में परामर्श देने के लिए नियुक्त किया गया।

20.8 Sh. Raghunath Meena, Deputy Directors of Archives attended the following meetings:

- i. Meetings under the Chairmanship of JS(J) in Central Secretariat Library to discuss Policy regarding acquisition of material from British Library and other institutions on 3 November and 10 December 2004, respectively.
- ii. A meeting on the acquisition of microfilms from British Library, London held on 3 November 2004 in the Chamber of the JS(J), Shastri Bhawan, New Delhi.

20.9 Sh. S.M.R. Baqar, Deputy Director of Archives was deputed to attend a meeting in connection with the Survey of Urdu/ Arabic/ Persian Manuscripts in U.P under National Mission of Manuscripts on 28 July 2004 in the Rampur Raza Library, Rampur.

20.10 Dr. R.P. Malik, Assistant Director of Archives attended the following meetings at Rampur:

- i. (a) Meetings of the Conservation Sub-Committee of Rampur Raza Library held on 9 February and 24 December 2004, respectively at Rang Mahal, Rampur and (b) Meeting of the Expert Committee for Conservation of Rampur Raza Library Board held on 14 October 2004.
- ii. He was also Deputed along with Sh. A.K. Dey, Microphotographer to the French Pavilion on 18 March 2004, during the 'Convergence of India' exhibition to discuss the feasibility of acquiring high Resolution Scanner developed by Lumiere Technology.

20.11 Smt. Sunita Kalra, Assistant Director of Archives was deputed to Vrindaban to attend the meetings of the General body, Vrindavan Research Institute on 28.1.2004 and Governing Council held on 31 July 2004.

20.12 Sh. Sanjay Garg, Assistant Director of Archives was deputed to attend the IV International Labour History Conference jointly hosted by the Association of Indian Labour Historians and V.V. Giri National Labour Institute on 18-20, March 2004 and Joint Advisory Committee Meeting of the Integrated Labour History Research Programme held on 3 September 2004 at V.V. Giri National Labour Institute, Noida.

20.13 Dr. Pramod Mehra, Assistant Director of Archives was deputed to attend a conference on 'Legacy of Sir Aurel Stein and its Documentation' held on 14 December 2004 at the National Museum, New Delhi.

20.14 i. Sh. P.S.M. Moideen, Assistant Director of Archives and Sh. Shanti Sarkar, Library and Information Assistant were deputed to attend the International Conference on Digital Libraries, 2004 organised by TERI in collaboration with the Department of Culture at India Habitat Centre, held from 24-27 February 2004, New Delhi.

ii. Sh. P.S.M. Moideen was deputed to attend a E-Governance Conclave organized by I.B.M. in collaboration with National Institute for Smart Government on 24 March 2004 in New Delhi.

iii. He was also deputed to Delhi State Archives to attend a meeting to discuss the Computerization Programme of the Department held on 15 October 2004.

20.15 डॉ. सी एल प्रजापति, वैज्ञानिक अधिकारी को 31 मार्च 2004 को 'अभिलेखों के संरक्षण' पर वृंदावन अनुसंधान संस्थान, वृंदावन में आयोजित संगोष्ठी में हिस्सा लेने के लिए नियुक्त किया गया।

20.16 श्री अजीत डे, माइक्रोफोटोग्राफिस्ट ने (1) 23-27 जनवरी, 2004 को कोलकता में आयोजित '7वें अंतर्राष्ट्रीय फोटोग्राफिक सम्मेलन पर संगोष्ठी (2) दिनांक 24 फरवरी 2004 को इंडिया हैविटेट सेंटर नई दिल्ली द्वारा पीटर नोएर, मुख्य तकनीकी अधिकारी, मयुज ग्लोबल के दौरे के दौरान 'वैश्विक सूचना प्रणाली' पर आयोजित प्रस्तुतीकरण में और (3) 27 फरवरी 2004 को ब्रिटिश काउंसिल, नई दिल्ली में रोली बुक्स द्वारा रेप्रोग्राफी पर आयोजित कार्यशाला में हिस्सा लिया।

20.17 पार्श्वनाथ विद्यापीठ, पाराणसी के अनुरोध पर 23-27 फरवरी 2004 को विद्यापीठ में पांडुलिपि संरक्षण पर डा. यशोधरा जोशी, वैज्ञानिक अधिकारी और डॉ सुतापा चक्रवर्ती, सहायक कैमिस्ट ने एक कार्यशाला आयोजित की।

20.18 श्री तेग सिंह, अभिलेखागार को दिनांक 26 दिसंबर 2004 को वृंदावन में वृंदावन अनुसंधान संस्थान की प्रबंधन परिषद की बैठक में हिस्सा लेने के लिए नियुक्त किया गया।

20.19 श्री जगमोहन, माइक्रोफोटोग्राफिस्ट को 5 नवंबर, 2004 को पुणे में राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार की प्रबंधन परिषद के बैठक में हिस्सा लेने के लिए नियुक्त किया गया।

20.20 उपर्युक्त के अलावा, राष्ट्रीय अभिलेखागार विभिन्न मंत्रालयों/ कार्यालयों/ विभागों और इसी प्रकार के संगठनों के साथ जन संपर्क के रूप में भी शामिल रहा है, जिनका विवरण निम्नानुसार दिया गया है।

20.21 प्रशिक्षण/ व्याख्यान/ कार्यशालाएं/ संगोष्ठियां

1. डॉ. शीतला प्रसाद, महानिदेशक अभिलेखागार ने निम्न में हिस्सा लिया:

i. 4-7 सितंबर 2004 को चियौगजू और सियोल, कोरिया में एशिया और प्रशांत क्षेत्र में अभिलेखीय दाय का संरक्षण और अभिगमन पर आयोजित दूसरी यूनेस्को क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यशाला में हिस्सा लिया। उन्होंने कार्यशाला में एक पूर्ण अधिवेशन की अध्यक्षता भी की।

ii. 16 अक्टूबर 2004 को राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के तत्वाधान में उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार में 'पांडुलिपि संरक्षण' पर आयोजित संगोष्ठी के मुख्य अतिथि थे।

iii. 25-29 अक्टूबर 2004 तक मणिपुर राज्य अभिलेखागार इम्फाल में राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा 'अभिलेखों के संरक्षण और माइक्रोफिल्म निर्माण' पर आयोजित 5 दिवसीय कार्यशाला के उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता की।

2.i. डा. आर. पी. मलिक, सहायक निदेशक, अभिलेखागार को श्री राम स्वरूप, वैज्ञानिक अधिकारी के साथ 22 सितंबर 2004 को रामपुर रजा पुस्तकालय और राष्ट्रीय पांडुलिपि संरक्षण मिशन केंद्र रामपुर द्वारा 'पांडुलिपि और पुस्तकालय सामग्री के निवारक संरक्षण' पर आयोजित कार्यशाला में भागीदारों को क्रमशः आपदा प्रबंधन और विभिन्न प्रकार की जिल्दसाजी, फटी हुई जिल्दों की मरम्मत और विभिन्न प्रकार के एल. पी. मिश्रण पर व्याख्यान देने के लिए नियुक्त किया गया।

ii. 16 अक्टूबर 2004 को उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार में पांडुलिपि संरक्षण पर आयोजित संगोष्ठी में भागीदारों को 'पांडुलिपि संरक्षण' पर व्याख्यान देने के लिए डा. मलिक को नियुक्त किया गया।

20.15 Dr. C.L. Prajapati, Scientific Officer was deputed to attend a seminar on 'Preservation of Records' on 31 March 2004 at Vrindaban Research Institute, Vrindaban.

20.16 Sh. Ajit Dey, Microphotographer attended (i) A Seminar on '7th International Photographic Conference' held from 23-27 January, 2004 at Kolkata, (ii) A presentation on Global Information System during the visit of Peter Noerr, Chief Technical Officer of Muse Global, organized by Indian Habitat Centre, on 24 February 2004 at New Delhi and (iii) A workshop on Reprography organized by Roli Books at British Council, New Delhi on 27 February 2004

20.17 On the request of Parshwanath Vidyapeeth, Varanasi, Dr. Yashodhara Joshi, Scientific Officer and Dr. Sutapa Chakraborty, Assistant Chemist conducted a workshop on 'Conservation of Manuscripts' held from 23-27 February 2004 at the Vidyapeeth.

20.18 Sh. Teg Singh, Archivist was deputed to attend a Meeting of the Governing Council of the Vrindaban Research Institute, held on 26 December 2004 at Vrindaban.

20.19 Sh. Jagmohan, Microphotographer was deputed to Pune to attend the Advisory Committee Meeting of the National Film Archive of India held on 5 November 2004.

20.20 Besides the above; the National Archives of India was involved in as apart of Public Relations with various Ministries/ Departments/ Offices and other like organization conducted which are enumerated as under.

20.21 Training/ lectures/workshops/Seminars

1. Dr. Shitla Prasad, Director General of Archives attended the followings:-

- i. 2nd UNESCO Regional Training Workshop on the 'Preservation of and Access to the Documentary Heritage in Asia and the Pacific region' held from 4-7 September 2004 in Cheongju and Seoul, Korea. He also chaired one plenary session at the workshop.
- ii. He was the Chief Guest at a Seminar on 'Preservation of Manuscripts' organized on 16 October 2004 at U.P. State Archives under the auspices of the National Mission Manuscripts.
- iii. Presided over the inaugural function of the 5 days Workshop on 'Conservation and Microfilming of Records' conducted by National Archives of India from 25-29 October 2004 at Manipur State Archives, Imphal.

2. i. Dr. R.P. Malik, Assistant Director of Archives along with Sh. Ram Swaroop, Scientific Officer was deputed to Rampur, U.P. to deliver lectures on Disaster Management and different types of binding, repair of damaged binding and use of L.P. Mixture respectively to the participants of the workshop on 'Preventive Conservation of Manuscripts and Library Materials', organized by Rampur Raza Library and National Mission for Manuscript Conservation Centre, Rampur on 22 September 2004.

- ii. Dr. Malik was deputed to Lucknow to deliver lecture on 'Preservation of Manuscripts' to the participants of the Seminar on Preservation of Manuscripts held on 16 October 2004 at U.P. State Archives.

- iii. डॉ. मलिक को श्री ए. के. डे, माइक्रोफोटोग्राफिस्ट, श्री एम.एन. खुल्बे, सहायक रसायनज्ञ और श्री पी. के. माथुर, संरक्षण सहायक के साथ 25-29 अक्टूबर 2004 तक इम्फाल में मणिपुर राज्य अभिलेखागार द्वारा अभिलेखों के संरक्षण और माइक्रोफिल्म निर्माण पर 5 दिवसीय कार्यशाला आयोजित करने के लिए नियुक्त किया गया।
- iv. डॉ. मलिक को 5 नवंबर 2004 को नई दिल्ली में आईजीसीएनए के प्रशिक्षणार्थियों को पांडुलिपि के संरक्षण का नियंत्रण एवं प्रभाव पर व्याख्यान देने के लिए नियुक्त किया गया।
3. श्री संजय गर्ग, सहायक निदेशक, अभिलेखागार और श्रीमती गायत्री वशिष्ठ अभिलेखाकार को 27 अप्रैल एवं 25 मई, 2004 को सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान, नई दिल्ली में अभिलेख प्रबंधन पर व्याख्यान देने के लिए नियुक्त किया गया।
4. श्रीमती गायत्री वशिष्ठ और श्री वी. हुसैन, अभिलेखाकार को 28 दिसंबर 2004 को सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान, नई दिल्ली में प्रशिक्षणार्थियों को अभिलेख प्रबंधन पर व्याख्यान देने के लिए नियुक्त किया गया। 29 दिसंबर 2004 को आईएसटीएम के 16 प्रशिक्षणार्थियों ने अपने पाठ्यक्रम समन्वयक के साथ राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया। उन्हें पूर्ण राष्ट्रीय अभिलेखागार सहित स्टैक क्षेत्र दिखाया गया।
5. श्री एस. के. खत्री, सहायक निदेशक अभिलेखागार (एसएएस) को 29 जून, 2004 को सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली में आईआरएमटी एवं मैसर्स एक्सेल सॉफ्ट के विशेषज्ञ दल द्वारा तैयार किए गए 'सरकारी कर्मचारी हेतु अभिलेख प्रबंधन प्रशिक्षण मोड्यूल' की प्रस्तुति में भाग लेने के लिए नियुक्त किया गया।
6. श्री पी. एस. एम. मोइदीन, सहायक निदेशक अभिलेखागार ने निम्न में हिस्सा लिया :
 - i. 30 जून 2004 को प्रसार भारती सचिवालय, नई दिल्ली में डॉ. यू. के. बनर्जी, सूचना प्रौद्योगिकी सलाहकार एवं परामर्शक द्वारा दृश्य-श्रव्य सांस्कृतिक दाय का अभिलेखन प्रसार भारती की संपत्ति पर प्रस्तुति।
 - ii. उन्हें 8 जुलाई 2004 को तमिलनाडु राज्य अभिलेखागार एवं ऐतिहासिक अनुसंधान में अभिलेख व्यवस्था माइक्रोफिल्म निर्माण एवं तमिलनाडु राज्य अभिलेखागार में संरक्षण प्रणाली का अध्ययन करने और आवश्यक परामर्श देने के लिए भी नियुक्त किया गया।
7. श्री अजीत डे. माइक्रोफोटोग्राफिस्ट को 22 अप्रैल, 2004 को न्यायालयी विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में अभिलेख छायाचित्रण तकनीक पर उनके 5वें पाठ्यक्रम में भागीदारों को 'स्थूल एवं सूक्ष्म छायाचित्रण' पर व्याख्यान देने के लिए नियुक्त किया गया।
8. श्री बी. सी. मजूमदार, माइक्रोफोटोग्राफिस्ट को 24-25 जून 2004 को वृंदावन में पांडुलिपि संरक्षण में डिप्लोमा के प्रशिक्षणार्थियों को माइक्रोफिल्म निर्माण पर व्याख्यान देने के लिए वृंदावन अनुसंधान संस्थान में नियुक्त किया गया।
9. डा. यशोधरा जोशी, वैज्ञानिक सलाहकार को 5 जुलाई 2004 को राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता में आयोजित कार्यशाला में भागीदारों को "पुस्तकालय सामग्री के क्षरण के कारक" पर व्याख्यान देने के लिए नियुक्त किया गया।
10. राष्ट्रीय अपराध विज्ञान एवं न्यायालयी विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के 8वें पुलिस एवं न्यायालयी विज्ञान डिप्लोमा पाठ्यक्रम के 4 प्रशिक्षणार्थियों को 21-23 जुलाई 2004 तक राष्ट्रीय अभिलेखागार में माइक्रोफिल्म निर्माण की तकनीक का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेजा गया।

- iii. Dr. Malik along with Sh. A.K. Dey, Microphotographer; Sh. M.N. Khulbe, Assistant Chemist and Sh. P.K. Mathur, Preservation Assistant were deputed to Manipur State Archives to conduct a 5 days workshop on 'Conservation and Microfilming of Records' held from 25-29 October 2004 at Imphal.
- iv. Dr. Malik was deputed to deliver a lecture on 'Effect and Control of Bio-deterioration of Manuscripts' to the trainees of IGNC, on 5 November 2004 at New Delhi.
3. Sh. Sanjay Garg, Assistant Director of Archives and Smt. Gayatri Vasisht, Archivist were deputed to Institute of Secretariat Training and Management, New Delhi to deliver lectures on Records Management on 27 April and 25 May 2004.
4. Smt. Gayatri Vasisht and Sh T. Hussain, Archivists were deputed to Institute of Secretariat Training and Management, New Delhi to deliver lectures to trainees in Records Management on 28 December 2004. The group of 16 participants along with their course coordinator from the ISTM visited National Archives of India on 29 December 2004. They were shown around the NAI including Stack area.
5. Sh. S.K. Khatri, Assistant Director of Archives (SAS) was deputed to attend a presentation on 'Records Management Training Module for Government Employees' made by a team of experts from IRMT and M/s Excel Soft on 29 June 2004 at Sardar Patel Bhawan, New Delhi
6. Sh. P.S.M. Moideen, Assistant Director of Archives attended the followings:-
 - i. A presentation on 'Documentation of Audio-Visual Cultural Heritage – Prasar Bharati's Holdings' by Dr. U.K. Banerjee, Consultant and Advisor on Information Technology on 30 June 2004 at Prasar Bharati Secretariat, New Delhi.
 - ii He was also deputed to Tamil Nadu State Archives and Historical Research on 8 July 2004 to study the records administration microfilming and preservation system in the Tamil Nadu State Archives and tender necessary advice.
7. Sh. Ajit Dey, Microphotographer was deputed to the National Institute of Criminology and Forensic Science, New Delhi to deliver a lecture on 'Macro and Microphotography' to the participants of their 5th Course in Document Photography Technique on 22 April 2004
8. Sh. B.C. Majumdar, Microphotographer was deputed to the Vrindaban Research Institute to deliver lectures on microfilming to the trainees of Diploma in Manuscripts Conservation on 24-25 June 2004 at Vrindaban.
9. Dr. Yashodhara Joshi, Scientific Officer was deputed to National Library, Kolkata to deliver lecture on 'Causes of Deterioration of Library materials' to the participants of the workshop held on 5 July 2004 at National Library, Kolkata.
10. 4 trainees of the 8th Diploma Course in Police and Forensic Science of the National Institution of Criminology and Forensic Science, New Delhi were deputed to National Archives of India from 21-23 July 2004 to undergo training in microfilming techniques.

11. श्री एन. एस. मणि, माइक्रोफोटोग्राफिस्ट को 24 अगस्त, 2004 को राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली में पांडुलिपि संरक्षण पर आयोजित कार्यशाला में भागीदारों को पांडुलिपि अभिलेख एवं संरक्षण के लिए रेप्रोग्राफी तकनीक पर व्याख्यान देने के लिए राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में नियुक्त किया गया।
12. श्री आर. एन. छाबड़ा, वैज्ञानिक अधिकारी को 2 सितंबर, 2004 को पटियाला में पंजाब राज्य अभिलेखागार के नए भवन के डिजाइन की जाँच करने और आवश्यक परामर्श देने के लिए भेजा गया।
13. श्रीमती एस. त्यागी, एलआईए को 1-6 नवंबर 2004 तक नई दिल्ली में मार्क (एमएआरसी) और मेट्रो-परिवर्तन' पर कार्यशाला में भाग लेने के लिए सीएसएल में नियुक्त किया गया।
- 20.22 रिपोर्ट की अवधि के दौरान राष्ट्रीय अभिलेखागार में बहुत से विशिष्ट अतिथि आए।
1. श्री एस. रासायन, निदेशक, तमिलनाडु राज्य अभिलेखागार ने 3 जनवरी 2004 को राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया और महानिदेशक अभिलेखागार के साथ बैठक की। उन्हें रेप्रोग्राफी और संरक्षण प्रमाण भी दिखाया गया।
2. डॉ. जाफर मिरगानी, महानिदेशक सूडान सभ्यता संस्थान ने 8 जनवरी 2004 को राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया और महानिदेशक अभिलेखागार तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की।
3. श्री संदीप मेहरा, निर्देशक, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय, नई दिल्ली ने 9 फरवरी 2004 को राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया और संपूर्ण अभिलेखागार देखा।
4. मिस हीथर ब्राउन, संरक्षण प्रबंधन, स्टेट लाइब्रेरी साऊथ ऑस्ट्रेलिया ने 23 फरवरी 2004 को राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया और महानिदेशक, अभिलेखागार के साथ बैठक की, उन्हें रेप्रोग्राफी और संरक्षण प्रमाण दिखाए गए।
5. श्री हाजी मोहम्मद्दीन अहमद, उप निदेशक, संरक्षण प्रमाण नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मलेशिया ने 19 मार्च 2004 को विभाग का दौरा किया और घूम कर देखा।
6. डॉ. ग्राहम शॉ, प्रमुख, एशिया पैसिफिक एंड अफ्रीका कलेक्शन्स, ब्रिटिश लाइब्रेरी, लंदन ने 23 मार्च 2004 को विभाग का दौरा किया और महानिदेशक अभिलेखागार के साथ चर्चा की।
7. मि. जीन मार्क कमेट ऑफ फेडरल आरकाइव्स ऑफ स्विट्जरलैंड ने 8 मार्च 2004 को विभाग का दौरा किया और महानिदेशक, अभिलेखागार के साथ चर्चा की। उन्हें पूरा अभिलेखागार भी दिखाया गया।
8. पिट कुआन वाह, निदेशक एवं मि. लिम गुआन हॉक, उप निदेशक, सिंगापुर राष्ट्रीय अभिलेखागार ने 5 अप्रैल, 2005 को राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया और महानिदेशक अभिलेखागार के साथ बैठक की।
9. प्रो. तोम्मी कोह, एंबेसडर एट लार्ज एवं अध्यक्ष, राष्ट्रीय हैरिटेज बोर्ड, सिंगापुर के साथ सिंगापुर दूतावास के प्रथम सचिव ने 7 अप्रैल 2004 को राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया तथा महानिदेशक अभिलेखागार और अन्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्हें राष्ट्रीय अभिलेखागार संग्रहालय दिखाया गया।

11. Sh. N.S. Mani, Microphotographer was deputed to National Museum, New Delhi to deliver a lecture on Reprography Techniques for Manuscripts Document and Preservation to the participants of the Workshop on Preservation of Manuscripts held on 24 August 2004 at National Museum, New Delhi.
 12. Sh. R.N. Chhabra, Scientific Officer was deputed to Patiala on 2 September 2004 to examine the designs of the new building for the State Archives of Punjab and tender necessary advice.
 13. Smt. S. Tyagi, LIA was deputed to CSL to attend a workshop on 'MARC and Retro-conversion' from 1-6 November 2004 at New Delhi.
- 20.22 National Archives of India had many distinguished visitors during the period under report.
1. Sh. S. Raimon Director, Tamil Nadu State Archives visited the National Archives of India on 8 January 2004 and held meeting with Director General of Archives. He was also shown round the Reprography and Preservation Divisions.
 2. Dr. Jaffar Mirghani, Director General of Sudan Civilization Institution visited National Archives of India on 8 January 2004 and held meeting with Director General of Archives and other senior officers.
 3. Sh. Sandeep Mehra, Director, National Rail Museum, New Delhi visited National Archives of India on 9 February 2004 and shown around.
 4. Ms. Heather Brown, Preservation Manager, State Library South Australia visited National Archives of India on 23 February 2004 and held meeting with Director General of Archives. She was shown around the Reprography and preservation Division.
 5. Mr. Haji Mohd. Din Ahmad, Deputy Director, Conservation Division, National Library of Malaysia visited the Department on 19 March 2004 and was shown around.
 6. Dr. Graham Shaw, Head, Asia Pacific and Africa Collections, British Library, London visited the Department on 23 March 2004 and held discussions with Director General of Archives.
 7. Mr. Jean Marc Comment of Federal Archives of Switzerland visited the Department on 8 March 2004 and held discussions with Director General of Archives. He was also shown around.
 8. Pitt Kuan Wah, Director and Mr. Lim Guan Hock, Deputy Director of National Archives of Singapore visited National Archives of India on 5 April 2004 and held meeting with Director General of Archives.
 9. Prof. Tommy Koh, Ambassador at large and Chairman, National Heritage Board of Singapore along with First Secretary of Embassy of Singapore visited National Archives of India on 7 April 2004 and held meeting with Director General of Archives and other Senior Officers of this Department. They were shown around the National Archives of India Museum.

10. श्री मुकेश पुरी, भा. प्र. से. उप निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी ने 10 अप्रैल, 2004 को राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया और इसे देखा।
11. मिस ऐनी थर्सटन, कार्यकारी निदेशक अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख प्रबंधन न्यास, यू.के. ने 19 अप्रैल 2004 और 1 जुलाई 2004 को राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया। उन्होंने महानिदेशक अभिलेखागार तथा विभाग के अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें राष्ट्रीय अभिलेखागार संग्रहालय दिखाया गया।
12. श्री के. सम्पत कुमार, तमिलनाडु अभिलेखागार आयुक्त ने 3 जून 2004 को राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया और महानिदेशक अभिलेखागार के साथ बैठक की।
13. श्री राम किशन, माननीय राज्य मंत्री (जेल), उत्तर प्रदेश ने 3 जून 2004 को राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा और महानिदेशक अभिलेखागार के साथ बैठक की।
14. भारत में स्टेट ऑफ कुवैत के राजदूत हिज एक्सीलेंसी, रवालफ ए. के अल. फौदारी ने 16 सितंबर 2004 को राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया और महानिदेशक अभिलेखागार तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की।
15. मिस. एल मुंखजुल (जूला), सांस्कृतिक कार्यक्रम अधिकारी, मंगोलियन राष्ट्रीय आयोग यूनेस्को ने 22 सितंबर 2004 को राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया और महानिदेशक अभिलेखागार के साथ बैठक की।
16. प्रो. मार्तिन ब्रॉउन, तिब्बत/ हिमालय एवं सुदूर पूर्व विभाग के प्रमुख, स्विटजरलैंड ने 6 अक्टूबर, 2004 को राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया और महानिदेशक अभिलेखागार (आर) के साथ बैठक की।
17. श्री पी. के त्रिपाठी, भा. प्र. से. आयुक्त एवं सचिव, एवं शिक्षा संस्कृति, युवा सेवा एवं खेल, जम्मू एवं काश्मीर सरकार ने 8 अक्टूबर 2004 को राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया और महानिदेशक, अभिलेखागार के साथ बैठक की।
17. श्री मती सूर्यकांति त्रिपाठी, अपर सचिव एवं हामिद अली राव, संयुक्त सचिव, विदेश मंत्रालय ने 21 अक्टूबर 2004 को राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया और महानिदेशक, अभिलेखागार तथा इसके अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की।
- 20.23 अन्य व्यक्ति जिन्होंने राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया
 1. सुश्री चारु सोनी, आऊटलूक की परामर्शक संपादक, ने 16 मार्च 2004 को विभाग का दौरा किया और महानिदेशक अभिलेखागार के साथ बैठक की। उन्हें राष्ट्रीय अभिलेखागार संग्रहालय भी दिखाया गया।
 2. प्रो. मासानोरी कोगा, निहॉन फुकुशी युनिवर्सिटी, जापान एवं सुश्री योशिको सुजुकी, वरिष्ठ अधिकारी, विकासशील अर्थशास्त्र पुस्तकालय संस्थान, जापान ने 26 अगस्त 2004 को राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया और महानिदेशक, अभिलेखागार के साथ बैठक की।
 3. श्री याकूब ए. ए. अब्दुल्लाह, सूचना अटैची, कुवैत स्टेट दूतावास, नई दिल्ली ने 1 सितंबर 2004 को राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया और महानिदेशक, अभिलेखागार के साथ बैठक की।

10. Sh. Mukesh Puri, IAS, Deputy Director, Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie visited National Archives of India on 10 April 2004 and was shown around.
 11. Ms. Anne Thurston, Executive Director of International Records Management Trust, UK visited National Archives of India on 19 April 2004 and 1 July 2004. She held meeting with Director General of Archives and other senior officers of this Department and was taken around Museum of National Archives of India.
 12. Sh. K. Sampath Kumar, Commissioner of Tamil Nadu Archives visited National Archives of India on 3 June 2004 and held meeting with Director General of Archives.
 13. Sh. Ram Kishan, Hon'ble Minister of State (Jail), U.P. visited National Archives of India on 3 June 2004 and held meeting with Director General of Archives.
 14. His Excellency, Khalaf A.K. Al-Foudari, Ambassador of the State of Kuwait in India visited National Archives of India on 16 September 2004 and held meeting with Director General of Archives and other senior officers.
 15. Ms. L. Munkhzul (Zulaa), Cultural Programme Officer, Mongolian National Commission for UNESCO visited National Archives of India on 22 September 2004 and held meeting with Director General of Archives.
 16. Prof. Martin Brauen, Head of the Department of Tibet/ Himalaya and Far East, Switzerland visited National Archives of India on 6 October 2004 and held meeting with Deputy Director of Archives (R).
 17. Sh. P.K. Tripathi, IAS, Commissioner and Secretary to the Government of Higher and Technical Education, Culture, Youth Services and Sports, Government of Jammu & Kashmir visited National Archives of India on 8 October 2004 and held meeting with Director General of Archives.
 17. Smt. Suryakanthi Tripathi, Additional Secretary and Sh. Hamid Ali Rao, Joint Secretary, Ministry of External Affairs visited National Archives of India on 21 October 2004 and held meeting with Director General of Archives and other senior officials of National Archives of India.
- 20.23 Other Personalities who visited National Archives of India are:-
1. Ms. Charu Soni, Consulting Editor of Outlook Traveller, visited the Department on 16 March 2004 and held meeting with Director General of Archives. She was also shown National Archives of India Museum.
 2. Prof. Masanori Koga, Nihon Fukushi University, Japan and Ms. Yoshiko Suzuki, Senior Officer, Institute of Developing Economies Library, Japan visited National Archives of India on 26 August 2004 and held meeting with Director General of Archives.
 3. Sh. Yacoub A.A. Abdullah, Information Attaché, Embassy of State of Kuwait, New Delhi visited National Archives of India on 1 September 2004 and held meeting with Director General of Archives.

4. श्री एस. के. अग्निहोत्री, सचिव, राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भावना संस्था ने 9 सितंबर 2004 को राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया और महानिदेशक अभिलेखागार और उप निदेशक अभिलेखागार (ख) के साथ बैठक की।
5. सुश्री उज्ज्वल हांडु, सहायक लाइब्रेरियन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 4 अक्टूबर 2004 को राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया। उन्हें अभिलेखागार भी दिखाया गया।

4. Sh. S.K. Agnihotri, Secretary, National Foundation for Communal Harmony visited National Archives of India on 9 September 2004 and held meeting with Director General of Archives and Deputy Director of Archives (B).
5. Ms. Ujval Handu, Assistant Librarian, Archaeological Survey of India visited National Archives of India on 4 October 2004. She was shown around.

कृपया नोट करें कि यह रिपोर्ट केवल सूचना के लिए है और इसमें कोई भी सुझाव नहीं है।

21.1 As in my earlier Reports, for this year too the poor response of various records creating agencies remains a cause of concern. Out of 23 Ministries, 12 Ministries have submitted their records for the year 2003-04. The remaining 11 Ministries have not submitted their records. The delay in submission of records is a matter of concern. The records of the Ministries are not being submitted in a timely manner. The records of the Ministries are not being submitted in a timely manner. The records of the Ministries are not being submitted in a timely manner.

21.2 The records of the Ministries are not being submitted in a timely manner. The records of the Ministries are not being submitted in a timely manner. The records of the Ministries are not being submitted in a timely manner. The records of the Ministries are not being submitted in a timely manner. The records of the Ministries are not being submitted in a timely manner.

21.3 Another area which needs to be flagged for immediate attention by the records creating agencies is the disposal of their non-current records. It is observed that the records of the Ministries are not being disposed of in a timely manner. The records of the Ministries are not being disposed of in a timely manner. The records of the Ministries are not being disposed of in a timely manner.

21.4 Besides, Records Retentions Schedules, especially those for substantive functions of the Government, are not being prepared in a timely manner. The records of the Ministries are not being disposed of in a timely manner. The records of the Ministries are not being disposed of in a timely manner. The records of the Ministries are not being disposed of in a timely manner.

प्राथमिकताएं

लोकतंत्र में सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती हैं। सरकार की जनता के प्रति जवाबदेही को मापने का एक प्रभावकारी औजार यह है कि यह किस ढंग से अपने अभिलेखों का रख रखाव करती है। भारत सरकार की पारदर्शी, जवाबदेह एवं जिम्मेदार प्रशासन देने की बचनबद्धता प्रचुरता से लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 के विभिन्न प्रावधानों से परिलक्षित होती है। तथापि, इस अधिनियम द्वारा इसके नोडल अभिकरण राष्ट्रीय अभिलेखागार को यह आदेश दिया गया है कि भारत सरकार के विभिन्न अभिलेख संपर्क अभिकरणों में अभिलेख प्रबंधन क्रियाकलापों को धाराप्रवाह केवल तभी किया जा सकता है यदि प्रत्येक संगठन इसके उपबंधों का अक्षरशः एवं भावना से कार्यान्वयन करें। हालांकि अभी तक इस अधिनियम का क्रियान्वयन बहुत उत्साहजनक नहीं रहा है। लेकिन आशा छोड़ने या इसमें देरी करने की स्थिति भी प्रतीत नहीं होती है।

21.1 मेरी पूर्ववर्ती रिपोर्टों की भाँति, इस वर्ष भी विभिन्न अभिलेख सर्जक अभिकरणों से प्राप्त कम उत्तर, चिंता का कारण बना हुआ है। 85 मंत्रालयों/विभागों में से 12, 1,417 संबद्ध/ अधीनस्थ कार्यालयों में से 86 और 211 सार्वजनिक उपक्रमों में से केवल 44 ने सूचना भेजी है जो समस्त संगठनों का 8.2 प्रतिशत बनती है। प्राप्त सूचना का प्रारंभिक समीक्षा भी दर्शाती है कि उनके संगठनों में अभिलेख प्रबंधन क्रियाकलापों के विषय में सही सूचना देने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किए गए हैं। अस्पष्ट टिप्पणियाँ जैसे 'शून्य', 'लागू नहीं', इत्यादि से प्रश्नावली को भरा गया है जिससे किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती। उचित निदान नहीं होने पर प्रणाली की बीमारी को दूर नहीं किया जा सकता। अतः मैं भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/ विभागों से अपील करूंगा कि वे लोक अभिलेख अधिनियम, 1997 में व्यवस्थित विभिन्न विवरणों को नियमित रूप से भेजें और न केवल अपने कार्यालय के लिए भेजें बल्कि विभिन्न, संबद्ध/ अधीनस्थ कार्यालय एवं सार्वजनिक उपक्रम, सांविधिक निकाय, जो सीधे उनके प्रशासनिक नियंत्रण में हों, उन्हें भी ऐसा करने के लिए कहें।

21.2 सभी अभिलेख सर्जक अभिकरणों में अभिलेख प्रबंधन क्रियाकलापों का समन्वयन करने के लिए विभागीय अभिलेख अधिकारियों की नियुक्ति की आवश्यकता अभी भी सबसे बड़ी प्राथमिकता बनी हुई है। अतः एक बार फिर मैं उन सभी संगठनों से अनुरोध करता हूँ कि जिन्होंने अभी तक अपना विभागीय अभिलेख अधिकारी नामित नहीं किया है वे बिना किसी देरी के यह कार्य कर लें और विभागीय अभिलेख अधिकारी के लिए राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा आयोजित अभिलेख प्रबंधन अभिमुख पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए नियुक्त करें।

21.3 एक और ऐसा क्षेत्र है जहाँ अभिलेख सर्जक अभिकरणों को तुरंत ध्यान देना आवश्यक है वह है उनके अप्रचलित रिकार्ड अर्थात् वे सभी अभिलेख जो 25 वर्ष या उससे अधिक पुराने हैं, उनका राष्ट्रीय अभिलेखागार के परामर्श से मूल्यांकन करें। प्रत्येक बीतता हुआ दिन इन अभिलेखों के और क्षरण का कारण बन रहा है जो कि अधिकतर मामलों में बहुत बुरी अवस्था में अभिलेख कक्षों रखे गए हैं। मुझे डर है कि जब तक इन्हें उचित रूप से मूल्यांकित और राष्ट्रीय अभिलेखागार में स्थायी संरक्षण के लिए स्थानांतरित करने के लिए निर्दिष्ट नहीं किया जाता, हम आने वाली पीढ़ी के लिए इस अभिलेखीय विरासत को खो देंगे।

21.4 इसके अलावा विशेषकर प्रत्येक संगठन के सतत कार्य निष्पादन के लिए अभिलेख प्रतिधारण समय सूची उन महत्वपूर्ण अभिलेखों की तुरंत पहचान में भी सहायक है जो अपना प्रशासनिक कार्य पूर्ण कर लेते हैं। अभिलेख

PRIORITIES

In a democracy, the governments are accountable to the people. One effective tool of measuring the public accountability of the government is the manner in which it maintains its records. The commitment of the Government of India towards a transparent, accountable and responsive governance is amply reflected in the various provisions of Public Records Act, 1993. However, the mandate by this Act to its nodal agency – the National Archives of India – to streamline the records management practices in various records creating agencies of the Government of India can only be fulfilled if every organisation implements its provisions both in letter and spirit. Though the implementation of this Act had not been very encouraging so far, there seems no occasion either to loose hope or to delay it any further.

21.1 As in my earlier Reports, for this year too the poor response received various records creating agencies, remains a cause of concern. Out of 85 Ministry/ Departments 12, out of 1,417 Attached Subordinate Offices 86 and out of 211 Public Sector Undertaking only 44 have send information which amounts 8.2% of the total organization. Even a preliminary scrutiny of the information received reveals that no serious effort is made to give correct information about the records management activities in their organisations. Evasive comments such as 'NIL', 'Not Applicable' etc. fill the questionnaire, which hardly serve any purpose. In the absence of proper diagnosis the ailments of the system cannot be rectified. I would, therefore, appeal to all the Ministries/ Departments of the Government of India, to regularly send various returns provided for in the Public Records Rules, 1997 not only with respect to their own offices but also direct various Attached/ Subordinate offices and Public Sector Undertakings, Statutory Bodies under their administrative control to do so.

21.2 The need to appoint Departmental Records Officers (DROs) in all the records creating agencies to coordinate the records management activites still remains the top priority. Therefore, once again I urge all those organizations who have so far not nominated their DROs to do so without any further delay, and to depute them to receive training under Orientation Courses in Records Management for DROs organised by the National Archives of India.

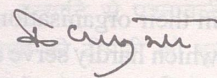
21.3 Another area which needs to be flagged for immediate attention by the records creating agencies is the appraisal of their all non-current records, i.e. all records that are older than 25 years or more, in consultation with the National Archives of India. Every passing day causes further deterioration of these records which are, in a majority of cases, housed in poorly maintained records rooms. I am afraid that unless these are properly appraised and identified for transfer to the National Archives for permanent preservation, we stand to loose this documentary heritage for posterity.

21.4 Besides, Records Retentions Schedules, especially those for substantive functions of every organisation, can also help in identifying the potentially important records immediately after they complete their administrative function. With the help of the Records Retentions Schedule, these records

प्रतिधारण समय सूची की सहायता से इन अभिलेखों को उनके विषय की महत्ता के अनुसार आसानी से 'क' 'ख' अथवा 'ग' श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है अतः वे सभी संगठन जिन्होंने अभी तक अपनी अभिलेख प्रतिधारण समय सूची निर्धारित नहीं की है, वे इसे प्राथमिकता से करें। हमेशा की भाँति, राष्ट्रीय अभिलेखागार, प्रत्येक संगठन के लिए रीतिबद्ध अभिलेख प्रतिधारण समय सूची निर्धारित करने के लिए योजना बनाने की मंशा रखता है।

21.5 अंततः मैं, एक और क्षेत्र जिसे प्राथमिकता देने की आवश्यकता है वह है वर्गीकृत अभिलेखों का विवर्गीकरण। वे सभी अभिलेख जिन्हें कोई भी सुरक्षा वर्गीकरण दिया गया है नामतः अति गोपनीय गुप्त, गुप्त, गोपनीय या प्रतिबंधित, नियुक्त अधिकारी द्वारा आवधिक रूप से इनकी समीक्षा इस दृष्टिकोण के साथ की जानी चाहिए कि इनके स्तर को कम या विवर्गीकृत किया जा सके। यह सुनिश्चित करेगा कि गोपनीयता की आवश्यकता समाप्त होने के पश्चात्, इन अभिलेखों को भी अभिलेख प्रबंधन की मुख्यधारा में लाया जाए, और स्थापित अभिलेख प्रबंधन प्रक्रिया के अनुसार इनकी महत्ता को उचित रखरखाव दिया जाए।

मैं विश्वास करता हूँ कि लोक अभिलेख के सभी भागीदार सही समय से लोक अभिलेख अधिनियम के कार्यान्वयन का कार्य आरंभ करेंगे और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय अभिलेखागार अपनी विशेषज्ञता और संसाधनों की भागीदारी के लिए सदैव तत्पर है।



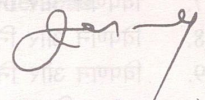
(के. जयकुमार)

संयुक्त सचिव,
संस्कृति विभाग, भारत सरकार और
महानिदेशक अभिलेखागार

can easily be categorised into 'A', 'B' or 'C' category, in accordance with the importance of their subject matter. Therefore, all those organisations who have not yet formulated their Records Retentions Schedules should do it on priority. The National Archives of India, as always, will be willing to work out a plan for formulating customised Records Retentions Schedules for each organisation.

21.5 Finally, an area which also needs to be prioritised - the declassification of classified records. All records that are assigned any of the security classification viz. Top Secret, Secret, Confidential or Restricted, should be subjected to periodical review by a designated officer, with a view to downgrading or de-classifying them. This will ensure that after the need for confidentiality is over, these records are also brought in the main-stream of the records management, and the important of these would find proper treatment as per the established records management practices.

I am sure that all the stakeholders of the public records will take up the implementation of the Public Records Act in the right earnest and the National Archives of India will always be there to share its expertise and resources to fulfil this objective.



(K. Jayakumar)

Joint Secretary,
Department of Culture, Government of India, and
Director General of Archives

Ministry of Chemicals & Fertilizers

15. Department of Chemicals and Petrochemicals, New Delhi

Ministry of Civil Aviation

16. Ministry of Civil Aviation, New Delhi

17. Commission of Enquiry, Lucknow

18. Office of the Director General of Civil Aviation, New Delhi

Ministry of Commerce and Industry

19. Department of Commerce, New Delhi

20. Department of Commerce (Supply Division), New Delhi

21. Institute General of Supplies and Disposals, New Delhi

Ministry of Communication and Information Technology

22. Office of the Post Master General, Coimbatore

23. Senior Post Master General, Varanasi

Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution

24. Forward Market Commission, Mumbai

Ministry of Tourism and Culture

25. Central Reference Library, Belvedere, Kolkata

अनुलग्नक-I

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 के कार्यान्वयन के संबंध में सूचना प्रेषित करने वाले संगठनों की सूची

क. मंत्रालय / विभाग / कार्यालय

कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय

1. कृषि और सहकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली।
2. केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, धमरोड (जिला सूरत)।
3. केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, सूरतगढ़ (राजस्थान)।
4. केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, चिपलिमा, सम्बलपुर, (उड़ीसा)।
5. केन्द्रीय तटीय मात्तिकी इंजीनियरी संस्थान, बंगलौर।
6. केन्द्रीय मात्तिक नॉटिकल और इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान, कोच्चि।
7. विपणन और निरीक्षण निदेशालय, दक्षिण मध्य क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद।
8. विपणन और निरीक्षण निदेशालय, क्षेत्रीय कार्यालय, नासिक रोड।
9. विपणन और निरीक्षण निदेशालय, सूरत।
10. बाजरा विकास निदेशालय, जयपुर।
11. भारतीय मात्तिक सर्वेक्षण, मुम्बई।
12. समेकित मात्तिकी परियोजना, कोच्चि।
13. राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केन्द्र, गाजियाबाद।
14. दक्षिण क्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान, अनंतपुर (आंध्र प्रदेश)।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

15. रसायन और पेट्रो रसायन विभाग, नई दिल्ली।

नागर विमानन मंत्रालय

16. नागर विमानन मंत्रालय, नई दिल्ली।
17. रेल सुरक्षा आयोग, लखनऊ।
18. नागर विमानन महानिदेशक कार्यालय, नई दिल्ली।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

19. वाणिज्य विभाग, नई दिल्ली।
20. वाणिज्य विभाग (आपूर्ति प्रभाग), नई दिल्ली।
21. आपूर्ति और निपटान निदेशालय, नई दिल्ली।

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

22. कार्यालय डाकपाल, कोयंबटूर।
23. वरिष्ठ डाकपाल, वाराणसी।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और वितरण मंत्रालय

24. फारवर्ड मार्केट कमीशन, मुम्बई।

सांस्कृतिक एवं पर्यटन मंत्रालय

25. केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय, बेलविडरे, कोलकाता

ANNEXURE - I

List of Organisations who have furnished Information on the Implementation of Public Records Act, 1993.

A. Ministries/Departments/Offices

Ministry of Agriculture & Cooperation

1. Ministry of Agriculture and Cooperation, New Delhi.
2. Central Cattle Breeding Farm, Dhamrod (District Surat).
3. Central Cattle Breeding Farm, Suratgarh (Rajasthan).
4. Central Cattle Breeding Farm, Chiplima, Dist. Sambalpur (Orissa).
5. Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bangalore.
6. Central Institute of Fisheries Nautical and Engineering Training, Cochin.
7. Directorate of Marketing and Inspection, South Central Regional Office, Hyderabad.
8. Directorate of Marketing and Inspection, Sub-Office, Nasik Road.
9. Directorate of Marketing and Inspection, Surat.
10. Directorate of Millets Development, Jaipur.
11. Fishery Survey of India, Mumbai.
12. Integrated Fisheries Project, Cochin.
13. National Centre of Organic Farming, Ghaziabad.
14. Southern Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Anantapur (A.P.).

Ministry of Chemicals & Fertilizers.

15. Department of Chemicals and Petrochemicals, New Delhi.

Ministry of Civil Aviation

16. Ministry of Civil Aviation, New Delhi.
17. Commission of Railway Safety, Lucknow.
18. Office of the Director General of Civil Aviation, New Delhi.

Ministry of Commerce and Industry

19. Department of Commerce, New Delhi.
20. Department of Commerce (Supply Division), New Delhi.
21. Directorate General of Supplies and Disposals, New Delhi.

Ministry of Communication and Information Technology.

22. Office of the Post Master General, Coimbatore.
23. Senior Post Master General, Varanasi.

Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution

24. Forward Market Commission, Mumbai.

Ministry of Tourism and Culture

25. Central Reference Library, Belvedere, Kolkata.

रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली

26. रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली।
27. सशस्त्र सेना फिल्म और फोटो प्रभाग, नई दिल्ली।
28. रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालय, नई दिल्ली।
29. टर्मिनल बैलेस्टिक अनुसंधान प्रयोगशाला, चंडीगढ़।

पर्यावरण और वन मंत्रालय

30. वन और शिक्षा निदेशालय, देहरादून।
31. भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून।

वित्त मंत्रालय

32. आयकर आयुक्त (अपील) कार्यालय, नई दिल्ली।
33. केन्द्रीय पेंशन लेखांकन कार्यालय, नई दिल्ली।
34. कार्यालय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त मुंबई - I, मुंबई।
35. नागपुर में मुम्बई स्थित उच्च न्यायालय के सरकारी परिसमापक का कार्यालय।
36. आयकर अपीलीय अधिकरण, गुवाहाटी पीठ, गुवाहाटी।
37. मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय, नागपुर।
38. नमक आयुक्त कार्यालय, जयपुर।
39. केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क, रायपुर।
40. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, आयुक्त कार्यालय, बेलगांव।
41. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, आयुक्त कार्यालय, चंडीगढ़।
42. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, आयुक्त कार्यालय, औरंगाबाद।
43. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, आयुक्त कार्यालय, बंगलौर।
44. कंपनी पंजीयक कार्यालय, चंडीगढ़।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

45. कलावती सरन बाल चिकित्सालय, नई दिल्ली।
46. बी.सी.जी. वैक्सीन प्रयोगशाला, चैन्नई।
47. केन्द्रीय औषधि जांच प्रयोगशाला, चैन्नई।
48. सरकारी चिकित्सा सामग्री भंडार डिपो, चैन्नई।
49. पोत पत्तन स्वास्थ्य संगठन, मारमागोवा, गोवा।
50. संयुक्त सचिव कार्यालय, केन्द्रीय सरकार, स्वास्थ्य योजना, जबलपुर।
51. क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय सरकार, स्वास्थ्य योजना, शिमला।
52. केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (उत्तरी जोन), गाजियाबाद।

गृह मंत्रालय

53. गृह मंत्रालय, नई दिल्ली।
54. महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, नई दिल्ली।
55. आंचलिक परिषद सचिवालय, नई दिल्ली।
56. नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, नई दिल्ली।
57. पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय, शिलांग।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

58. केन्द्रीय फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड, मुंबई।
59. भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, पुणे।

श्रम और रोजगार मंत्रालय

60. श्रम और रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली।
61. कार्यालय क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (मध्य), कोच्चि।

Ministry of Defence

26. Ministry of Defence, New Delhi.
27. Armed Forces Film and Photo Division, New Delhi.
28. Office of the Controller General of Defence Accounts, New Delhi.
29. Terminal Ballistics Research Laboratory, Chandigarh.

Ministry of Environment & Forests.

30. Directorate of Forest Education, Dehradun.
31. Forest Survey of India, Dehradun.

Ministry of Finance

32. Office of the Commissioner of Income Tax (Appeals), New Delhi.
33. Central Pension Accounting Office, New Delhi.
34. Office of the Commissioner of Central Excise, Mumbai – I, Mumbai.
35. Office of the Official Liquidator High Court of Mumbai, at Nagpur.
36. Income-Tax Appellate Tribunal, Guwahati Bench, Guwahati.
37. Office of the Chief Commissioner of Income Tax, Nagpur.
38. Office of the Salt Commissioner, Jaipur.
39. Central Excise and Customs, Raipur.
40. Office of the Commissioner of Central Excise, Belgaum.
41. Office of the Commissioner of Central Excise, Chandigarh.
42. Office of the Commissioner of Central Excise, Aurangabad.
43. Office of the Director General of Income Tax, Bangalore.
44. Office of the Registrar of Companies, Kerala.

Ministry of Health and Family Welfare

45. Kalawati Saran Bal Chikitsalaya, New Delhi.
46. B.C.G. Vaccine Laboratory, Chennai.
47. Central Drugs Testing Laboratory, Chennai.
48. Government Medical Store Depot, Chennai.
49. Port Health Organisation, Marmagao, Goa.
50. Office of the Joint Director, Central Government Health Scheme, Jabalpur.
51. Regional Office, Central Government Health Scheme, Shimla.
52. Central Drugs Standards Organisation, Ghaziabad.

Ministry of Home Affairs

53. Ministry of Home Affairs, New Delhi.
54. Directorate General, Central Reserve Police Force, New Delhi.
55. Zonal Councils Secretariat, New Delhi.
56. Narcotics Control Bureau, New Delhi.
57. North Eastern Council Secretariat, Shillong.

Ministry of Information and Broadcasting

58. Central Board of Film Certification, Mumbai.
59. National Film Archive of India, Pune.

Ministry of Labour and Employment

60. Ministry of Labour and Employment, New Delhi.
61. Office of the Regional Labour Commissioner (Central), Cochin.

62. विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, भुवनेश्वर।
63. कार्यालय क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (मध्य), चंडीगढ़।
64. कार्यालय सहायक कल्याण आयुक्त, श्रम कल्याण संगठन, पणजी, गोवा।
65. विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, मुंबई।
66. क्षेत्रीय निदेशालय, प्रशिक्षण प्रशिक्षण, हैदराबाद
67. कार्यालय क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (मध्य), अजमेर।
68. क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, अरईमिले (तुरा) मेघालय।
69. फोरमैन प्रशिक्षण संस्थान, जमशेदपुर।
70. अनुसूचित जाति/जन जाति कोचिंग सह मार्गदर्शन केन्द्र, गुवाहाटी।

खान मंत्रालय

71. भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर।

रेल मंत्रालय

72. रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), नई दिल्ली।
73. मेट्रो रेल, कोलकाता।
74. महाप्रबंधक कार्यालय, मध्य रेलवे, मुंबई।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

75. मौसम विज्ञान महानिदेशालय, नई दिल्ली।
76. राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्रण संगठन, कोलकाता।

पोत, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

77. सड़क परिवहन और राजमार्ग (पोत विभाग), नई दिल्ली।
78. मुख्य अभियंता और प्रशासक कार्यालय, अंडमान लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स, पोर्ट ब्लेयर।
79. महानिदेशालय, दीपस्तंभ और दीपपोत, नोएडा।

कपड़ा मंत्रालय

80. पटसन विकास निदेशालय, कोलकाता।
81. पटसन आयुक्त कार्यालय, कोलकाता।

जल संसाधन मंत्रालय

82. जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली।

अंतरिक्ष विभाग

83. अंतरिक्ष विभाग, बंगलौर।

ख. अन्य संगठन

योजना आयोग

84. योजना आयोग, नई दिल्ली।
85. क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, मुम्बई।
86. परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, अहमदाबाद।
87. परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, बंगलौर।
88. परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, भोपाल।
89. परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, भुवनेश्वर।
90. परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, गुवाहाटी।

62. Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped, Bhubaneswar
63. Office of the Regional Labour Commissioner (C), Chandigarh.
64. Office of the Assistant Welfare Commissioner, Labour Welfare Organisation, Panaji, Goa.
65. Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped, Mumbai.
66. Regional Directorate of Apprenticeship Training, Hyderabad.
67. Office of the Regional Labour Commissioner (Central), Ajmer.
68. Regional Vocational Training Institute for Women, Araimille (Tura) Meghalaya.
69. Foremen Training Institute, Jamshedpur.
70. Coaching cum Guidance Centre for SC/ST, Guwahati.

Ministry of Mines

71. Indian Bureau of Mines, Nagpur.

Ministry of Railways

72. Ministry of Railways (Railway Board), New Delhi.
73. Metro Railway, Kolkata.
74. General Manager's Office, (Central Railways), Mumbai.

Ministry of Science and Technology

75. Directorate General of Meteorology, New Delhi.
76. National Atlas & Thematic Mapping Organisation, Kolkata.

Ministry of Shipping

77. Road Transport and Highways (Department of Shipping), New Delhi.
78. Office of the Chief Engineer and Administrator, Andaman Lakshadweep Harbour Works, Port Blair
79. Directorate General of Lighthouses and Lightships, Noida

Ministry of Textiles

80. Directorate of Jute Development, Kolkata.
81. Office of the Jute Commissioner, Kolkata.

Ministry of Water Resources

82. Ministry of Water Resources, New Delhi.

Department of Space

83. Department of Space, Bangalore.

B. Other Organisations

Planning Commission

84. Planning Commission, New Delhi.
85. Regional Evaluation Office, Mumbai.
86. Project Evaluation Office, Ahmedabad.
87. Project Evaluation Office, Bangalore.
88. Project Evaluation Office, Bhopal.
89. Project Evaluation Office, Bhubaneswar.
90. Project Evaluation Office, Guwahati.

91. परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, पटना।
92. परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, शिमला।
93. क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, चंडीगढ़।
94. क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, चैन्नई।
95. क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, हैदराबाद।
96. क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, जयपुर।
97. क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, लखनऊ।
98. क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, कोलकाता।

ग. सार्वजनिक उपक्रम/समितियां/निगम/सांविधिक निकाय

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

99. हिन्दुस्तान इनसेक्टिसाइड्स लिमिटेड, नई दिल्ली।
100. बंगाल कैमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता।
101. नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नोएडा (उत्तर प्रदेश)।
102. फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स ट्रावणकोर लिमिटेड, कोच्चि।
103. हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड, रसायनी (रायगढ़)।

नागर विमान मंत्रालय

104. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, राय बरेली।

कोयला मंत्रालय

105. कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त, धनबाद।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

106. प्रोजेक्ट एक्विपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली।

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

107. सोसाइटी फार एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च मुंबई।

रक्षा मंत्रालय

108. गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता।
109. मजगांव डाक लिमिटेड, मुंबई।
110. भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद।

वित्त मंत्रालय

111. जनरल इंश्योरेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया।

खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय

112. भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली।

भारी उद्योग और सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय

113. हिंदुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड, कोलकाता।
114. एच.एम.टी. चिनार वाचेज लिमिटेड, श्रीनगर।
115. नागालैण्ड पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड, जोरहाट (असम)।

श्रम मंत्रालय

116. केन्द्रीय कामगार शिक्षा बोर्ड, नागपुर।

91. Project Evaluation Office, Patna.
92. Project Evaluation Office, Shimla.
93. Regional Evaluation Office, Chandigarh.
94. Regional Evaluation Office, Chennai.
95. Regional Evaluation Office, Hyderabad.
96. Regional Evaluation Office, Jaipur.
97. Regional Evaluation Office, Lucknow.
98. Regional Evaluation Office, Kolkata.

C. Public Sector Undertakings/ Committees/ Corporations/ Statutory Bodies etc.

Ministry of Chemicals and Fertilizers

99. Hindustan Insecticides Limited, New Delhi.
100. Bengal Chemicals & Pharmaceuticals Limited, Kolkata
101. National Fertilizers Limited, Noida. (U.P.)
102. The Fertilizers and Chemicals Travancore Limited, Kochi.
103. Hindustan Organic Chemicals Limited, Rasayani (Raigad).

Ministry of Civil Aviation

104. Indira Gandhi Rashtriya Uran Akademi, Rae Bareilly.

Ministry of Coal

105. Coal Mines Provident Fund Commissioner, Dhanbad.

Ministry of Commerce and Industry

106. Project Equipment Corporation (PEC) Limited, New Delhi.

Ministry of Communication and Information Technology

107. Society for Applied Microwave Electronics Engineering and Research (SAMEER), Mumbai.

Ministry of Defence

108. Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited, Kolkata.
109. Mazagon Dock Limited, Mumbai.
110. Bharat Dynamics Limited, Hyderabad.

Ministry of Finance

111. General Insurance Corporation of India, Mumbai.

Ministry of Food Processing

112. Food Corporation of India, New Delhi.

Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises

113. Hindustan Paper Corporation Limited, Kolkata.
114. H.M.T. Limited, Bangalore.
115. Nagaland Pulp & Paper Company Limited, Jorhat (Assam).

Ministry of Labour

116. Central Board for Workers Education, Nagpur.

खान और खनिज मंत्रालय

117. हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, कोलकाता।
118. मिनरल एक्सप्लोरेशन कार्पोरेशन लिमिटेड, नागपुर।
119. नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, भुवनेश्वर।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

120. इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली।
121. चैन्नई पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, चैन्नई।
122. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई।
123. नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड गोलाघाट (असम)।

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

124. इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली।
125. मुंबई रेलवे विकास कार्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

126. भारतीय प्रतिरक्षण संस्थान, नई दिल्ली।
127. इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फार पावडर मैटलर्जी एंड न्यू मैटीरियल्स, हैदराबाद।
128. इंडियन इंस्टीट्यूट आफ ट्रापिकल मैट्रोलाजी, पुणे।

पोत परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

129. चैन्नई पोर्ट ट्रस्ट, चैन्नई।
130. शिपिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया, मुंबई।
131. मर्चुगाओ पोर्ट ट्रस्ट, गोवा।
132. ड्रेजिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, विशाखापत्तनम।
133. हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम।
134. विशाखापत्तनम डॉक लेबर, विशाखापत्तनम।
135. तूतीकोरिन बंदरगाह न्यास, तूतीकोरिन।

इस्पात मंत्रालय

136. मैटलर्जिकल एंड इंजीनियरिंग कल्सल्टेशन (इंडिया) (मेकॉन) लिमिटेड, रांची।

कपड़ा मंत्रालय

137. भारतीय शिल्पकला और हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड, नई दिल्ली।
138. काटन कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नवी मुम्बई।

जनजातीय कार्य मंत्रालय

139. ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डिवेलपमेंट फेडरेशन (ट्राइफेड), नई दिल्ली।

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय

140. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नियोजन बोर्ड, नई दिल्ली।

जल संसाधन मंत्रालय

141. ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी।

परमाणु ऊर्जा विभाग

142. इंडिया रेअर अर्थ लिमिटेड, मुम्बई।

Ministry of Mines and Minerals

117. Hindustan Copper Limited, Kolkata.
118. Mineral Exploration Corporation Limited, Nagpur.
119. National Aluminium Company Limited, Bhubaneswar.

Ministry of Petroleum and Natural Gas

120. Engineers India Limited, New Delhi.
121. Chennai Petroleum Corporation Limited, Chennai.
122. Hindustan Petroleum Corporation Limited, Mumbai.
123. Numaligarh Refinery Limited Golaghat (Assam).

Ministry of Railways (Railway Board)

124. IRCON International Limited, New Delhi.
125. Mumbai Railway Vikas Corporation Limited, Mumbai.

Ministry of Science and Technology

126. National Institute of Immunology, New Delhi.
127. International Advanced Research Centre for Powder Metallurgy and New Materials, Hyderabad.
128. Indian Institute of Tropical Meteorology, Pune.

Ministry of Shipping, Road Transport and Highways

129. Chennai Port Trust, Chennai
130. Shipping Corporation of India Limited, Mumbai
131. Marmagao Port Trust, Goa
132. Dredging Corporation of India Limited, Visakhapatnam
133. Hindustan Shipyard Limited, Visakhapatnam
134. Visakhapatnam Dock Labour Board, Visakhapatnam
135. Tuticorin Port Trust, Tuticorin

Ministry of Steel

136. MECON Limited, Ranchi

Ministry of Textile

137. Handicrafts and Handlooms Exports Corporation of India Limited, New Delhi.
138. Cotton Corporation of India Limited, Navi Mumbai

Ministry of Tribal Affairs

139. Tribal Co-operative Marketing Development Federation of India Limited, Delhi

Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation

140. National Capital Region Planning Board, New Delhi.

Ministry of Water Resources

141. Brahmaputra Board, Guwahati

Department of Atomic Energy

142. Indian Rare Earths Limited, Mumbai.

अनुलग्नक - II

अर्ध-प्रचलित अभिलेखों के अभिलेखीकरण, सूचीकरण, समीक्षा तथा
विनष्टीकरण के संबंध में की गयी प्रगति के बारे में अर्धवार्षिक
विवरणियां प्रेषित करने वाले संगठनों की सूची

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग/कार्यालय	प्राप्त अर्धवार्षिक
कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय		
1.	कृषि अनुसंधान, नई दिल्ली।	1
2.	केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, धमरोद, जिला सूरत।	1
3.	केन्द्रीय पशु प्रजनन, सम्मलपुर।	1
4.	केन्द्रीय पशु प्रजनन, सूरतगढ़।	1
5.	केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, धमरोद, जिला सूरत।	1
6.	बाजरा विकास निदेशालय, जयपुर।	2
7.	राष्ट्रीय जैव-उर्वरक विकास केन्द्र, गाजियाबाद।	1
8.	एगमार्क प्रयोगशाला, राजकोट (गुजरात)।	1
रसायन और उर्वरक मंत्रालय		
9.	रसायन और पेट्रो रसायन विभाग, नई दिल्ली।	2
नागर विमानन मंत्रालय		
10.	नागर विमानन मंत्रालय, नई दिल्ली।	2
11.	कार्यालय नागर विमानन महानिदेशालय, नई दिल्ली।	2
12.	प्रधान लेखा कार्यालय, नई दिल्ली।	2
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय		
13.	वाणिज्य विभाग (आपूर्ति प्रभाग), नई दिल्ली।	2
14.	औद्योगिक नीत और संवर्धन विभाग, नई दिल्ली।	2
15.	आपूर्ति महानिदेशालय (आन्तरिक कार्य स्टडी एकक) नई दिल्ली	1
16.	आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय, नई दिल्ली।	2
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय		
17.	कार्यालय मुख्य महा डांकपाल, (हरियाणा परिमंडल), अंबाला।	1
18.	महाडाक पाल पश्चिम परिमंडल, तमिलनाडू, कोयंबटूर।	1
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय		
19.	केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, कोलकाता।	1
20.	फारवर्ड मार्केटिंग कमिशन, मुम्बई।	1

ANNEXURE - II

LIST OF ORGANISATIONS WHO HAVE FURNISHED HALF-YEARLY RETURNS ON THE PROGRESS MADE BY THEM IN RECORDING, INDEXING, REVIEWING AND WEEDING OF SEMI-CURRENT RECORDS

A. Ministries/ Departments/ Offices

S. No.	Name of Organisations	No. of Half-yearly returns received
Ministry of Agriculture Cooperation		
1.	Department of Agricultural Research, New Delhi.	1
2.	Central Cattle Breeding Farm, Dhamrod, District Surat.	1
3.	Central Cattle Breeding Farm, Sambalpur.	1
4.	Central Cattle Breeding Farm, Suratgarh.	1
5.	Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bangalore.	1
6.	Directorate of Millets Development, Jaipur.	2
7.	National Centre of Organic Farming, Ghaziabad.	1
8.	Regional Agmark Laboratory, Rajkot (Gujarat).	1
Ministry of Chemicals and Fertilizers		
9.	Department of Chemicals and Petrochemicals, New Delhi	2
Ministry of Civil Aviation		
10.	Ministry of Civil Aviation, New Delhi.	2
11.	Office of the Directorate General Civil Aviation, New Delhi.	2
12.	Principal Accounts Office, New Delhi.	2
Ministry of Commerce & Industry		
13.	Department of Commerce (Supply Division), New Delhi.	2
14.	Department of Industrial Policy & Promotion, New Delhi.	2
15.	Directorate General of Supplies (Internal Work Study Unit), New Delhi.	1
16.	Directorate General of Supplies and Disposals, New Delhi	2
Ministry of Communication and Information Technology		
17.	Office of the Chief Postmaster General, (Haryana Circle), Ambala.	1
18.	Office of the Post Master General, Western Region Tamil Nadu, Coimbatore.	1
Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution		
19.	Central Food Laboratory, Kolkata.	1
20.	Forward Marketing Commission, Mumbai.	1

संस्कृति मंत्रालय

21. केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय, कोलकाता।

1

रक्षा मंत्रालय

22. रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली।
23. प्रदर्शनी संगठन, नई दिल्ली।
24. क्षेत्रीय सेना उड़ान सक्षमता केन्द्र, जिला सुल्तानपुर (उ.प्र.)।
25. टर्मिनल बैलास्टिक रिसर्च लैबोरेटरी, चंडीगढ़।

2

1

2

2

पर्यावरण और वन मंत्रालय

26. भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून।
27. उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़।

2

2

वित्त मंत्रालय

28. आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली।
29. कार्यालय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क, औरंगाबाद।
30. कार्यालय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क, नागपुर।
31. कार्यालय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क, रामपुर।
32. कार्यालय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, आयुक्त, बैलगाव, रामपुर।
33. कार्यालय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, आयुक्त, बैलगाव, चंडीगढ़।
34. कार्यालय केन्द्रीय सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क आयुक्त, पणजी (गोवा)।
35. कार्यालय आयकर आयुक्त (अपील), नई दिल्ली।
36. कार्यालय नमक आयुक्त, जयपुर।

2

2

2

1

2

1

2

1

2

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

37. बीसीजी टीका प्रयोगशाला, चैन्नई।
38. केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, कोलकाता।
39. सरकारी चिकित्सा सामग्री भण्डार डिपो, करनाल।
40. कलावती सरन बाल चिकित्सालय, नई दिल्ली।
41. कार्यालय अपर निदेशक, केन्द्र सरकार, स्वास्थ्य योजना, मुम्बई।
42. संयुक्त निदेशक कार्यालय, सरकार, स्वास्थ्य योजना, जबलपुर (म.प्र.)।
43. क्षेत्रीय सरकार और परिवार कल्याण कार्यालय, जयपुर।
44. पोत पतन स्वास्थ्य संगठन, मंडपम कैप, मारमा, गोवा।
45. पोत पतन स्वास्थ्य संगठन, मंडपम कैप, रामनाथपुरम, तमिलनाडु।

2

1

1

1

2

2

1

1

2

गृह मंत्रालय

46. गृह मंत्रालय, नई दिल्ली।
47. महानिदेशक कार्यालय केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, नई दिल्ली।
48. आंचलिक परिषद, नई दिल्ली।

2

2

2

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

49. फिल्म समारोह निदेशालय, नई दिल्ली।
50. फोटो प्रभाग, नई दिल्ली।

1

1

श्रम और रोजगार मंत्रालय

51. श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली।
52. अनु.जा./अनु.जनजाति के लिए कोचिंग-कम-गाइडेंस सेंटर, हिसार।
53. फोर मैन प्रशिक्षण संस्थान, जबलपुर।
54. फोरमैन प्रशिक्षण संस्थान, जमशेदपुर।

2

2

1

1

Ministry of Culture

21. Central Reference Library, Kolkata. 1

Ministry of Defence

22. Ministry of Defence, New Delhi. 2
 23. Defence Exhibition Organisation, New Delhi. 1
 24. Regional Centre for Military Airworthiness, District -Sultanpur (U.P.). 2
 25. Terminal Ballistics Research Laboratory, Chandigarh. 2

Ministry of Environment and Forests

26. Forest Survey of India, Dehradun. 2
 27. Northern Regional Office, Chandigarh. 2

Ministry of Finance

28. Department of Economic Affairs, New Delhi. 2
 29. Office of the Commissioner of Central Excise and Customs, Aurangabad. 2
 30. Office of the Commissioner of Central Excise and Customs, Nagpur. 2
 31. Office of the Commissioner of Central Excise and Customs, Raipur. 1
 32. Office of the Commissioner of Central Excise, Belgaum. 2
 33. Office of the Commissioner of Central Excise, Chandigarh. 1
 34. Office of the Commissioner of Customs and Central Excise, Panaji-Goa. 2
 35. Office of the Commissioner of Income Tax (Appeal), New Delhi. 1
 36. Office of the Salt Commissioner, Jaipur. 2

Ministry of Health and Family Welfare

37. BCG Vaccine Laboratory, Chennai. 2
 38. Central Food Laboratory, Kolkata. 1
 39. Government Medical Store Depot, Karnal. 1
 40. Kalavati Saran Balchikitsalaya, New Delhi. 1
 41. Office of the Additional Director, Central Government Health Scheme, Mumbai. 2
 42. Office of the Joint Director, Central Government Health Scheme, Jabalpur (M.P.) 2
 43. Office of the Regional Health and Family Welfare, Jaipur. 1
 44. Port Health Organisation, Mandapam Camp, Marmagao, Goa. 1
 45. Port Health Organisation, Mandapam Camp, Ramanathapuram, Tamil Nadu. 2

Ministry of Home Affairs

46. Ministry of Home Affairs, New Delhi. 2
 47. Office of the Directorate General, Central Reserve Police Force, New Delhi. 2
 48. Zonal Council Secretariat, New Delhi. 2

Ministry of Information and Broadcasting

49. Directorate of Film Festivals, New Delhi. 1
 50. Photo Division, New Delhi. 1

Ministry of Labour and Employment

51. Ministry of Labour, New Delhi. 2
 52. Coaching -cum-Guidance Centre for SC/ST, Hissar. 2
 53. Foremen Training Institute, Jabalpur. 1
 54. Foremen Training Institute, Jamshedpur. 1

55. कार्यालय क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (मध्य), चैन्नई.
56. मुख्य उपश्रमायुक्त कार्यालय (मध्य), बंगलोर।
57. कार्यालय श्रम प्रवर्तन अधिकारी (मध्य), कोयम्बटूर।
58. कार्यालय क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (मध्य), चंडीगढ़।
59. कार्यालय क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (मध्य), काकीनाडा, कोच्चि।
60. विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, जबलपुर।
61. विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, जयपुर।
62. विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, लुधियाना।

ऊर्जा मंत्रालय

63. केन्द्रीय ऊर्जा अनुसंधान, बंगलोर।

रेलवे मंत्रालय

64. रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय।

65. मौसम विज्ञान महानिदेशक कार्यालय, नई दिल्ली।

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय।

66. सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग, नई दिल्ली।
67. पोत परिवहन विभाग, नई दिल्ली।
68. मुख्य अभियंता और प्रशासन कार्यालय, अंडमान लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स, पोर्ट ब्लेयर।

कपड़ा मंत्रालय

69. कार्यालय पटसन आयुक्त, कोलकाता।

जल संसाधन मंत्रालय

70. जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली।

ख. अन्य संगठन

योजना आयोग

71. योजना आयोग, नई दिल्ली।

ग. सार्वजनिक उपक्रम/समितियां/निगम/सांविधिक निकाय आदि

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

72. बंगाल कैमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता।

नागर विमानन मंत्रालय

73. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी,, रायबरेली।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

74. प्रोजेक्ट इक्विपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली।

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

75. सोसाइटी फार एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च मुम्बई।

55. Office of the Regional Labour Commissioner (Central), Chennai. 1
56. Office of the Deputy Chief Labour Commissioner (Central), Bangalore. 2
57. Office of the Labour Enforcement Officer (Central), Coimbatore. 1
58. Office of the Regional Labour Commissioner (Central), Chandigarh. 2
59. Office of the Regional Labour Commissioner (Central), Kakkinnad, Cochin. 2
60. Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped, Jabalpur. 1
61. Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped, Jaipur. 2
62. Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped, Ludhiana. 2

Ministry of Power

63. Central Power Research Institute, Bangalore. 1

Ministry of Railways

64. Railway Board, New Delhi. 2

Ministry of Science and Technology

65. Office of the Director General of Metrology, New Delhi. 1

Ministry of Shipping, Road Transport & Highways

66. Department of Road Transport and Highways, New Delhi. 2
67. Department of Shipping, New Delhi. 2
68. Office of the Chief Engineer and Administrator Andaman Lakshadweep Harbour Works, Port Blair. 2

Ministry of Textiles

69. Office of the Jute Commissioner, Kolkata. 2

Ministry of Water Resources

70. Ministry of Water Resources, New Delhi. 2

B. Other Organisations (s)

Planning Commission, New Delhi

71. Planning Commission, New Delhi. 2

C. Public Sector Undertakings/ Committees/ Corporations/ Statutory Bodies etc.

Ministry of Chemicals and Fertilizers

72. Bengal Chemicals and Pharmaceuticals Limited, Kolkata. 1

Ministry of Civil Aviation

73. Indira Gandhi Rashtriya Uran Academy, Rae Bareilly. 2

Ministry of Commerce and Industry

74. Project Equipment Corporation Limited (PEC), New Delhi. 1

Ministry of Communication and Information Technology

75. Society For Applied Microwave Electronics Engineering and Research (SAMEER), Mumbai. 2

रक्षा मंत्रालय

76. गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता।
77. मझगांव डॉक लिमिटेड, मुम्बई।
78. भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद

भारी उद्योग और सार्वजनिक उपक्रम, मंत्रालय

79. भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली।
80. हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड, कोलकाता
81. हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, कोलकाता
82. नागलेण्ड पल्प एण्ड पेपर कम्पनी लिमिटेड, नागपुर।

खान और खनिज मंत्रालय

83. मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड, नागपुर।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

84. चैन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, चैन्नई।

ऊर्जा मंत्रालय

85. सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट, बंगलौर।

रेल मंत्रालय

86. इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली।
87. मुम्बई रेलवे विकास कारपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

88. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली।
89. इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फार पावडर मेटलजी एंड न्यू मैटीरियल्स, हैदराबाद।
90. इंडियन अकादमी आफ साइंसेस, बंगलौर।
91. इंडियन इंस्टीट्यूट आफ ट्रापिकल मैट्रालॉजी, पुणे।
92. जवाहर लाल नेहरू उच्च वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्र, बंगलौर।

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

93. शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया, मुम्बई।
94. मारमागोवा पोर्ट ट्रस्ट, गोवा।
95. विशाकापटनम डॉक श्रम बोर्ड, विशाकापटनम।

वस्त्र मंत्रालय

96. कारन कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नवी मुम्बई।

पर्यटन मंत्रालय

97. होटल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई।

जनजातीय मामले मंत्रालय

98. भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास सघ लिमिटेड, नई दिल्ली।

Ministry of Defence

76. Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited, Kolkata. 1
77. Mazagon Dock Limited, Mumbai. 1
78. Bharat Dynamics Limited, Hyderabad. 1

Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises

79. Bharat Heavy Electricals Limited, New Delhi. 1
80. Hindustan Paper Corporation Limited, Kolkata. 1
81. Hindustan Copper Limited, Kolkata. 1
82. Nagaland Pulp & Paper Company Limited, Jorhat (Assam). 1

Ministry of Mines and Minerals

83. Mineral Exploration Corporation Limited, Nagpur. 2

Ministry of Petroleum and Natural Gas

84. Chennai Petroleum Corporation Limited, Chennai. 2

Ministry of Power

85. Central Power Research Institute, Bangalore. 1

Ministry of Railways

86. IRCON International Limited, New Delhi. 1
87. Mumbai Railway Vikas Corporation Limited, Mumbai. 1

Ministry of Science and Technology

88. Council of Scientific and Industrial Research, New Delhi. 2
89. International Advanced Research Centre for Powder Metallurgy and New Materials, Hyderabad. 2
90. Indian Academy of Sciences, Bangalore. 2
91. Indian Institute of Tropical Meteorology, Pune. 2
92. Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research, Bangalore. 2

Ministry of Shipping, Road Transport and Highways

93. Shipping Corporation of India Limited, Mumbai. 1
94. Marmagao Port Trust, Goa. 1
95. Visakhapatnam Dock Labour Board, Visakhapatnam. 1

Ministry of Textile

96. Cotton Corporation of India Limited, Navi Mumbai. 1

Ministry of Tourism

97. Hotel Corporation of India Limited, Mumbai. 2

Ministry of Tribal Affairs

98. Tribal Co-operative Marketing Development Federation of India Limited, New Delhi. 2

अनुलग्नक—III

वर्गीकृत अभिलेखों के विवर्गीकरण पर अर्धवार्षिक विवरणियां भेजने वाले संगठनों की सूची

क्र. सं.	क. मंत्रालय/विभाग/कार्यालय	संगठन का नाम	विवरणों की सं.	प्राप्त अर्धवार्षिक
कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय				
1.	कृषि और सहकारिता विभाग, नई दिल्ली।			1
2.	केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, धमरोद, जिला सूरत।			2
3.	बाजरा विकास निदेशालय, जयपुर।			1
4.	राष्ट्रीय जैव कृषि केन्द्र, गाजियाबाद।			1
5.	दक्षिण क्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान, अनंतपुर (आं.प्र.)			1
रसायन और उर्वरक मंत्रालय				
6.	रसायन और पेट्रो रसायन विभाग, नई दिल्ली।			2
नागर विमानन मंत्रालय				
7.	नागर विमानन मंत्रालय, नई दिल्ली।			1
8.	कार्यालय नागर विमान महानिदेशक, नई दिल्ली।			1
वाणिज्य और उद्योग				
9.	वाणिज्य विभाग (आपूर्ति प्रभाग), नई दिल्ली।			2
10.	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, नई दिल्ली।			2
11.	आपूर्ति महानिदेशालय, नई दिल्ली।			2
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय				
12.	कार्यालय मुख्य महाडाकपाल, (हरियाणा परिमंडल), अम्बाला।			1
13.	कार्यालय मुख्य महा डाकपाल, कोयम्बटूर।			1
14.	कार्यालय मुख्य महाडाकपाल, कर्नाटक परिमंडल, बंगलौर।			1
वित्तमंत्रालय कम्पनी मामले मंत्रालय				
15.	सरकारी परिसहायक का कार्यालय, नागपुर।			2
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय				
16.	फारवर्ड मार्केटिंग कमीशन, मुम्बई।			1
रक्षा मंत्रालय				
17.	रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली।			2

ANNEXURE – III

LIST OF ORGANISATIONS WHO HAVE FURNISHED HALF-YEARLY RETURNS ON DE-CLASSIFICATION OF CLASSIFIED RECORDS.

A. Ministries/ Departments/ Offices

S. No.	Name of Organisations	No. of Half-yearly returns received
Ministry of Agriculture		
1.	Department of Agriculture & Corporation, New Delhi.	1
2.	Central Cattle Breeding Farm, Dhamrod, District Surat.	2
3.	Directorate of Millets Development, Jaipur.	1
4.	National Centre of Organic Farming, Ghaziabad	1
5.	Southern Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Anantapur (A.P.).	1
Ministry of Chemicals and Fertilizers		
6.	Department of Chemicals and Petrochemicals, New Delhi.	2
Ministry of Civil Aviation		
7.	Ministry of Civil Aviation, New Delhi.	1
8.	Office of the Directorate General Civil Aviation, New Delhi.	1
Ministry of Commerce & Industry		
9.	Department of Commerce (Supply Division), New Delhi.	2
10.	Department of Industrial Policy & Promotion, New Delhi.	2
11.	Directorate General of Supplies, New Delhi.	2
Ministry of Communication and Information Technology		
12.	Office of the Chief Postmaster General, (Haryana Circle), Ambala..	1
13.	Office of the Chief Postmaster General, Coimbatore.	1
14.	Principal Chief Postmaster General, Bangalore.	1
Ministry of Finance Company Affairs		
15.	Office of the Official Liquidator, Nagpur.	2
Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution		
16.	Forward Marketing Commission, Mumbai.	1
Ministry of Defence		
17.	Ministry of Defence, New Delhi	2

18.	रक्षा प्रदर्शनी संगठन, नई दिल्ली।	1
19.	क्षेत्रीय सैन्य उड़ान सक्षमता केन्द्र, जिला सुल्तानपुर (उ.प्र.)।	2
20.	वरिष्ठ गुणवत्ता आश्वासन प्रतिष्ठान (एस), नई दिल्ली।	2
पर्यावरण और वन मंत्रालय		
21.	भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून।	2
22.	उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़।	2
वित्त मंत्रालय		
23.	आर्थिक कार्य विभाग (आई डब्ल्यू एस यू), नई दिल्ली।	2
24.	इंडिया सिक्वोरिटी प्रेस नाशिक रोड।	2
25.	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क आयुक्त कार्यालय, औरंगाबाद।	1
26.	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क आयुक्त कार्यालय, नागपुर।	2
27.	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, बेलगांव।	2
28.	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, चंडीगढ़।	1
29.	सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, पणजी (गोवा)।	2
30.	सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, रायपुर।	1
31.	आयकर आयुक्त कार्यालय (अपील), नई दिल्ली।	1
32.	आयकर आयुक्त कार्यालय, नागपुर।	1
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय		
33.	बीसीजी टीका प्रयोगशाला, चैन्नई।	2
34.	केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना, जबलपुर (म.प्र.)।	2
35.	कलावती सरन बाल चिकित्सालय, नई दिल्ली।	1
36.	कार्यालय सहायक निदेशक, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, मुम्बई।	2
37.	पोर्ट हेल्थ आर्गेनाइजेशन, मंडपम कैम्प, रामनाथपुरम, तमिलनाडु।	2
38.	पोत पतन संगठन, मारमागोवा।	1
39.	राजकुमारी अमृत कौर नर्सिंग महाविद्यालय, नई दिल्ली।	2
गृह मंत्रालय		
40.	गृह मंत्रालय, नई दिल्ली।	1
41.	महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल, नई दिल्ली।	2
42.	महानिदेशक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल कार्यालय, नई दिल्ली।	2
43.	आंचलिक सचिवालय, नई दिल्ली।	1
सूचना और प्रसारण मंत्रालय		
44.	केन्द्रीय फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड, मुम्बई।	1
45.	भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे।	2
46.	भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, पुणे।	1
श्रम और रोजगार मंत्रालय		
47.	श्रम और रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली।	1
48.	अनु.जा./अनु.जनजाति कोचिंग-कम-गाइडेंस सेंटर, हिसार।	1
49.	अनु.जा./अनु.जनजाति कोचिंग-कम-गाइडेंस सेंटर, जयपुर।	1
50.	फोरमैन प्रशिक्षण संस्थान, जमशेदपुर।	1
51.	मुख्य श्रम उपायुक्त कार्यालय (मध्य), बंगलोर।	2
52.	क्षेत्रीय श्रम आयुक्त कार्यालय (मध्य), चंडीगढ़।	2
53.	क्षेत्रीय श्रम आयुक्त कार्यालय (मध्य), कोच्चि।	2

18. Defence Exhibition Organisation, New Delhi. 1
19. Regional Centre for Military Airworthiness, District –Sultanpur (U.P.) 2
20. Sr. Quality Assurance Establishment (S), New Delhi. 2

Ministry of Railways

Ministry of Environment and Forests

21. Forest Survey of India, Dehradun. 2
22. Northern Regional Office, Chandigarh. 2

Ministry of Finance

23. Department of Economic Affairs (IWSU), New Delhi. 2
24. India Security Press, Nasik Road. 2
25. Office of the Commissioner of Central Excise and Customs, Aurangabad. 1
26. Office of the Commissioner of Central Excise and Customs, Nagpur. 2
27. Office of the Commissioner of Central Excise, Belgaum. 2
28. Office of the Commissioner of Central Excise, Chandigarh. 1
29. Office of the Commissioner of Customs and Central Excise, Panaji-Goa. 2
30. Office of the Commissioner of Customs and Central Excise, Raipur. 1
31. Office of the Commissioner of Income Tax (Appeals), Delhi. 1
32. Office of the Commissioner of Income Tax, Nagpur. 1

Ministry of Health and Family Welfare

33. BCG Vaccine Laboratory, Chennai. 2
34. Central Government Health Scheme, Jabalpur (M.P.) 2
35. Kalawati Saran Bal Chikatsalaya, New Delhi. 1
36. Office of the Additional Director, Central Government Health Scheme, Mumbai. 2
37. Port Health Organisation, Mandapam Camp, Ramanathapuram, Tamil Nadu. 2
38. Port Health Organisation, Marmagao, Goa. 1
39. Rajkumari Amrit Kaur College of Nursing, New Delhi. 2

Ministry of Home Affairs

40. Ministry of Home Affairs, New Delhi. 1
41. Directorate General Border Security Force, New Delhi. 2
42. Office of the Directorate General, Central Reserve Police Force, New Delhi. 2
43. Zonal Councils Secretariat, New Delhi. 1

Ministry of Information and Broadcasting

44. Central Board of Film Certification, Mumbai. 1
45. Film and Television Institute of India, Pune. 2
46. National Film Archive of India, Pune. 1

Ministry of Labour and Employment

47. Ministry of Labour & Employment, New Delhi. 1
48. Coaching-Cum-Guidance Centre for SC/ST, Hissar. 1
49. Coaching-Cum-Guidance Centre for SC/ST, Jaipur. 1
50. Foremen Training Institute, Jamshedpur. 1
51. Office of the Deputy Chief Labour Commissioner (Central), Bangalore. 2
52. Office of the Regional Labour Commissioner (Central), Chandigarh. 2
53. Office of the Regional Labour Commissioner, (Central), Cochin. 2

खान मंत्रालय

54. विस्फोटक विभाग, नागपुर।

रेल मंत्रालय

55. रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

56. मौसम विज्ञान महानिदेशक कार्यालय, नई दिल्ली।

जहाजरानी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

57. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (ओ एण्ड एम अनुभाग), नई दिल्ली।

58. जहाजरानी विभाग, नई दिल्ली।

59. मुख्य अभियंता और प्रसासक कार्यालय, अंडमान लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स, पोर्ट ब्लेयर।

पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय

60. केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय, कोलकाता।

परमाणु ऊर्जा विभाग

61. न्यूक्लियर ईंधन कंप्लैक्स, हैदराबाद।

प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली

62. प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली।

ख. अन्य संगठन

योजना आयोग नई दिल्ली

63. योजना आयोग, नई दिल्ली।

ग. सार्वजनिक उपक्रम/समितियां/निगम/सांविधिक निकाल आदि

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

64. बंगाल कैमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता।

नागर विमानन मंत्रालय

65. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, फुर्सतगंज एयरफील्ड, राय बरेली।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

66. कार्यालय विकास आयुक्त, एमईपीजेड, विशेष आर्थिक क्षेत्र और एचईओयूज तमिलनाडु, पांडीचेरी, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह, चैन्नई।

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

67. सोसाइटी फार एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च, मुंबई।

रक्षा मंत्रालय

68. गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता।

69. मझगांव डॉक लिमिटेड, मुम्बई।

70. भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद।

Ministry of Mines

54. Department of Explosives, Nagpur. 2

Ministry of Railways

55. Railway Board, New Delhi. 2

Ministry of Science and Technology

56. Office of the Director General of Meteorology, New Delhi. 1

Ministry of Shipping, Road Transport and Highways

57. Department of Road Transport and Highways, (O&M Section), New Delhi. 2
 58. Department of Shipping, New Delhi. 1
 59. Office of the Chief Engineer and Administrator Andaman
 Lakshadweep Harbour Works, Port Blair. 2

Ministry of Tourism and Culture

60. Central Reference Library, Kolkata. 1

Department of Atomic Energy

61. Nuclear Fuel Complex, Hyderabad. 2

Department of Publication, New Delhi.

62. Department of Publication, New Delhi. 1

B. Other Organisations (s)**Planning Commission, New Delhi.**

63. Planning Commission, New Delhi. 2

C. Public Sector Undertakings/ Committees/ Corporations/ Statutory Bodies etc.**Ministry of Chemicals and Fertilizers**

64. Bengal Chemicals and Pharmaceuticals Limited, Kolkata 1

Ministry of Civil Aviation

65. Indira Gandhi Rashtriya Uran Academy, Rae Bareilly. 2

Ministry of Commerce and Industry

66. Project Equipment Corporation Limited (PEC), New Delhi. 1

Ministry of Communication and Information Technology

67. Society For Applied Microwave Electronics Engineering and
 Research (SAMEER), Mumbai. 2

Ministry of Defence

68. Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited, Kolkata. 1
 69. Mazagon Dock Limited, Mumbai. 1
 70. Bharat Dynamics Limited, Hyderabad 1

भारी उद्योग और सार्वजनिक उपक्रम, मंत्रालय

71. भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली।
72. हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, कोलकाता
73. नागलेण्ड पल्प एण्ड पेपर कम्पनी लिमिटेड, जोरहाट असम।

खान और खनिज मंत्रालय

74. मिनरल एक्सप्लोरेशन कार्पोरेशन लिमिटेड, नागपुर

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

75. चेनई पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, चेनई।

ऊर्जा मंत्रालय

76. सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट, बंगलौर।

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

77. इरकॉन इंटरनेशनल, लिमिटेड, नई दिल्ली।
78. मुम्बई रेल विकास कार्पोरेशन लिमिटेड मुम्बई।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

79. इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फार पावडर मेटलर्जी एंड न्यू मेटिरियल्स, हैदराबाद।
80. इंडियन अकादमी आफ साइंसेस, बंगलौर।
81. इंडियन इंस्टीट्यूट आफ ट्रापिकल मैट्रालॉजी, पुणे।
82. जवाहर लाल नेहरू उच्च वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्र, बंगलौर।

जहाजरानी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

83. शिपिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया, मुंबई।
84. मारमागोवा पोर्ट ट्रस्ट, गोवा।
85. विशाखापटनम डॉक श्रम बोर्ड, नवी मुम्बई।

वस्त्र मंत्रालय

86. कॉटन कार्पोरेशन आफ लिमिटेड, नवी मुम्बई।

जनजातीय मामले मंत्रालय

87. भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास सघ लिमिटेड, नई दिल्ली।

पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय

88. होटल कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई।

जल संसाधन मंत्रालय

89. भाखरा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (पी डब्ल्यू), चंडीगढ़।
90. भाखरा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (पी डब्ल्यू), तलवाड़ा।
91. ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहटी।

Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises

- | | | |
|-----|--|---|
| 71. | Bharat Heavy Electricals Limited, New Delhi. | 1 |
| 72. | Hindustan Copper Limited, Kolkata | 1 |
| 73. | Nagaland Pulp & Paper Company Limited, Jorhat (Assam). | 1 |

Ministry of Mines and Minerals

- | | | |
|-----|--|---|
| 74. | Mineral Exploration Corporation Limited, Nagpur. | 2 |
|-----|--|---|

Ministry of Petroleum and Natural Gas

- | | | |
|-----|---|---|
| 75. | Chennai Petroleum Corporation Limited, Chennai. | 2 |
|-----|---|---|

Ministry of Power

- | | | |
|-----|--|---|
| 76. | Central Power Research Institute, Bangalore. | 1 |
|-----|--|---|

Ministry of Railways (Railway Board)

- | | | |
|-----|---|---|
| 77. | IRCON International Limited, New Delhi. | 1 |
| 78. | Mumbai Railway Vikas Corporation Limited, Mumbai. | 1 |

Ministry of Science and Technology

- | | | |
|-----|--|---|
| 79. | International Advanced Research Centre for Powder Metallurgy and New Materials, Hyderabad. | 2 |
| 80. | Indian Academy of Sciences, Bangalore. | 2 |
| 81. | Indian Institute of Tropical Meteorology, Pune. | 2 |
| 82. | Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research, Bangalore. | 2 |

Ministry of Shipping, Road Transport and Highways

- | | | |
|-----|--|---|
| 83. | Shipping Corporation of India Limited, Mumbai | 1 |
| 84. | Marmagao Port Trust, Goa. | 1 |
| 85. | Visakhapatnam Dock Labour Board, Visakhapatnam | 1 |

Ministry of Textile

- | | | |
|-----|--|---|
| 86. | Cotton Corporation of India Limited, Navi Mumbai | 1 |
|-----|--|---|

Ministry of Tribal Affairs

- | | | |
|-----|--|---|
| 87. | Tribal Co-operative Marketing Development Federation of India Limited, New Delhi | 2 |
|-----|--|---|

Ministry of Tourism & Culture

- | | | |
|-----|--|---|
| 88. | Hotel Corporation of India Limited, Mumbai | 1 |
|-----|--|---|

Ministry of Water Resources

- | | | |
|-----|---|---|
| 89. | Bhakhra Beas Management Board (PW) Chandigarh | 2 |
| 90. | Bhakhra Beas Management Board, Talwara | 2 |
| 91. | Brahmaputra Board, Guwahati | 1 |

अनुलग्नक-IV

अभिलेख प्रबंधन पर वर्ष 2004 में आयोजित पांच/तीन दिवसीय अभिविन्यास पाठ्यक्रम में शामिल हुए विभागीय अभिलेख अधिकारियों के नाम

क्रम सं.	विभागीय अभिलेख अधिकारी	प्रायोजक संस्था का नाम (अंग्रेजी वर्णान्क्रम में)
1.	दास, विशन	एडजुटेंट जनरल की शाखा एम पी एस एंव 6 (समन्वय), नई दिल्ली।
2.	सत्यनारायण, आर.	एडवांस्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, चैन्नई।
3.	कुलावडे, चंद्रकांत	एयर इंडिया लिमिटेड, मुम्बई।
4.	चौधरी, रंजना कु.	एयर इंडिया लिमिटेड, मुम्बई।
5.	कुमार, निर्मल	एयर इंडिया लिमिटेड, आपरेशन, नई दिल्ली।
6.	गायकवाड, बी.एम.	एयर इंडिया लिमिटेड, मुम्बई।
7.	योगी, अशोक विट्टल	एयर इंडिया लिमिटेड, आपरेशन विभाग, प्रशिक्षण प्रभाग, मुम्बई।
8.	मदासामी, वी.	एयर इंडिया लिमिटेड, संपत्ति और सुविधा विभाग, मुम्बई।
9.	जुवेकर, डी.जी.	एयर इंडिया लिमिटेड, संपत्ति और सुविधा विभाग, मुम्बई।
10.	भगवानदास, गिरीश कुमार	एयर इंडिया लिमिटेड, मुम्बई।
11.	मुखर्जी, मेधा रंजन	एंड्रयूल एंड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता।
12.	भट्टाचार्य, के.के.	भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण,
13.	धर्मवीर	भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड, चंडीगढ़।
14.	दास, बिष्णु चरण	बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, कटक।
15.	कुमार, धनंजय	सीमा सड़क विकास बोर्ड, नई दिल्ली।
16.	भट्टाचार्य, वायपायान	ब्रिज एंड रूफ कं (भारत), हावडा।
17.	मोहनन, ए.	मंत्री मंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
18.	कुमार. आर. अनिल	केन्द्रीय मात्स्यिक प्रौद्योगिकी संस्थान, (आई सी ए आर), कोच्चि।
19.	जोसेफ, ए. जार्ज	केन्द्रीय मात्स्यिक प्रौद्योगिकी संस्थान, (आई सी ए आर), कोच्चि।
20.	धीर, बिजाए लक्ष्मी	केन्द्रीय फ्रेश वाटर संस्थान, भुवनेश्वर।
21.	शर्मा, आलोक	केन्द्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान (सी एस एम सी आर आई), भावनगर।
22.	राजू, ई. एस.	चैन्नई पोर्ट ट्रस्ट, चैन्नई।
23.	कार्तिकेय के.के.	महा वन संरक्षक (मध्य), क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल।
24.	कुलकर्णी, पी.वी.	मुख्य सतर्कता अधिकारी (निदेशक - सतर्कता), एयर इंडिया, मुम्बई।

ANNEXURE - IV**NAMES OF DEPARTMENTAL RECORDS OFFICERS
WHO HAVE ATTENDED FIVE/ THREE DAY ORIENTATION COURSE IN
RECORDS MANAGEMENT**

S. No	Name of D.R.O.	Name of the Sponsoring Authority (in alphabetical order)
1.	Dass, Bishan	Adjutant General's Branch MPS & 6 (Coord), New Delhi.
2.	Satyanarayana, R.	Advanced Training Institute, Chennai.
3.	Kulawade, Chandrakant	Air India Limited, Mumbai.
4.	Chaudhari, Ranjana K	Air India Limited, Mumbai.
5.	Kumar, Nirmal	Air India Limited, Operations, New Delhi.
6.	Gaikwad, B.M.	Air India, Limited, Mumbai.
7.	Yogi, Ashok Vitthal	Air India Limited, Operations Department, Training Division, Mumbai.
8.	Madasamy, V.	Air India Limited, Properties and Facilities Department, Mumbai.
9.	Juvekar, D.G.	Air India Limited, Properties and Facilities Department, Mumbai.
10.	Bhagwandas, Girish Kumar	Air-India Limited, Mumbai.
11.	Mukherjee, Medha Ranjan	Andrew Yule and Company Ltd., Kolkata.
12.	Bhattacharjee, K.K.	Anthropological Survey of India,
13.	Dhramvir	Bhakra Beas Management Board, Chandigarh.
14.	Das, Bishnu Charan	Board of Revenue, Cuttack.
15.	Kumar, Dhananjay	Border Roads Development Board, New Delhi.
16.	Bhattacharya, Dwaipayan	Bridge and Roof Co. (India), Howrah.
17.	Mohanan, A.	Cabinet Secretariat, Rashtrapati Bhawan, New Delhi.
18.	Kumar, R. Anil	Central Institute of Fisheries Technology (ICAR), Cochin.
19.	Joseph, A. George	Central Institute of Fisheries Technology, Cochin.
20.	Dhir, Bijoy Laxmi	Central Institute of Fresh Water, Bhubaneswar.
21.	Sharma, Alok	Central Salt and Marine Chemicals Research Institute (CSMCRI), Bhavnagar.
22.	Raju, E.S.	Chennai Port Trust, Chennai.
23.	Kartikey K.K.	Chief Conservator of Forests (Central), Regional Office, Bhopal.
24.	Kulkarni, P.V.	Chief Vigilance Officer (Director - Vigilance), AIR INDIA Mumbai.

25. रामचंद्रन, पुष्पा	मुख्य सतर्कता अधिकारी (निदेशक – सतर्कता), एयर इंडिया, मुम्बई।
26. नायर, पी. आर. सी.	सिविल इंजीनियरिंग डिवीजन, अंतरिक्ष विभाग, त्रिवेंद्रम।
27. प्रकाश, निर्मल	मुख्यालय तटरक्षक, नई दिल्ली।
28. सिंह, एस. एन.	कॉर्प्स ऑफ इलैक्ट्रानिस एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स (ई एम ई) रिकार्ड, सिकंद्राबाद, (आंध्र-प्रदेश)।
29. साहू, एच. एन.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली।
30. सिंह, जितेंद्र कुमार	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली।
31. कुमारी, कमलेश	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली।
32. शंखधर ए. एस. एस.	कृषि और सहकारिता विभाग, नई दिल्ली।
33. कश्यप, पी. डी.	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली।
34. राजेश, कमला	अंतरिक्ष विभाग, सिविल इंजीनियरिंग प्रभाग स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, अहमदाबाद।
35. विजया, जी.	सीमा शुल्क उपायुक्त, तिरुचिरापल्ली।
36. सन्नीग्रही, ए. के.	प्रूफ एंड एक्सपेटीमेंटल निदेशक, बालासोर।
37. ज्ञान, एस. के.	तोपखाना महानिदेशालय, सेना मुख्यालय, नई दिल्ली।
38. सचदेव, के. एस.	ई एन ई (पर्स) महानिदेशालय, एम जी ओ, शाखा, नई दिल्ली।
39. पीडेय, एन. के.	आपूर्ति निपटान महानिदेशालय, नई दिल्ली।
40. एलिजाबेथ, के. जी.	डायरेक्टोरेट ऑफ अरेकानट एंड स्पाइस डेवलेपमेंट, कोझीकोड।
41. मोहापात्रा, यू. एन.	जनगणना कार्य-संचालन निदेशालय, भुवनेश्वर।
42. राय, आर. के.	गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेशनरी, कोलकाता।
43. साहा, एस. के.	हिंदुस्तान पेपर कारपोरेशन लि., कोलकाता।
44. गोगोई, ए. के.	हिंदुस्तान पेपर कारपोरेशन लि., कोलकाता।
45. मुखोपाध्याय, कल्पना	हिंदुस्तान पेपर कारपोरेशन लि., कोलकाता।
46. प्राहाराज, रबिंद्र नाथ	गृह विभाग, सचिवालय, भुवनेश्वर।
47. सुदर्शनम, ए. वी.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास, चैन्नई।
48. नटराजन, बी.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास, चैन्नई।
49. सुब्रमणी	भारतीय रसायन जीव विज्ञान संस्थान, कोलकाता।
50. सुंदरमविनयागम, एस.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, चैन्नई।
51. कोराडे, उमेश	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली।
52. दाश, जगन्नाथ	भौतिकी संस्थान, (परमाणु ऊर्जा विभाग), भुवनेश्वर।
53. साहू, राम निरंजन	जिपमेर, पाण्डिचेरी।
54. वेल्मूरुगान, टी.	जिपमेर, पाण्डिचेरी।

25. Ramchandran, Pushpa Chief Vigilance Officer (Director – Vigilance), AIR INDIA Mumbai.
26. Nair, P.R.C. Civil Engineering Division, Department of Space, Trivandrum.
27. Prakash, Nirmal Coast Guard HQs., New Delhi.
28. Singh, S.N. Corps of Electronics and Mechanical, Engineers (EME) Record, Secunderabad (A.P.)
29. Sahu, H.N. Council of Scientific and Industrial Research, New Delhi.
30. Singh, Jitendra Kumar Council of Scientific and Industrial Research, New Delhi.
31. Kumari, Kamlesh Council of Scientific and Industrial Research, New Delhi.
32. Shankdhar, S.S. Department of Agriculture and Cooperation, New Delhi.
33. Kashyap, P.D. Department of Information Technology, New Delhi.
34. Rajesh, Kamla Department of Space, Civil Engineering Division, Space Application Centre, Ahmedabad.
35. Vijaya, G. Deputy Commissioner of Customs, Thiruchirapalli.
36. Sannigrahi, A.K. Director Proof & Experimental, Balasore.
37. Gayan, S.K. Directorate General of Artillery, Army Headquarters, New Delhi.
38. Sachdev, K.S. Directorate General of EME (Pers), MGO Branch, New Delhi.
39. Pandey, N.K. Directorate General of Supplies and Disposals, New Delhi.
40. Elizabeth, K.G. Directorate of Arecanut and Spices Development, Kozhikode.
41. Mohapatra, U.N. Directorate of Census Operation, Bhubaneswar.
42. Roy, R.K. Government of India Stationery, Kolkata.
43. Saha, S.K. Hindustan Paper Corporation Ltd., Kolkata.
44. Gogoi, A.K. Hindustan Paper Corporation Ltd., Kolkata.
45. Mukhopadhyay, Kalpana Hindustan Paper Corporation Ltd., Kolkata.
46. Praharaj, Rabindra Nath Home Department, Secretariat, Bhubaneswar.
47. Sudarsanam, A.V. Indian Institute of Technology Madras, Chennai.
48. Nagarajan, B. Indian Institute of Technology Madras, Chennai.
49. Subramani Indian Institute of Chemical Biology, Kolkata.
50. Sundaravinayagam, S. Indian Institute of Technology, Chennai.
51. Korade, Umesh Indian Institute of Technology, New Delhi.
52. Dash, Jagannath Institute of Physics, (Department of Atomic Energy), Bhubaneswar.
53. Sahoo, Ram Niranjana JIPMER, Pondicherry.
54. Velmurugan, T. JIPMER, Pondicherry.

55. साही, संजीव	कुद्रेमुख लौह अयस्क कंपनी लिमिटेड, बंगलौर।
56. मूर्ति, एम कृष्णा	कुद्रेमुख लौह अयस्क कंपनी लिमिटेड, बंगलौर।
57. प्रसाद, के. मंजुनाथ	कुद्रेमुख लौह अयस्क कंपनी लिमिटेड, बंगलौर।
58. पालनी, पी.	कुद्रेमुख लौह अयस्क कंपनी लिमिटेड, बंगलौर।
59. राजजादा, विजय	मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल।
60. नागमणि, सी. जी.	एम. टी. आर. डी. सी., बंगलौर।
61. सुधा	सीमा सड़क विकास बोर्ड, नई दिल्ली।
62. प्रकाश प्रेम	जहाजरानी मंत्रालय, परिवहन भवन, नई दिल्ली।
63. मिश्रा देवी प्रसाद	राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, भुवनेश्वर।
64. जारेदा, जे. एम.	राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली।
65. वर्मा, डी. के.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नियोजन बोर्ड, नई दिल्ली।
66. त्रिपाठी, विभूति भूषण	राष्ट्रीय इनफोर्मेटिक्स सेंटर, भुवनेश्वर।
67. चौधरी, एस. आर.	राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन और प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली।
68. वर्मा जी. सी.	भारतीय प्रतिरक्षण संस्थान, नई दिल्ली।
69. भगतानी, चंद्रेश	भारतीय प्रतिरक्षण संस्थान, नई दिल्ली।
70. नादीमुथु, के.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली।
71. नौटीयाल, एम. एन.	राष्ट्रीय प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, फरीदाबाद।
72. अलेक्जेंडर, सैमुअल	राष्ट्रीय क्षय रोग संस्थान (स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय), बंगलौर।
73. अस्थाना, पी. पी.	नेपा लिमिटेड, नेपालनगर।
74. सुकुमार, एम.	नेवेली लिगनाइट कारपोरेशन लिमिटेड, तमिलनाडू।
75. कुमार, सुरेंद्र	उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़।
76. ढल, देबजानी	समाहर्तालय कार्यालय, कटक, उड़ीसा।
77. कालिया, राजन	महालेखा कार्यालय (ए एंड ई) पंजाब, चंडीगढ़।
78. षण्मुगम, एस.	सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय, ओल्ड टाउन, कुददोलौर।
79. सूरज मल	आफिस ऑफ कंट्रोलर ऑफ एअरवार्थिनेस, लखनऊ।
80. धनलक्ष्मी, आर.	उपायुक्त कार्यालय, सेंट्रल एक्साइज, चैन्नई।
81. प्रधान, जितेंद्र कुमार	पेटेंट एंड डिजाइन कार्यालय, कोलकाता।
82. चटर्जी, अरिंदम	पेटेंट एंड डिजाइन कार्यालय, कोलकाता।
83. बोस, तमल कांति	पेटेंट एंड डिजाइन कार्यालय, कोलकाता।
84. चक्रवर्ती, विश्वजीत	पेटेंट एंड डिजाइन कार्यालय, कोलकाता।

55. Sahi, Sanjeev Kudremukh Iron Ore Company Limited, Bangalore.
56. Murty, M. Krishna Kudremukh Iron Ore Company Limited, Kudremukh.
57. Prasad, K. Manjunatha Kudremukh Iron Ore Company Limited, Managalore.
58. Palani, P. Kudremukh Iron Ore Company Limited, Mangalore.
59. Raizada, Vijay Maulana Azad National Institute of Technology, Bhopal.
60. Nagamani, C.G. M.T.R.D.C., Bangalore.
61. Sudha Border Roads Development Board, New Delhi.
62. Prakash Prem Ministry of Shipping, Parivahan Bhavan, New Delhi.
63. Mishra, Devi Prasad National Aluminum Company Ltd., Bhubaneswar.
64. Jareda, J.M. National Archives of India, New Delhi.
65. Verma, D.K. National Capital Region Planning Board, New Delhi.
66. Tripathy, Bibhuti Bhusan National Information Centre, Bhubaneswar.
67. Chaudhary, S.R. National Institute of Educational Planning and Administration, New Delhi.
68. Verma, G.C. National Institute of Immunology, New Delhi.
69. Bhagtani, Chandresh National Institute of Immunology, New Delhi.
70. Nadimuthu, K. National Institute of Technology, Tiruchirapalli.
71. Nautiyal, M.N. National Project Construction Corporation Ltd., Faridabad.
72. Alexander, Samuel National Tuberculosis Institute, (Directorate General of Health Services), Bangalore.
73. Asthana, P.P. NEPA Limited, Nepanagar.
74. Sukumar, M. Neyveli Lignite Corporation Limited, Tamil Nadu.
75. Kumar, Surendra Northern Regional Office, Chandigarh.
76. Dhal, Debjani Office of the Collectorate, Cuttack, Orissa.
77. Kalia, Rajan Office of the Accountant General (A&E), Punjab, Chandigarh.
78. Shanmugam, S. Office of the Commissioner of Customs, Old Town Cuddalore.
79. Suraj Mal Office of the Controller of Airworthiness, Lucknow.
80. Dhanalakshmi, R. Office of the Deputy Commissioner Central Excise, Chennai.
81. Pradhan, Jitendra Kumar Office of the Patents & Design, Kolkata
82. Chatterjee, Arindam Office of the Patents & Design, Kolkata.
83. Bose, Tamal Kanti Office of the Patents & Design, Kolkata.
84. Chakraborty, Bishwajit Office of the Patents & Design, Kolkata.

85. नायक, बिजयनंद उपनियंत्रक कार्यालय, भुवनेश्वर।
86. बेहेरा, बिस्वांबर उड़ीसा लोक सेवा आयोग, कटक।
87. रणसिंह, बिछंद कुमार उड़ीसा राज्य अभिलेखागार, भुवनेश्वर।
88. कुमार, धीरेन्द्र उड़ीसा राज्य अभिलेखागार, भुवनेश्वर।
89. सेठी, रविंद्र नाथ उड़ीसा राज्य अभिलेखागार, भुवनेश्वर।
90. नायक, बिश्वानाथ राज्य अभिलेखागार, भुवनेश्वर।
91. सुलोचना, के. ए. साथिया योजना आयोग, नई दिल्ली।
92. गोयल, रमेश भारतीय प्रेस परिषद, नई दिल्ली।
93. राज कुमार प्रधान मंत्री कार्यालय, नई दिल्ली।
94. मल्होत्रा आर. सी. प्रकाशन प्रभाग, (सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय), नई दिल्ली।
95. मोहन, अरविंद रीजनल आफिस ऑफ दी कंट्रोलर ऑफ एअरवार्थिनेस, चाकरी, कानपुर, (उत्तर प्रदेश)।
96. रविकिरण, पी. भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय रिकार्ड और अभिलेखाकरण केंद्र, पुणे।
97. महापात्रा, आर. एन. दक्षिण-पूर्वी रेलवे, कोलकाता।
98. दास, के. एल. दक्षिण क्षेत्रीय फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और जांच संस्थान, ट्रेक्टर नगर, जिला अनंतपुर (आंध्र-प्रदेश)।
99. नंदा, संजीव कुमार भारतीय सर्वेक्षण, सर्वेक्षण भवन, भुवनेश्वर।
100. अंसारी, टी. एच. चाय बोर्ड, कोलकाता।
101. बट्टी नारायण, एन. तम्बाकू बोर्ड (वाणिज्य मंत्रालय), गुंटुर।
102. कुमार, चौ. सम्पत विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट, विशाखापट्टनम।

85. Nayak, Bijayananda Office of the Sub-Collector, Bhubaneswar.
86. Behera, Biswambar Orissa Public Service Commission, Cuttack.
87. Ransingh, Bichhanda Kumar Orissa State Archives, Bhubaneswar.
88. Kumar, Dhirender Orissa State Archives, Bhubaneswar.
89. Sethi, Rabindra Nath Orissa State Archives, Bhubaneswar.
90. Nayak, Biswanath Orissa State Archives, Bhubaneswar.
91. Sulochana, K.A. Sathia Planning Commission, New Delhi.
92. Goel, Ramesh Press Council of India, New Delhi.
93. Raj Kumar Prime Minister's Office, New Delhi.
94. Malhotra, R.C. Publication Division, (Ministry of Information & Broadcasting),
New Delhi.
95. Mohan, Arvind Regional Office of the Comptroller of Airworthiness, Chakeri,
Kanpur (U.P.).
96. Ravikiran, P. Reserve Bank of India, Central Records and Documentation Cen-
tre, Pune.
97. Mahapatra, R.N. South Eastern Railway, Kolkata.
98. Das, K.L. Southern Region Farm Machinery Training and Testing Institute,
Tractor Nagar, Dist. Anantapur (A.P.).
99. Nanda, Sanjib Kumar Survey of India, Survey Bhawan, Bhubaneswar.
100. Ansari, T.H. Tea Board, Kolkata.
101. Badrinarayana, N. Tobacco Board (Ministry of Commerce), Guntur.
102. Kumar, Ch. Sampat Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

राष्ट्रीय अभिलेखागार
जनपथ, नई दिल्ली-110001



NATIONAL ARCHIVES OF INDIA
JANPATH, NEW DELHI - 110001

email : archives@nic.in
website : www.nationalarchives.gov.in